लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[सातवाँ सत्र
Seventh Session]

Chamber Fumigated 18|X|23
Preservation Unit
17-7-94
Fumigated
On 5 | 1 | 84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 27 में अंक [illegible] से 40 तक हैं
Vol. XXVII contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 38—शुक्रवार, 11 अप्रैल, 1969/21 चैत्र, 1891 (शक)

No. 38—**Friday, April 11,** 1969/**Chaitra** 21, 1891 (**Saka**)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या		
S. Q. Nos : विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
1021. खाना बनाने के लिए सूर्य की किरणों से जलने वाले हीटर	Use of Solar Heaters for Cooking	1-2
1022. ग्रामीण सड़कों के लिए पूंजी परिव्यय	Capital outlay for Rural Roads	2-5
1023. केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए गोहाटी में 'इन्टरव्यू' की व्यवस्था	Holding of Interviews at Gauhati for Recruitment to Central Services	6-9
1024. अखिल भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, वन सेवा तथा चिकित्सा सेवा	All India Engineering Services/ Forest Services/Medical Service	9-12
1025. त्रि-भाषा सूत्र पर अमल करना	Adoption of Three language formula	12-14
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या	**Short Notice Question Nos.**	
14. राष्ट्रीय स्कूल-पाठ्य पुस्तक बोर्ड	National Board for School Text Books	14-18
प्रश्नों के लिखित उत्तर (जारी)	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या	**Starred Question Nos.**	
1026. समान करारोपण तथा लाइसेंस पद्धति	Uniform Taxation and licensing	18-19
1027. साहित्य अकादमी द्वारा पुस्तकों का अनुवाद	Translation of books by Sahitya Akademi	19
1028. गौहाटी में हुए दंगे	Gauhati Riots	20
1029. सड़क परिवहन करारोपण जांच समिति	Road Transport Taxation Enquiry Committee	20
1030. दिल्ली में सैशन सुपुर्द किये गये मामले	Cases committed to Sessions in Delhi	20-21
1031. पर्यटक टैक्सियां	Tourist Taxis	21

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसे सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
1032.	दिल्ली परिवहन की बसें	D. T. U. Buses	
1033.	हवाई अड्डों का विकास	Development of Airports	21
1034.	भारत-श्रीलंका के बीच पर्यटन का विकास	Promotion of Tourism between India and Ceylon	21-22 22
1035.	राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा अन्य साम्प्रदायिक संगठनों पर प्रतिबन्ध	Ban on R.S.S. and other Communal Organisations	22-23
1036.	दिल्ली के लिए पुलिस आयुक्त	Police Commissioner for Delhi	23
1037.	दिल्ली में पर्यटक केन्द्रों का विकास	Development of Tourist Centres in Delhi	23-24
1038.	नक्सलवादियों की गतिविधियां	Activities of Naxalites	24-25
1039.	भारत में साम्प्रदायिक दंगों के बारे में समाचार	News about Communal Riots in India	25
1040.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की आय	Income of I. A. C.	25
1041.	काजू-सेव (केश्यू एपल) से शराब तैयार करने की प्रायोगिक परियोजनायें	Pilot projects for producing wine from Cashew apple	25-26
1042.	अशोक होटल नई दिल्ली द्वारा मद्यपान निषेध दिवसों में कानून का उल्लंघन	Contravention of Dry Days Law by Ashoka Hotels, New Delhi	26
1043.	दरभंगा और फोरबसगंज के बीच पार्श्ववर्ती रोड सम्पर्क पर कोसी पुल	Kosi Bridge on Lateral Road (Link) between Darbhanga and Forbesganj	27
1044.	उपग्रह संचार प्रणाली	Satelite Communications system	27-28
1045.	रात्रि डाक विमान उड़ानें रद्द करना	Cancellation of Night Air Mail Flights	28
1046.	साम्प्रदायिकता पूर्ण लेखों/समाचारों का प्रकाशन	Printing of Articles/News of Communal Nature	28-29
1047.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित इतिहास की पाठ्यपुस्तक को दिल्ली मिडिल स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना	Inclusion of History Text Book published by N. C. E R. T. in syllabus for Middle School classes in Delhi	29
1048.	सचिवों को राज्यों में वापस भेजा जाना	Return of Secretaries to States	30
1049.	स्कूलों और कालेजों में योग्यता के आधार पर प्रवेश	Admission to schools and colleges by merit	30
1050.	सरकारी कर्मचारियों की गलती/भूल के लिए दंड	Penalty for Mistake/Oommission by Government Employees	30-31

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
	अतारांकित प्रश्न संख्या	**Unstarred Question Nos.**	
5985.	पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत किये गये भारतीय	Indians kidnapped by Pakistanis	31-32
5986.	मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद पर जनमत संग्रह	Reforendum on Mysore Maharashtra Border dispute	32
5987.	बरहानपुर में किले के आसपास की भूमि को अपने अधिकार में लेना	Taking over of land around fort at Burhanpur (U. P.)	32
5988.	केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था में परीक्षणार्थ संयंत्र लगाये जाना	Installation of pilot plants at Central fuel Research Institute	32
5989.	भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए प्रतिभाशाली युवक	Bright Youngmen for I. A. S.	33
5990.	पर्यटन का विकास	Development of Tourism	33
5991.	बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग	National Highways in Bihar	34
5992.	बेरी आयोग का प्रतिवेदन	Beri Commission Report	34-35
5993.	'अलजमायत' में आपत्तिजनक सम्पादकीय लेख का प्रकाशन	Objectionable Editorial published in 'Aljamiat'	35
5994.	उड़ीसा और मध्य प्रदेश में पारित किये गए 'धर्म की स्वतंत्रता अधिनियमों' का विरोध	Protests against passage of 'Freedom of Religion Acts' in Orissa and Madhaya Pradesh	35
5995.	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद सम्बन्धी नागचौधरी समिति	Nagchaudhuri Committee on N. C. E. R. T.	35-36
5996.	नेशनल स्कूल आफ ड्रामा के दक्षिण की भाषाओं में नाटक	Plays of National School of Drama in Southern languages	36
5997.	नेशनल स्कूल आफ ड्रामा में दाखिला लेने के लिए हिन्दी का ज्ञान	Knowledge of Hindi for admission to National School of Drama	36
5998.	पुराना किला, नई दिल्ली में पुरातत्वीय खुदाई कार्य	Excavation work in the Purana Qila, New Delhi.	36-37
5999.	बम्बई से दिल्ली के लिए विमान सेवा	Flights from Bombay to Delhi	37
6000.	कैरेवल विमानों के स्थान पर डी० सी० 9-40 विमानों का प्रयोग	Replacement of Caravelle Fleet by D.C. 9—40	37-38
6001.	दिल्ली की पौलिटेकनिक संस्थानों में विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति	Reimbursement of fees to students of Polytechnics in Delhi	38

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6002.	उर्वरक तैयार करने के लिए आसाम का कोयला	Assam Coal for manufacturing Fertilizers	39
6003.	चुनावों में पराजित कांग्रेसियों की नियुक्तियाँ	Rehabilitation of Congressmen defeated in Election	39
6004.	कांडला पत्तन	Kandla Port	39-40
6005.	फिल्मों के अश्लील इश्तिहार	Obscene Cinema posters	40
6006.	वैज्ञानिक तथा ओद्योगिक अनुसंधान परिषद और प्रतिरक्षा अनुसन्धान तथा विकास परिषद के बीच सहयोग तथा समन्वय	Co-operation and co-ordination between C. S. I. R. and Defence Research and Development Council	40-41
6007.	मौसम विज्ञान विभाग, बम्बई में काम करने वाले एक अधिकारी का बैंक खाता	Bank Account of an officer working in Meteorological Department, Bombay	41-42
6008.	राष्ट्रीय संग्रहालय तथा सांस्कृतिक अवशेषों सम्बन्धी रंधावा समिति का प्रतिवेदन	Report of Randhawa Committee on National Museum and Cultural Remains	42
6009.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्वविद्यालय को केन्द्रीय अनुदान	Central Grants to Banaras Hindu University and Aligarh Muslim University	42
6010.	हिन्दी सहायकों के पदों को हिन्दी अनुवादकों के पदों में बदलना	Conversion of posts of Hindi Assistants into Hindi Translators	43
6011.	नये विश्वविद्यालयों का खोला जाना	Opening of new universities	43
6012.	दिल्ली तथा गाजियाबाद के बीच सड़क दुर्घटनायें	Road Accidents between Delhi and Ghaziabad	43-44
6013.	लक्कदीव द्वीप समूह प्रशासन में भेदभाव	Discrimination in Laccadives Administration	44
6014.	लक्कदीव द्वीप समूह प्रशासन	Laccadives Administration	44
6015.	सड़क परिवहन उद्योग का वित्तपोषण करने के लिए एजेंसी	Agency for Financing Road Transport Industry	44-45
6016.	अन्तर्राज्य परिवहन आयोग स्थापित करना	Setting up of Inter-State Transport Commission	45

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6017.	राष्ट्रीय एकता परिषद के निर्णयों का क्रियान्वयन	Implementation of National Integration Council's decisions	45-46
6018.	पर्यटक बंगले	Tourist Bungalows	46
6019.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा खाद्य, कृषि तथा सामुदायिक विकास मंत्रालयों के फार्मों तथा नियमावलियों का अनुवाद	Translation of forms and manuals of Ministry of Food Agriculture and Community Development by Central Hindi Directorate	46-47
6020.	दिल्ली के कालेजों के विद्यार्थियों में असंतोष का दूर किया जाना	Removal of discontentment amongst Delhi College students	47
6021.	मनीपुर के पुलिस तथा जेल कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण	Revision of pay scales of police and jail officials of Manipur	47
6022.	हिन्दी संस्थाओं की वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Hindi Institutions	48
6023.	हिन्दी अधिकारियों तथा हिन्दी पर्यवेक्षकों के लिए परीक्षा	Examination for Hindi Officers and Hindi Supervisors	48-49
6024.	हिन्दी सहायकों के नये पद	New Posts of Hindi Assistants	49
6025.	पन्त पोलीटैकनिक, दिल्ली के विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन सम्बन्धी दौरे	Study tours by students of Pant Polytechnic, Delhi	49-50
6026.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के निदेशक द्वारा विमान यात्राएँ	Air Journeys by Director, Central Hindi Directorate	50
6027.	ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा धर्म परिवर्तन	Conversion by Christian Missionaries	50
6028.	स्थानान्तरण किये जाने पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का प्रतिकरात्मक भत्ता	Compensatory allowance to High Court Judges on transfer	51
6029.	विज्ञान की विदेशी पुस्तकों को भारतीय भाषाओं में अनुवाद के लिये दिया गया स्वामित्व	Royalty paid for translation of Foreign Science Books into Indian Languages	51-52
6030.	अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पुलिस चौकियाँ	Police posts in Andman and Nicobar Islands	52
6031.	जलगाँव तथा परभणी में पाये गये गुब्बारे	Baloons found in Jalgaon and Parbhani	52-53
6032.	अन्तर्राज्यीय बस मार्ग	Inter State bus routes	53

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6033.	पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्रालय में भ्रष्टाचार के मामले	Corruption cases in Tourism and Civil Aviation Ministry	53
6034.	पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्रालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Tourism and Civil Aviation Ministry	53-54
6035.	हिप्पियों की भारत विरोधी तथा समाज विरोधी गतिविधियाँ	Anti India and unsocial activities of Hippies	54-55
6036.	राष्ट्रीय दक्षता दल (नेशनल फिटनेस कौर) के प्रशिक्षकों को और कामों पर लगाना	Absorption of National Fitness Corps' Instructors	55-56
6037.	आन्ध्र प्रदेश, मैसूर तथा मध्य प्रदेश में पर्यटन का विकास	Development of Tourism in Andhra Pradesh, Mysore and Madhya Pradesh	56-57
6038.	मन्त्रियों तथा संसदीय प्रतिनिधि मण्डलों आदि द्वारा विदेश यात्रा	Visits abroad by Ministers	57
6039.	भारत में परीक्षा प्रधान शिक्षा पद्धति	Examination dominated education system in India	57
6040.	बम्बई में माओ का पुतला जलाना	Burning of Mao effigy in Bombay	57-58
6041.	नर्मदा नदी पर पुल	Bridge over Narmada	58
6042.	महाजन आयोग के प्रतिवेदन सम्बन्धी फाइलों का गुम हो जाना	Missing of files Re. Mahajan Commission	58
6043.	चण्डीगढ़ में बनायी गई सम्पर्क सड़कें	Approach roads constructed in Chandigarh	58-59
6044.	चण्डीगढ़ में नेहरू मार्केट तथा शास्त्री मार्केट में दुकानों के अधिकृत कब्जेदार	Eligible occupations of shops in Nehru and Shastri Market in Chandigarh	59
6045.	चण्डीगढ़ में किराये की बकाया राशि की वसूली	Outstanding rent collections in Chandigarh	59
6046.	गुजरात में विश्राम गृह	Rest Houses in Gujarat	59-60
6047.	काश्मीर में पाकिस्तानी जासूस	Pakistani spies in Kashmir	60-61
6048.	केन्द्रीय गुप्त सूचना विभाग द्वारा अपराधों का पता लगाने के लिए कुत्ते रखना	Dogs kept by Central Intelligence Bureau for Crime Detention	61

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6050.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की विदेशी मुद्रा की आय	Foreign Exchange Earnings of I. A. C.	61
6051.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमानों की दुर्घटनायें	Accidents to I. A. C. Aircrafts	61
6052.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन	I. A. C.	62
6053.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा किया गया व्यय	Expenditure incurred by I.A.C.	62
6054.	राज्य लाटरियाँ	State lotteries	62
6055.	बिहार में बक्सर के निकट (गंगा पर पुल)	Bridge over Ganges near Buxur (Bihar)	62-63
6056.	हिप्पियों द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Anti Indian propaganda by Hippies	63
5057.	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के कार्यालय का एक ही भवन में लाया जाना	Shifting of office of C. S. T.´T. in one Building	63-64
6058.	जम्मू में पुलिस अधिकारियों द्वारा एक लड़की के साथ बलात्कार का आरोप	Alleged criminal assault on girl by Police Officers in Jammu	64
6059.	गुप्त सूचना विभाग तथा केन्द्रीय जाँच ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर पुलिस अधिकारी	Police personnel on deputation to I. B. and C. B. I.	64-65
6060.	गुप्त सूचना विभाग तथा केन्द्रीय जाँच ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर पुलिस अधिकारी	Police personnel on deputation to I. B. and C. B. I.	65
6061.	राष्ट्रीय संग्रहालयों में चोरियाँ रोकने के लिए अलार्म व्यवस्था स्थापित करना	Installation of burglar proof alarm system in National Museums	65-66
6062.	राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग	Use of English as an Official Language	66
6063.	हवाई अड्डों पर आपातकालीन सुविधाएँ	Emergency facilities at Airports	66-67
6064.	भारत में आत्महत्या से हुई मृत्यु	Deaths through suicide in India	67
6065.	मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षा नीति की आलोचना	Criticism of education policy of M. P. Government	67

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6066.	उड़ीसा में पारादीप पत्तन के तल से मिट्टी निकालना	Dredging of Paradeep Port in Orissa	68
6067.	अधीनस्थ कार्यालयों को हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में आदेश भेजना	Transmission of Orders Regarding use of Hindi to subordinate Offices	68
6068.	पत्तनों के लिए ड्रेजर पूल बनाना	Formation of a Dredger Pool for Ports	68-69
6069.	केन्द्रीय स्कूलों में स्कूल वर्दी	School dress in Central Schools	69-70
6070.	सिखिस्तान की माँग	Demand for a Sikh Homeland	70
6071.	सहायकों का स्थायीकरण	Confirmation of Assistants	70
6072.	पर्यटन तथा विकास	Development of Tourism	71
6073.	चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर खर्च	Outlay on Education during the Fourth Plan period	71
6074.	विमानों के डिजाइनों में परिवर्तन	Changes in Aircraft Design	71-72
6075.	पत्तनों का विकास	Development of Ports	72-73
6076.	दूसरे राज्यों की मोटर गाड़ियाँ रोकना	Detaining of vehicles of other States	73
6077.	विदेशों के साथ सांस्कृतिक समझौते	Cultural Agreements with Foreign countries	73
6078.	अगस्त, 1968 में राष्ट्रीय संग्रहालय में चोरी	Theft in National Museum in August, 1968	73-74
6079.	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की पुनः नियुक्ति	Re-employment of Class I Officers	74
6080.	केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के अधिकारियों का सेवाकाल बढ़ाना	Extension of Service to C. B. I. Officials	74
6081.	राष्ट्रीय संग्रहालय का विस्तार	Expansion of National Museum	75
6082.	विशाल हरियाणा की स्थापना	Formation of Vishal Haryana	75
6083.	हिन्दी अधिकारियों के लिए आदर्श भर्ती नियम	Model Recruitment Rules for Hindi Officers	75-76
6084.	अन्तर्राज्यीय मार्गों पर यात्री यातायात को एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर मोड़ने की कसौटी पर पुनर्विचार	Review of criteria for Diversion of passenger traffic on inter state Routes	76
6085.	राष्ट्रीय पुरस्कार	National Awards	76-77

अ॰ प्र॰ सं॰ U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6086.	पुलिस स्टेशनों में वायरलैस की व्यवस्था करना	Equipping Police Stations with Wireless	77
6087.	दिल्ली में पर्यटकों के लिए अतिरिक्त बसें	Additional Buses for Tourists in Delhi	77-78
6088.	दिल्ली के लिए धन	Funds for Delhi	78
6089.	दिल्ली में अश्लील साहित्य की बिक्री	Sale of Obscene Literature in Delhi	78
6090.	साप्ताहिक 'मशरिक' पर प्रतिबन्ध	Ban on 'Mashriq' Weekly	78-79
6091.	चण्डीगढ़ तथा भाखड़ा के बारे में निर्णय	Award on Chandigarh and Bhakra	79
6092.	आनन्द मार्ग	Anand Marg	79-80
6093.	गोलचा प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली के भूतपूर्व महा प्रबन्धक की गिरफ्तारी	Arrest of former General Manager of Golcha Properties (Private) Ltd., Delhi	80
6094.	आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के नेताओं के बीच अलिखित करार की क्रियान्विति	Implementation of Gentlemen's Agreement between Andhra and Telengana Leaders	80-81
6095.	आसनसोल में नेगा हवाई अड्डे के लिए अर्जित की गई भूमि	Land acquired for N. E. G. A. Aerodrome in Asansol	81-82
6096.	करांची के निकट विशाल नीली व्हेल मछली के कंकाल का पाया जाना	Skeleton of Giant blue whale found near Karachi	82
6097.	मनीपुर राज्य परिवहन के कर्मचारी	Staff of Manipur State Transport	82-83
6098.	मनीपुर राज्य परिवहन के कर्मचारी संगठन को मान्यता देना	Recognition of workers' Organisation of Manipur State Transport	83
6099.	मनीपुर सरकार द्वारा अप्रयुक्त धन का वापस किया जाना	Unspent money surrendered by Manipur Government	83-84
6100.	इम्फाल में मेइती लिपि सम्बन्धी गोष्ठी तथा मेइती मायक सम्बन्धी सम्मेलन	Seminar on Meitie script and Meitie Mayek conference at Imphal	84
6101.	मनीपुर के स्कूलों में सहायक मुख्य अध्यापकों के वेतन मानों का पुनरीक्षण	Revision of pay scales of Assistant Headmasters in Schools of Manipur	84

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6102.	दिल्ली नगर निगम को राजस्व से अतिरिक्त हिस्सा तथा अतिरिक्त अनुदान	Extra share in revenues and additional Grants for Delhi Corporation	84-85
6103.	विमान यात्रियों की सीमा शुल्क तथा अन्य औपचारिकताओं सम्बन्धी प्रक्रिया में सुधार	Streamlining procedure for clearing Air Passengers from Customs and other Formalaties	85
6104.	हवाई अड्डों पर गणमान्य व्यक्तियों (वी० आई० पी०) तथा विधायकों के लिये विश्राम कक्ष	Lounges for V. I. P's and Legislatiors at Airports	85-86
6105.	असैनिक हवाई अड्डों पर रात्रि सेवा की व्यवस्था	Night service arrangements at Civil Aerodromes	86
6106.	चण्डीगढ़ तथा सम्बन्धित मामलों पर मध्यस्थता	Arbitration on Chandigarh and Allied Matters	86-87
6107.	राज्यों द्वारा जारी की गई लाटरियों में धोखेबाजी	Cheating in State Lotteries	87
6108.	राज्यपालों की नियुक्ति के लिए विधान	Legislation for appointment of Governors	87
6109.	बालकों के अपहरण के लिए दण्ड	Punishment for Kidnapping children	87
6110.	मध्य प्रदेश में नर बलि	Human sacrifice in Madhya Pradesh	88
6111.	अन्तर्राज्य विवादों को निपटाने के लिए आयोग	Commissions for settling inter-state Disputes	88-89
6112.	कान्डला पत्तन में नौवहन	Turnover at Kandla Port	89
6113.	राष्ट्र-गीत का गायन	Playing of National Anthem	89-90
6114.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Central Government employees	90
6115.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रों के विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही	Disciplinary action against students of B. H. U.	90
6117.	शिव सेना का आन्दोलन	Shiv Sena agitation	90-91
6118.	नई दिल्ली नगर पालिका के स्कूलों में नर्सरी में निःशुल्क शिक्षा	Free nursery education in N. D. M. C. schools	91

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6119.	बिहार में राष्ट्रीय राजपथ	National Highways in Bihar	92
6120.	भारतीय जल-क्षेत्र में पकड़ी गई विदेशी नावें	Foreign Boats seized in Indian Territorial Waters	92-93
6121.	दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, बिहार	Darbhanga Sanskrit University, (Bihar)	93
6122.	विश्वविद्यालय तथा कालेज कर्मचारी संघ द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by the University and College Karamchari Union	94
6123	भारतीय सर्वेक्षण विभाग	Survey of India	94
6124.	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए निर्णय की समय-सीमा	Time Limit for pronouncing judgements by High Court Judges	95
6125.	स्कूल शिक्षा के स्तर में सुधार	Qualitative improvement in school education	95
6126.	सिविल पुलिस बल	Civil Police Force	95-96
6127.	राज्यों में न्यायिक पदों की संख्या	Strength of Judicial posts in States	96
6128.	अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाएँ	All India and Central Services	96
6129.	भारत में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर यात्री शुल्क	Passenger levy at International Airports in India	96-97
6130.	शिव सेना द्वारा किये गये उपद्रव	Shiv Sena Disturbances	97
6131.	कर्मचारी विभाग की स्थापना	Setting up of department of personnel	97-98
6132.	गोलकुंडा हीरे का वापस लौटाया जाना	Repatriation of Golkunda Diamond	98
6133.	पर्यटक एजेंसियों के लिए टिकटों का आरक्षण	Reservation of Tickets for Tourists	98
6134.	प्रतिलिप्याधिकार सम्बन्धी बर्न सम्मेलन	Berne Convention on Copyright	98-99
6135.	सिपाहियों के विरुद्ध प्रतिशोध की नीति	Vindictive policy against policemen	99-100
6136.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर न्यायालयों में मुकदमा चलाया जाना	Trial of Central Govt. Employees in Courts	100
6137.	गांधी शताब्दी के दौरान मृत्यु दण्ड से छूट	Exemption of Death sentence during Gandhi Centenary	101

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6138.	पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में बमों तथा विस्फोटक पदार्थों का निर्माण	Manufacture of Bombs and Explosives in Rural Areas of West Bengal	101
6139.	भिलाई के निकट सुराखों में रखे डाइनामाइट का पाया जाना	Dynamite found stuffed near Bhilai	101-102
6140.	भारत-नेपाल सीमा पर सड़कों और कस्बों का विकास	Development of Road and Border Towns along Indo-Nepal Border	102
6141.	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को सिरसका महल में तैनात करने के विरुद्ध विरोध	Protest against stationing of C.R.P. in Siraska Palace	102-103
6142.	आजीवन कारावास की अवधि में मुआफी	Remission in life Sentences	103
6143.	कोचीन पत्तन में नौवहन स्थान की व्यवस्था	Provision of shipping space at Cochin Port	103-104
6144.	दिल्ली नगर निगम के अध्यापकों को वेतन का भुगतान	Payment of salaries to D. M. C. Teachers	104
6145.	राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया राज्यपाल का अभिभाषण	Governor's speech drafted by State Government	104-105
6146.	तिब्बती पाण्डुलिपियों तथा तिब्बती ज्ञान-दर्शन में अनुसन्धान कार्य	Research work in regard to Tibetan manuscripts and Tibetan know how	105
6147.	श्री लंका सरकार के पर्यटन विभाग के जन-सम्पर्क अधिकारी श्री सी० एम० इस्माइल को पर्यटन सुविधायें	Tourism facility to Mr. C. M. Ismail, P. R. O. Tourism Department, Ceylon Government	105
6148.	कोयला वाहक जहाज	Coal carrying vessels	106
6149.	राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का न्यास	Trust of Rashtriya Swayam Sewak Sangh	106
6150.	बाल भवन, नई दिल्ली	Bal Bhawan, New Delhi	106-107
6151.	लोथल (गुजरात) में पाई गई पुरातत्वीय वस्तुएँ	Archaeological relief unearthed at Lothal (Gujarat)	107
6152.	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	National Scholarships Scheme	108
6153.	हुबली में साम्प्रदायिक दंगे	Communal Riots in Hubli	108-109

अ० प्र० सं० U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6155.	दिल्ली में इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों के लिए आवास योजना	Housing scheme for I.A.C. Employees in Delhi	109
6156.	दिल्ली में मोटर-रिक्शाओं तथा तांगे वालों द्वारा अधिक किराया लिया जाना	Exorbitant fare charged by Motor Rickshaw and Tonga Drivers in Delhi	109
6157.	राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद सम्बन्धी नाग चौधरी समिति	Nagchoudhuri Committee on N.C.E.R.T	109-110
6158.	हवाई अड्डे पर कार-सवारों की प्रतीक्षा पंक्ति	Waiting line of car passengers at Airport	110
6159.	दक्षिण भारत के राज्यों में अध्यापक प्रशिक्षण कालेज	Teachers Training colleges in Southern states	110-111
6160.	कार्यपालिका और न्यायपालिका के मतभेदों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	A. R. C. Recommendations on Executive Judicary differences	111
6161.	रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली के लिए कल्याण अधिकारी की नियुक्ति	Appointment of welfare officer for R. K. Puram, New Delhi	111
6162.	मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी में कार्य	Work in Hindi in Ministries/ Departments	111-112
6163.	दिल्ली से जोधपुर के लिए विमान सेवा	Air service from Delhi to Jodhpur	112-113
6164.	राज्य सरकारों द्वारा और अधिक स्वायत्तता की माँग	Demand for more autonomy by State Governments	113
6165.	दिल्ली के उप-राज्यपाल के प्रशासनिक अधिकार	Administrative powers of Lt. Governor of Delhi	113
6166.	एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी	Scheduled caste/scheduled tribe Employees in Air India and I.A.C.	114
6167.	आर्थिक/सांख्यिकीय अनुसंधानकर्ताओं के पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों का चयन	Selection of S. C. & S. T. Candidates for the posts of Economic/Statistical investivator	114-115

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6168.	बम्बई में केरल राज्य की लाटरी के इनाम की राशि का एक चीनी नागरिक को भुगतान	Payment of Kerala State Lottery price money to a Chinese citizen in Bombay	115
6169.	राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 की क्रियान्विति	Implementations of Official Languages (Amendment) Act, 1967	115-116
6170.	जम्मू में शरणार्थियों को स्वामित्वाधिकार देने के बारे में शेख अब्दुल्ला का भाषण	Sheikh Abdullah's Speech on Proprietary rights to refugees in Jammu	116
6171.	गोल्चा प्रापर्टी (प्राइवेट) लिमिटेट	Golcha Properties (P) Ltd.	117
6172.	बर्मी नागरिकों को प्रौद्योगिकी और इंजीनियरी का प्रशिक्षण	Training to Burmese Nationals in Technology and Engineering	117
6173.	अनुभाग अधिकारियों के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा	Departmental limited competitive Examination for section officers	117-118
6174.	दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में जुआ	Gambling in Higher Secondary Schools in Delhi	118
6175.	कान्हा (मध्य प्रदेश) में हवाई अड्डे का निर्माण	Construction of Aerodrome at Kanha, Madhya Pradesh	118
6176.	राज्यपालों की स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति की प्रार्थनाएँ	Requests by Governors for Transfer/Retirement	118-119
6177.	पर्यटकों को रियायतें	Concessions to Tourists	119
6178.	इटावा में छिपे हुए पाकिस्तानी राष्ट्रजन	Underground Pak. Nationals in Etawah	119
6179.	खेल के मैदानों का निर्माण	Construction of Playgrounds	119-120
6180.	भारतीय विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम	Correspondence Cources in Indian Universities	120
6181.	मैसूर में नागरा में वीर शिवपानायक के महल का स्थान	Palace site of Hero Shivappa Nayaka at Nagara, Mysore	120
6182.	होस्पट में हवाई अड्डा	Airport at Hospet	120-121
6183.	मैसूर राज्य के लिए पुरातत्वीय विभाग	Archaeological Department for Mysore State	121

अ० प्र० सं० U. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
6184. संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले मंहगाई भत्ते की एक समान दर	Uniform rate of dearness allowance paid to Government employees in Union territories	121
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Pubic Importance	
आन्ध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के बदल दिये जाने के बारे में श्री मुत्याल राव का कथित वक्तव्य	Reported statement of Shri Muthyal Rao re. replacement of Chief Secretary of Andhra Pradesh Government	
श्री चंगलाराय नायडू	Shri Chengal Raya Naidue	
श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	
फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बम्बई के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege against 'Financial Express', Bombay	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	
सभा का कार्य	Business of the House	
तारांकित प्रश्न संख्या 335 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to S. Q. no. 335	
अनुदानों की मांगें—	Demands for Grants	
खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय	Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation	
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjiwan Ram	
समाज कल्याण विभाग	Department of Social Welfare	
श्री वि० नरसिम्हा राव	Shri V. Narasimha Rao	
श्रीमती सुभा वी० रेड्डी	Shrimati Subha V. Reddy	
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	
सैंतालीसवाँ प्रतिवेदन	Forty-seventh Report	
राज्यपालों की शक्तियों और उनके कृत्यों के बारे में संकल्प	Resolution re-powers and functions of Governors	
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi	
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	

10 अप्रैल 1969 को पश्चिम बंगाल में हुई हड़ताल के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE STRIKE IN WEST BENGAL ON 10TH APRIL, 1969

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
	श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	
	श्री यज्ञ दत्त शर्मा	Shri Yajna Datt Sharma	
	श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	
	श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair	
	श्री मृत्युंजय प्रसाद	Shri Mrityunjay Prasad	
	श्री गणेश घोष	Shri Ganesh Ghosh	
	श्री क० नारायण राव	Shri K. Narayana Rao	
	श्री समर गुह	Shri Samar Guha	
	श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	
	तेलंगाना के बारे में वक्तव्य	Statement re.Telengana	
	श्रीमती इंदिरा गांधी	Shrimati Indra Gandhi	
	10 अप्रैल, 1969 को पश्चिम बंगाल में हुई हड़ताल के बारे में वक्तव्य	Statement re.strike in West Bengal on 10th April, 1969	
	श्री यशवन्त राव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 11 अप्रैल, 1969 / 21 चैत्र, 1891 (शक)
Friday, April 11, 1969 / Chaitra 21, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

खाना बनाने के लिये सूर्य की किरणों से जलने वाले 'हीटर'

\+

*1021. श्री द० रा० परमार : श्री रा० की० अमीन :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इसराइल में खाना पकाने के लिए सूर्य की किरणों से जलने वाले 'हीटरों' का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है ;

(ख) यदि हाँ, तो भारत में ऐसे ही "हीटरों" को प्रयोग में लाने की क्या गुंजाइश है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इनको भारत में लोकप्रिय बनाने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) इजराइल में

खाना पकाने के लिए सूर्य-तापी (सोलर) हीटरों के उपयोग के बारे में कोई सूचना नहीं है। फिर भी, ऐसा कहा जाता है कि इजराइल ने सूर्य तापी पानी के हीटरों का विकास किया है।

(ख) और (ग) : राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, नई दिल्ली द्वारा खाना बनाने के लिए विकसित एक प्रकार के सूर्य तापी हीटर दो फर्मों द्वारा अर्ध शताब्दी के प्रारम्भ में बनाए गए थे और उनकी बिक्री की गई थी किन्तु उपभोक्ताओं ने रुचि नहीं दिखाई।

श्री द० रा० परमार : मंत्री महोदय ने कहा है कि सूर्य तापी हीटर बनाया गया था। क्या देश में अन्य देशों की अपेक्षा इनको सस्ते दाम पर बनाने का प्रयत्न किया गया है क्योंकि हमारा देश उनसे भूमध्य रेखा के समीप है। (व्यवधान)

डा० वी० के० आर० वी० राव : मेरे विचार में सूर्य तापी हीटर पर और कार्य नहीं किया जा रहा, क्योंकि जब इसे वाणिज्यक आधार पर बेचने के लिये *बनाया गया था* तो उपभोक्ताओं ने इसे पसन्द नहीं किया था। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला में सूर्य जलतापी हीटर पर अनुसंधान किया गया है और सी० एस० आई० आर० के भूतपूर्व महा निदेशक, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री के घरों पर इनका परीक्षण हो रहा है। इस परीक्षण के बाद इसको राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को भेजा जायेगा। वहाँ यह देखा जायेगा कि क्या इसका वाणिज्यक प्रयोग किया जा सकता है ? केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्था, रुड़की में भी सूर्य जल तापी हीटर बनाया गया है। इसके वाणिज्यक निर्माण के लिए मैसर्स एम० एस० जे० इंजीनियरस, रुड़की को लाइसेंस भी दे दिया गया है।

श्री द० रा० परमार : क्या बिजली के हीटरों की अपेक्षा सूर्य तापी हीटर सस्ते पड़ते हैं ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मेरी जानकारी है कि रुड़की के हीटर की निर्माण लागत लगभग 600 रुपये है। यदि इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाये तो लागत कम आयेगी।

श्री रा० की० अमीन : मुझे यह जानकर आश्चर्य नहीं हुआ कि राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला में तैयार सूर्य तापी हीटर प्रयोग में नहीं लाया जा रहा क्योंकि हमारे देश में ऐसी परियोजनाओं के अनुसंधान के परिणाम से अधिक लोगों को लाभ नहीं होता। क्या उन्हें मालूम है कि तमिलनाड् के एक किसान विधायक ने सूर्य तापी हीटर बनाया है जिससे खेतों को पानी देना बहुत सस्ता पड़ता है ? सरकार ने ऐसी चीजों को लोकप्रिय क्यों नहीं बनाया ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मुझे माननीय सदस्य से इस बारे में जानकारी पाकर बहुत प्रसन्नता है।

ग्रामीण सड़कों के लिए पूँजी परिव्यय

*1022. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण सड़क समिति के निष्कर्षों तथा सिफारिशों के अनुसार ग्रामीण सड़कों के लिये कुल पूँजी परिव्यय को मंजूर कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कुल पूँजी परिव्यय कितना है ?

संसद-कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : (क) और (ख) : ग्रामीण सड़कों की व्यवस्था राज्य योजनाओं में शामिल की गयी है क्योंकि ये सड़कें राज्य के

क्रियाकलापों के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अतः ग्रामीण सड़क समिति की रिपोर्ट की प्रतियां सब राज्य सरकारों और संघ प्रदेशों के प्रशासनों को अपने अपने राज्य की चौथी पंच वर्षीय योजना में शामिल करने के लिए प्रस्ताव बनाते समय समिति की सिफारिशों को दृष्टि में रखने के लिए भेज दिया गया है। इन योजनाओं में ग्रामीण सड़कों के लिए की गयी व्यवस्था चौथी योजना आवंटनों को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही बतायी जा सकती है। इस समिति ने इस वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ होने वाले 20 वर्षों के लिए ग्रामीण सड़कों के लिए कुल 1430 करोड़ रुपये के निवेश की सिफारिश की है।

Shri Kameshwar Singh : The hon. Minister has said that Rs.1,430 crores will be given for rural roads during next 20 years. I want to know how much will be given for Bihar ?

Shri Iqbal Singh : It is not a question of giving. It is only a report of the Committee that that much should be given during fourth, fifth, sixth and seventh plans. Bihar will get according to total state plan allocation. The Committee has not recommended about individual states.

Shri Kameshwar Singh : During the President's rule on national highway no. 31 work for connecting Saharsa to Maheshkhut had been started. This road is very near the Nepal border. It has great strategic importance. Keeping in view this, will the Government give more funds for this road so that this could be completed and the bridge on Kosi constructed ?

Shri Iqbal Singh : So far as the roads in villages are concerned, State Government can give information.

Shri Chandrika Prasad: Patel Commission has also considered the question of rural roads. Government of India is responsible for this. I want to know whether Government will earmark funds for that ?

Shri Iqbal Singh : It will be decided by the Planning Commission as to how much funds will have to be earmarked for roads by states.

Shri Shiv Charan Lal : I had written to the hon. Minister about rural roads in U. P. during President's rule there. I was assured that it would be looked into during fourth plan. There are many historical roads in district Agra of U. P. I want to know whether the assurance about these roads will be fulfilled and ask the Work Minister of U. P. to get these roads constructed urgently ?

Shri Iqbal Singh : The rural roads are the responsibility of State Government. There are many historical roads in our country and these are looked after by State Governments.

Shri Sheo Narain : I am not asking for any particular road. May I know whether a plan would be prepared so that the facility of means of Communication is available. It is a genuine demand. It is a demand of the entire country.

Shri Iqbal Singh : The committee was constituted to look into entire roads of the country. According to this 3 lakhs and 46 thousand miles of roads would be constructed.

Shri Hukam Chand Kachwai : A sum of Rs.1,430 crores of rupees is proposed to be spent on road construction in 20 years as per survey conducted by the Committee. Will the hon. Minister be pleased to state the criterian of population by which the villages would be connected with roads within 20 years ? When will this work commence throughout the country and what would be the expenditure state-wise ?

Shri Iqbal Singh : The estimate of amount to be spent on rural roads has been made and it is hoped that every village will be about 1¼ miles away from the mettled road, the less

inhabited places would be about 4 miles and the least inhabited would be about 8 miles from mettled road.

Shri Hukam Singh Kachwai : When would the work commence ? How much time would it take to finalise ?

Shri Iqbal Singh : The work would commence this year and would take 20 years to finalise.

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : परिवहन तथा नौवहन के भूत पूर्व मंत्री ने कहा था कि ग्रामीण सड़कों का बनाया जाना अनिवार्य है और उसके लिए उन्होंने 1200 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान लगाया था। इस हिसाब से, धनाभाव के कारण, हम कभी भी ग्रामीण सड़कों का निर्माण नहीं कर पाएँगे और ग्रामीण भारत उपेक्षित ही रह जाएगा। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह एक राष्ट्रीय परियोजना का निर्माण कराएँ जिसमें ग्रामीण स्वयं सेवकों की भर्ती किया जा सके। परियोजना को प्रारम्भ करने के लिए मैं 1000 ग्रामीण स्वयं सेवकों की सेवाएँ बिना वेतन लिए सड़क निर्माण कार्य के लिए अर्पित करता हूँ। जब तक आप ऐसा नहीं करते सड़क निर्माण कार्य में कोई प्रगति नहीं आ पाएगी। क्या मन्त्री महोदय इस योजना पर विचार करेंगे ?

श्री इकबाल सिंह : ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए इन सभी बातों पर समिति ने ध्यान दिया है। हमने भी इसका ध्यान रखा है कि एक तिहायी ग्रामों से स्वेच्छा पूर्वक अंशदान के रूप में उपलब्ध होगा।

अध्यक्ष महोदय : एक हजार व्यक्तियों की अर्पित सेवाओं के बारे में क्या विचार है ?

Shri Maharaj Singh Bharti: I would like to know whether the amount earmarked for road construction includes the sum of Rs.116 crores from farmers, 116 Crores from sugar Mills, 113 crores from State Governments and another 113 crores from Central Government for laying roads around sugar factories connecting the villages? If so what is the total amount intended for the purpose ?

Shri Iqbal Singh : There was no scheme according to the committee but it was a plan for the entire rural roads. Whatever is necessary for its implementation has to be done by the State Governments. This includes all roads that are to be cnstructed in villages on behalf of any body.

श्रीमती सावित्री श्याम : ग्रामीण सड़कों की स्थिति अत्यन्त असंतोष जनक है, और इसीलिए देहाती-अर्थ-व्यवस्था का विकास नहीं हो पाया। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार सड़क परिवहन द्वारा एकत्रित धन में से देहातों की सड़कों के विकास के लिए पृथक धन रखेगी ?

श्री इकबाल सिंह : ग्रामीण सड़कों के बारे में समिति का प्रतिवेदन हमने राज्य सरकारों को भेज दिया है— और उस पर कार्यवाही करना उनका कार्य है। धन के बारे में हमने कुछ सिफारिशें की है और इन परियोजनाओं पर धन लगाना राज्य सरकारों का काम है।

Shri Ramji Ram: I want to draw the attention of the hon. Minister towards a royal road constructed in our Faizabad District by Sher Shah Suri. Whenever we raise the question with the State Government it is stated by them that it is the business of Central Government. When the Central Government is approached regarding this matter, they say that this is the concern of the State Government. There is a road parallel to Saryu and Ghagra rivers which has defence importance as it leads to Chinese border. Has the Government given due attention to it and whether they propose to build that road under that scheme ?

Shri Iqbal Singh : So far as the Central Government is concerned it has to look after the national Highways and I can furnish information in respect of these roads. But in case any National Highway has to be built it can be done by this house and the work can commence only after the approval of the house.

श्री स० चं० सामन्त : नागपुर प्लान के अन्तर्गत कुछ सिफारिशें की गई है उसका कितना प्रतिशत पूरा हो गया है, और कितना बीस वर्षीय योजना में पूरा हो जायगा।

श्री इकबाल सिंह : नागपुर प्लान एक पुरानी योजना है जो चौथी शताब्दी में बनाई गई। बाद में कई और समितियों ने उसका अध्ययन किया। उनमें से अंतिम मुख्य इंजीनियर समिति का प्रतिवेदन है।

Shri Nathu Ram Ahirwar : It is twenty years that we achieved Independence. The rural people had high hopes that they would have benifits of roads but the roads were built for in the cities. They would have to wait for another twenty years in accordance with the Committee report. The report of the committee must have drawn an estimate as to how much roads could be built and as to how many roads each states could have. Whether there is any actual estimate on it has merely been verbally stated ? Will the hon. Minister state the number of roads that would be built in each State and the number of National Highways proposed to be built ?

Shri Iqbal Singh : Three lakh forty six thousand miles of roads would be buil in the country as a whole. I do not have the State wise statistics, at present.

श्री नन्द कुमार सोमानी : ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में शीघ्र सुधार लाने तथा वहाँ की सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शीघ्र विकास की आवश्यकता है। पूर्व मंत्री श्री वी० के० आर० वी० राव के सड़क निर्माण के बारे में प्रकट किये गए विचारों पर ध्यान देते हुए भारत सरकार का यह कहना है कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण के बारे में, ग्रामीण सड़क निर्माण समिति की सिफारिशों पर केन्द्र को कोई कार्यवाही नहीं करनी ठीक नहीं। मुख्य-इंजीनियर की टिप्पणी के अनुसार उक्त समिति ने अपनी बीस वर्षीय योजना पेश की है, जिसपर 1450 करोड़ रुपए व्यय होंगे। चौथी योजना के अन्तर्गत भारत के समस्त राज्यों ने योजना आयोग में कितनी माँग की है। इस बारे में 265 करोड़ रुपए की आवश्यकता में से कितना धन चौथी योजना के अन्तर्गत केन्द्र से राज्यों को दिया जायगा। क्या मंत्री महोदय ने राज्य सरकारों पर यंत्रीकृत सड़क निर्माण मशीनों की आवश्यकता पर बल दिया है तथा राज्यों को रोड रोलर, मार्टर ग्रेडर, हालेज ट्रेक्टर उपलब्ध कराए हैं।

श्री इकबाल सिंह : यह सत्य है इस समिति ने चौथी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 265 करोड़ रुपए की सिफारिश की है। यह राज्य योजना का एक भाग होगा। अधिक विवरण चौथी योजना को अंतिम रूप देने के पश्चात जाना जा सकेगा।

श्री नन्द कुमार सोमानी : मैंने चौथी योजना को अंतिम रूप दिए जाने के बारे में नहीं पूछा। सड़क निर्माण के लिए चौथी योजना के अन्तर्गत राज्यों की क्या माँग है ?

श्री इकबाल सिंह : यह सूचना अभी नहीं दी जा सकती। इसके लिए नोटिस चाहिए।

केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती के लिये गौहाटी में 'इन्टरव्यू' की व्यवस्था

★1023. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं में पदों पर भर्ती के लिए कलकत्ता में "इन्टरव्यू" तथा परिक्षाएँ होती है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या आसाम के उम्मीदवारों को इस सम्बन्ध में कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें कलकत्ता आना पड़ता है जिसमें 3 दिन लग जाते हैं; और

(ग) ऐसे 'इन्टरव्यू' के लिए गौहाटी में ही व्यवस्था करने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) : केन्द्रीय सेवाओं की भर्ती के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई भर्ती परीक्षा तथा साक्षात्कार के लिये केन्द्रों का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सभी तत्वों को ध्यान में रखकर किया जाता है। भर्ती दो श्रेणियों की होती है। अर्थात्

(1) साक्षात्कार से चयन द्वारा भर्ती और

(2) प्रतियोगी परीक्षा के परिणामों पर भर्ती, जिसकी योजना में परीक्षा के लिखित भाग के नतीजे पर उत्तीर्ण उम्मीदवारों की व्यक्तित्व-परीक्षा के लिए मौखिक परीक्षा। साक्षात्कार शामिल है।

2—केन्द्रीय सेवाओं में साक्षात्कार द्वारा चयन से भर्ती के लिये साक्षात्कार प्रायः केवल दिल्ली में होते हैं। जहाँ तक उपरोक्त श्रेणी (2) के अन्तर्गत आने वाली केन्द्रीय सेवाओं/पदों में भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षाओं का सम्बन्ध है, परीक्षाओं के लिखित भाग के लिये परीक्षा कलकत्ता और शिलांग समेत चुने हुये केन्द्रों में की जाती है और परीक्षाओं के लिखित भागों के परिणामों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की व्यक्तित्व-परीक्षा के लिये मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार प्रायः नई दिल्ली में किये जाते हैं। कुछ अवस्थाओं में जैसे सम्मिलित प्रतियोगी परीक्षाओं से केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती, साक्षात्कार दिल्ली के अतिरिक्त बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद में किये जाते हैं। साक्षात्कार को बुलाये गये उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिये प्रायः काफी समय पहले सूचना दे दी जाती है और उन्हें यात्रा व्यय का सामान्य अंशदान भी दिया जाता है। अतः स्थिति यह है कि नई दिल्ली, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिये जाने वाले साक्षात्कारों का मुख्य केन्द्र रहता है और साक्षात्कार के सम्बन्ध में यह नहीं कहा जा सकता है कि आसाम के उम्मीदवारों को कोई विशेष हानि होगी, क्योंकि उनको साक्षात्कार के लिये कलकत्ता बुलाया जाता है।

श्री वेदव्रत बरुआ : आसाम के विश्व विद्यालयों से प्रतिवर्ष 5000 स्नातक बाहर आते हैं परन्तु वहाँ पर कोई नए उद्योग स्थापित नहीं होते। जो उद्योग वहाँ विद्यमान हैं उनके कार्यालय भी आसाम से बाहर हैं अतएव सभी नियुक्तियाँ बाहर से ही की जाती हैं। कुछ केन्द्रीय संस्थाएँ, जैसे इंडियन एयर लाइन्स, तो आसाम के पत्रों में नियुक्तियों के विज्ञापन भी नहीं देतीं। इंडियन एयर लाइन्स में कुल मिला कर आधा दर्जन आसामी कार्यकर्त्ता भी नहीं हैं। क्या यह, संविधान की

समस्त भारतवासियों के लिये नौकरी के अवसरों की समानता की घोषणा के अनुरूप है ? उत्तर-पूर्वीय भारत को अपने क्षेत्र में ही रोजगार के अवसरों से वंचित किया गया है । क्या मन्त्री महोदय इस बारे में जाँच द्वारा तथ्यों का पता लगाएँगे तथा असंतुलन को रोकने के उपाय करेंगे ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य की इस बारे में चिन्ता स्वाभाविक है । जहाँ तक संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षाओं का सम्बन्ध है वे आसाम की राजधानी शिलांग में ली जाती हैं ।

श्री वेदव्रत बरुआ : निम्न सेवाओं के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : निम्न सेवाओं के लिये संघ लोक सेवा आयोग के लिए परीक्षाओं की व्यवस्था करना अव्यवहार्य है । इसके लिए साधारणतः उम्मीदवारों को दिल्ली में इण्टरव्यू के लिए बुलाया जाता है और यह पद्धति व्यवहार्य एवं संतोषजनक सिद्ध हुई है ।

श्री वेदव्रत बरुआ : पिछले कई वर्ष से आसाम के रेलवे तथा डाक विभागों ने आसाम के स्थानीय लोगों को, जिनमें ऐसे लोग भी सम्मिलित हैं जो यहाँ बस गये हैं, नौकरी के लिए भर्ती नहीं किया । गृह मंत्रालय यह नहीं कह सकता कि इस समस्या से वह संबन्धित नहीं क्योंकि बेरोजगारी कानून और व्यवस्था को सबसे बड़ा खतरा है । तो क्या गृह मंत्रालय डाक तथा रेलवे मंत्रालयों को स्पष्ट रूप से अवगत कराएगा कि उन्होंने आसाम के स्थानीय लोगों को नौकरी में न लेकर सम्पूर्ण भारत का अहित किया है तथा उन्हें इस असन्तुलन को दूर करना चाहिए ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं अधिकार पूर्वक डाक तथा रेलवे विभागों द्वारा अपनाई गयी पद्धति के बारे में कुछ नहीं कर सकता । मुझे पता चला है कि उनके यहाँ परीक्षाओं के लिए क्षेत्रीय केन्द्र हैं । सघ लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाने वाली केन्द्रीय नियुक्तियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं के केन्द्रों का हम यथा सम्भव विस्तार कर रहे हैं । जहाँ तक रोजगार के अवसरों का कानून और व्यवस्था के साथ सम्बन्ध है उस पर प्रश्नों के घण्टे में चर्चा नहीं की जा सकती ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्राक्कलन समिति में संघ लोक सेवा आयोग पर विचार-विमर्श करते समय यह मामला उठाया गया था । वहाँ सुझाव दिया गया था कि सभी संवर्गों के लिए संघ लोक सेवा आयोग के लिए नियुक्तियाँ राज्य लोक सेवा आयोग तथा विश्वविद्यालय छात्र सलाहकार विभागों द्वारा की जानी चाहिए जिससे कि केन्द्रीय सेवाओं के लिए सभी क्षेत्रों को पूरे अवसर मिल सकें । क्या गृह मंत्री इस सुझाव पर विचार करेंगे ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : निश्चय ही, हम सभी उपयोगी सुझावों पर ध्यान देंगे ।

श्री रा० बरुआ : इंडियन एयर लाइन्स के बारे में क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि गौहाटी में एक सैल इस उद्देश्य से स्थापित किया जायगा कि निम्न पदों की भर्ती के लिए साक्षात्कार वहाँ हो सकें । जहां तक तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में निम्न पदों के लिए भर्ती का प्रश्न है उम्मीदवारों को देहरादून बुलाने की अपेक्षा साक्षात्कार की व्यवस्था गोहाटी तथा शिवसागर में कर दी जाएगी । क्या मंत्री महोदय ऐसा आश्वासन दे सकते हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं माननीय सदस्यों के सुझाव सम्बन्धित मंत्रियों के पास भेज दूंगा ।

श्री हेम बरुआ : शिक्षित बेरोजगारी की समस्या आसाम में विकटतम है क्योंकि उसकी सरकार द्वारा उपेक्षा की जाती रही है। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा विनोद पूर्वक यह घोषणा की गई थी कि 500 रुपया मासिक वतन के सभी पद स्थानीय लोगों को मिलेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि क्षत्रीय असंतुलन को रोकने के लिए सरकार ने कौन से विशेष पग उठाए हैं, जिससे कि आसाम तथा पिछड़े हुए और अविकसित क्षत्रों को रोजगार मिल सकें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह सत्य है कि भौगोलिक तथा अन्य कारणों से आसाम में रोजगार की समस्या अत्यन्त विषम है। इसका प्रमाण हमें उन आन्दोलनों में मिला जो वहाँ परिष्करणशाला खोले जाने के बारे में हुए। प्राक्कलन समिति ने इस ओर ध्यान दिया तथा कई उपयोगी सुझाव दिए। उनमें से अधिकांश स्वीकार कर लिये गये, और तदानुकूल आदेश दे दिये गए। अखिल भारतीय परियोजनाओं में जिनमें देश का धन लगा हुआ है, कितना प्रतिनिधित्व स्थानीय लोगों को मिले, यह एक जटिल प्रश्न है। इन प्रश्नों पर ध्यान पूर्वक निरन्तर विचार किया जाना चाहिए।

श्री हेम बरुआ : आप अपने कुछ सिद्धान्तों को कार्यान्वित नहीं करते। क्या आपने 500 रुपए तक वेतन पाने वालों के बारे में अपने सिद्धान्त को क्रियान्वित किया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस बारे में हमने ब्यूरो आफ पब्लिक इन्ट्रप्राइसिज से परामर्श द्वारा कुछ आदेश दिए हैं। इनको कार्यान्वित करने का कार्य पब्लिक सैक्टर एककों पर ही छोड़ा है। जब भी हमें उसके कार्यान्वित करने के विरुद्ध शिकायत मिलती है हम उसे दूर करने का यत्न करते रहे हैं।

श्री बसुमतारी : देखा गया है कि अधिकारी व्यक्तियों द्वारा भाई-भतीजा वाद, पक्षपात तथा क्षेत्रीय व्यक्तियों का पक्षपात किया जाता है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या सदस्य महोदय का आरोप सरकारी नौकरियों से सम्बन्धित है अथवा सरकारी संस्थानों से।

एक माननीय सदस्य : दोनों से।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा, सब जगह।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जहाँ तक संघ लोक सेवा आयोग का सम्बन्ध है वहाँ पर पक्षपात, बन्धु पक्षपात नहीं होता। उनकी परीक्षाएँ उच्च स्तरीय तथा उचित ढंग से सम्पन्न होती हैं। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के बारे में मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं।

श्री स्वैल : श्री वेदब्रत बरुआ ठीक समझते हैं कि पक्षपात संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों में नहीं होता अपितु केन्द्रीय सरकार की निम्न सेवाओं में होता है। क्या सरकार सभी मंत्रालयों एवं सरकारी प्रतिष्ठानों को परिपत्र भेजेगी कि आसाम तथा उत्तर-पूर्वीय क्षेत्र में सभी भर्ती किसी प्रकार की क्षेत्रीय परीक्षाओं के आधार पर की जाए।

श्री विद्याचरण शुक्ल : केन्द्रीय सरकार के स्थानीय कार्यालयों में छोटे पदों पर भर्ती स्थानीय रोजगार के दफ्तरों के द्वारा होती है और उस बारे में कोई शिकायत नहीं मिली। मुख्य शिकायत यही है कि अधिकतर भर्ती दिल्ली में होती है, अतएव दिल्ली में तथा उसके आसपास

रहने वालों को दिल्ली में होने वाली परीक्षाओं में भाग लेने में अन्यों की अपेक्षा कुछ सुविधा रहती है। मैं समझता हूँ कि इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और यहां की निकटवर्ती जनसंख्या को कुछ लाभ तो रहेगा ही। यदि आप इस बारे में कोई सुझाव दें कि किस प्रकार हम अधिक व्यक्तियों को देश के विभिन्न भागों से भर्ती कर सकते हैं तो हम उस पर सहर्ष विचार करेंगे।

श्री स्वैल : मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार ऐसा परिपत्र भेजने को उद्यत है। आई०ए०सी०, फेरटिलाइजर कार्पोरेशन तथा कई अन्य आसाम में कार्य कर रहे, सरकारी प्रतिष्ठानों का उल्लेख किया गया है। क्या आप उन सभी सरकारी कार्यालयों, प्रतिष्ठानों, डाक-तार घरों को जो आसाम में कार्य कर रहे हैं निर्देश देंगे कि भर्ती के लिए परीक्षाएँ आसाम में ही ली जाएँ और उम्मीदवारों को दिल्ली न आना पड़े ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुका हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप सूचना को सम्बद्ध मंत्रालय में भेज दें।

All India Engineering Service/Forest Service/Medical Service

+

*1024. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri S. S. Kothari :
Shri Suraj Bhan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to a Resolution adopted by the Rajya Sabha in December, 1961, under Article 312 (1) of the Constitution, it was agreep to give an all India character to Engineering, Forest and Medical Services ; and

(b) if so, the action taken and proposed to be taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) The All India Services Act, 1951 was amended in September 1963, to provide for the constitution of the Indian Forest Service; the Indian Medical and Health Service and the Indian Service of Engineers (Irrigation, Power, Buildings and Roads).

The Indian Forest Service was constituted with effect from the 1st July, 1966. After the initial constitution, direct recruitment and promotions to the Indian Forest Service have also begun.

The constitution of the Indian Medical and Health Service with effect from the 1st February, 1969 has been notified. Selections at the initial constitution stage are to begin shortly.

Rules regulating recruitment to the proposed Indian Service of Engineers and for the cadre management have been drafted in consultation with the State Governments and referred to the Union Public Service Commission for their advice. As soon as these Rules are finalised, action to constitute the Service will be taken.

Shri Ram Gopal Shalwale : May I know separately the number of Engineers, doctors and Government employees of Forest Departments who have been given recognition so far on an all India basis ?

Shri Vidyacharan Shukla : As I have stated just now these services have not been formed as yet. Only their rules and sub-rules have been framed so far. How many persons can be absorbed in it can be known only after the services have been constituted and selections have been made. The Medical and Health Services are going to be constituted and notification in that regard had been issued on the 1st of February. Recruitment will be made shortly. As regards the Forest Service, it has already been constituted an year ago. As regards the Engineering Service, we have reported the matter to U. P. S. C. for their approval and after their approval is obtained, we shall frame the rules and sub-rules and make the recruitment.

Shri Brij Bhushan Lal : May I know the snags which prevent the Government from constituting an All India Engineering Service particuarly in view of the fact that 20—22 thousand engineers are unemployed in the Country and that the resolution in this regard was adopted in Rajya Sabha 8 years ago and later the All India Services Act had also been amended suitably to achieve that end ?

Shri Vidya Charan Shukla: It is true that there has been some delay, but in matters like this delay is inevitable in view of the fact that we have to convince the various State Governments of its utility and seek their cooperation. As regards the Engineering Service there was some difference of opinion even among the Central ministers. Now we have resolved all those complicated issues and we are on the threshold of the Constitution of this Service.

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : संविधान के अनुच्छेद 312 (1) के अनुसार सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य सेवाओं की भर्ती और शर्तों के सम्बन्ध में नियम बना सकती है। अनुच्छेद 312 (2) के अनुसार सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकती। हो यह रहा है कि विभिन्न अखिल भारतीय सेवाएँ, जैसे कि रेलवे सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा सेवा आदि के साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की अपेक्षा वेतन और पदोन्नत्ति के मामले में भेदभाव बर्ता जाता है। चूंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोग ही अन्य सेवाओं के सम्बन्ध में निर्णय करते हैं, अतः अन्य सेवाओं की शर्तों में सुधार नहीं किया गया है। इससे उन सेवाओं के लोगों में असंतोष फैलता है। इस भेद भाव को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमने इस मामले की जाँच की है। वास्तव में कोई भेदभाव नहीं है। दो अलग-अलग प्रकार की सेवाएँ हैं। अखिल भारतीय सेवाएँ केवल दो ही हैं—भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय इंजीनियरिंग सेवा। अन्य सेवाऐं जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, केन्द्रीय सेवाएँ हैं जिनकी परीक्षा प्रणाली संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निश्चित की जाती है। मूल रूप में इनका उद्देश्य एक ही है। दोनों में कुछ बातें मिलती भी हैं और कुछ नहीं भी मिलतीं। किन्तु इस विशिष्ट मामले में और कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव का आरोप तब ही लगाया जा सकता है जब वे समान हों। किन्तु अपने गठन और योजना से ही वे एक दूसरे से भिन्न हैं।

Shri Suraj Bhan : I am sorry to say that when new services are made no reservation is made for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Their appointments are made in two ways—one by deputation from the States and the other by direct recruitment. Those on deputation are totally from outside and no question of reservation arises in their case. As regards direct recruitment it had been stated in this House during the last session in December :

"The orders regarding reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes would

apply to direct recruitment, unless any such posts are specifically exempted from the purview of the reservation orders.''

Even in direct recruitment the Scheduled Caste Candidates are not taken on merit and efficiency basis. They are condemned. Because no reservation is made for them at the initial stages, senior people of other castes come and become the appointing authority and they have prejudice. May I know whether the condition of merit and efficiency will be waved and reservation quota filled by providing minimum qualification and whether the period of reservation be extended by 10 more years since their reservation has not been completed ?

Shri Vidya Charan Shukla : Reservation is there in the new services. Of course previously the candidates belonging to S. C. and S. T. could not qualify in the number we desired. Later on we established training schools for them one each at Allahabad and Madras. The reserved vacancy candidates are given special training there before the examination so that they may qualify the examinations. The results were encouraging. We have been able to fill all the reserved vacancies of S. C. and S. T. during the last three years. Even in State services the S. C. and S. T. people are given more attention in seniority etc. But if there are no candidates on the list, it is difficult to take them. But as regards the policy, we want to take them not only against the reserved vacancies, but also against the general vacancies in the maximum possible number.

श्री कार्तिक ओराओं : हमारे देश में इंजीनियरों को जितना तुच्छ समझा जाता है, उतना संसार में कहीं नहीं समझा जाता। अखिल भारतीय सेवाएँ न होने के कारण हमें बड़ी-बड़ी परियोजनाओं में उच्च पदों को भरने के लिये बड़ी खोज करनी पड़ती है। यदि अखिल भारतीय इंजीनियरिंग सेवा हो तो यह कठिनाई दूर हो सकती है। मैं सरकार से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ कि देश के इंजीनियरों का असंतोष और उनकी निराशा दूर करने के लिये कब तक अखिल भारतीय इंजीनियरिंग सेवा बन जायेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मुख्य प्रश्न के उत्तर में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अखिल भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के लिये नियम संघ लोक सेवा आयोग को भेजे गये हैं और उनकी स्वीकृति प्राप्त होने पर हम सेवा बनाने की दिशा में कार्यवाही करेंगे।

श्री लोबो प्रभु : अखिल भारतीय सेवाएँ तभी उपयोगी हो सकती हैं जब ये सभी भारतीय राज्यों के लिये हों। चूँकि राज्य सभा ने कुछ अखिल भारतीय सेवाओं का अनुमोदन किया है और राज्य सभा में सभी राज्यों के प्रतिनिधि हैं फिर भी इन सेवाओं के अपनाये जाने को राज्यों पर क्यों छोड़ दिया गया है। यदि कोई राज्य इनको नहीं अपनाता है तो क्या सरकार उसको कोई दण्ड देगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : संविधान के अनुसार राज्य सभा की सहमति के बिना कोई भी अखिल भारतीय सेवा नहीं बनाई जा सकती। राज्य सभा ने एक संकल्प पारित किया और उसके अनुसरण में अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम में संशोधन किया गया और इन संशोधनों के पश्चात ये सेवाएँ बनाई गई हैं। किन्तु ऐसा कोई प्रबन्ध नहीं जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को अखिल भारतीय सेवा में शामिल होने के लिए बाध्य कर सके। अतः किसी राज्य को बाध्य करने और दण्ड देने का कोई प्रश्न नहीं है।

Shri Shasi Bhushan : May I know whether Government proposes to constitute an All India Service in regard to public under-takings which number about 1507. Secondly, atleast in the Forest Service the tribal people should be given the opportunities. Will the hon. Minister consider to give protection to them ?

Shri Vidya Charan Shukla : As regards the Harijans and the tribal people it is wrong to suggest that they should be given preference in the Forest Service only. They should be given preference everywhere. We do not want them to be confined to Forests. We want them to occupy higher posts.

As regards the question of Public Undertakings we will certainly consider the suggestion of the hon. Member.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा अखिल भारतीय इंजीनियरिंग सेवा से भिन्न है और वह कई वर्षों से है। अखिल भारतीय इंजीनियरिंग सेवा बन जाने पर, केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा के कर्मचारी और राज्यों के वरिष्ठ इंजीनियरों को जो बिना परीक्षा के इस सेवा में प्रवेश करना चाहेंगे, क्या प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : ये सब ऐसे मामले हैं जिनपर हमें संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से ही निर्णय करना होगा।

Adoption of Three-Language Formula

+

*1025 **Shri Prakash Vir Shastri** :
Shri Ranjit Singh :
Shri Bal Raj Madhok :
Shri Hardayal Devgun :
Shri Beni Shanker Sharma :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Kikar Singh :

Will the Minister of **Education and youth Services** be pleased to state :

(a) the names of States which have so far implemented the three-language formula ;

(b) whether some State Governments are reluctant to adopt it ; and

(c) the results achieved in the States which have implemented this formula ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) चूँकि शिक्षा राज्य का विषय है, इसलिये त्रि-भाषा सूत्र को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। विभिन्न राज्यों द्वारा इस सूत्र की क्रियान्विति सम्बन्धी विवरण सभापटल पर रक्खा जाता है।
[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-644/69]

Shri Prakash Vir Shastri : From the contents of the statement it appears that it has been compiled on the basis of the imformation received from the State Governments many months before. For ekample the Education Minister of U. P. has announced that from coming July learning of one South Indian language will be compulsory for every student. But this has not been included in the statement. The statement reads that in Madras no other language is taught except English and Tamil. Just as there is an error in regard to U. P., there may be an error in regard to Madras and Madras might have adopted the Three-language Formula. If they have not done so, will the hon. Minister make efforts to persuade such States to agree to implement the Three Language Formula so that uniformity can be brought about in the field of education in the country ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : जहाँ तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वह वक्तव्य राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक शिक्षा समिति के सम्मेलन में दिया था। बाद में मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने उस वक्तव्य में कुछ परिवर्तन कर दिया था। मैंने यह महसूस किया कि यहां पर राज्य सरकारों के बारे में किसी भी प्रकार की

जानकारी देने से पूर्व मुझे राज्य सरकारों से प्राप्त पत्रों से उसकी पुष्टि कर लेनी चाहिये। अन्यथा मैं सभा को गुमराह करने का दोषी हूँगा। इसीलिये जानकारी वक्तव्य के आधार पर दी गई है।

जहाँ तक तमिलनाड् का सम्बन्ध है, वहाँ अब भी तमिल और अंग्रेजी अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती हैं। किन्तु माननीय सदस्य जानते हैं कि उस राज्य में लोग बड़ी संख्या में स्वेच्छा से हिन्दी पढ़ रहे हैं। जहाँ तक मेरे अपने प्रयत्नों का सम्बन्ध है, मैं आश्वासन दे सकता हूँ कि तमिलनाड् में हिन्दी के शिक्षण को प्रोत्साहन देने के लिये मैं अपना भरसक प्रयत्न करूँगा। किन्तु मैं ऐसा प्रेम और सद्भाव के द्वारा करूँगा किसी दबाव आदि के द्वारा नहीं।

Shri Prakash Vir Shastri : I have not asked for any pressure being used. The hon. Minister has said that education is a State subject and as such the Centre cannot interfere in this regard. May I know whether the three language formula was evolved without the consultation of the State Governments and their Education ministers who are now stated to be refusing to implement it ?

Secondly, may I know whether efforts will be made to create an atmosphere in the country in which the politicians shall have nothing to do with education, which is a subject of the academicians ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : त्रिभाषा सूत्र राज्य सरकारों के साथ, ही नहीं शिक्षा मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों, केन्द्रीय सलाहकार बोड, राष्ट्रीय एकता परिषद आदि से कई बार परामर्श करने के बाद तैयार किया गया था। विवरण को देखने से पता चलेगा कि तमिलनाड् को छोड़कर, जहाँ हाल ही में कुछ परिवर्तन हुआ है, अन्य प्रत्येक राज्य में त्रि-भाषा सूत्र लागू है। नागालैंड, नेफा और पश्चिम बंगाल में भी लागू है। अतः मैं समझता हूँ थोड़े समय में सारे देश में इसे क्रियान्वित कर दिया जायेगा। जहाँ तक शिक्षा और राजनीति के प्रश्न का सम्बन्ध है यह मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

Shri Prakash Vir Shastri : Since the three-language-formula was evolved with the consent of all the States, what hinderances are coming in its implementation ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं इस मामले का सारा इतिहास तो नहीं बताऊँगा, मैं केवल इतना ही बता देना चाहता हूँ कि दक्षिण भारतीय भाषाओं के अध्ययन के लिये हमें उत्तर में उपयुक्त भावना पैदा करनी होगी और यदि ऐसा हो जाता है तो एक या दो राज्यों में जहाँ हिन्दी के अध्ययन में रुकावटें पैदा हो गई है, वहाँ इसके लिये उपयुक्त भावना पैदा की जा सकती है। मैं आश्वासन देता हूँ कि मैं इस सम्बन्ध में भरसक प्रयत्न करूँगा।

Shri Hardayal Devgun : The three-language-formula was evolved after deep deliberation and the main objective of it was to bring about emotional integrity among the people. Hence I would like to know the extent to which the three-language-formula has been implemented in different states. Secondly, may I know whether the hon. Minister will bring round by persuation the North Indian States for the teaching of South Indian languages and also the South Indian States for the teaching of North Indian languages in their schools?

डा० वी० के० आर० वी० राव : प्रश्न के पहले भाग का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूँ। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूँगा कि वह दक्षिण के तीनों राज्यों को एक साथ न जोड़ें। दक्षिण के चार राज्यों में से तीन में हिन्दी पहले ही त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत पढ़ाई जाती है। जहाँ तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है चतुर्थ योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का एक

कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत उत्तर भारतीय राज्यों के हिन्दी शिक्षकों को दक्षिण भारतीय भाषाएँ सीखने के लिए वित्तीय सहायता दी जायेगी ताकि वे अपने विद्यार्थियों को स्वयं वे भाषाएँ पढ़ा सकें।

Shri Beni Shanker Sharma : It is true that education is a state subject, but the three-language-formula had been evolved after a series of discussions with the Education ministers and educationists of the States. But from the statement laid on the Table it appears that no efforts have so far been made to bring about uniformity among all the States. This is the duty of the Centre. May I know whether the Hon. Minister would advise the States to include Sanskrit in the three-language-Formula to achieve uniformity throughout the country ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : केन्द्रीय सरकार कुछ संवैधानिक शक्तियों और जिम्मेदारियों के अधीन काम करती हैं। राज्यों के विषयों में केन्द्रीय सरकार केवल उन्हें मनाने का ही काम कर सकती है। और हम उसका प्रयत्न कर रहे हैं। और इसमें जो सफलता प्राप्त हुई है वह सभापटल पर रखे गये विवरण में दे दी गई है।

जहाँ तक संस्कृत को एक पढ़ाई जाने वाली भाषा के रूप में रखने का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कुछ राज्यों में संस्कृत को शामिल कर लिया गया है क्योंकि यह आठवीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में से एक है। किन्तु एक बड़ी तीव्र भावना यह है कि एक आधुनिक भारतीय भाषा को त्रिभाषा सूत्र में रखा जाये न कि एक प्राचीन भाषा को। मेरा विश्वास है, कि मन्त्रिमण्डल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि हिन्दी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषा होगी। यही सिफारिश केन्द्रीय सरकार की है।

Shri Raghuvir Singh Shastri : The hon. Minister stated that the three-language formula has been evolved by the Centre but its implementation rests with the States. May I know whether there is no legal sanction behind this formula and whether this is only a social accord with states having the liberty to implement or not to implement it? If that be the position, one cannot rule out the possibility of most of the states refusing to implement it in future. What will be the state of this formula in that case?

डा० वी० के० आर० वी० राव : इस त्रिभाषा सूत्र के सम्बन्ध में जहाँ तक उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय भाषाओं के अध्ययन और दक्षिण भारत में हिन्दी के अध्ययन का सम्बन्ध है, हमें जनता को अपने साथ लेकर चलना है। भविष्य में इस सूत्र का क्या होगा हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिये। मैं माननीय सदस्य का ध्यान आज की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूँ। इस समय देश के प्रत्येक राज्य में हिन्दी का प्रयोग हो रहा है और प्रत्येक राज्य के माध्यमिक स्कूल में हिन्दी का स्थान है। तमिलनाड् में भी बड़ी संख्या में लोग हिन्दी सीख रहे हैं।

Shri Shiv Kumar Shastri : May I know whether the Central Government has enquired from the Government of Madras about the difficulties coming in the way of implementing the three-language-formula ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

National Board for School Text-Books

14. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Raghuvir Singh Shastri :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state ;

(a) whether a scheme to introduce same text-books in various States was submitted by the National Board for School Text-Books;

(b) if so, the main features thereof;

(c) whether it is also a fact that a suggestion was given to lay down a policy regarding inclusion of religious education in text-books ; and

(d) if so, Government's reaction thereto ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : राष्ट्रीय एकात्मता के विकास तथा बहुत से अन्य प्रयोजनों के लिए, बोर्ड ने देश के सभी भागों में कुछ समान पाठ्य पुस्तकों के अपनाने की सिफारिश की थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Shri Prakash Vir Shastri : Is it a fact that most of the text-books prescribed in our schools are changed every year and all the text-books are not available in the market ? Is it also a fact that in all the states the total number of text-books comes to 10,000 ? Is it also a fact that certain text-books are prescribed under pressure or for various considerations ? Is it not a fact that the poor students cannot afford to purchase these costly text-books ? May I know whether all these things have come to the notice of the National Board for School Text-Books, if so the steps taken by the Board to resolve these difficulties ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : इस सम्मेलन की उप-समिति द्वारा पारित एक संकल्प में कहा गया है कि पाठ्य पुस्तकों को 4-5 वर्ष तक नहीं बदला जाना चाहिये। हम जानते हैं कि पाठ्य पुस्तकें शीघ्र बदली जाती हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिये। पाठ्य पुस्तकों की कुल संख्या के बारे में मुझे जानकारी नहीं हैं। किन्तु अब हम एक राष्ट्रीय पूल स्थापित करने जा रहे हैं जिसमें देश के विभिन्न भागों में प्रकाशित सभी पाठ्य पुस्तकों को इकट्ठा किया जायेगा ताकि हम अच्छी तरह से उनकी जाँच पड़ताल कर सकें। पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तकों का उपलब्ध न होना एक विकट समस्या है और इसका समाधान केवल तब ही किया जा सकता है जब प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम न बदला जाये। समूचे तौर पर सम्मेलन शिक्षा पद्धति में किसी हद तक स्थिरता लाने के पक्ष में था न कि निरन्तर वार्षिक परिवर्तनों के पक्ष में।

Shri Prakash Vir Shastri : I also wanted to know whether the text-books are prescribed under pressure and lure for money? The hon. Minister has replied in the negative to part (c) and (d) of the Question. Recent Press reports say that the Education Ministry had appointed a Committee under the Chairmanship of Shri K. G. Saiyadain. Shri Saiyadain in his report has recommended that the Education Ministry should lay down a policy for preparing curriculum on history and religion. Earlier the Sri Prakash Committee had also recommended that religion should find a place in education. May I know why these recommendations are not being attended to by the Ministry ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : जहाँ तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं नहीं जानता कि कितनी पुस्तकों को दबाव में आकर पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। क्या तरीके अपनाये जाते हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। किन्तु ऐसा होता है और हम सब की एक राय है कि इसे समाप्त किया जाना चाहिये। जहाँ तक धार्मिक शिक्षा का सम्बन्ध है, मैं नहीं जानता कि सैयदैन समिति ने यह सिफारिश की है कि पाठ्य पुस्तकों में धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिये। इससे पहले एक समिति

ने इस विषय पर जाँच करके कुछ सिफारिशें की थीं और उन पर समय-समय पर चर्चा हुई है। किन्तु कठिनाई इस बात की है कि संविधान के अन्तर्गत स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। सत्य ही मेरी यह व्यक्तिगत राय है कि बच्चों को उन आधारभूत आध्यात्मिक मान्यताओं और नैतिक आचरणों का कुछ ज्ञान होना चाहिये जो संसार के सभी धर्मों की सामान्य शिक्षा है। अब हम इस विषय पर जाँच कर रहे हैं और उन तरीकों को ढूँढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं जिनसे शिक्षा पाठ्यक्रम में संविधान का उल्लंघन किये बिना ही आध्यात्मिक मार्ग दर्शन लागू किया जा सके।

Shri Raghuvir Singh Shastri : It is true that education is a state subject, but still I feel the Central Government should guide the writers, the publishers and the State Governments in this regard. Will the Central Government try to have model text-books prepared on every subject for use throughout the Country ? In regard to subjects like science and mathematics no difficulty should be felt since they can be translated from other languages. Do Government propose to do so to bring about uniformity in the educational curriculum throughout the country ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : वास्तव में राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् ने कई आदर्श पाठ्य पुस्तकें तैयार की हैं। मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूँ कि विज्ञान के विषयों पर सारे देश भर के लिये पाठ्य पुस्तकें तैयार करना काफी सरल है। हाल ही के सम्मेलन में शिक्षा मंत्रियों ने, विभिन्न राजनीतिक दलों से सम्बन्ध रखते हुए भी गहरी इच्छा प्रकट की थी कि इस ग्रन्थ में एक रूपता लाई जानी चाहिये। पाठ्यक्रम को यथासम्भव एकरूप बनाने हेतु प्रयत्न करने के लिये वे सब राज़ी हो गये थे। केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार की गई पाठ्य पुस्तकों को लेने की बजाय वे पाठ्य पुस्तक सामग्री लेना अधिक पसन्द करते थे। वे इसे, स्थानीय परम्पराओं, स्थानीय शब्दों, स्थानीय विचारों आदि के अनुसार ढाल कर एक आदर्श के रूप में प्रयोग करने के लिये तैयार हैं। सम्मेलन के सभी सदस्य इस बात पर एक मत थे कि इस वर्ष अस्पृश्यता के उन्मूलन हेतु स्कूलों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से एक पुस्तक तैयार की जानी चाहिये ताकि बच्चे यह महसूस करें कि अस्पृश्यता अब समाप्त हो चुकी है।

Shri Randhir Singh : In view of the fact that we are passing through *Kaliyuga* when what is most needed is that there should be mutual love and affection among the people and they should have national character, do Government propose to reorient the syllubi to translate these objections into practice.

डा० वी० के० आर० वी० राव : इन सब बातों को करने के लिये पाठ्यक्रम को बदलना बड़ा कठिन होगा। पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय एकता की भावना लाने के लिये हम पहले ही कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री समर गुह : क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करने और सारे राज्यों में समान प्रकार की पाठ्य पुस्तकें लागू करने सम्बन्धी योजना का अर्थ पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीकरण करना है। मेरा निवेदन है कि स्कूल और कालिजों के लिये पाठ्य पुस्तकें तथाकथित विशेषज्ञों द्वारा लिखी जानी चाहिये और उन्हें सभी राज्यों में आदर्श पाठ्य पुस्तकों के रूप में भेजा जाना चाहिये। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। पश्चिम बंगाल में उच्च माध्यमिक स्कूलों और कालिजों के लिये भौतिकी और रसायन शास्त्र जैसे वैज्ञानिक विषयों पर भी आरम्भ में 30-32 पुस्तकें प्रकाशित की गई थीं। किन्तु पिछले कुछ वर्षों में केवल 3 या 4 पुस्तकें ही विद्यार्थियों में लोक-

प्रिय हुई हैं। माननीय मंत्री जानते हैं कि पाठ्य पुस्तकें लिखने के लिये एक भिन्न बुद्धि कौशल की आवश्यकता है। क्या शिक्षा विभाग आदर्श पाठ्य पुस्तकें तैयार कराने के लिये विभिन्न राज्यों से उन पुस्तकों को मंगवायेंगे जिन्हें पिछले अनुभव के आधार पर लोकप्रिय पाया गया है और क्या केवल उन्हीं पुस्तकों के आधार पर आदर्श पाठ्य पुस्तकें तैयार की जायेंगी ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : केन्द्रीय सरकार की इच्छा सभी राज्यों के लिये पाठ्य पुस्तकें देने की नहीं हैं। कुछ पाठ्य पुस्तकें तैयार करा कर उनको भेजी जायेंगी जिन्हें वे चाहें तो आदर्श के रूप में ले सकते हैं। हम इससे सहमत हैं कि सभी राज्यों को पाठ्य पुस्तक सामग्री हम दें। इन आदर्श पुस्तकों के तैयार किये जाने में भी हम राज्यों के सभी सम्बन्धित व्यक्तियों का सहयोग लेंगे।

Shri Chandrajit Yadav : May I know whether in view of the deplorably low standard of education in primary and Junior High Schools, Government will issue such instructions or model curriculum to the State Governments as will instil feelings of national unity, patriotism and high national character among the children. At the National Integration Council some instructions were issued in this regard. Will the Government make efforts to prepare text-books on that basis ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : हम बिलकुल यही करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं।

श्री सु० कु० तापड़िया : यदि इस प्रकार की योजना को चलाया गया तो क्या इससे शिक्षा में तानाशाही नहीं आ जायेगी ? यदि कोई पक्षपात करने वाली और गैर-जिम्मेदार सरकार सत्ता में आई तो क्या इससे खतरा नहीं होगा ? सर्वोत्तम पाठ्य पुस्तकें तैयार कराने और कुछ राज्यों की पाठ्य पुस्तकों में जो धांधली हुई है उससे बचने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : जहाँ तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, हम निश्चय ही प्रयत्न करेंगे कि इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा के इस क्षेत्र में कोई तानाशाही न हो। जहाँ तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है हम राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा तकनीकी परिषद तथा राज्य सरकारों के माध्यम से यथासंभव अच्छे व्यक्ति लेने का प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri A.S. Saigal: May I know the difficulties being experienced in implementing the recommendations of the Sri Prakash Committee and in prescribing universal prayer in all the schools and colleges? Do you think that without spiritual education, noble sentiments can be instilled among the students ? Do you subscribe to the view that besides the progress of the Country, they should have universal religion ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : जहाँ तक श्री प्रकाश समिति के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, वह मेरे पास नहीं है। कुछ समय पहले मैंने समिति की विभिन्न सिफारिशों को पढ़ा था। इन मामलों में वास्तविक कठिनाई यह है कि हमें अपने उपभोक्ताओं और श्रोताओं को सहमत करना पड़ता है। यदि माननीय सदस्य इस सभा में अपने साथियों को प्रत्येक दिन प्रातः सार्वभौम प्रार्थना करने के लिये मना लें तो इसका कालिजों पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, किन्तु माननीय सदस्यों को इस सुझाव को स्वीकार करना होगा।

श्री धीरेश्वर कलिता : भारत सरकार ने सामाजिक ढांचे की व्यवस्था का वचन दिया था किन्तु संसद में और इसके बाहर हम चन्द्रशेखर-मोरारजी देसाई काण्ड के बारे में सुन रहे हैं। भारत

में एकाधिपतियों द्वारा शोषण बड़ी तेजी से चल रहा है। यदि सरकार एक समाजवादी ढांचे के समाज के लिये वचनबद्ध है तो इसके अनुकूल पाठ्यक्रम लागू करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है। क्या सरकार इस प्रकार का पाठ्यक्रम लागू करेगी जो मानव शोषण का अन्त करे।

डा० वी० के० आर० वी० राव : पाठ्यक्रम निर्धारित करने वाले इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि उनको प्रत्येक चीज सही-सही और अविवादास्पद तरीके से बताई जाये। मैं समझता हूँ कि विषय सूची तैयार करने और समाजवादी ढाँचे के समाज की परिभाषा के सम्बन्ध में पहले एक राष्ट्रीय गोष्ठी हो चुकी होगी।

Shri Sita Ram Kesari : May I know whether in view of the fact that the present text-books have resulted in a tendency among the students to take narcotics, Government propose to make necessary changes in the text-books in order to wean away the students from this malady ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य इस विषय से बहुत चिन्तित हैं किन्तु मैं उनको आश्वासन देता हूँ कि पाठ्यपुस्तकों के कारण यह आदत नहीं फैल रही है।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : जहाँ तक मुझे पता है सैदेन समिति ने सिफारिश की है कि स्कूल और कालिजों की पाठ्य-पुस्तकों का आमूल पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता है क्योंकि उनमें ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-फोड़ कर रखा है और इस प्रकार भारत के विभिन्न समुदायों में बैरभाव और नफरत बढ़ी है।

डा० वी० के० आर० वी० राव : राष्ट्रीय पाठ्य-पुस्तक बोर्ड स्थापित करने का एक बड़ा कारण यह भी है। माननीय सदस्य ने जिस शंका को व्यक्त किया है उसको मिटाने की दृष्टि से हम राज्य सरकारों के सहयोग और परामर्श से इन पाठ्य-पुस्तकों का पुनर्विलोकन कराते हैं। अलबत्ता कार्यवाही राज्य सरकारों को करनी होती है और वे सभी इसके लिये तैयार हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

समान करारोपण तथा लाइसेन्स पद्धति

*1026. श्री मुहम्मद शरीफ : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार समूचे देश के लिए समान करारोपण तथा लाइसेन्स पद्धति के दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक केन्द्रीय प्राधिकार बनाने का है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सड़क परिवहन जाँच समिति ने विचार व्यक्त किया है कि समूचे देश के लिए करारोपण तथा लाइसेन्स पद्धति के लिए समान सिद्धान्त निर्धारित करने के हेतु केन्द्रीय कानून की आवश्यकता है ताकि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये एक केन्द्रीय प्राधिकरण स्थापित किया जा सके। इस समिति ने यह सिफारिस भी की है कि एक ऐसा कानून बनाने के लिए कार्यवाही की जाये जिसके द्वारा

संसद अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग को यह अधिकार दे सके कि वह उसके द्वारा स्वीकृत कार्य ढांचे के अन्तर्गत कर लगा सके और उन्हें वसूल कर सकें। इस कानून में यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि करों से प्राप्त होने वाली राशि राज्यों को दी जाये। यदि संविधान के वर्तमान उपबन्धों के अन्तर्गत संसद अन्तर्राज्यीय परिवहन के सम्बन्ध में करारोपण के लिए सक्षम न हो, तो संविधान में उपयुक्त संशोधन किया जाये।

मोटर गाड़ियों का संचालन मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 के अन्तर्गत किया जाता है। चूंकि यह अधिनियम समूचे देश पर लागू होता है, परिवहन मोटर-गाड़ियों के सम्बन्ध में लाइसेन्स पद्धति पर्याप्त सीमा तक समान है, अन्तर्राज्यीय परिवहन के बारे में समान करारोपण तथा अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग को कर लगाने तथा उन्हें वसूल करने का अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में समिति की सिफारिशों पर परिवहन विकास परिषद की जून, 1968 में हुई बैठक में विचार किया गया था। सड़क परिवहन करारोपण के सम्बन्ध में समान करारोपण तथा सिद्धान्तों निर्धारित करने के लिये संविधान में संशोधन किये जाने का परिसदन ने समर्थन नहीं किया। सरकार ने लोगों की इस राय को ध्यान में रखा कि अन्तर्राज्यीय मार्गों पर चलने वाली मोटर गाड़ियों पर कर लगाने तथा उन्हें वसूल करने का अधिकार अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग को नहीं दिया जाना चाहिए तथापि यह मान लिया गया कि आयोग को ये शक्तियाँ दिये जाने तथा कर से प्राप्त राशि राज्यों में बाटने के परिणामों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए तथा यह मामला बाद में फिर परिषद के सामने लाया जाये। तदनुसार यह मामला परिवहन विकास परिषद की अगली बैठक में रखा जायेगा।

Translation of Books by Sahitya Akademi

*1027. **Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri S. M. Joshi :**
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5360 on the 20th December, 1968 regarding procedure of translation of books by the Sahitya Akademi and state :

(a) the names of persons to whom and the dates on which, the translation work, pending for more than 5 years, 8 years and 10 years, respectively, was entrusted ;

(b) the last dates as were fixed for completion of the translation work in each case ; and

(c) the action taken so far or proposed to be taken against the persons concerned for making them submit the work duly translated in time ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) :

(a) A statement is laid on the table of the House.

(Placed in Library See. No. LT-695/69)

(b) No definite date-line had been fixed when these translation works were originally assigned to the translators.

(c) The translators were periodically reminded to expedite the work and the position was invariably reported to the concerned Advisory Board in each case. The translators have now been served with notice to complete the work by the 31st May,1969, failing which the assignments are proposed to be withdrawn.

Gauhati Riots

*1028. **Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri J. B. Singh : Shri Onkar Singh : Shri Sharda Nand : Shri Shri Gopal Saboo :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the report of the Enquiry Commission on the disturbances which took place in Gauhati on the Republic Day has been received ;

(b) if not, the reasons for the delay ; and

(c) if so, the facts as mentioned in the report, the reaction of Government thereto and the preventive steps taken in this regard ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c) The Commission has submitted its report, which is under consideration of the State Government.

सड़क परिवहन करारोपण जाँच समिति

*1029. **श्रीमती सावित्री श्याम : श्री श्रीचन्द्र गोयल :**

क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सड़क परिवहन करारोपण जाँच समिति ने सड़क परिवहन में सुधार करने के लिये कुछ कारगर सिफारिश की हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने किन-किन मुख्य सिफारिशों को स्वीकार किया है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) यह सच है कि सड़क परिवहन कराधान जाँच समिति ने सड़क परिवहन को सुधारने के लिये बहुत सी सिफारिशें की हैं।

(ख) सड़क परिवहन का कार्यकारी दायित्व राज्य सरकारों का है। केसकर समिति की बहुत सी सिफारिशें राज्य सरकारों से सम्बन्ध रखती हैं और उनके साथ सिफारिशों का कार्यान्वियन का अनुसरण किया जा रहा है। कुछ सिफारिशें केन्द्रीय सरकार से भी सम्बन्ध रखती है। समिति की कुछ सिफारिशों के कुछ मुख्य वर्गों के अधीन की गई कार्यवाही सूचित करने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 696/69]

दिल्ली में सैशन सुपुर्द किये गये मामले

*1030. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 से 1968 तक प्रतिवर्ष मैजिस्ट्रेटों द्वारा कितने मुकदमे सैशन सुपुर्द किये गये;

(ख) उनमें से वर्षवार कितने मुकदमों में निर्णय दे दिये गये हैं; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित मुकदमों में कितने अभियुक्त गत एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष तथा चार वर्षों से हवालात में हैं ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क)	1965	1966	1967	1968
	405	386	345	364

	1965	1966	1967	1968
(ख)	376	379	322	323
(ग)	एक वर्ष से अधिक	दो वर्ष से अधिक	तीन वर्ष से अधिक	चार वर्ष से अधिक
	2	6	1	शून्य

Tourist Taxis

*1031. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the tourist taxis are charged tax in one State only and in other States taxis can ply without paying any tax; and

(b) if so, what arrangement has been made to ensure that the tourist taxis are not used as ordinary taxis ?

The Minister of Tourism and Civil Avaiation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) The information is not readily available as it concerns each State which is governed by its own regulations.

दिल्ली परिवहन की बसें

*1032. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन की नई बसों की सहायक वस्तुओं और अन्य पुर्जों को तीन महीने के अन्दर ही निकाल लिया जाता है और वे बसें पुरानी दिखाई देने लगती हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) दि० प० उ० के अनुसार, यह सच नहीं है कि सहायक वस्तुओं और अन्य पुर्जों को निकाल लिया जाता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

हवाई अड्डों का विकास

*1033. **श्री गार्डिलिंगन गौड़ :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री के० रमानी :
श्री के० अनिरुद्धन :
श्री विश्वनाथ मैनन :
श्री रा० बरुआ :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
डा० सुशीला नैयर :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में हवाई अड्डों के समेकित विकास के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है और उस अवधि में कितना व्यय होने का अनुमान है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में राज्यों से सलाह की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा देश के अन्य हवाई अड्डों के विकास के प्रस्ताव सरकार द्वारा नियुक्त, क्रमशः अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समिति तथा हवाई अड्डा योजना दल के विचाराधीन रहे हैं। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डों के बारे में मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन्हें अधिक बड़े आकार के विमानों द्वारा इस्तेमाल किये जाने और इसके बाद सुपरसानिक विमानों द्वारा जिनके कि 1970 से आरम्भ होने वाले दशक में विकास किये जाने की आशा है इस्तेमाल किये जाने के लिये, उपयुक्त बनाया जाय। देशीय हवाई अड्डों के लिए विकास के प्रस्ताव देश की औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा पर्यटन सम्बन्धी आवश्यकताओं पर आधारित हैं। नागर विमानन विभाग की चौथी योजना में शामिल की जाने वाली स्कीमों तथा ऐसी स्कीमों के लिए वित्तीय नियतन के बारे में शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा।

(ग) और (घ) हवाई अड्डों का विकास परिचालन सम्बन्धी आवश्यकता के आधार पर एवं अखिल भारतीय दृष्टि से किया जाता है। जहाँ आवश्यक होता है, राज्य सरकारों से भी परामर्श किया जाता है।

भारत तथा श्रीलंका के बीच पर्यटन का विकास

*1034. श्री यज्ञ दत्त शर्मा : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत तथा श्रीलंका के बीच पर्यटन यातायात को, विशेषतः तीर्थ-यात्रियों के पर्यटन को, बढ़ाने के लिए सामूहिक (पूल) व्यवस्था करने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) सामूहिक प्रबन्ध (पूल एरेंजमेंट) उन तरीकों में से एक है जिन पर कि क्षेत्रीय पर्यटन की वृद्धि करने के प्रयोजन से विचार किया जा रहा है। दक्षिण एशिया यात्रा आयोग (एस० ए० टी० ए०) के देशों की हाल ही में हुई मन्त्री स्तरीय बैठक ने विस्तृत ब्यौरे तैयार करने के लिए एक छोटे से सचिवालय की स्थापना करने की सिफारिश की है।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा अन्य साम्प्रदायिक संगठनों पर प्रतिबन्ध

*1035. श्री जार्ज फरनेंडीज : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साम्प्रदायिकता विरोधी समिति की ओर से सरकार को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा अन्य साम्प्रदायिक संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए बल दिया गया है;

(ख) क्या उस अभ्यावेदन में उठाये गये मामलों पर सरकार ने विचार किया हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार की स्थिति क्या है ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) साम्प्रदायिकता विरोधी समिति के मंत्री के दिनांक 31 अगस्त, 1967 के पत्र में माँग की गई थी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर

पुन: प्रतिबन्ध लगाए जायं क्योंकि वह सन् 1949 में सरकार को दिये गये आश्वासन का उल्लंघन करके राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहा है।

(ख) और (ग) : सरकार के विचार में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियाँ इस किस्म की हैं कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा उनमें भाग लेने से केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (आचरण) नियम, 1964 के नियम 5 के उपनियम 1 के उपलब्ध लागू किये जा सकते हैं, जिनके अधीन कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल अथवा राजनीति में भाग लेने वाली किसी संस्था का सदस्य नहीं होगा अथवा किसी अन्य प्रकार से उससे संबद्ध नहीं होगा और न ही किसी राजनीतिक आन्दोलन अथवा गतिविधि में भाग लेगा, सहायतार्थ चन्दा देगा अथवा किसी अन्य रीति से सहायता देगा। सरकार के पास, केवल उन संस्थाओं को छोड़कर, जो संघ से भारत के किसी क्षेत्र के सत्तान्तरण अथवा सम्बन्ध-विच्छेद करने वाले अथवा ऐसे किसी दावे का समर्थन करने वाले कार्यकलाप करती हैं अथवा ऐसे कार्यकलापों को प्रोत्साहन देती हैं अथवा जो भारत की क्षेत्रीय अखण्डता को अस्वीकार करती हैं, संदेह करती हैं अथवा विघटित करती हैं, किसी संस्था को अवैध घोषित करने के लिए कानूनी अधिकार नहीं है।

दिल्ली के लिये पुलिस आयुक्त

★1036. श्री क० लकप्पा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के लिए एक पुलिस आयुक्त जिसे एक इन्स्पेक्टर जनरल की शक्तियाँ प्राप्त होंगी, की नियुक्ति करने के प्रश्न पर, विचार कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या इस मामले में दिल्ली प्रशासन की कार्यकारी परिषद से परामर्श किया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) मामला विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की सम्भावना है।

(घ) जी हाँ, श्रीमान्।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में पर्यटक केन्द्रों का विकास

★ 1037. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि पुराने किले को, जो महाभारत काल में शासन केन्द्र था, पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केन्द्र बनाया जा रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो राजधानी में पर्यटन केन्द्रों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए आगामी दो वर्षों में दिल्ली में कितनी धन-राशि खर्च की जायेगी ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन तथा नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा किए गये विलक्षण सफाई एवं शोभावृद्धि के कार्यों के अतिरिक्त सरकार ने पर्यटकों को दिल्ली के लिये आकृष्ट करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं :—

(एक) लाल किले में एक ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन आयोजित किया गया है।

(दो) पुराने किले पर पुंज-प्रकाश व्यवस्था कर दी गयी है।

(तीन) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा लग्ज़री कोचों तथा वातानुकुलित कोचों में दर्शनीय स्थानों की संदर्शित यात्राओं का परिचालन किया जाता है। निगम एक परिवहन यूनिट का भी संचालन करता है जिसके पास पर्यटकों के उपयोग के लिए डी एल ज़ेड और डी एल वाइ गाड़ियाँ हैं।

(चार) पालम हवाई अड्डे का पूर्णतया नवीकरण कर दिया गया है तथा वहाँ एक शुल्क-मुक्त दुकान खोल दी गई है।

(पांच) भारत एवं विदेशों में वितरण के लिये दिल्ली विषयक प्रचार साहित्य की किस्म में बड़ा सुधार कर दिया गया है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) पर्यटन सम्बन्धी योजना परिव्यय के अनुमोदित किये जाने के बाद दिल्ली के लिये पर्यटन-स्कीमें तैयार की जायेंगी।

नक्सलवादियों की गतिविधियाँ

★ 1038. श्री सीताराम केसरी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जनवरी, 1969 के अपने प्रेस सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने कहा था कि सरकार ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को नक्सलवादियों की गतिविधियाँ रोकने के लिए कहा है;

(ख) क्या सरकार को गत 2-3 महीनों में नक्सलवादियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में मुख्यमंत्रियों से उत्तर प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में केरल के मुख्यमंत्री से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(घ) विभिन्न मुख्य मंत्रियों द्वारा अपने-अपने राज्यों में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या हैं ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) पहली जनवरी 1969 को हुए प्रेस सम्मेलन में प्रधानमंत्री से केरल में उग्रवादियों की गतिविधियों के बारे में पूछा गया था। उन्होंने ऐसी गतिविधियों पर चिन्ता प्रकट की तथा बताया कि उन्होंने इस सम्बन्ध में केरल के मुख्यमंत्री से बातचीत की है तथा केन्द्रीय सरकार उनसे सम्पर्क बनाए हुए है। मैंने इस विषय में मुख्य मंत्री को लिखा था। उन्होंने मुझे बताया है कि विशिष्ट घटनायें उत्पन्न करने वाले मामलों में तुरन्त कड़ी तथा कारगर कार्यवाही की जाती है।

केन्द्रीय सरकार देश के विभिन्न भागों में उग्रवादियों की गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति पर सावधानी से निगरानी कर रही है और राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाये हैं। यह सुनिश्चित करने के लिये सभी कदम उठाये जाते हैं कि उग्रवादियों की गतिविधियों को रोका जाय एवं सार्वजनिक सुरक्षा, लोक कर्मचारियों के जीवन तथा कानून के शासन को कोई खतरा न हो।

News about Communal Riots in India

*1039. **Shri Bharat Singh Chauhan :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been invited to the news-item reproduced in the Weekly "Organiser" as reported to have been published in the "New York Times" that about 1,500 persons were killed in the communal riots in India and that about 1250 out of them were Muslims ;

(b) whether it has also been reported in the said news that about 1½ per cent of Muslims are given jobs in India; and

(c) if so, the reaction of Government thereto and the steps being taken by Government to check the publication of such false news in future in foreign papers ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) Yes, Sir.

(c) Government have seen the text of the despatch by Joseph Lelyveld which was published in the New York Times on October 28, 1968. It is regretable that the article conveys an unbalanced picture of happenings in this country. Government trust that foreign correspondents posted in India would take care to take a balanced and objective view of developments while reporting to their newspapers.

Income of I. A. C.

*1040. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the income of the Indian Airlines Corporation in the financial year 1967-68 ;

(b) the amount out of it received as passenger fare and air freight separately ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) The total revenue of the Indian Airlines during 1967-68 was Rs. 35.14 crores out of which Passenger fare amounted to Rs.27.68 crores and air freight Rs.2.42 crores.

काजू-सेव (केश्यू एपल) से शराब तैयार करने की प्रायोगिक परियोजना

*1041. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर स्थित केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था में एक ऐसी विधि का विकास किया गया है, जिससे काजू-सेव (केश्यू एपल) से शराब बनाई जा सकेगी;

(ख) क्या इस विधि से तैयार की गई शराब का गुण परीक्षण किया गया है और यदि हाँ, तो कब और किस प्रकार;

(ग) केरल और मैसूर में इसके लिए प्रायोगिक परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि देने का प्रस्ताव है;

(घ) काजू-सेव उत्पादकों को इससे रुपयों में कितना लाभ होगा; और

(ङ) अन्तिम परियोजनाओं से कितना राजस्व प्राप्त होने की आशा है और वे कब तक आरम्भ हो जायेंगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क) जी हाँ।

(ख) प्रारम्भिक प्रयोगशाला परीक्षणों से पता लगता है कि काजू-सेब से इस कोटि की शराब और आसव बनाया जा सकता है जो काम में आ सके।

(ग) से (ङ) क्योंकि प्रायोगिक परियोजनाओं पर अध्ययन अभी तक नहीं किया गया है, इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

अशोक होटल नई दिल्ली द्वारा मद्यपान निषेध दिवसों में कानून का उल्लंघन

★1042. श्रीमती इलापाल चौधरी : श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : श्री सत्यनारायण सिंह :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अशोक होटल लिमिटेड, नई दिल्ली के प्रबन्धकों पर 10 तथा 13 सितम्बर, 1968 को मद्यपान निषेध दिवसों के रूप में मनाने के बारे में दिल्ली प्रशासन आदेशों का उल्लंघन किये जाने के कारण हाल ही में 15,000 रुपये जुर्माना किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले का पूरा ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में लापरवाही करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख) अशोक होटल्स लिमिटेड के प्रबन्धकों से दिल्ली प्रशासन के आबकारी विभाग ने पूछा है कि वे इस बात का कारण बताएँ कि 10 और 13 सितम्बर, 1968 को, जो कि मद्य निषेध दिवस थे, शराब परोसने के लिए उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों न की जाये। स्थिति निम्न प्रकार है :—

(एक) 10-9-1968 को एक विदेशी राष्ट्रिक को शराब परोसी गयी जिसकी कि कानून अनुमति देता है।

(दो) 12-9-1968 को जो कि मद्य निषेध दिवस नहीं था, शराब दो अतिथियों को 11 बजे रात तथा 11-30 बजे रात परोसी गयी। लेकिन वाउचर बनाते समय उसमें तारीख 13-9-68 डाली गयी जो कि एक मद्य निषेध दिवस था। उस समय होटल में अपनायी जा रही क्रिया-विधि के अनुसार, रात 10 बजे के बाद बनाये जाने वाले वाउचर में अगले दिन की तारीख डाली जाती थी। यह क्रिया-विधि अब छोड़ दी गयी है और अब आधी रात के बाद तारीख बदली जाती है। आरोप से इनकार करते हुए होटल द्वारा एक समुचित उत्तर भेजा गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

दरभंगा और फोरबसगंज के बीच पार्श्ववर्ती रोड सम्पर्क पर कोसी पुल

*1043. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दरभंगा तथा फोरबसगंज के बीच प्रस्तावित पार्श्ववर्ती रोड (सम्पर्क) पर कोसी-कला का निर्माण करने के लिए अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है;

(ख) क्या अब तक कोई उचित स्थान चुन लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या पूना के केन्द्रीय जल और बिजली अनुसंधान स्टेशन ने वर्ष 1966 में इस बारे में कोई सिफारिश या प्रतिवेदन दिया गया है; और

(ङ) क्या सरकार ने इस प्रस्तावित पार्श्ववर्ती सड़क पर (सम्पर्क) के कार्य को चौथी पंच-वर्षीय योजना में शामिल कर लिया है ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह):

(क) और (ख) जी नहीं।

(ग) दरभङ्गा और फोरबसगंज के बीच सड़क और उस सड़क पर कोसी नदी के ऊपर पुल का निर्माण पार्श्ववर्ती सड़क परियोजना के द्वितीय प्रावस्था कार्य का भाग बनता था। वित्तीय कठिनाइयों के कारण पार्श्ववर्ती सड़क के केवल प्रथम प्रावस्था कार्य ही मंजूर किये गये और अब न्यून विशिष्टियों के लिये पूरा किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

उपग्रह संचार प्रणाली

*1044. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में उपग्रह को संचार-साधन के रूप में प्रयोग करने की प्रायोगिक परि-योजना के सम्बन्ध में यूनेस्को के प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है;

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 37.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और यह निर्णय भी कर लिया गया है कि उपग्रह किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्तदाता संस्थाओं तथा अन्य देशों से इस परियोजना के लिए ऋण या सहायता देने का अनुरोध किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो मामले में कितनी प्रगति हुई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है और शिक्षा सम्बन्धी टेलीविजन की उपग्रह संचार प्रणाली के उपयोग की तकनीकी इंजीनियरी तथा उसके कार्यक्रमों के पहलुओं का जो अध्ययन आरम्भ किया गया है उसके पूरा हो जाने पर ही कोई निर्णय किया जाएगा।

(ख) और (ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

रात्रि डाक विमान उड़ानें रद्द करना

*1045. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स ने 21 जनवरी, 1969 को बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता से दिल्ली के लिये तीन रात्रि डाक विमान उड़ानों को इस कारण रद्द कर दिया था कि उनके विमान चालकों ने उन हवाई अड्डों के लिए उड़ानें भरने से इन्कार कर दिया था, जहाँ समुचित आपातकालीन सुविधाओं की व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो उनके इस निर्णय पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सब हवाई अड्डों पर उपयुक्त आपातकालीन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह): (क) भारतीय वाणिज्यिक विमान-चालक संगठन द्वारा नागपुर में अग्निशामक उपस्कर की अपर्याप्तता के कारण अपने सदस्यों को इन उड़ानों को परिचालित न करने के निदेश जारी करने के परिणाम-स्वरूप, 21-1-69 को इंडियन एयरलाइन्स की बम्बई, मद्रास और कलकत्ता से नागपुर से होकर दिल्ली के लिये रात्रिकालीन हवाई डाक सेवायें रद्द कर दी गयी थीं ।

(ख) नागपुर हवाई अड्डे पर 29-11-1968 और 24-1-69 के बीच की अवधि में क्रैश फायर टैंडर काम नहीं कर रहा था परन्तु 30/34 गैलन की क्षमता वाले एक अग्निशामक द्वारा जिसे एक और गाड़ी द्वारा खींचे गये ट्रेलर पर रखा हुआ था, एक वैकल्पिक प्रबन्ध किया गया, जिसके जरिये 21-1-1969 की रात के सिवाय रात्रिकालीन हवाई डाक सेवा को बेरोक जारी रखा गया । बिगड़े हुए क्रैश टैंडर की मरम्मत की जा चुकी है और उसे काम में लाया जा रहा है तथा एक और क्रैश फायर टैंडर की भी व्यवस्था की जा चुकी है ।

(ग) समस्त हवाई अड्डों पर अग्निशामक उपस्कर की व्यवस्था की गई है, परन्तु कुछ हवाई अड्डों पर अग्निशामक उपस्कर अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा निर्धारित स्तर से निम्न प्रकार का सिद्ध हुआ है । इसका कारण अधिक बड़े किस्म के विमानों का चालू किया जाना है जिससे कि मौजूदा अग्निशामक उपस्कर अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा निर्धारित मानकों की दृष्टि से अव्यवहार्य हो गया है । क्योंकि उपयुक्त देशीय क्रैश फायर टैंडर अभी उपलब्ध नहीं है, तथा वर्तमान विदेशी मुद्रा विषयक कठिन परिस्थिति को भी दृष्टि में रखते हुए हवाई अड्डों की इस विषय में आवश्यकताओं की पूर्ण रूप से पूर्ति करना सम्भव नहीं हो सका है । तथापि 25 क्रैश फायर टैंडरों के लिये आर्डर शीघ्र दिये जाने की आशा है तथा कमी को यथा-सम्भव पूरा करने के उद्देश्य से चौथी पंचवर्षीय-योजना के दौरान और भी क्रैश फायर टैंडर लिये जायेंगे ।

साम्प्रदायिकतापूर्ण लेखों/समाचारों का प्रकाशन

*1046. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के ऐसे समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के नाम तथा उनका अन्य ब्यौरा क्या है, जिनके विरुद्ध गत तीन वर्षों में साम्प्रदायिकतापूर्ण लेख तथा समाचार छापने के लिए कानूनी कार्यवाही की गई है;

(ख) प्रत्येक मामले में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार साम्प्रदायिकता वाले लेखों को रोकने के लिये कानून बनाने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो यह कानून कब बनाया जायेगा ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) मैसूर, पश्चिम बंगाल, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान की राज्य सरकारों तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाला एक विवरण सदन के सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 697/69] तमिल नाडु सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

(ग) और (घ) वर्तमान कानून को सशक्त बनाने के लिये आपराधिक तथा निर्वाचन कानून (संशोधन) विधेयक, 1968 संसद में पुरःस्थापित किया गया। दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति ने इसका परीक्षण कर लिया है और उसका प्रतिवेदन 2 दिसम्बर, 1968 को सदन में प्रस्तुत कर दिया गया है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित इतिहास की पाठ्य-पुस्तक को दिल्ली मिडिल स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना

* 1047. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित इतिहास की पाठ्य पुस्तक के बारे में दिल्ली प्रशासन द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन इस पाठ्य पुस्तक को मिडिल स्कूल की श्रेणियों के पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए सहमत हो गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) एक समिति ने, जिसमें राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् तथा दिल्ली प्रशासन के अधिकारी शामिल हैं, टिप्पणियों और सुझावों की जांच की है और दिल्ली प्रशासन द्वारा प्राचीन भारत से सम्बन्धित इतिहास की पाठ्यपुस्तक के संशोधित संस्करण प्रकाशित करने के लिए सहमति दे दी है।

(ग) दिल्ली प्रशासन का प्रस्ताव है कि इस संशोधित पाठ्यपुस्तक को 1969-70 के शैक्षिक सत्र से लागू कर दिया जाए।

Return of Secretaries to States

*1048. **Shri Shashi Bhushan :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the desirability of giving the advantage of the experience of Secretaries serving the Central Ministries for the past four to ten years to those States also wherefrom they had come ;

(b) if so, the steps taken by the Government in this regard ;

(c) the number of States which have requested for the return of their I.C.S. Officers at present on deputation with the Centre in view of the disintegrating set up in States, in the absence of experienced Secretaries ;

(d) the reasons for not allowing them to go back and the reaction of Government in this regard ; and

(e) whether Government propose to lay down any policy in this regard ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c) Subject to the exigencies of Public Service, Officers holding posts of Secretary to the Government of India may be returned to their States whenever there is a demand from their State Cadres or on the completion of their tenure.

(c) None on the stated grounds. However, one request for the return of an I. C. S. Officer holding post of Secretary, at the Centre, who was required for some important assignment in the State, was received during the last five years which was agreed to.

(d) Does not arise.

स्कूलों और कालेजों में योग्यता के आधार पर प्रवेश

★ 1049. **श्री लोबो प्रभु : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्कूलों और कालेजों में उपलब्ध स्थानों की अपेक्षा प्रवेश लेने वाले अभ्यार्थियों की संख्या कहीं अधिक है, प्रवेश को परीक्षाओं में प्राप्त अंकों में प्रदर्शित योग्यता के आधार पर सीमित न करने के क्या कारण हैं; और

(ख) जिन विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिलता उनसे गैर-सरकारी शिक्षा संस्थाओं को सरकार की सहायता से सार्वजनिक परीक्षाओं में उनके प्राप्त अंकों के अनुसार अपनी फीस वसूल करने की अनुमति न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) इस मामले पर विचार करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों की है।

सरकारी कर्मचारियों की गलती/भूल के लिए दंड

★ 1050. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण-नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1955 के अन्तर्गत ऐसे मामले में, जहाँ सरकारी कर्मचारी की गलती या भूल के कारण सरकार को कोई हानि नहीं होती, वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकने का कोई दंड दिया जाता है;

(ख) क्या वेतन वृद्धि रोकने के साथ ही सरकारी कर्मचारी की पदोन्नति भी रोकी जा सकती है और इस प्रकार उसे एक ही गलती के लिए दोहरा दंड दिया जाता है;

(ग) क्या एक जैसी गलतियाँ करने पर किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) वेतन वृद्धि को रोकना ऐसे दंड में से एक है जो पर्याप्त कारण के आधार पर एक सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है यद्यपि इससे सरकार को सरकारी कर्मचारी की गलती या लापरवाही के कारण कोई हानि न भी उठानी पड़ी हो।

(ख) एक अधिकारी को, जिसकी वेतन वृद्धि रोकी जाती है उसकी बारी पर पदोन्नति से वारित नहीं किया जाता है किन्तु यदि वह पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाया जाता है तो दंड की अवधि समाप्त होने पर ही पदोन्नत किया जाता है ताकि दंड की अवधि में पदोन्नति द्वारा वेतन वृद्धि रोकने का दंड समाप्त न हो जाय। यह दोहरे दंड के बराबर नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत किये गये भारतीय

5985. **श्री बाबू राव पटेल :**　　　　**श्रीकाशीनाथ पाण्डेय :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तानी छापामारों ने गत वर्ष भारत पाकिस्तान सीमाओं पर सीमावार, किन-किन भारतीय नागरिकों का अपहरण किया, उनमें कितने पुरुष थे तथा कितनी महिलायें;

(ख) उनमें से कौन-कौन से पुरुषों तथा महिलाओं को अब तक छुड़ा लिया गया है;

(ग) शेष को छुड़ाने के लिये क्या व्यावहारिक कार्यवाही की गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) गुम हुए व्यक्तियों के बारे में जानकारी क्या है; और

(ङ) भविष्य में भारतीय नागरिकों का अपहरण न हो, इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सम्बन्धित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, सीमावार, 1 जनवरी, 1968 से 31 दिसम्बर, 1968 तक की अवधि में पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत भारतीयों के नाम और लिंग बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 698/69]

(ग) प्रत्येक मामले में सीमा सुरक्षा दल तथा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र शासन द्वारा भी विरोध प्रकट किया गया था। पाकिस्तानी प्राधिकारियों से अभी तक पाकिस्तान की हिरासत में अपहृत भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए अनुरोध किया गया है।

(घ) कोई विश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) सीमा सुरक्षा दल की गश्त कड़ी कर दी गई है।

मैसूर-महाराष्ट्र सीमा विवाद पर जनमत संग्रह

5986. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जनता की इस मांग के बारे में पता है कि मैसूर महाराष्ट्र सीमा विवाद पर जनमत संग्रह कराया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल):(क) और (ख) सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं जिन पर, इस नाजुक तथा जटिल समस्या को सुलझाने के लिए, अन्य सुझावों और प्रस्तावों के साथ विचार किया जा रहा है।

Taking over of Land Around Fort at Burhanpur (U. P.)

*5987. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Burhanpur Municipality had converted the land of the fort situated on the bank of Tapti river in Burhanpur city into a garden and the ugly appearance of the spot around the ancient fort was beautified as a result of which it became an attractive place for the visitors ;

(b) whether it is also a fact that this land has now been taken over by Government and the said garden has been destroyed; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh) : (a) The Burhanpur Municipality had laid a very ordinary type of garden on the piece of land attached to the Burhanpur Fort.

(b) and (c) After the initial layout of the garden its maintenance was made over to the Archaeological Survey of India in 1963. The maintenance was discontinued by the Survey since 1965, as it was required to pay heavy amount to the Municipality towards water charges.

केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था में परीक्षणार्थ संयन्त्र लगाया जाना

5988. **श्री डा० रानेन सेन** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था में 50 लाख रुपये की लागत से कोयले को पूर्ण रूप से गैस में परिवर्तित करने के संबंध में, प्रयोग करने के लिए परीक्षणार्थ संयंत्र लगाये गये हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हाँ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 699/69]

भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए प्रतिभाशाली युवक

5989. **श्री डा० रानेन सेन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के लिए प्रतिभाशाली युवकों की उपलब्धता के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सर्वेक्षण प्रतिवेदन की मोटी मोटी बातें क्या हैं और इससे क्या क्या मुख्य निष्कर्ष निकाले गये ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिये कुशल युवकों की उपलब्धि के बारे में अध्ययन किया है। कुछ निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :—

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षाओं में बैठे उम्मीदवारों की संख्या 1959 में 6572 से गिरकर 1966 में 5040 रह गई है, इस तथ्य के बावजूद कि इस अवधि में विश्वविद्यालयों से निकले स्नातकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

(2) प्रथम श्रेणी के स्नातक जो भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि में बैठे थे 1959 में 818 से गिरकर 1966 में 502 रह गई है। इन वर्षों में विश्वविद्यालयों से प्रथम श्रेणी के स्नातकों की संख्या 6434 से बढ़कर 10975 हो गई है।

(3) 1966 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक रिक्ति के लिये बैठे प्रथम श्रेणी के स्नातक 3.6 थे जबकि 1959 में यह संख्या 11 थी।

(4) भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रथम श्रेणी के स्नातकों का प्रतिशत 1959 में 52 से गिरकर 1966 में 40 हो गया है।

Development of Tourism

5990. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement of the Minister of Tourism of Afghanistan, Sultan Mohammad Ghazi, that tourism has much developed in Afghanistan during the last ten years ;

(b) whether such rapid development of tourist centres in India is not possible ;

(c) if so, the nature of schemes finalised in this regard for each State ; and

(d) the details of such scheme in regard to Bihar, if any, and the nature of concrete steps proposed to be taken during the current financial year in this connection ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Rapid development of tourism to India is hampered due to weak infrastructure, inadequacy of facilities and high cost of travel from Europe and America to India.

(c) and (d) The tourism schemes under the Fourth Five Year Plan, including those relating to Bihar, are in the process of finalization.

National Highways in Bihar

5991. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the number, length and area of National Highways in Bihar in comparison to other States ;

(b) the amount spent by the Centre on National Highways in Bihar ;

(c) whether it is a fact that Central Assistance is not made available for new construction and repairs of National Highways in Bihar according to the needs of the State, due to which Grand Trunk Road in Bihar is not in good condition and other roads are also in more or less similar condition ;

(d) if so, the steps proposed to be taken by Government to improve their condition; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) A statement giving the information in respect of number and length of National Highways is laid on the Table of House. [**Placed in Library See. No. LT**-700/69]. Bihar has 1.70 miles of National Highways per 100 sq. miles against the all India average of 1.18 miles per 100 sq. miles.

(b) An amount of Rs.3262.55 lakhs was spent on the construction and development of National Highways in Bihar during the five year period commencing from 1st April, 1963. A further sum of Rs.330.69 lakhs was spent on their maintenance and repairs during the same period. The collection of information for the earlier period will involve labour and time which will not commensurate with the results.

(c) to (e) Funds are provided for the construction and repairs of National Highways in Bhar according to needs within the available financial resources and every effort is made to maintain them in proper condition of repair.

Beri Commission Report

5992. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the main recommendations of the Beri Commission about the Police firing in Jaipur ;

(b) whether Government are aware that Governor had assured the Chief Justice of Rajasthan High Court that Government would accept in full the recommendations of the Beri Commission ;

(c) whether it is a fact that the Rajasthan Government are not accepting these recommendations fully on the ground that the said promise had been made by the Governor ;

(d) whether it is the responsibility of the Central Government to accept these recommendations in full or of the State Government in these circumstances ; and

(e) the action being taken by the Central Government to ensure the implementation of these recommendations by the State Government ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A statement is laid on the Table of the House.

[**Placed in Library See No. LT**-701/69].

(b) The State Government have reported that no such assurance was given to the Chief Justice of Rajasthan High Court.

(c) No, Sir, The State Government have intimated that the report is being examined by them.

(d) and (e) It is for the State Government to take appropriate action on the report of the Commission.

'अलजमायत' में आपत्तिजनक सम्पादकीय लेख का प्रकाशन

5993. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली के एक समाचार पत्र 'अलजमायत' में मार्च में एक सम्पादकीय प्रकाशित हुआ था जो साम्प्रदायिक भावना भड़काने के उद्देश्य से लिखा गया था और जिसमें यह लिखा गया था कि भारत में मुसलमान लोग उसी समय शान्ति से रह सकते हैं जब भारत में उनका बहुमत हो; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने 14 मार्च, 1969 के अलजमायत में 'मुतनासिब नुमाइन्दगी' शीर्षक का लेख देखा है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ कहा गया है कि भारत में मुसलमानों की समस्याओं का हल उनकी जनसंख्या देश की समस्त जनसंख्या का 51 प्रतिशत हो जाने में है।

(ख) कानून के अधीन लेख पर कोई कार्यवाही की जा सकती है या नहीं, इसकी दिल्ली प्रशासन जाँच कर रहा है।

उड़ीसा और मध्य प्रदेश में पारित किये गये 'धर्म की स्वतन्त्र अधिनियमों' का विरोध

5994. श्री ई० के० नायनार : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा धर्म की स्वतन्त्रता अधिनियम तथा मध्य प्रदेश धर्म स्वातन्त्र्य विधेयक पारित होने पर फरवरी 1969 के अन्तिम सप्ताह में बम्बई में हुए कैथोलिक बिशप सम्मेलन में व्यक्त की गई चिन्ता की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) भारत के कैथोलिक बिशप सम्मेलन के अध्यक्ष से, उसकी स्थायी समिति की ओर से, उड़ीसा और मध्य प्रदेश अधिनियमों के विरुद्ध एक पत्र प्राप्त हुआ था। इन दोनों अधिनियमों का 'सार्वजनिक व्यवस्था' से सम्बन्ध है जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अन्तर्गत राज्य विधान के क्षेत्र में आती है।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद सम्बन्धी नागचौधरी समिति

5995. श्री ई० के० नायनार : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागचौधरी समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद के मामलों की जांच की थी;

(ख) यदि हाँ, तो उनको क्रियान्वित करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) पुनरीक्षण समिति की मुख्य सिफारिशें तथा उनके बारे में सरकारी निर्णयों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 702/69] क्रियान्वित करने के लिए ये निर्णय राष्ट्रीय परिषद् को भेज दिए गए हैं।

समिति की शेष सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

नेशनल स्कूल आफ ड्रामा के दक्षिण की भाषाओं में नाटक

5996. **श्री सुब्रावेलू :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल स्कूल आफ ड्रामा ने दक्षिण की किसी भी भाषा में नाटक तैयार नहीं किये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) राष्ट्रीय नाटक स्कूल ने दक्षिण भारत की किसी भी भाषा में अब तक कोई नाटक तैयार नहीं किए हैं फिर भी, इसने दक्षिण की भारतीय भाषाओं से कई हिन्दी अनूदित नाटक तैयार किए हैं।

(ख) स्कूल में इस समय दक्षिण की भारतीय भाषाओं में नाटक तैयार करने के लिए सुविधाएँ नहीं हैं।

नेशनल स्कूल आफ ड्रामा में दाखिला लेने के लिये हिन्दी का ज्ञान

5997. **श्री सुब्रावेलू :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल स्कूल आफ ड्रामा में दाखिला लेने के लिये हिन्दी का ज्ञान होना अनिवार्य है, और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उस स्कूल में, जो एक राष्ट्रीय संस्था है, इस प्रकार की शर्त से अन्य भारतीय भाषाओं के लोग भर्ती होने से वंचित नहीं हो जाएँगे ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं। आने वाले शैक्षिक सत्र की विवरण-पत्रिका के अनुसार।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पुराना किला, नई दिल्ली में पुरातत्वीय खुदाई कार्य

5998. **श्री दे० वि० सिंह :** **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा पुराना किला, नई दिल्ली में पुरातत्वीय खुदाई कार्य आरम्भ करने का विचार है,

(ख) यदि हाँ, तो यह कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा, और

(ग) इस कार्य पर कुल कितनी धन राशि खर्च होने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) खुदाई का कार्य बरसात के बाद अक्टूबर, 1969 में किसी समय शुरू करने का विचार है।

(ग) एक फील्ड सीजन में 50,000 रुपये से 70,000 रुपये के बीच राशि खर्च होने की सम्भावना है।

बम्बई से दिल्ली के लिए विमान सेवा

5999. **श्री सोम चन्द सोलंकी :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई से दिल्ली के लिये प्रातःकाल और सायंकाल के समय उड़ने वाले सभी विमानों में सदा सब स्थान भरे होते हैं अतः यात्रा के इच्छुक अहमदाबाद के लोगों को उनमें स्थान नहीं मिलता; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इंडियन एयरलाइन्स, अहमदाबाद के यात्रियों के लिए कुछ स्थान आरक्षित क्यों नहीं करती या इस मार्ग पर अधिक क्षमता वाले विमान चलाने की कोई अन्य व्यवस्था क्यों नहीं करती ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कैरेवल विमानों के स्थान पर डी० सी० 9-40 विमानों का प्रयोग

6000. **श्री नारायण दाण्डेकर :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने 1968 के आरम्भ में यह निर्णय किया था कि कैरेवेल विमानों के स्थान में डी० सी० 9-40 विमानों का प्रयोग किया जाना चाहिए;

(ख) क्या विभिन्न समितियों और स्वयं कारपोरेशन ने, बी० ए० सी० 111, सुपर कैरेवेल, बोइंग-727 और 737 और ट्यूपलोव विमानों की तुलना में डी० सी०-9-40 विमान प्राप्त करने सम्बन्धी प्रश्न के सभी पहलुओं की पुनः पूरी जाँच करने के पश्चात् इसका बार-बार समर्थन किया है;

(ग) क्या एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक द्वारा पेश की गई ऋण सम्बन्धी सुविधाओं तथा कारपोरेशन

द्वारा बाद में अर्जित विदेशी मुद्रा द्वारा, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक को समय पर भुगतान करने के लिये काफी होगी, विदेशी मुद्रा की समस्या का काफी पहले ही समाधान कर लिया गया था;

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले को, निर्णय के लिये मंत्रिमंडल को भेजने का क्या कारण था और यह अक्टूबर, 1968 से अनिर्णीत क्यों पड़ा है; और

(ङ) मंत्रिमंडल द्वारा इस मामले पर अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ङ) फिलहाल कारवेल विमानों को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इंडियन एयरलाइन्स का अपने मौजूदा विमान बेड़े में वृद्धि करने के लिए 100 से अधिक सीटों की क्षमता वाले 5 विमानों की खरीद के प्रस्ताव की सरकार जाँच कर रही है।

दिल्ली की पोलिटेकनिक संस्थानों में विद्यार्थियों के शुल्क की प्रतिपूर्ति

6001. **श्री अदिचन :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री 14 मार्च 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3176 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की तीन पोलिटेकनिक संस्थाओं के ऐसे विद्यार्थियों से, जिनको 1967-68 में फीस सम्बन्धी रियायतें दी गई थीं, लिये गये शुल्क की प्रतिपूर्ति 1968 में के० जी० पोलिटेकनिक के 33 मामलों में जी० बी० पन्त तथा के० जो० पोलिटेकनिक के क्रमश: 11 और 33 मामलों में किये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) प्रतिपूर्ति किस तारीख तक पूरी कर दी जायेगी यदि वह चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक नहीं की जायेगी तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) दिल्ली पोलिटेकनिक संस्थानों में गत तीन वर्षों में जिन विद्यार्थियों की फीस माफ की गयी है उनकी संख्याओं में तेजी से कमी की होने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) जी० बी० पन्त पोलिटेकनिक के सभी 99 विद्यार्थियों की तथा के० जी० पोलिटेकनिक के 33 विद्यार्थियों की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है; जिनकी 1968-69 में फीस माफ की गई थी।

जहाँ तक के० जो० पोलिटेकनिक के उन 33 विद्यार्थियों का सम्बन्ध है, जिनकी 1967-68 में फीस माफ की गयी थीं, जून, 1969 के अन्त तक प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। दिल्ली प्रशासन के अनुसार, इस मामले में विलम्ब का मुख्य कारण यह है कि विद्यार्थियों की हड़ताल तथा पोलिटेकनिक के कुछ विभागों को अन्य संस्था में बदलने की वजह से उस संस्था का काम अव्यवस्थित हो गया था।

(ग) फीस माफी वालों की संख्या में गिरावट के मुख्य कारण हैं :—

(एक) 1968-69 के दौरान दाखिलों में कमी तथा

(दो) फीस माफी के लिए आवेदन करने वाले पात्र छात्रों की संख्या में न्यूनता।

Assam Coal for Manufacturing Fertilizers

6002. **Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Bal Raj Madhok : Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Narain Swarup Sharma : Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether the Regional Research Institute at Jorhat has established that the coal of Assam is the best for manufacturing fertilisers; and

(b) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) :

(a) The Regional Research Laboratory, Jorhat has found that Assam Coals have properites which are suitable for processing into Chemicals and Fertiliser.

(b) The proposal of the Regional Research Laboratory, Jorhat for setting up an integrated Coal Fertiliser Complex in Assam Valley was considered by the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals in consultation with the Planning Commission and the Fertilizer Corporation of India. They were of the view that since already a fertilizer plant based on natural gas is in operation in Assam and since it is going to be further expanded, there may not be any immediate need for basing a fertilizer plant on Assam coal.

चुनावों में पराजित कांग्रेसियों की नियुक्तियाँ

6003. **श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की अब तक यह परम्परा रही है कि चुनावों में पराजित कांग्रेसियों को विभिन्न सरकारी उपक्रमों, आयोगों, समितियों आदि में सभापतियों, सदस्यों निदेशकों आदि के रूप में नियुक्त किया जाता है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में इस प्रकार नियुक्त किये गए व्यक्तियों के नाम क्या हैं, वे किस राजनीतिक दल के हैं और प्रत्येक को कितना वेतन तथा भत्ता मिलता है;

(ग) उक्त अवधि में उनमें से प्रत्येक द्वारा की गई विदेश यात्राओं का व्यौरा क्या है तथा उन पर कुल कितना व्यय हुआ और उसमें विदेशी मुद्रा का अंश कितना था; और

(घ) लोकतन्त्रीय व्यवस्था में इस प्रकार की नियुक्तियाँ कहाँ तक उचित हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) जी नहीं, श्रीमान्। किसी व्यक्ति की पुनर्नियुक्ति के उद्देश्य से कोई ऐसी नियुक्तियाँ नहीं की जाती हैं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कांडला पत्तन

6004. **श्री द० रा० परमार : श्री रा० को० अमीन :**

क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांडला से माल भेजने के बारे में कांडला पत्तन न्यास तथा पश्चिम रेलवे के बीच कोई विवाद है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इससे पत्तन के विकास पर कुप्रभाव पड़ा है ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) से (ग) कांडला से माल भेजने के बारे में कांडला पत्तन न्यास और पश्चिमी रेलवे के बीच कोई विवाद नहीं है क्योंकि वैगन की माँग सम्बन्धित पार्टियाँ करती हैं न कि पत्तन न्यास। परन्तु कभी-कभी खाद्यान्न और उर्वरक के संचलन के लिये वैगन को देने में रेलवे से दी गई प्राथमिकता के कारण निजी पार्टियों को कांडला से अपने माल को आयात करने में वैगन उपलब्ध नहीं हुये या कम दिये गये। खाद्यान के आयात में कमी होने के कारण यह स्थिति अब नहीं है।

फिल्मों के अश्लील इश्तिहार

6005. श्री समर गुह : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में कला, संस्कृति, शिक्षा तथा धर्म से सम्बद्ध कई व्यक्तियों ने चलचित्र देखने वालों, विशेषतया युवकों को आर्कषित करने के लिये प्रदर्शित चलचित्रों के इश्तिहारों, विशेषतया बम्बई की तथा विदेशी फिल्मों के इश्तिहारों के स्वरूप के बारे में भारी चिन्ता व्यक्त की है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या अशिष्ट चलचित्र इश्तिहारों के प्रदर्शन पर कड़े नियंत्रण लागू करने के लिये सरकार इस पर नये सिरे से विचार करेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) कुछ चलचित्र इश्तिहारों के आपत्तिजनक लक्षणों के बारे में कुछ व्यक्तियों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता की सरकार को जानकारी है। अतीत में चलचित्र इश्तिहारों पर स्वेच्छा से नियंत्रण लगाने के लिए कदम उठाये गये हैं। राज्य सरकारों का ध्यान दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 142 की ओर भी आर्कषित किया गया था जिसमें सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रत्येक विज्ञापन के लिए आयुक्त की पूर्व अनुमति की अपेक्षा है और यह सुझाव दिया गया था कि राज्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में नगर पालिकाओं के उप-नियमों में वैसे ही उपबन्ध लाने पर विचार कर सकती है।

गैर-सरकारी विधेयक, जो राज्य सभा से पहले ही पारित होने पर लोक सभा की प्रवर समिति के विचाराधीन है, में भी अन्य बातों के साथ-साथ अश्लील साहित्य की बिक्री, प्रदर्शन आदि को रोकने के लिये अधिक कठोर दण्डों और वर्धित शक्तियों की भी व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में चलचित्र अधिनियम में समुचित रूप से संशोधन के लिए प्राक्कलन समिति की सिफारिश भी सरकार के विचाराधीन है।

Cooperation and Coordination between C. S. I. R. and Defence Research and Development Council

Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Atal Bihai Vajpayee :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Jagnnath Rao Joshi :
Shri Suraj Bhan :
Shri Ranjit Singh :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether there is any arrangement for mutual cooperation and co-ordination between the Council of Scientific and Industrial Research and Defence Research and Development Council.

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) :

(a) Yes, Sir.

(b) Cooperation and co-ordination between the Council of Scientific and Industrial Research and Defence Research and Development Council are maintained in the following manner:--

(i) DG, CSIR is a member of the Defence Research and Development Council and similarly the Scientific Adviser to the Minister of Defence is a Member of the Governing Body of the C. S. I. R. and the Board of Scientific and Industrial Research.

(ii) Senior scientists from CSIR are nominated on the various Defence R and D panels and the Governing Councils which have been constituted for R and D Establishments/Laboratories to review and guide the R and D activities in specified fields.

(iii) Similarly senior scientists from the Defence Research and Development Organisation are serving on the Executive Councils and Committees of the various Laboratories under the CSIR.

(iv) In addition, a Defence Coordination Unit has been set up in CSIR to coordinate the research and development programmes with those of defence requirements. The Unit maintains close liaison with the Defence R and D organisation to identify and allocate problems to the various national laboratories. The Unit acts as the focal point of scientific and technical problems of defence interest in which national laboratories can offer assistance.

(c) Does not arise.

Bank Account of an Officer Working in Meteorological Department, Bombay

6007. **Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Atal Bihar Vajpayee : Shri Suraj Bhan : Shri Brij Bhushan Lal : Shri Ranjit Singh :**

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item published in the 'Organizer' dated the 5th October, 1968 to the effect that an officer working in the Meteorological Department at Bombay on a monthly pay of Rs. 1000 has Rs. 2.50 lakhs in his Bank account and he brings thousands of dollars with him while returning from his foreign tours; and

(b) if so, the name of the officer concerned and the action by Government in this regard ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) It was reported to Government that an officer of the Indian Meteorological Department at Bombay, drawing a monthly pay of Rs. 950/-, was in possession of assets

disproportionate to his known sources of income. He was also reported to have been visiting periodically foreign countries on leave to attend meetings etc. The matter is at present under investigation by the Central Bureau of Investigation.

Report of Randhawa Committee on National Museum and Cultural Remains

6008. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Ranjit Singh :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri Brij Bhushan Lal : **Shri Chengalraya Naidu :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri N. R. Laskar :**
Shri Suraj Bhan : **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Education and Youth Services be** pleased to state :

(a) whether the Report of the Randhawa Committee on the National Museum and Cultural Remains has been received ;

(b) if not, the reasons for the delay and the time by which the report is likely to be received ; and

(c) if so, their recommendations and the reaction of Government thereto ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao)
(a) No, Sir.

(b) The Committee is to review the working of the three Central Museums at Delhi, Hyderabad and Calcutta and to make recommendations for their improved functioning and strengthening the existing security arrangements in the three Central Museums as well as in the protected archaeological sites and monuments. For this purpose the Committee has to make a detailed study of the functioning of the three Central Museums and the security arrangement obtaining at these Museums as well as at the Archaeological sites and monuments. As this requires visits to these Museums and some archaeological sites and monuments, the work will take some more time. The Committee has, however, been requested to submit its report as early as possible.

(c) Question does not arise.

Central Grants to Banaras Hindu University and Aligarh Muslim University

6009. **Shri Ram Gopal Shalwale :** **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Suraj Bhan :**
Shri Brij Bhushan Lal : **Shri Ranjit Singh :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the amount of Central grant per student provided to the Banaras Hindu University and the Aligarh Muslim University during the last three years; and

(b) the reasons for the disparity, if any, in making such grants ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b) Maintenance grants to these Central Universities are paid by the University Grants Commission after taking into account the anticipated expenditure and the income of the University and not on per capita basis. The University Grants Commission also gives development grants for a Plan period.

A statement showing the grants paid by the Commission and the number of students on rolls in the two Universities during the last three years is laid on the Table of the House. **(Placed in Library. See No. LT-703/69)**

Conversion of Posts of Hindi Assistants into Hindi Translators

6010. **Shri Ramji Ram : Shri Bal Raj Madhok : Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the Ministries have converted the posts of Hindi Assistants into that of Translators and raised the pay scale as well ;

(b) if so, the names of those Ministries ;

(c) whether some Hindi Assistants have represented to Government against the decision; and

(d) if so, the nature of their grievances and Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) In November, 1968, instructions were issued to all the Ministries that no new post of Hindi Assistant should be created and that whenever any post of Hindi Assistant falls vacant, it should not be filled but should be abolished. In order to cope with the Hindi work, the Ministries were advised to create the required number of posts of Hindi Translators according to their requirements. Accordingly, the question of conversion of the existing posts of Hindi Assistants into those of Translators and raising the pay scale as well, does not arise.

(c) No such representation has been received in the Home Ministry.

(d) Does not arise.

Opening of New Universities

6011. **Shri Prakash Vir Shastri : Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether decisions have been taken in regard to starting some new Universities during the next year ;

(b) if so, the names of States where these Universities would be located ; and

(c) whether the question of setting up of Universities in some States other than the aforesaid states is also under consideration ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b) Government of India have recently approved the establishment of a University at Naini Tal (U. P.) which may be set up during 1969-70. The Jawaharlal Nahru University is also likely to start functioning during the current year.

(c) Proposals for the establishment of a University at Amritsar (Punjab) and an Agricultural University in Vidarbha Region of Maharashtra are under consideration.

Road Accidents between Delhi and Ghaziabad

6012. **Shri Prakash Vir Shastri : Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that road accidents are increasing every day between Delhi and Ghaziabad ;

(b) whether it is also a fact that the increase in accidents is due to the reason that there is only one road for traffic;

(c) whether it is also a fact that parking of trucks on Uttar Pradesh-Delhi border is also causing difficulty in traffic ; and

(d) if so, whether any alternate arrangement is proposed to be made for the purpose ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghuramaiah) : (a) to (d) The required information is being collected and will be laid on the table of the Sabha, when received.

लक्कदीव द्वीप समूह प्रशासन में भेद-भाव

6013. **श्री प० मु० सईद :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लक्कदीव द्वीप समूह के लोगों से, लक्कदीव द्वीप समूह प्रशासन में कर्मचारियों की भर्ती के मामले में उनके साथ भेद-भाव किये जाने तथा केरल और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को ऐसे कोई लिखित अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुए हैं किन्तु द्वीपवासियों के कुछ प्रतिनिधियों ने कुछ अवसरों पर यह भावना प्रकट की है कि स्थानीय उम्मीदवारों की अपेक्षा बाहर के लोग द्वीपसमूह में भर्ती किये जाते हैं अथवा प्रतिनियुक्त किये जाते हैं। सरकार द्वीपसमूह में सरकारी पदों पर भर्ती में द्वीपवासियों को और अधिक अवसर देने के लिए मामले के इस पहलू की सतत परीक्षा कर रही है।

लक्कादीव द्वीप समूह प्रशासन

6014. **श्री प० मु० सईद :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 से 1968 के दौरान वर्ष-वार लक्कादीव द्वीप समूह प्रशासन की सभी श्रेणियों में कितने स्थानीय व्यक्ति नियुक्त किये गये ; और

(ख) उक्त अवधि में लक्कादीव प्रशासन में केरल तथा अन्य राज्यों से पृथक-पृथक कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 704/69]

सड़क परिवहन उद्योग का वित्तपोषण करने के लिये एजेन्सी

6015. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार एक ऐसी एजेन्सी की स्थापना पर विचार कर रही है जिसके पास लम्बे अर्से से चली आ रही मांग अर्थात् सड़क परिवहन निगमों को पूँजी देने, ट्रकों और बसों के मालिकों को अग्रिम ऋण देने और परिवहन उद्योग में लगे हुए मामूली पूँजी वाले लोगों की सहायता के लिये पर्याप्त राशि हो ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : 1968 में, राष्ट्रीय

ऋण परिषद के कथन पर रिजर्व बैंक ने सड़क परिवहन परिचालकों को ऋण सुविधाएँ देने की व्यवस्था के प्रश्न की जांच करने के लिये एक अध्ययन दल की नियुक्ति की। इस दल की रिपोर्ट रिजर्व बैंक के विचाराधीन है।

अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग स्थापित करना

6016. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग स्थापित करने और उसे अन्तर्राज्यीय परिवहन के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए कर लगाने और वसूल करने का अधिकार देने के लिए कोई कानून बनाने का सरकार का विचार है?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया): मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 63 ए (1) के अन्तर्गत एक अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग पहले ही स्थापित किया गया है।

सड़क परिवहन कराधान जाँच समिति ने सिफारिश की है कि एक ऐसा कानून बनाने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए जिसके द्वारा संसद अपने द्वारा अनुमोदित रूप रेखा के अन्तर्गत उस आयोग को अन्तर्राज्यीय परिवहन पर कर लगाने और उसे वसूल करने का अधिकार दे सके। परिवहन विकास परिषद ने जून 1968 में इस सिफारिश पर विचार किया। परिषद ने इस मतैक्य को नोट किया कि अंतर्राज्यीय मार्गों पर चलनेवाली मोटर गाड़ियों पर कर लगाने और इन्हें वसूल करने की शक्तियाँ आयोग को नहीं दी जानी चाहिए। तथापि इस बात पर सहमति हुई कि आयोग को ऐसी शक्तियाँ देने और करों द्वारा वसूल हुए धन को राज्य सरकारों में विभाजित करने के प्रश्न की लिपि्तयों की व्यौरे वार जांच की जानी चाहिए और यह विषय बाद में फिर परिषद के समक्ष लाया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय एकता परिषद् के निर्णयों का क्रियान्वयन

6017. **श्री लताफत अली खां :**
श्री जागेश्वर यादव :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री इसहाक सांभली :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री रा० की० अमीन :
श्री रा० के० नायक :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री जे० मुहम्मद इमाम :
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री जे० एच० पटेल :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री जार्ज फर्नेंडीज :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री के० मि० मधुकर :
श्री यशपाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय एकता परिषद के श्रीनगर सम्मेलन में किये गये निर्णयों के अनुसार साम्प्रदायिकता की बुराइयों का उन्मूलन करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अब तक क्या प्रश्न उठाये गये हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस दिशा में अब तक की गई प्रगति का पुनर्विलोकन किया है;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) राष्ट्रीय एकता परिषद की साम्प्रदायिक पहलुओं पर समिति की सिफारिशों पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही की उद्यतन् स्थिति बताने वाला एक विवरण सभा के सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 705/69]

Tourist Bungalows

6018. **Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Narain Swarup Sharma : Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased *to refer to the reply* given to Unstarred Question no. 5378 on the 20th December, 1968 and state :

(a) the number of types of tourist bungalows and the nature of amenities provided in each type of bungalow ;

(b) the amount charged from each tourist for lodging in these bungalows ;

(c) the rules for lodging in each type of bungalow ; and

(d) the number of tourist bungalows at present in the country ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) There are two types of Tourist Bungalows : Class I constructed with 100% Central Subsidy and Class II constructed with 50% Central assistance. Class I Tourist Bungalows provide both board and lodging in fully furnished accommodation, whereas Class II Tourist Bungalows provide lodging, and in some cases, catering facilities as well. The charges for board and lodging in a Class I Tourist Bungalow is Rs.15.00 per head ; lodging charges in Class II bungalows range from Rs. 1.50 to Rs.8.00 per head.

(c) and (d) The information is being obtained from the State Governments and will be laid on the Table of the House.

Translation of Forms and Manuals of Ministry of Food, Agriculture and Community Development by Central Hindi Directorate

6019. **Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Bal Raj Madhok : Kumari Kamala Kumari : Shri Narain Swarup Sharma : Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the number of forms and manuals received so far by the Central Hindi Directorate for translaton from the Ministry of Food, Agriculture and Community Development and the number of those out of them which have been sent back to the said Ministry duly translated ;

(b) the number of those which are lying pending for translation in the Central Hindi Directorate, the position regarding their translation and by when they would be returned to the said Ministry duly translated ;

(c) whether it is a fact that inordinate delay is taking place in the Hindi Directorate in the translation of these forms and manuals; and

(d) if so, the action proposed to be taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) 113 manuals and 2,670 forms have so far been received by the Central Hindi Directorate from the Ministry of Food, Agriculture and Community Development for translation in Hindi. 75 manuals and 2,388 forms have already been translated and returned to the above Ministry. 29 manuals, which were under various stages of translation, were later withdrawn by that Ministry.

(b) 9 manuals and 282 forms are at present under translation and will be returned to the Ministry of Food, Agriculture and Community Development as early as possible.

(c) and (d) The Central Hindi Directorate is responsible for the translation of codes, manuals and forms and other statutory literature of all the Ministries and Departments of the Government of India. Delays sometimes do occur due to various reasons, but in order to expedite the completion of the translation work, it has been decided to farm out some of the translation work to outside agencies also.

Removal of the discontentment amongst Delhi College Students

6020. **Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Narain Swarup Sharma : Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question no. 5342 on the 20th December, 1968 regarding demonstration by Delhi College students and state :

(a) the specific matters in respect of which steps are being taken to remove discontentment and to bring discipline among the students ; and

(b) other measures in general which are being considered to bring about improvement in the situation and the time by which consideration of these measures would be over ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

(Placed in Library. See No. LT-706/69)

Revision of Pay Scales of Police and Jail Officials of Manipur

6021. **Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri M. Meghachandra : Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5330 on the 20th December, 1968 ; and state :

(a) whether the examination of proposals for the revision of pay-scales of Police and Jail Officials of Manipur has since been completed ;

(b) if so, the decision taken in this regard ; and

(c) if not, when the decision is likely to be taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) The proposal of the Government of Manipur for the revision of scales of pay of the posts of Inspector and Assistant Sub-Inspector of Police were examined. It has not been possible for the Government of India to accept the proposal for revision of scale of pay of the post of Inspector. The proposal for revision of scale of pay of the post of Assistant Sub-Inspector is still being examined. No proposals for further revision of scales of pay of Jail staff in Manipur has been received from the Government of Manipur.

Financial Assistance to Hindi Institutions

6022. **Shri Om Prakash Tyagi : Shri Narain Swarup Sharma : Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the amount of financial assistance given to each Hindi Institution by his Ministry during the last three years ;

(b) whether it is a fact that such grants are not given on equal percentage basis;

(c) whether it is also a fact that some of the Hindi Institutions are given grant on cent per cent basis and, if so, the names thereof and the reasons therefor ;

(d) whether it is also a fact that grants are given again and again to them for the same obsolete schemes ;

(e) if so, whether Government propose to stop such grants ; and

(f) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) (a) A statement showing the amount of financial assistance given during the last three years to various Voluntary Hindi Organisations for propagation of Hindi is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT**-707/69].

(b) and (c) Under the Scheme of Financial Assistance to Voluntary Hindi Organisations, financial assistance is rendered on the basis of 75 per cent of the expenditure on approved schemes, except in the case of Hindi-medium Schools in the non-Hindi speaking States and the Akhil Bhartiya Hindi Sanstha Sangh, to whom financial assistance is rendered on an ad hoc basis to meet their deficit. Financial assistance on 100 per cent basis is given to the Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad for the production of suitable literature in Hindi with a view to accelerating the pace of progressive use of Hindi for the official purposes of the Union. Consequent on the abolition of three-language formula by the Government of Tamil Nadu, financial assistance has also been rendered this year on 100 per cent basis, as a very special case, to the Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha, Madras for running 200 Single Teacher Hindi Vidyalayas to teach Hindi to those, who may wish to learn the language voluntarily.

(d) to (f) Financial assistance is rendered to Voluntary Hindi Organisations, mainly for running of free Hindi teaching classes, Hindi Vidyalayas, Hindi libraries and reading rooms, Hindi typewriting and shorthand classes and training of Hindi Pracharaks, etc. These are such activities which have to be continued from year to year.

Examination for Hindi Officers and Hindi Supervisors

6023. **Shri Narain Swarup Sharma : Shri Shri Chand Gopal : Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Arjun Singh Bhadoria : Shri Om Prakash Tyagi : Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any examination is proposed to be held by the Union Public Service Commission in the near future for recruitment of Hindi officers and Hindi Supervisors in various Ministries and Departments ;

(b) if so, when the examination would be held and the categories of persons who would be eligible to appear in the examination ;

(c) whether interview has also been prescribed along with the examination ; and

(d) if so, whether Government propose to consider the question of removing the condition of interview as in the case of examination for regular Assistants/Section Offcers ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) Details regarding the proposed test are given in the Union Public Service Commission's advertisement No. 8/Part 'B' dated the 22nd February, 1969, copy placed on the Table of the House. [**Placed in Library. See No. LT**-707/69].

(d) No such proposal is under consideration of Government.

New Posts of Hindi Assistants

6024. **Shri Narain Swarup Sharma : Shri Om Prakash Tyagi : Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have now decided not to create any new posts of Hindi Assistants in various Ministries ;

(b) whether it is also a fact that if any new posts are created on Hindi side, it would be those of Hindi Translators ;

(c) if so, the pay-scale for such new appointees as Hindi Trnslators ;

(d) whether the question of conversion of present posts of Hindi Assistants into those of Hindi Translators is under consideration of Government ; and

(e) if so, when a decision is likely to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) Yes, Sir.

(c) Posts of Hindi translators are isolated ex-cadre posts, created by the Ministries according to their needs. Scale of pay is prescribed by them keeping in view the duties and responsibilities.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

Study Tours by Students of Pant Polytechnic, Delhi

6025. **Shri Narain Swarup Sharma : Shri Om Prakash Tyagi : Shri Ram Swarup Vidyarthi :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the number of students of the Pant Polytechnic, run by the Delhi Administration, who were sent to various places recently in the form of study groups ;

(b) the number of students in each group ; and

(c) the amount spent on each student by Government in the form of fare etc. ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao):(a) 155 students of G. B. Pant Polytechnic, Delhi went on study tour during 1968-69 ;

(b) Mechanical Engineering	74
Electrical Engineering	46
Civil Engineering	17
Automobile Engineering	18
Total	155

(c) An advance of Rs.10,850 at the rate of Rs. 70 per student has been paid to the 155 students. The exact amount spent will be known as soon as the accounts are finalised.

Air Journeys by Director, Central Hindi Directorate

6026. **Kumari Kamla Kumari : Shri Narain Swarup Sharma : Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Director, Central Hindi Directorate undertakes air journeys more than these are necessary ;

(b) if so, the number of air journeys undertaken by him from July to December, 1968 and the names of the places visited by him and the total amount of expenditure incurred on these air journeys ; and

(c) the action proposed to be taken by Government with a view to minimise the number of journeys ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Conversion by Christian Missionaries

6027. **Shri Atal Bihari Vajpayee : Shri Suraj Bhan : Shri Brij Bhushan Lal : Shri Ranjit Singh : Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been invited to the news published in the 'Organiser' dated the 30th November, 1968, that Acharya Vinoba Bhave, during his tour of Sarguja (Madhya Pradesh), had criticised the religious conversions by the Christian Missionaries through deceipt and allurement ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ;

(c) whether it is also a fact that according to Acharya Vinoba Bhave, one Christian missionary tried to convert the simple Adivasi by drowning the stone idols of Rama and Krishna as against floating the idol of Christ made of wood ; and

(d) if so, the name of the said missionary and the action taken against him ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) to (d) The Government of Madhya Pradesh are aware of Acharya Vinoba Bhave's general criticism in November 1968 of religious conversions through deceipt and allurement. However, they have no information whether Acharya Vinba Bhave made the observations regarding the specific incident attributed to him in the press report, nor has such an incident comeeg to their notice.

The recently enacted M. P. Dharma Swatantrya Adhiniyam 1968, provides in Section 4 for stringent punishment for conversion of a minor, a woman or a person belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes by use of force, alurement or fraud.

स्थानान्तरण किये जाने पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का प्रतिक्रात्मक भत्ता

6028. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 30 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6738 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 222 के अन्तर्गत, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरण पर, उनके लिये भत्ता निर्धारित करने के लिये नियम अब तक न बनाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) उक्त नियम कब तक बनाये जाने की आशा है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 222 (2) में यह व्यवस्था है कि एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित एक न्यायाधीश अपने वेतन के अतिरिक्त ऐसे प्रतिपूरक भत्ते का अधिकारी होगा जैसा कि संसद द्वारा कानून बनाकर निर्धारित किया जाय और जब तक ऐसा निर्धारित नहीं होता है राष्ट्रपति के आदेश द्वारा जो भी निश्चित किये जांय। प्रतिपूरक भत्ता की दर वेतन के 10 प्रतिशत पर निश्चित की गई है और स्थानान्तरण के प्रत्येक मामले में प्रतिपूरक भत्ते की दर निश्चित करते हुए राष्ट्रपति का आदेश जारी किया जाता है। स्थानान्तरण के मामले अधिक नहीं है अतः स्थानान्तरण किये गये न्यायाधीश के लिये प्रतिपूरक भत्ते को नियमित करने के लिये संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

Royalty paid for Translation of Foreign Science Books into Indian Languages

6029. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the amount sent abroad annually or in a lumpsum as royalty for translation os the books of foreign authors on Science which have been translated into Indian languagef during the last three years ;

(b) the steps taken by Government to give incentives to Indian authors to produce original works in Science ; and

(c) the number of original works produced so far ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Royalty payments approved by the Reserve Bank of India to foreign publishers in respect of foreign books on science translated into Indian languages during the three years 1966, 1967 and 1968 were as follows :

1966 : Rs. 1,802.30 and £ 77.0.0.
1967 : ... .
1968 : Rs.16,681.10 and £ 343.0.0.

(b) Under the scheme of translation/production and publication of standard works of University level operated by the Commission for Scientific and Technical Terminology, some financial incentives are provided to authors of original books in science. Under a Centrally Sponsored Scheme, with an outlaly of about rupees fifteen crores, the State Governments have been asked to formulate schemes for translation and production of books including original

works in science in Indian languages for use in Universities. The Council of Scientific and Industrial Research gives financial encouragement to scientists to compile and publish their research work and other publications.

The National Council of Educational Research and Training has a scheme for the preparation of supplementary reading materials in science for the school level of education, which provides for payment of honorarium to the Indian authors when they are commissioned to write the scripts.

(c) Complete information is not available. But a minimum of 45 original works have so far been produced by various organisations under the Ministry of Education and Youth Services. The National Library, Calcutta received copies of 2510 books and pamphlets on science and technology published in India during 1963-67; these include original works as well as translations, and separate figures of each are not available.

Police Posts in Andaman and Nicobar Islands

6030. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Islands in Andaman and Nicobar where in Government have set up their Police Posts ;

(b) the time by which the Police Posts will be set up in the remaining islands ; and

(c) the reasons for not setting up the Police Posts in all the islands till now ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The number of islands where police posts have been set up by the Andaman and Nicobar Administration is eighteen.

(b) and (c) Setting up of Police Posts in all the islands of the Andaman and Nicobar archipelago is not considered necessary, at present. They will, however, be set up at other places as and when the need arises.

बलगाँव तथा परभणी में पाये गये गुब्बारे

6031. **श्री शारदानन्द** : **श्री वंश नारायण सिंह** :
श्री श्रीगोपाल साबू : **श्री कंवर लाल गुप्त** :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967 में जलगांव में माठगांव के निकट और महाराष्ट्र में परभणी जिले में कुछ गुब्बारे पाये गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो इन गुब्बारों में क्या था;

(ग) क्या यह भी सच है कि इनमें से कुछ गुब्बारे हमारे देश से बाहर से छोड़े गये थे;

(घ) यदि हाँ, तो क्या इस बारे में कोई जाँच की गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ) सन् 1967 में दो पलास्टिक के गुब्बारे पाये गये थे, एक 20 सितम्बर 1967 को जलगाँव जिले में काठगाँव के समीप और दूसरा 4 अक्तूबर, 1967 को परभणी जिले में वलूर में। गुब्बारों से लटके हुये एक पैकेज की परीक्षा करने पर चीनी भाषा में कुछ साम्यवादी-विरोधी प्रचार-सामग्री पायी गयी

जो सम्भवत: चीन क्षेत्र पर डालने के लिये थी। ऐसा प्रतीत होता है कि गुब्बारे भारत के बाहर से उड़ कर आये थे।

Inter-State Bus Routes

6032. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state the number of inter-State bus routes likely to start functioning during the present financial year and the targets for the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghuramaiah) : The required information is being collected and will be laid on the table of the Sabha, when received.

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्रालय में भ्रष्टाचार के मामले

6033. **श्री प्रेमचन्द वर्मा :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल से 30 जून, 1968 तक उनके मन्त्रालय में, भ्रष्टाचार, घूस, चोरी तथा अन्य दांडिक अपराधों के कितने मामले पकड़े गये और उनके कितने अधिकारी (वर्गवार) तथा अन्य व्यक्ति सम्बन्धित हैं ;

(ख) कितने मामलों में मुकदमें चलाये गये तथा कितने मामले केन्द्रीय जाँच ब्यूरो क सौंपे गये ;

(ग) 1967-68 में कितने मामले पकड़े गये थे, कितने मामलों में अपराध सिद्ध हुआ तथा कितने व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई तथा उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) ऐसे मामलों को रोकने के लिये क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 708/69]

Use of Hindi in Tourism and Civil Aviation Ministry

6034. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Tourism and Civil Avia tion** be pleased to state :

(a) the action taken by his Ministry in pursuance of the Official Languages Act orders issued by the Ministry of Home Affairs under the said Act to (i) Publish all their publications in Hindi ; (ii) maintain the service books of Class IV employees in Hindi ; (iii) secure allocation of additional funds for additional translators and Hindi typists in view of the increase in load of translation work ; (iv) prepare a programme for teaching Hindi to Officers and employees under the age of 45 years on 1st January, 1961 under the Hindi Training Scheme ; (v) make it compulsory for the Hindi-knowing staff to use Hindi in official work ; and (vi) appoint Hindi knowing persons in the ranks of Joint Secretaries, Deputy Secretaries and Under Secretaries to implement the scheme for switching over to Hindi and Hindi Training Scheme ;

(b) the dates on which the said action was taken and results achieved thereby and

(c) the steps proposed to be taken to clear the anti-Hindi atmosphere in his Ministry ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b)

(i) The annual reports of the Ministry as well as the government undertakings under its control viz., Air India and Indian Airlines are being published both in Hindi and English.

(ii) The instructions about the maintenance of service books of Class IV employees in Hindi are being implemented.

(iii) The Hindi staff in the Ministry (Main) has been strengthened by the creation of one additional post of Translator and one of Typist. The question of augmenting the Hindi staff in the Attached and Subordinate Offices is under examination.

(iv) The programme of teaching Hindi to non-Hindi knowing personnel of the Ministry under the Hindi Teaching Scheme is being implemented in full.

(v) Hindi knowing persons in the Ministry are encouraged to note and draft in Hindi.

(vi) The Joint Secretary in the Ministry has been entrusted with the overall charge of Hindi work while the Deputy Secretary has been designated as the liaison Officer for Hindi work for the Ministry (Main) with effect from 21st August, 1968.

(c) Does not arise.

हिप्पियों की भारत विरोधी तथा समाज विरोधी गतिविधियाँ

6035. **श्री गार्डिलिंगन गौड़ : श्री म० ला० सोंधी :**

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में भारत में बड़ी संख्या में हिप्पी आ गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि वे भारत विरोधी और समाज-विरोधी गतिविधियों में भाग ले रहे हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(घ) मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली और बम्बई में उनके विरुद्ध 1 जुलाई, 1968 से 31 दिसम्बर, 1968 तक भारत विरोधी तथा समाज विरोधी गतिविधियों के कारण कितने मामले दर्ज किये गये ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अनुमानतः प्रश्न का सम्बन्ध ऐसे भ्रमणशील विदेशी राष्ट्रिकों से है जो पोशाकों इत्यादि के सामान्यतः स्वीकृत स्तर के अनुसार नहीं रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के भारत में आगमन के पृथक आँकड़े नहीं रखे गये हैं। फिर भी, यह अनुमान लगाने के लिए ऐसे कोई समाचार नहीं है कि ऐसे व्यक्ति अभी हाल में भारत में बड़ी संख्या में आए हैं।

(ख) ऐसे विदेशियों की ओर से कोई भारत-विरोधी गतिविधि के समाचार नहीं मिले हैं किन्तु उनमें से कुछ नशीली वस्तुओं, बिना लाइसेन्स के हथियारों इत्यादि को अवैध रूप से अपने पास रखने जैसी कुछ अवैध गतिविधियों के लिये ध्यान में आए हैं।

(ग) उनकी ओर से अवांछनीय गतिविधियों के संकेत मिलने पर उपयुक्त कानूनों के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जाती है और चौकसी बढ़ा दी जाती है।

(घ) विशिष्ट अपराधों के लिए उनके विरुद्ध बम्बई में दो तथा दिल्ली में 89 मामले दर्ज किये गए हैं। कलकत्ता और मद्रास में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

राष्ट्रीय दक्षता दल (नेशनल फिटनेस कोर) के प्रशिक्षकों को और कामों पर लगाना

6036. श्री गार्डिलिंगन गौड : श्री हरदयाल देवगुण :
श्री बे० कु० दास चौधरी : श्री रणजीत सिंह :
श्री पी० राममूर्ति : श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री सत्य नारायण सिंह : श्री नि० रं० लास्कर :
श्री पी० पी० एस्थोस : श्री चंगलराया नायडू :
श्री भगवान दास : श्री स० मो० बनर्जी :
श्री अदचिन : श्री बलराज मधोक :
श्री दी० चं० शर्मा : श्री शशि भूषण :
श्री वेणीशंकर शर्मा :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय दक्षता दल के प्रशिक्षकों को और कामों पर लगाने के बारे में केन्द्रीय सरकार का प्रस्ताव स्वीकार करने वाले तथा अस्वीकार करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) उनकी अस्वीकृत अथवा स्वीकृति के क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय दक्षता दल के भविष्य के प्रश्न पर विचार करने के लिए सरकार ने कोई अग्रेतर कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गयी है।

(ग) और (घ) मामले पर विचार किया जा रहा है।

विवरण

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से 15 जून, 1968 और दुबारा 7 अक्तूबर, 1968 को अनुरोध किया गया था कि वे राष्ट्रीय दक्षता दल के प्रशिक्षकों को अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में नौकरी पर रख लें। उनसे प्राप्त उत्तरों के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार हैं :—

(क) निम्न राज्य बिना शर्त प्रशिक्षकों को नौकरी पर रखने के लिए सहमत हो गये हैं,

आसाम
मैसूर
हिमाचल प्रदेश
त्रिपुरा गोवा

(ख) निम्न राज्य अस्थायी रूप से सहमत है :—

राजस्थान

जम्मू तथा काश्मीर

(ग) निम्न राज्यों ने बताया है कि चूंकि उन राज्यों में अधिक संख्या में सरकारी स्कूल नहीं है अतः वे प्रशिक्षकों को गैर सरकारी माध्यमिक स्कूलों में नौकरी देने का प्रयत्न करेंगे :—

गुजरात

महाराष्ट्र

बिहार

(घ) निम्न राज्य सशर्त सहमत हैं।

आन्ध्र प्रदेश	यदि केन्द्रीय सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना का पूरा खर्चा देगी।
दिल्ली	यदि अधिक धन दिया जाये।
उत्तर प्रदेश	यदि राज्य सरकार को इन प्रशिक्षकों पर किये जाने वाले व्यय की पूरी राशि की तब तक प्रतिपूर्ति की जाये जब तक उनमें से प्रत्येक सेवानिवृत्त न हो जाये अथवा त्यागपत्र न दे।

(ङ) निम्न राज्य इन प्रशिक्षकों को नौकरी देने के लिए सहमत नहीं हैं :—

मध्य प्रदेश

पंजाब

हरयाणा

केरल

मद्रास

(च) निम्न राज्यों से उत्तरों की प्रतीक्षा है :—

उड़ीसा

पश्चिम बंगाल

मनीपुर

चण्डीगढ़

आन्ध्र प्रदेश, मैसूर तथा मध्य प्रदेश में पर्यटन का विकास

6037. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश, मैसूर तथा मध्य प्रदेश राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार को उन राज्यों से इस बारे में विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) योजना परिव्यय के अनुमोदित किये जाने के बाद केन्द्रीय सरकार की पर्यटन विषयक स्कीमों को अन्तिम रूप दिया जायेगा। इस बीच में आन्ध्र, मैसूर, मध्य प्रदेश सहित राज्य सरकारों से उनके प्रस्तावों का विस्तृत ब्यौरा मंगवाया गया है।

मंत्रियों तथा संसदीय प्रतिनिधि मंडलों आदि द्वारा विदेश यात्रा

6038. **श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों ने अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर, 1968 में विदेश यात्रा की;

(ख) उन्होंने उन-उन देशों का दौरा किस लिये किया;

(ग) उनकी विदेश यात्रा पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई; और

(घ) उन्होंने क्या-क्या बातचीत की तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी।

भारत में परीक्षा-प्रधान शिक्षा पद्धति

6039. **डा० सुशीला नैयर** : **श्री क० लकप्पा** :

श्री ए० श्रीधरन :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखबारों में छपे इस समाचार को देखा है कि राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश श्री दौलतमल भण्डारी ने कहा है कि देश में वर्तमान परीक्षा-प्रधान शिक्षा पद्धति विद्यार्थियों में बौद्धिक विकास को निरुत्साहित करती है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तन करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्डों और राज्य शिक्षा विभागों के सहयोग से राष्ट्रीय शैक्षणिक, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूल स्तर पर परीक्षा सुधार से संबंधित कुछ कार्यक्रम पहले ही से विकसित कर लिए गए हैं। इसी प्रकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भी विश्वविद्यालयों में कुछ कार्यक्रम शुरू किये गए हैं। इन कार्यक्रमों को चौथी पंचवर्षीय आयोजना में तेज तथा उनका विकास करने का विचार है।

बम्बई में माओ का पुतला जलाना

6040. **श्री द० रा० परमार** : **श्री रा० की अमीन** :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में शिव सेना ने हाल ही में माओ का पुतला जलाया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार शहर में कुछ स्थानों पर माओ समर्थक नारों के दिखाई देने के पश्चात् 18 दिसम्बर, 1968 को बम्बई में हुतात्मा चौक पर स्वन्तत्र दल ने एक प्रदर्शन का आयोजन किया। इस प्रदर्शन में शिव सेना के स्वयंसेवकों ने भी भाग लिया। माओ-त्से-तुंग का पुतला जलाया गया था। 22 दिसम्बर, 1968 और 8 जनवरी, 1969 के बीच बम्बई में 9 स्थानों पर शिव सेना द्वारा इसी प्रकार के प्रदर्शन किये गये थे।

नर्मदा नदी पर पुल

6041. श्री द० रा० परमार : श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :
श्री रा० की० अमीन :

क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गुजरात राज्य में बड़ोंच के निकट राष्ट्रीय राजपथ पर नर्मदा नदी पर एक पुल बनाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके प्राक्कलन ठेके तथा कार्य की अनुसूची आदि का ब्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मन्त्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) जी हाँ।

(ख) पुल और पहुँच मार्गों के लिये 34622 लाख रुपये का अनुमान पहले ही मंजूर कर लिया गया है। हाल ही में पुल की संविदा प्राप्त हुई और विचाराधीन है। इस कार्य के हाथ में लिये जाने के बाद इसकी चार वर्षों में पूरा होने की संभावना है। पहुँच मार्ग का कार्य शीघ्र ही शुरू होने वाला है और पुल के साथ ही पूरा हो जायेगा।

महाजन आयोग के प्रतिवेदन सम्बन्धी फाइलों का गुम हो जाना

6042. श्री जार्ज फरनेन्डीज : श्री स० अ० अगड़ी :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 दिसम्बर, 1068 के "पट्रीआट" में छपा इस आशय का समाचार सही है कि महाराष्ट्र मैसूर तथा क़ेरल के बीच सीमा विवाद सम्बन्धी महाजन अयोग के प्रतिवेदन की कुछ महत्वपूर्ण फाइलें गुम हो गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी फाइलें गुम हो गई हैं तथा वे किस विषय के बारे में थीं;

(ग) क्या उन फाइलों का पता लगाने के लिये कोई प्रयत्न किये गये हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) महाजन आयोग के प्रतिवेदन से सम्बन्धित कोई भी फाइल कभी गुम नहीं हुई। तथापि, आयोग के कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में एक फाइल कुछ समय तक नहीं मिली किन्तु समाचार पत्र में समाचार छपने से बहुत पहले उसे ढूंढ लिया गया था।

चण्डीगढ़ में बनाई गई सम्पर्क सड़कें

6043. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चण्डीगढ़ संघ

राज्य क्षेत्र के प्रशासन ने गत दो वर्षों में चण्डीगढ़ को गाँवों से जोड़ने के लिये कौन-कौन सी सम्पर्क सड़कें बनायी हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : इस अवधि के दौरान चण्डीगढ़ को गाँव मनीमाजरा से जोड़ने वाली एक सम्पर्क सड़क का निर्माण किया गया है।

चण्डीगढ़ में नेहरू मार्कट तथा शास्त्री मार्कट में दुकानों के अधिकृत कब्जेदार

6044. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ की नेहरू और शास्त्री मार्कीटों की दुकानों में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो दुकानों के प्लाटों के आवंटन के पात्र हैं;

(ख) इन दो मार्कीटों में दुकानों पर कब्जेदार कुल कितने व्यक्ति है; और

(ग) क्या सरकार इन कब्जदारों के लिये पक्की दुकान बनाने पर विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) कुछ व्यक्तियों द्वारा उन दो स्थानों पर अनधिकृत इमारतें बनाई गई थीं जो बाद में नेहरू और शास्त्री मार्किटों के नाम से जानी गई। चूंकि ये सार्वजनिक भूमि पर कब्जे थे अतः इन निर्माणों को मान्यता नहीं दी जा सकती थी। किन्तु इस तथ्य को विचारते हुए कि इन व्यक्तियों को हटाने का अर्थ इन व्यक्तियों की बेरोजगारी होगा अतः यह सोचा गया कि इनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाय। इसी दौरान ऐसे व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो गई । अतः वैकल्पिक व्यवस्था की सुविधा उन व्यक्तियों तक सीमित करने के लिए निश्चय किया गया था जो मूल कब्जेदार थे। ऐसे व्यक्तियों की संख्या 91 थी--(58 शास्त्री मार्किट में और 33 नेहरू मार्किट में)। जबकि वर्तमान संख्या 350 है। इन 91 व्यक्तियों को काम के स्थान देने के लिए विभिन्न सेक्टरों में अस्थायी दुकानों के स्थल बनाने का निश्चय किया गया है। इन स्थालों पर दुकाने बनाने और उन्हें इन 91 व्यक्तियों को किराये पर देने का इरादा है।

चण्डीगढ़ में किराये की बकाया राशि की वसूली

6045. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में सरकारी दुकानों और होटलों के किरायेदारों के नाम सरकार की कितनी राशि बकाया है; और

(ख) इन बकाया राशियों की वसूली के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1,16,530. 23 रुपये, जिसमें देर से भुगतान करने के लिए जुर्माने के 25,375.15 रु० सम्मिलित हैं।

(ख) किराये के बड़े बाकीदारों के मामले में पट्टे रद्द किये जा चुके हैं और उनको निकालने की कार्यवाही प्रगति पर है। कुछ अन्य मामलों में पट्टेदारों द्वारा कार्यवाही को रोकने के आदेश प्राप्त किये गये थे। वे आदेश अब वापस ले लिये गये हैं और सभी मामलों में वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

गुजरात में विश्राम गृह

6046. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों को उचित आवास सुविधायें उपलब्ध करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा विश्राम गृहों, अवकाश गृहों और विश्राम कक्षों के लिए आंशिक रूप से वित्त उपलब्ध करने के लिये भेजे गये प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, पर्यटन सम्बन्धी स्कीमों की केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर वित्तीय व्यवस्था किया जाना बन्द कर दिया गया है। इन स्कीमों की पूर्ण वित्तीय व्यवस्था या तो केन्द्रीय सरकार या सम्बन्धित राज्य सरकार करेगी।

केन्द्रीय सरकार साबरमती आश्रम में एक 'ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन' की व्यवस्था कर रही है। अहमदाबाद में अतिरिक्त पर्यटक सुविधाओं की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है। अन्य स्थानों पर, विश्राम गृहों, अवकाश गृहों और आराम कक्षों (रिटायरिंग रूमों) का निर्माण कार्य राज्य सरकार को स्वयं अपने साधनों से करना होगा।

Pakistani Spies in Kashmir

6047. **Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of gangs of Pakistani spies liquidated in Jammu and Kashmir since the Pakistani aggression in 1965 ;

(b) the number of Pakistani infiltrators and Pakistani agents arrested there during the above period ; and

(c) the details of the arms and ammunition seized from them during the above period ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) A statement is attached on the basis of information received from the Government of Jammu and Kashmir.

Statement

(a) Sixty-two spy rings and saboteure gangs.

(b) Two hundred and sixty-two persons as per detail given below :

(i) Persons belonging to Pakistan or Pakistan Occupied areas of Jammu and Kashmir State...		48
(ii) Persons belonging to areas on Indian side of Cease Fire Line.	...	214
		262

(c) Revolvers Webly Mark	...	6
Cartridges	...	102
.45 bore revolvers	...	1
.38 bore revolvers	...	3
12 bore cartridges	...	36

Pistol with rounds	...	1 with 24 round s.
Plastic explosives	...	5 lb s.
12 bore guns	...	2
.303 Rifles	...	3
Boundoliers	...	3 of .303 Ctgs.
	Totalling to	117 rounds.
Knife	...	1
Leather holesters of revolvers	...	2
Handgrenades	...	25 (12 with fuses).
Cartridges .303	...	12
Anti-tank mines with fuses	...	2

Dogs kept by Central Intelligence Bureau for Crime Detection

6048. **Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some trained dogs are kept by the Central Intelligence Bureau for detection of crimes ;

(b) if so, the number of such dogs ;

(c) the annual expenditure incurred by Government thereon ; and

(d) the number of such dogs purchased from abroad during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.

Foreign Exchange Earnings of I. A. C .

6050. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchange earned by the Indian Airlines Corporation during the year 1967-68 ; and

(b) the amount of foreign exchange likely to be earned during the year 1968-69 ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The foreign exchange earned by Indian Airlines during the year 1967-68 was Rs. 6.89 crores.

(b) Indian Airlines had budgetted for foreign exchange earnings of Rs. 7 crores during 1968-69, which is likely to be exceeded.

Accidents to I. A. C. Aircrafts

6051. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of aircrafts of the Indian Airlines Corporation damaged in accidents since 1st January, 1959 ;

(b) the number of persons killed and injured in these accidents ; and

(c) the amount of loss suffered by the Corporation in these accidents and also the total amount paid as compensation ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c) A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House.

(**Placed in Library. See No. LT-709/**69)

I. A. C.

6052. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the amount of profit earned by the Indian Airlines Corporation during the year 1967-68 ; and

(b) the amount of profit earned or the loss suffered by the Corporation, taking into account the instalments towards repayment of loans and other expenses ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) The Indian Airlines suffered a net loss of Rs.38.11 lakhs during the year 1967-68.

Expenditure incurred by I. A. C.

6053. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the total amount of expenditure incurred by the Indian Airlines Corporation during the year 1967-68 on the payment of pay allowance and over time allowance to its employees along with the break-up under each head ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : The Indian Airlines incurred an expenditure of Rs. 1,064.74 lakh on pay, allowances and overtime during 1967-68, out of which Rs.925.76 lakh was on pay and allowances and Rs.138.95 lakh on Overtime including excess flying pay. Separate figures for pay and allowances are not available.

राज्य लाटरियाँ

6054. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने हरियाना, केरल, मद्रास, पंजाब, राजस्थान तथा महाराष्ट्र सरकार को लाटरियाँ जारी करने की अनुमित दे दी है बशर्ते कि एक राज्य की लाटरी टिकट दूसरे राज्य में बिना उस राज्य की अनुमति के नहीं बेची जायेंगी; और

(ख) यह देखते हुए कि लाटरी राज्य द्वारा किये जाने वाला एक उद्यम है यदि सभी राज्यों के बीच भावनात्मक एकता स्थापित की जाती हो, तो इस शर्त को लगाने का क्या कारण है जो कि अनुच्छेद 19 (1) (जी) के अन्तर्गत दिये गये व्यापार करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को, जो राज्य लाटरियाँ चलाना चाहते हैं, अनुमति प्रदान कर दी है बशर्ते कि उन राज्य सरकारों की स्पष्ट अनुमति प्राप्त हो जहाँ ऐसी लाटरियाँ बेची जायेंगी।

(ख) सरकार को सलाह दी गई है कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) और 301 के संरक्षण लाटरियों पर लागू नहीं होते।

बिहार में बक्सर के निकट 'गंगा पर पुल'

6055. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में बक्सर के निकट गंगा पर पुल बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) क्या इससे उत्तर प्रदेश से बिहार को परिवहन समस्या का समाधान हो जायेगा, और

(ग) यदि हाँ, तो बक्सर के निकट गंगा पर स्थायी पुल बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) बिहार में बक्सर के निकट गंगा के ऊपर एक पुल-निर्माण के लिए, 56 लाख रुपये का सहायता अनुदान देने का निश्चय किया है। इस योजना से उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों और बिहार के बीच परिवहन की बड़ी सुविधा हो जाएगी। सहायता अनुदान को 56 लाख रुपये से और अधिक करने का प्रश्न विचाराधीन है। इस बीच पुल-निर्माण के लिए निविदाएं प्राप्त हो गयी है और बिहार सरकार उनकी जांच कर रही है।

हिप्पियों द्वारा भारत विरोधी प्रचार

6056. **डा० सुशीला नैयर :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिप्पी भारत विरोधी प्रचार कर रहे हैं और देश में मादक द्रव्यों का अवैध व्यापार भी कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार देश में हिप्पियों के आने पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जम्मू व काश्मीर, तमिलनाडु और लक्काद्वीप, मिनिकाय और अमिनदीवी द्वीप समूह के अतिरिक्त राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने सूचित किया है कि ऐसे कोई दृष्टान्त उनके ध्यान में नहीं आया है। फिर भी, कुछ हिप्पी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में वर्जित पदार्थ जैसे चरस इत्यादि रखने के लिए पकड़े गये हैं और उनके साथ कानून के अनुसार कार्यवाही की गई है।

जम्मू व कश्मीर, तमिलनाडु तथा लक्कादीव, मिनिकाय तथा अभिनदीव द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र से सूचना प्रतीक्षित है।

(ख) और (ग) हिप्पी पद का लक्षार्थ ज्ञात नहीं है। यह प्रायः उन शैलानी विदेशी नागरिकों का अर्थबोध देता है जो पोशाक इत्यादि के सामान्य रूप से स्वीकृत स्तर अनुसार नहीं रहते हैं। सरकार की प्रवर्तन ऐजेन्सियाँ बराबर सावधान हैं और जब कभी हिप्पियों की कोई अवैध गतिविधि उनके ध्यान में आती है तो कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

Shifting of Office of C. S. T. T. in one Building

6057. **Shri Shiv Kumar Shastri :** **Shri Ram Autar Sharma :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a part of the Office of Scientific and Technical Terminology Commission which was housed in a separate building has finally been shifted to the main office in order to ensure proper functioning of the Commission ; and

(b) whether Government have finally decided that no part of the Commission's office would be shifted to any other building ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir. The Publication Unit of Commission for Scientific and Technical Terminology was shifted in October, 1968 from Curzon Road Barracks to Ramakrishna Puram where the rest of the office of the Commission was already located.

(b) The Store pertaining to the Publications Unit of the Commission will be shifted as soon as accommodation on the ground floor in Ramakrishna Puram is made available for it.

जम्मू में पुलिस अधिकारियों द्वारा एक लड़की के साथ बलात्कार का आरोप

6058. **श्री बाबूराव पटेल : श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 18 अक्तूबर, 1968 को जम्मू में पुलिस अधिकारियों ने जिस लड़की से बलात्कार किया था, उसका नाम तथा आयु क्या है और बलात्कार करने वाले पुलिस अधिकारियों के क्या नाम हैं;

(ख) राज्य तथा केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यह देखते हुए कि जिनका कार्य निराश्रितों की सहायता करना है, उनके द्वारा देश के कई मार्गों में ऐसे अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है, इन अधिकारियों को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 375/376 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध मुकदमें क्यों नहीं चलाये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सर्वश्री टी० आर० कालरा, एस० पी० जम्मू तथा आर० सहगल, ऐरिया आर्गेनाईसर जम्मू के विरुद्ध आरोप है कि उन्होंने 25 वर्षीय मिस हेलन ग्रिगो के साथ दुर्व्यवहार किया ।

(ख) दोनों अधिकारी निलम्बित कर दिये गये थे । राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई है, जो जारी है ।

(ग) प्राथमिक जाँच के दौरान प्राप्त साक्ष्य से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अन्तर्गत कोई अपराध प्रकट नहीं होता है और यह उचित समझा गया कि पहले अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की जाय. मुकदमें चलाने का प्रश्न जाँच के निष्कर्ष तथा अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है । चूंकि कार्यवाही अभी चल रही है अतः ऐसी अवस्था में दण्ड देने का प्रश्न नहीं उठता ।

गुप्त सूचना विभाग तथा केन्द्रीय जाँच ब्यूरों में प्रतिनियुक्ति पर पुलिस अधिकारी

6059. **श्री शारदा नन्द** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों में उत्तर प्रदेश और विहार से कितने पुलिस अधिकारी तथा कर्मचारी गुप्त सूचना विभाग और केन्द्रीय जाँच ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर आये;

(ख) उक्त अवधि में कितने अधिकारी तथा कर्मचारी अपने मूल राज्यों में वापिस भेजे गये; और

(ग) अन्य राज्यों से गुप्त सूचना विभाग और केन्द्रीय जाँच ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति की न्यूनतम और अधिकतम अवधि कितनी-कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 640

(ख) 312

(ग) गुप्त सूचना विभाग तथा केन्द्रीय जाँच ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया पाँच वर्ष होती है किन्तु इस अवधि में प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार वृद्धि अथवा कमी की जाती है।

गुप्त सूचना विभाग तथा केन्द्रीय जाँच ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति पर पुलिस अधिकारी

6060. श्री शारदा नन्द : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गृह-कार्य मंत्रालय के गुप्त सूचना विभाग तथा केन्द्रीय जाँच ब्यूरो में उत्तर प्रदेश और बिहार में प्रतिनियुक्ति पर आये ऐसे कितने पुलिस अधिकारी हैं कि जो प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी होने के बाद भी कार्य कर रहे हैं ;

(ख) गत पाँच वर्षों में कितने मामलों में अवधि में वृद्धि की गई ;

(ग) प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरा होने से पहले कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने राज्यों में वापस भेजा गया; और

(घ) प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान कितने अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरस्कार या पदक दिये गये ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 325

(ख) 125

(ग) 41

(घ) 204

राष्ट्रीय संग्रहालयों में चोरियाँ रोकने के लिये अलार्म व्यवस्था स्थापित करना

6061. श्रीमती इला पाल चौधरी : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय में गत वर्ष की भाँति चोरियाँ न होने देने के लिए अलार्म उपकरण लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर कितना खर्च आने का अनुमान है ?

(ग) क्या अन्य राष्ट्रीय संग्रहालयों में भी ऐसे अलार्म उपकरण लगाये जायेंगे ; और

(घ) यदि हाँ, तो किन-किन संग्रहालयों में और इन पर प्रति वर्ष अनुमानतः कुल कितना व्यय होगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ) राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली और कलकत्ता और हैदराबाद स्थित अन्य दो केन्द्रीय संग्रहालय, इस प्रकार

तीनों संग्रहालयों में चोर के खतरे की घंटी की व्यवस्था करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। तीनों केन्द्रीय संग्रहालयों और संरक्षित पुरातत्वीय स्थानों तथा स्मारकों में विद्यमान सुरक्षा प्रबन्धों को मजबूत करने के उपाय सुझाने के लिए भारत सरकार द्वारा अक्तूबर,1968 में स्थापित पुनरीक्षण समिति भी भारत की तथा विदेशों की विभिन्न एजेन्सियों से चोर के खतरे की घंटी की व्यवस्था करने के बारे में एकत्रित विवरणों और साहित्य का अध्ययन कर रही है। इसके बाद समिति इस बात का निर्णय करेगी कि हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप कौन सी पद्धति है। पुनरीक्षण समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उसको ध्यान में रख कर प्रस्ताव की सरकार द्वारा जांच की जाएगी।

राज भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग

6062. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री के० सुब्बा राव द्वारा गैर-हिन्दी राज्य सम्मेलन में दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि अंग्रेजी हिन्दी के साथ साथ तब तक राज भाषा रहनी चाहिये जब तक कि सभी राज्य जनमत के जरिये अंग्रेजी छोड़ने के लिये सहमत नहीं होते;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार राज भाषा अधिनियम में इस आशय का संशोधन करने का है कि अंग्रेजी तब तक राज भाषा के रूप में रहेगी जब तक कि सभी राज्य उसका परित्याग करने के लिए सहमत नहीं हो जाते ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) यथा संशोधित राज भाषा अधिनियम में सङ्घ के सब सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा के सतत प्रयोग के लिए पहले ही व्यवस्था है। यह उपबन्ध तब तक लागू रहेगा जब तक अधिनियम में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को समाप्त करने हेतु संकल्प उन सभी राज्यों, जिन्होंने हिन्दी को अपनी राज-भाषा के रूप में नहीं अपनाया है, के विधान मंडलों द्वारा पारित नहीं कर लिये जायें और जब तक उपरोक्त संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात् संसद के प्रत्येक सदन द्वारा ऐसी समाप्ति के लिए संकल्प पारित नहीं कर लिया जाय।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Emergency Facilities at Airports

6063. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that adequate emergency facilities in the event of an accident have not been provided at some Airports ;

(b) if so, the names of such airports and the reasons therefor ; and

(c) the time by which the required facilities are likely to be provided there ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) (a) to (c) All aerodromes have been provided with fire-fighting equipment and first aid facilities including ambulance, but at 39 aerodromes, as per list laid on the Table of the House (**Placed in Library. See No. LT**-710/69), the fire-fighting equipment has proved to be below the requirements laid down by the International Civil Aviation Organisation. This is because of the rapid introduction of bigger and more sophisticated aircrafts which tends to make existing fire-fighting equipment obsolete by International Civil Aviation Organisation standards. As suitable indigenous crash fire tenders are not yet available, and in the context of the present difficult foreign exchange position, it has not been possible to meet the requirements at the aerodromes to the fullest extent. An order for 25 crashfire tenders is expected to be placed soon and more will be acquired during the Fourth Five-Year Plan with a view to cover the deficiency as far as possible.

भारत में आत्महत्या से हुई मृत्यु

6064. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आत्महत्या से हुई मृत्यु के आंकड़े उनके मंत्रालय के पास हैं ;

(ख) वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में प्रत्येक राज्य में आत्महत्या के कितने-कितने मामले हुए ; और

(ग) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक राज्य में कितने पुरुषों और कितनी महिलाओं ने आत्महत्या की और प्रत्येक मामले में किन-किन कारणों से ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, नागालैंड, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों तथा सभी संघ राज्य क्षेत्रों (नेफा को छोड़कर) से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 711/69] शेष राज्यों से उत्तरों की प्रतीक्षा है।

Criticism of Education Policy of M. P. Government

6065. **Shri Yashwant Singh Kushwah:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the then Education Minister had criticised the education policy of the Madhya Pradesh Government in his speech delivered in Indore city during his visit recently ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b) Yes Sir. The relevant extract from the speech of Dr. Triguna Sen, former Education Minister, delivered at Indore on 29th December, 1968 is given below :

> "We are emphasising higher education too much and neglecting primary education which has been given such high importance by the framers of our Constitution. In Madhya Pradesh, for instance, primary education is under-developed and a large effort will have to be made to spread primary education, especially among the tribal people, and to improve its quality. Instead of this we have established as many as six universities. The available funds are so meagre that every one of the existing universities is in financial difficulty. In spite of this, a new University has been established by an ordinance. This is a wrong policy, like building a multi-storeyed building on sand."

उड़ीसा में पारादीप पत्तन के तल से मिट्टी निकालना

6066. **श्रीमती इलापाल चौधरी : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में पारादीप पत्तन के तल से मिट्टी निकालने के संबंध में किसी जापानी फर्म से करार किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस फर्म का नाम क्या है और विशेषत: वित्तीय पहलुओं का उल्लेख करते हुये इस करार की मुख्य बातें क्या हैं और इससे भारतीय व्यापार को क्या लाभ होगा; और

(ग) इस कार्य को कब तक आरम्भ तथा पूरा किये जाने की संभावना है ?

संसद कार्य विभाग तथा परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) से (ग) पारादीप पत्तन न्यास ने तटवर्ती बहाव को रोकने के लिए दक्षिणी पनकट दीवार की नोक के निकट बालू फन्दे के निकर्षण करने के लिए, सुरक्षित नौचालन के सनिश्चयन और 60000 डी० डब्लू० टी० तक के जहाजों के आने के लिए घुमाव घेरे को 1100 फुट से 1725 फुट तक चौड़ा करने के लिए और जलमार्ग से गाद निकालने के लिए मेसर्स पेंटा ओसीन कन्सट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जापान, के साथ एक करार किया है। करार के अंतर्गत आने वाले निर्माण कार्य की अनुमानित लागत 145 लाख रुपये है जिसमें लगभग 116 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा शामिल है। काम शुरू हो गया है और उसके अक्तूबर 1969 तक पूरा होने की संभावना है।

Transmission of Orders Regarding use of Hindi to Subordinate Officers

6067. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of such Ministries and Departments which have not sent the copies of the orders issued by the Ministry of Home Affairs on the 6th July, 1968 regarding the use of Hindi to their subordinate offices so far ;

(b) the reasons for delay in this regard ; and

(c) the date by which the aforesaid orders would definitely be passed on to the subordinate offices by those Ministries and Departments ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) All the Ministries/Departments have sent copies of the orders to their attached and subordinate offices.

(b) and (c) Do not arise.

पत्तनों के लिये ड्रेजर पुल बनाना

6068. **श्री दी० चं० शर्मा : श्री रणजीत सिंह :**
श्री वेणी शंकर शर्मा : श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ड्रेजर पूल, जिसका उपयोग पत्तनों द्वारा संकट काल में किया जा सकेगा, बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है, यदि उसे अन्तिम रूप दिया जा चुका है, और

(ग) उसे क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह :(क) से (ग) एक केन्द्रीय निकर्षण संगठन बनाने का प्रस्ताव है प्रारम्भ में पत्तनों के आवश्यक पूंजीगत निकर्षण आवश्यकता की पूर्ति करने का निपटान करने के लिये बाहर से दो निकर्षकों की प्राप्ति करने का निश्चय किया गया है। निकर्षकों की प्राप्ति के लिये आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

केन्द्रीय स्कूलों में स्कूल वर्दी

6069. श्री दी० चं० शर्मा : श्री हरदयाल देवगुण :
श्री वेणी शंकर शर्मा : श्री रणजीत सिंह :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्कूलों में बच्चों के लिये रोजाना स्कूल-वर्दी पहनना अनिवार्य है ;

ख) क्या यह भी सच है कि यदि किन्हीं विशेष कारणों से बच्चे पूरी वर्दी में न हों तो उन्हें डंडों तथा बेंतों से पीटा जाता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उचित कारणों से कभी चूक होवे पर भी वही बर्ताव किया जाता है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि एंड्रूज़ गंज स्कूल में बच्चों को किसी भी आकस्मिक चूक के लिये पीटा जाता है चाहे माता-पिता ने इस आकस्मिक चूक का औचित्य लिखित रूप में ही क्यों न दे दिया हो,

(ङ) यदि हाँ, तो ऐसे बर्ताव का औचित्य क्या है ; और

(च) ऐसा किसी चूक के लिये माता-पिता से लिखित रूप में शिकायत न करने अथवा चेतावनी न देने और उचित परिस्थितियों में भी ऐसी चूक के लिये कोई छूट न देने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी, नहीं। प्रायः सभी विद्यार्थी निर्धारित वर्दी में ही आते हैं। भूल चूक करने वाले गिने-चुने विद्यार्थियों को वर्दी में ही आने के लिये समझा दिया जाता है। इसके अलावा यदि कोई विद्यार्थी स्कूल में नया आया हो, अथवा उसकी वर्दी तैयार नहीं हो अथवा किसी भी कारण से तुरन्त उपलब्ध न हो सकें, तो उसे छूट दे दी जाती हैं।

(घ) जी नहीं। अभी तक कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि ऐण्डूयज़ गंज के केन्द्रीय विद्यालय में किसी भी विद्यार्थी को आकस्मिक भूल के कारण पीटा गया हो।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) आकस्मिक भूल होने पर विद्यार्थियों को मौखिक चेतावनी दे दी जाती है और बार-बार लापरवाही करने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को लिखित रूप में सूचना भेजी जाती है ।

सिखिस्तान की मांग

6070. **श्री दी० चं० शर्मा : श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री वेणी शंकर शर्मा : श्री रणजीत सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिखिस्तान की मांग फिर से उठायी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ऐसी कोई माँग फिर से नहीं उठायी गई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सहायकों का स्थाईकरण

6071. **श्री दी० चं० शर्मा : श्री रणजीत सिंह :**
श्री वेणी शंकर शर्मा : श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से सहायक जो उस पद पर 15 वर्ष से अधिक अवधि से काम कर रहें हैं, अब भी स्थाई नहीं किये गये हैं और वे अपनी पारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या निकट भविष्य में इन लोगों के स्थायी किये जाने की कोई आशा है; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसे कर्मचारियों को शीघ्र स्थायी करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) और (ख) 30-9-1968 को 229 सहायक ऐसे थे जो उस श्रेणी में 15 वर्ष सेअधिक अवधि से काम कर रहे थे और स्थायीकरण की प्रतीक्षा कर रहे थे ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम 1962 में विभागीय पदोन्नत व्यक्तियों के स्थायीकरण के लिए 30-9-1968 को समाप्त होने वाली छः वर्ष की अवधि के लिये सहायकों की श्रेणी में मौलिक रिक्तियों के 50 प्रतिशत के कोटे की व्यवस्था थी और तत्पश्चात उनका कोटा घटाकर 25 प्रतिशत हो जाना था । स्थायीकरण की गति को तेज करने के लिए 50 प्रतिशत के बढ़े हुए कोटा की वैधता को 30-9-1968 से और आगे की अवधि के लिए बढ़ाने हेतु एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

पर्यटन का विकास

6072. **श्री सीता राम केसरी : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि भारत में पर्यटन के विकास के लिये भारत ने संयुक्त राष्ट्र सघ से सहायता माँगी है;

(ख) यदि हाँ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ से क्या सहायता माँगी गई हैं;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ इस मामले में भारत की सहायता करने को सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) पर्यटन विभाग ने सहायता माँगी है और संयुक्त राष्ट्र संघ निम्नलिखित सहायता देने के लिए सहमत हो गया है :—

(एक) देश में पर्यटन का एक सामान्य सर्वेक्षण;

(दो) शीतकालीन क्रीड़ाओं के एक विशेषज्ञ की सेवाएँ; और

(तीन) विशेष रूप से पर्यटन को दृष्टि में रखते हुए स्मारकों तथा सांस्कृतिक स्थानों का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए एक सांस्कृतिक पर्यटन विशेषज्ञ (यूनेस्को के माध्यम से)।

चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर खर्च

6073. **श्री सीताराम केसरी : श्री वि० ना० शास्त्री :**

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर कुल कितना खर्च होगा;

(ख) विभिन्न राज्यों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(ग) वे बड़ी योजनायें कौन सी हैं जिनके चौथी पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा चौथी पंचवर्षीय आयोजना के मसौदे पर विचार उसकी अगली बैठक में, जो 19-20 अप्रैल, 1969 को नई दिल्ली में होगी विचार किया जाएगा।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विमानों के डिजाइनों में परिवर्तन

6074. **ज्योतिर्मय बसु : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या उन्होंने 27 जनवरी, 1969 को नई दिल्ली में कहा था कि निर्माताओं द्वारा

विमानों के डिजायन में बार-बार परिवर्तन किये जाने के परिणामस्वरूप विकासशील देशों पर भार पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो डिजायन में इन परिवर्तनों के कारण भारत पर किस प्रकार और कहाँ तक प्रभाव पड़ा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने यदि कोई अनुवर्ती कार्यवाही करने की योजना बनाई है, तो वह क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) विमानों के डिजाइनों में उत्तरोत्तर तथा बहुल परिवर्तन के परिणामस्वरूप अधिकाधिक विमान अव्यवहार्य होते जाते हैं, और इसका एयरलाइन की लाभदायकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसी हानियों की मात्रा का अनुमान लगाना कठिन है।

(ग) हवाई कम्पनियों ने इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के सामने रखा हुआ है जो इस पर विचार कर रहे हैं।

पत्तनों का विकास

6075. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्रपार व्यापार में नौवहन हितों सम्बन्धी परामर्श समिति ने पत्तनों के विकास की योजनाओं तथा बड़े-बड़े पत्तनों पर नौवहन हितों के सम्बन्ध में होने वाली भारी कठिनाइयों पर विचार विमर्श किया था,

(ख) क्या नौवहन के क्षेत्र में तथा भाड़ा दरों "कान्फ्रेन्स प्रेक्टिसेज" के बारे में परामर्श व्यवस्था स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) समुद्रपार के व्यापार में नौवहन हितों की सलाहकार समिति ने 10 फरवरी 1969 को हुई अपनी चौदहवीं बैठक में पत्तन विकास से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं और उनकी परिचालन दक्षता को सुधारने के लिए विचार विमर्श किया।

(ख) और (ग) भारतीय नौवणिकों को बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, के तीन क्षेत्रीय संस्थाओं में सङ्गठित किया गया है जिनकी अखिल भारतीय नौवणिक परिषद नाम की एक शिखर संस्था है। भारत यू० के० महाद्वीप सम्मेलन इन संस्थाओं से पहले ही परामर्श लेते रहते हैं। तथापि भारत से यू० एस० ए० के पूर्वी तट को होने वाले निर्यात की धराउठाई करने वाले दो सम्मेलनों ने जनवरी 1969 में जब 10 प्रतिशत की वृद्धि की तो अखिल भारतीय नौवणिक परिषद की सलाह नहीं ली। तदनुसार समुद्र पार के व्यापार में नौवहन हितों की सलाहकार समिति ने अपनी पिछली बैठक में यह निर्णय किया कि इस मामले को अखिल भारतीय नौवणिक परिषद द्वारा इन सम्मेलनों के साथ उठाना चाहिए।

इसके बाद ही उसके पूर्व विरोध के उत्तर में अखिल भारतीय नौवणिक परिषद को इन

दो सम्मेलनों से पत्र मिले हैं कि में उन्होंने परिषद से सलाह न लेने के लिए खेद प्रकट किया है। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि यह अनवधान (ओवरसाइट) के कारण हुआ है। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने नौवणिक और प्रेषितियों के सङ्घों को सदा मान्यता दी है और व्यापार के बारे में विचार सीधे उनसे निश्चितरूप से जानने के लिए सदा तैयार रहे हैं।

दूसरे राज्यों की मोटर गाड़ियाँ रोकना

6076. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों में कुछ अधिकारियों ने अन्य राज्यों की मोटर गाड़ियों को रोकने की शक्तियाँ अपने में निहित की हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो मोटर गाड़ियों को रोकने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के परामर्श से ऐसा किया गया है ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

विदेशों के साथ सांस्कृतिक समझौते

6077. **श्री यशपाल सिंह :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में विदेशों के साथ कितने सांस्कृतिक करार किये गये;

(ख) वर्ष 1967-68 में भारत से कितने सांस्कृतिक शिष्टमण्डल विदेश गये और कितने विदेशी सांस्कृतिक शिष्टमण्डल भारत आये; और

(ग) जिन देशों के साथ हमारे कोई सांस्कृतिक सम्बन्ध नहीं हैं, उनके साथ सांस्कृतिक तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) कोई नहीं।

(ख) क्रमशः 24 और 40.

(ग) इस मंत्रालय का एक सांस्कृतिक कार्यकलाप कार्यक्रम है, जिसमें विदेशों में स्थित भारतीय राजदूतावासों की सिफारिशों पर, ऐसे देशों से सांस्कृतिक विनिमय शामिल है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, प्रतिनिधि मण्डलों, अभिनय, दलों, कलाकारों, विद्वानों, छात्रों, प्रदर्शनियों का आदान प्रदान तथा कलात्मक वस्तुओं तथा पुस्तकों की भेंट आता है।

Theft in National Museum in August, 1968

6078. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no clue has so far been found in regard to the theft of valuable coins from the National Museum in August, 1968 ;

(b) whether Government have also announced a reward for finding out the clue of the said theft and, if so, the amount of the said reward ; and

(c) the action taken in this regard so far ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) No, Sir. Out of the 125 items of jewellery and 32 pieces of gold coins, stolen from the National Museum in August, 1968, 106 items of jewellery and 1,200 grams of gold, suspected to be melted out of the stolen coins and some of the jewellery, have already been recovered.

(b) A reward of Rs. 25,000 was announced by Government to be given to the persons who have information leading to the recovery of the stolen objects.

(c) Three persons, accused of the theft namely Yadagiri, Abdul Hamid alias Chennapayya and Raju have since been convicted. The reward of Rs. 25,000 has since been given to 10 members of the public and 29 Police Officers.

Re-employment of Class I Officers

6079. **P. L. Barupal** : Will the Minister of **Home Affairs** be *pleased to state* :

(a) the number of Class I officers who are more than 60 years of age and who have been taken on re-employment even though they do not possess technical qualifcations; and

(b) how long Government propose to keep them in employment ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): (a) According to the information available with the Ministry of Home Affairs there are 17 Class I Officers of Central Services (both technical and non-technical) who are still in service beyond the age of 60 years on re-employment contract basis as on 1st April, 1969.

(b) The period of re-employment varies from one officer to another. The dates pto which the Officers have been granted re-employment range from 18th April, 1969 to 22nd August, 1971.

Extension of Service to C. B. I. Officials

6080. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of officials of the Central Bureau of Investigation who have been granted extension of service ;

(b) whether it is a fact that they have been granted this extension so as to enable them to complete the cases pending with them at present ;

(c) whether Government have fixed any time-limit for the completion of those cases ; and

(d) if so, the duration thereof and the number of officials who have been granted extension of service in this way ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) Apart from cases of re-employment, at present there is only one officer who has been granted extension in service *inter-alia* on the ground that he is engaged in the investigation of a very important case.

(c) and (d) No time-limit has been fixed nor is it possible to prescribe a time-limit as the completion of investigation depends on a number of factors, all of them not within he control of the Investigating Officer. In the past there has been one more instance of extension to complete urgent work in connection with investigation of important cases.

Expansion of National Museum

6081. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the scheme of expansion of the National Museum has been shelved and all the exhibits are found scattered hither and thither and outside the building ; and

(b) if so, the reasons therefor and the time by which the said scheme would be taken up ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R.V. Rao) : (a) and (b) No, Sir. All the exhibits are properly housed. The proposals for construction of the second phase of the National Museum building and for providing air-conditioningin the present building of the Museum have been included in the development programme of the National Museum to be implemented during the Fourth Five Year Plan period.

Formation of Vishal Haryana

6082. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received a proposal in which a demand has been made to include some parts of Rajasthan in Vishal Haryana proposed to be formed ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Model Recruitment Rules for Hindi Officers

6083. **Shri Arjun Singh Bhadoria : Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry has framed model recruitment rules regarding appointment to the post of Hindi Officers and asked all the Ministries to follow them ;

(b) if so, whether there is a provision for promotion to the higher posts on proportionate basis besides departmental examinations in the said rules ;

(c) if so, the percentage thereof ;

(d) if not, the reasons for this discrimination ;

(e) whether it is also a fact that interview has been made compulsory after this departmental examination ;

(f) if so, whether interview has also been made compulsory for other equivalent posts ; and

(g) if not, the reasons for this discrimination ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. A copy of the Recruitment Rules is laid on the Table of the House.

(**Placed in Library. See No. LT**-712/69).

(c) Does not arise.

(d) There is no common cadre of Hindi Officers or of officers from amongst whom selection for the posts of Hindi Officers would be made. The Rules, as framed, provide for equal opportunities to all eligible candidates for being considered for appointment.

(e) In the case of selection for Hindi Officers in the Scale of Rs. 350-900, interview has been made compulsory after the written test. (only those who qualify in the test will, however, be summoned for interview).

(f) Yes, Sir, wherever considered necessary.

(g) Does not arise.

अन्तर्राज्यीय मार्गों पर यात्री यातायात के एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर मोड़ने की कसौटी पर पुर्नविचार

6084. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क परिवहन सम्बन्धी स्थायी समिति ने हाल में अन्तर्राज्यीय मार्गों पर यात्री यातायात को एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर मोड़ने की कसौटी पर पुर्नविचार किया है, और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) जी हाँ।

(ख) स्थाई समिति ने नोट किया है कि बहुत सी राज्य सरकारों ने अपने आपस में अपने पड़ोसी राज्यों के साथ निकटतम राज्यों के बीच यातायात की गाड़ियों के चलाने की व्यवस्था की हुई है। जहाँ तक उनमें दिये गये यातायात को विभाजन के आधार का सम्बन्ध है, ये करार सन्तोषजनक पाये गये हैं। केवल संघ राज्य क्षेत्रों ने दिल्ली की तरह अन्त: राज्य यातायात में हिस्से लेने के लिये सड़क मील-दूरी सिद्धान्त पर आपत्ति की है। इसी संदर्भ में स्थायी समिति इस बात पर सहमत हुई की अन्त: राज्य के रास्तों पर यात्री यातायात के विभाजन के लिये पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्रालय एक लेख में मुख्य सिद्धान्तों को निश्चित कर दें। इस विषय में दो राज्यों के बीच के वर्तमान करार कार्यकरण के अनुभव को दृष्टि में रखा जाये। इस विषय में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

राष्ट्रीय पुरस्कार

6085. श्री सु० कु० तापड़िया : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण किया गया है, तब से अब तक कुल कितने राष्ट्रीय पुरस्कार दिये गये हैं; और

(ख) उनमें से कितने पुरस्कार वर्तमान तथा भूतपूर्व सिविल अधिकारियों और सरकारी अथवा अर्ध सरकारी संगठनों तथा संस्थाओं के वर्तमान तथा भूतपूर्व सिविल कर्मचारियों को दिये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अनुमात: सदस्य महोदय का आशय गणतन्त्र दिवसों पर दिये गये पद्म पुरस्कारों से है। अब तक दिये गये ऐसे पुरस्कारों की कुल संख्या इस प्रकार हैं :—

भारत रत्न	14
पद्म विभूषण	44
पद्म भूषण	292
पद्म श्री	400
जोड़	750

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभापटल पर रख दी जायगी।

पुलिस स्टेशनों में वायरलैस की व्यवस्था करना

6086. **श्री सु० कु० तावड़िया : श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी पुलिस स्टेशनों में वायरलैस की व्यवस्था करने की योजना पर उनका मन्त्रालय विचार कर रहा है;

(ख) क्या इन पुलिस स्टेशनों को केन्द्र के राष्ट्रीय ग्रिड से सम्बन्ध करने का भी विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस योजना की क्रियान्विति में कितना समय लगेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया गया है कि पुलिस के लिए संचार सुविधाओं में सुधार करने के लिए देश के प्रत्येक थाने में एक स्थिर वायरलैस सैट लगाने के चरम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव भेजे जाये। इस योजना को किस हद तक कार्यान्वित किया जाता है यह राज्य सरकारों को निश्चित करना है।

दिल्ली में पर्यटकों के लिये अतिरिक्त बसें

6087. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पर्यटक विकास निगम का विचार पर्यटकों के लाभ के लिये दिल्ली में 50 अतिरिक्त बसें उपलब्ध करने का है;

(ख) दिल्ली में पर्यटकों के लिये कितनी बसों की आवश्यकता है;

(ग) पर्यटकों के लिये अधिक बसों की आवश्यकता को किस प्रकार पूरा करने का प्रस्ताव है; और

(घ) अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये क्या-क्या अन्य सुविधायें देने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) दिल्ली में दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए भारत पर्यटन विकास निगम 7 कोचें चलाता है, जिनमें से दो वातानुकूलित हैं और दिल्ली परिवहन 6 कोचें चलाता है जिनमें से एक वातानुकूलित है।

(घ) दिल्ली और उसके आस-पास के दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से उपस्कर तथा सेवाओं के स्तर में सुधार करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। एक पर्यटक स्वागत केन्द्र के निर्माण करने का भी प्रस्ताव है जहाँ कि पर्यटकों के लिए सूचना, आरक्षण, परिवहन, इत्यादि, जैसी सम्मिलित सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी।

दिल्ली के लिये धन

6088. **श्री हरदयाल देवगुण : श्री बं० कृ० दासचौधरी :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र के लिए 23.4 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से दिल्ली प्रशासन को चालू वर्ष में केवल 4 करोड़ रुपये की राशि दी गई है;

(ख) शेष राशि का भुगतान कब तक किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) शेष राशि के भुगतान न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान्। योजनागत परियोजनाओं पर व्यय के लिये दिल्ली प्रशासन के 1968-69 के संशोधित प्राक्कलनों में 23.78 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये थे। चूँकि दिल्ली प्रशासन का सम्पूर्ण व्यय केन्द्रीय सरकार के बजट का एक भाग है अतः दिल्ली प्रशासन को कोई भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में अश्लील साहित्य की बिक्री

6069. **श्री देवेन सेन : श्री राम गोपाल शालवाले :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अश्लील साहित्य की बिक्री दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सिवाय इसके कि पुलिस द्वारा पकड़े गये अश्लील साहित्य की मात्रा में वृद्धि हुई है, सरकार के पास यह बताने के लिए कोई सूचना नहीं है कि दिल्ली में ऐसे साहित्य की बिक्री दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी बरती जा रही है।

साप्ताहिक "मशरिक" पर प्रतिबन्ध

6090. **श्री देवन सेन** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन से प्रकाशित होने वाले "मशरिक" नामक उर्दू साप्ताहिक पत्र के भारत में आने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) इस साप्ताहिक में प्रतिकूल सूचनायें होने के कारण भारतीय रक्षा नियम के नियम 45 के अन्तर्गत 19

अक्तूबर, 1965 को एक आदेश निकाला गया था। आपात की उद्घोषणा 10 जनवरी, 1968 को रद्द हो गयी थी।

चण्डीगढ़ तथा भाखड़ा के बारे में निर्णय

6091. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान मुख्य मन्त्री पद का कार्यभार सँभालने के बाद पंजाब के मुख्य-मन्त्री के उस कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जिसमें चण्डीगढ़ तथा भाखड़ा के बारे में निर्णय न कर पाने के कारण प्रधान मन्त्री की आलोचना की गई है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में पंजाब के मुख्य मन्त्री ने कोई पत्र भेजा है;

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रधान मन्त्री इस सम्बन्ध में कब तक अपना निर्णय दे देंगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) सरकार ने एक प्रेस रिपोर्ट देखी है जिसके अनुसार बताया जाता है कि पंजाब के मुख्य मन्त्री ने कहा कि केन्द्र इस विवाद पर जानबूझ कर किसी न किसी बहाने से देर कर रही है। उनसे प्राप्त बाद के एक पत्र में उन्होंने अनुरोध किया है कि केन्द्रीय सरकार को आगे की कार्यवाही तत्काल आरम्भ करनी चाहिये और इन विवादों का तीन या चार महिनों में निर्णय कर देना चाहिये।

(घ) मध्यस्थता का प्रस्ताव केवल तभी प्रगति कर सकता है जब सम्बन्धित सरकारों के बीच समझौता हो किन्तु इस समय ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है।

Anand Marg

6092. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have ascertained as to the objects and organisational setup of Anand Marg ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ;

(c) whether it is a fact that its organisers, supporters and helpers include a large number of high Government officers of various States,

(d) if so, whether there is no restriction on Government Officials joining such an organisation ;

(e) if so, the reasons therefor ;

(f) whether Government have received complaints about the Anand Margis misleading and taking young people away to their camps ; and

(g) if so, the steps taken or proposed to be taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The Anand Marg claims to be a spiritual movement. However, according to information furnished by some State Government's the Anand Marg is involved in the political issues facing the country. Also a great deal of secrecy characterises the functioning of the Anand Marg.

(b) The activities of the Anand Marg are being kept under a close watch.

(c) The Governments of Punjab, Mysore, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, Bihar and the Union Territories of Delhi and Tripura have reported that some Government officials are associated with the Anand Marg.

(d) and (e) The Government of Andhra Pradesh had advised the Government servants to dissociate themselves from the Anand Marg. The Government of Orissa have stated that although there is no general restriction on Government officials in respect of membership of the Anand Marg, they have issued instructions restricting police officers from joining the Anand Marg. In other States and Union Territories, no restrictions have been imposed on Government servants.

The question whether membership of the Anand Marg should be prohibited for Central Government employees under sub-rule (1) of rule 5 of the Central Services (Conduct) Rules, 1964, is under consideration.

(f) and (g) The Government of Rajasthan had received one complaint about a student having been enticed by the Anand Margis. On inquiry, the complaint was found to be incorrect.

Arrest of Former General Manager of Golcha Properties (Private) Ltd. Delhi

6092. **Shri Shiv Kumar Shastri :** **Shri D. C. Sharma :**
Shri Ranjit Singh : **Shri Hardayal Devgun :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the reasons for the arrest of the former General Manager of the Golcha Properties (Private) Limited, Delhi and his son ;

(b) the progress made so far in the police enquiry aginst the persons concerned ; and

(c) the time by which the police is likely to file suits against them in the Court ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) They were arrested in connection with a case registered against them under sections 420/406/477/A/120B I.P.C., by Delhi Police.

(b) and (c) The investigation of the case is likely to be completed shortly.

आंध्र तथा तेलंगाना के नेताओं के बीच अलिखित करार की क्रियान्वित

6094. **श्री एम० नारायण रेड्डी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1956 में आन्ध्र प्रदेश राज्य के बनाये जाने के समय आन्ध्र तथा तेलंगाना के नेताओं के बीच किस पृष्ठ भूमि में तथा किन परिस्थितियों में प्रतिष्ठा के आधार पर करार हुआ था;

(ख) प्रतिष्ठा के आधार पर हुए इस करार की सही शर्तें क्या थीं; और

(ग) इस करार की क्रियान्विति का कार्य किस तंत्र अथवा सङ्गठन को सौंपा गया था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) यद्यपि राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की थी कि सन् 1961 में या इसके आस-पास होने वाले आम चुनाव के बाद हैदराबाद के अवशिष्ट राज्य को आन्ध्र से मिला दिया जाय, किन्तु तेलंगाना क्षेत्र के निर्वाचित हैदराबाद विधान मण्डल के अधिकांश सदस्यों ने एक बड़े तेलगु-भाषी राज्य के तुरन्त सृजन के पक्ष में अपना मत व्यक्त किया। एक बड़े तेलगु-भाषी राज्य के निर्माण

की दशा में सांक्रांतिक प्रावस्था के दौरान तेलंगाना के वैध हितों के संरक्षण के लिए 20 फरवरी, 1956 को आन्ध्र व तेलंगाना के नेताओं के बीच एक करार हुआ था। इसके बाद आन्ध्र व तेलंगाना के नेताओं के बीच कई बार बात-चीत हुई थी और तेलंगाना क्षेत्र के लिए प्रस्तावित संरक्षण की एक प्रायोजना तैयार की गई थी। प्रस्तावित संरक्षणों का एक विवरण अल्प सूचना प्रश्न संख्या 8 के उत्तर में 10 अगस्त, 1956 को सदन के सभा पटल पर रखा गया था। संरक्षणों में से एक तेलंगाना क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय समिति के गठन से सम्बन्धित था। इस समिति के गठन के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 (1) में व्यवस्था की गई, जिसे संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था और इस उपबन्ध के अनुसरण में तेलंगाना क्षेत्र के लिए आन्ध्र प्रदेश विधान-सभा को एक क्षेत्रीय समिति का गठन किया गया था। यह, आन्ध्र प्रदेश क्षेत्रीय समिति आदेश, 1958 के अनुसार 1 फरवरी, 1958 से कार्य कर रही है। इस आदेश के पैरा 10 के अधीन आदेश के अनुसार क्षेत्रीय समिति के उचित कार्य को सुनिश्चित करना राज्य-पाल का विशेष उत्तरदायित्व है। अधीनस्थ सेवाओं की भरती के मामले में तेलंगाना क्षेत्र के लिए पाँच वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित अस्थायी संरक्षणों की, लोक नियोजन (निवास सम्बन्धी अपेक्षा) अधिनियम, 1957 और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों द्वारा व्यवस्था की गई थी। विवरण में निर्धारित अन्य संरक्षणों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को उनके कार्यान्वयन के लिए उचित कदम उठाने का परामर्श दिया गया था।

आसनसोल में नेगा हवाई अड्डे के लिए अर्जित की गई भूमि

6095. **श्री देवेन सेन** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्दवान सब-डिविजन में आसनसोल में नेगा हवाई अड्डे के लिए लगभग 600 एकड़ भूमि की आवश्यकता थी और 1942 में उसका आंशिक रूप में अर्जन कर लिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि न तो भूमि का मूल्य ही दिया गया है और न ही अर्जन किये जाने का कोई प्रतिकर दिया गया है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा भूमि पर सरकार के अधिकार की अवधि के लिये भूमि के मालिकों को उसका मूल्य अथवा प्रतिकर देने के लिये कोई आदेश जारी किया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) पश्चिमी बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, आसनसोल (निंगा) हवाई अड्डे के विस्तार के लिये 1941-43 में कुल 2360.949 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। केन्द्रीय सरकार ने 1941-48 की अवधि में इस कुल क्षेत्र में से 523.72 एकड़ भूमि का अभिग्रहण किया। भूस्वामियों को 437.57 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में मुआवजा अभी दिया जाना है। केन्द्रीय सरकार ने भूमि के उपयोग से वंचित करने के बदले मुआवजा प्रदान करने तथा मूल भू-स्वामियों को भूमि के प्रति हस्तान्तरण के आदेश 11 अक्तूबर, 1954 को जारी किये। राज्य सरकार ने सूचित किया कि 'परिसम्पत्ति अभिग्रहण अधिनियम' के घोषित किये जाने के परिणामस्वरूप समस्त हितों का पूर्ण

प्रति-हस्तान्तरण सम्भव नहीं था। राज्य सरकार के माध्यम से भूमि मे प्रति-हस्तान्तरण की शर्तों पर विचार किया जा रहा है।

कराची के निकट विशाल नीली व्हेल मछली के कंकाल का पाया जाना

6096. डा० सुशीला नैयर : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 फरवरी, 1969 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुए इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि कराची के निकट एक विशाल नीली व्हेल मछली का कंकाल पाया गया है जो इस महाद्वीप में वर्ष 1879 से अब तक पाये गये कंकालों में सबसे बड़ा हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसकी सरकार द्वारा जाँच की गई है; और

(ग) तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने कराची में पायी गयी इस व्हेल मछली विशेष की जाँच नहीं की है।

1879 से, भारतीय समुद्री तटों से पायी जाने वाली नीली व्हेल मछली-बालेनोप्टेरा मलाशय वस्तिका (लिन) के बहुत से रिकार्ड पाए गए हैं जिनमें से कम से कम दो को कराची की वर्तमान व्हेल मछली की अपेक्षा विशाल होना बताया गया है। इन दो नमूनों की तारीखें, स्थान तथा लम्बाई नीची दी गई है :—

(1)	मार्च, 1939	मुलवेल ओरवामण्डल (गुजरात)	79 फुट
(2)	मई, 1951	उमरगाम (बम्बई से 100 मील दूर)	74 फुट

एक अन्य व्हेल मछली—94 फुट नमूने की और भारतीय तट की बताई गयी विशालतम व्हेल नवम्बर, 1927 में चेराई (कोचीन, केरल) में धँसी हुई पायी गयी थी परन्तु उसकी विशिष्ट पहचान मालूम अथवा स्थापित नहीं हुई है।

भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता की जीव-विज्ञान-वीथियों में नीली नस्लों की व्हेल मछलियों के कंकाल हैं।

मनीपुर राज्य परिवहन के कर्मचारी

6097. श्री एम० मेघचन्द्र : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर राज्य परिवहन के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी हैं;

(ख) कितने नियमित कर्मचारियों के स्थायिवत अथवा स्थायी घोषित किया गया है; और

(ग) कितने कर्मचारी अभी तक नैमित्तिक अथवा प्रभारी कर्मचारी हैं और कितने नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित किया गया है ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) 667

(ख) 320 कर्मचारियों को स्थायी कर दिया गया है।

(ग) 212 नैमित्तिक कर्मचारियों को सेवा में नियमित कर दिया गया है और 7 नैमित्तिक लिपिक अभी भी रहते हैं।

मनीपुर राज्य परिवहन के कर्मचारी संगठन को मान्यता देना

6098. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर राज्य परिवहन प्राधिकार ने किसी कार्मिक संघ को मान्यता प्रदान की है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका आधार क्या है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो मान्यता प्रदान न किये जाने के क्या कारण है ?

संसद कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) मनीपुर प्रशासन के अनुसार, मनीपुर प्रशासन परिवहन मजदूर संघ को 31-7-1961 को मान्यता दी गई थी क्योंकि उस तारीख को वही एक मात्र मजदूरों का संघ था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

मनीपुर सरकार द्वारा अप्रयुक्त धन का वापस किया जाना

6099. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 के आय-व्ययक में मनीपुर के लिये नियत धन राशि में से मनीपुर सरकार द्वारा अप्रयुक्त राशि तथा इसके कारण वापस की गई धन राशि का विभागवार व्यौरा क्या है;

(ख) क्या मनीपुर सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये कि कुछ भी राशि अप्रयुक्त नहीं रहे, कोई कार्यवाही की थी; और

(ग) यदि हाँ, तो बड़ी मात्रा में धनराशि के वापस किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मनीपुर सरकार ने 1968-69 के लिए 18.03 करोड़ रुपये के कुल बजट प्रावधान में से 44.88 लाख रुपये की राशि, अर्थात् 2.5 प्रतिशत, अप्रयुक्त राशि के रूप वापस किये हैं। वापस की गई राशि के विभाग-वार व्यौरे संलग्न विवरण में बताये गये हैं [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 713/69]

(ख) जी हाँ, श्रीमान्।

(ग) धनराशि वापस करने के लिए बताये गये कारण मोटे तौर पर ये हैं :—

(1) तकनीकी व्यक्तियों के उपलब्ध न होने के कारण पदों का रिक्त रहना;

(2) यात्रा-भत्ते तथा दैनिक भत्ते पर खर्च में मितव्ययता,

(3) आकस्मिक प्रकार की सामग्री का न खरीदा जाना;

(4) भूमि-अधिग्रहण कार्यवाही (बाढ़ नियंत्रण) को अन्तिम रूप न दिया जाना; और

(5) पूर्वानुमानित हद तक लघु सिंचाई, बिजली योजनाओं तथा भवनों जैसे सार्वनिक निर्माण-कार्य आरम्भ न करना।

इम्फाल में मेइती लिपि सम्बन्धी गोष्ठी तथा मेहती मायक संबंधी सम्मेलन

6100. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सही मेइती लिपि का पता लगाने के सम्बन्ध में हाल में इम्फाल में मेइती सम्बन्धी एक गोष्ठी तथा एक मेइती मायक सम्मेलन हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो उन दोनों के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) 'मैती लिपि' और 'मैती मायक' के सम्बन्ध में इम्फाल में तथाकथित हुए सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में, इस मंत्रालय के पास कोई अधिकृत सूचना नहीं है।

मनीपुर के स्कूलों में सहायक मुख्य अध्यापकों के वेतन मानों का पुनरीक्षण

6101. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीपुर के हाई स्कूलों तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के सहायक मुख्याध्यापकों के वेतन मानों में पुनरीक्षण करना अथवा उन्हें विशेष भत्ता देना मंजूर कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मनीपुर सरकार ने उनके वेतन मानों में पुनरीक्षण करने अथवा वेतनमानों में पुनरीक्षण करने के स्थान पर विशेष भत्ता देने का कोई प्रस्ताव केन्द्र की मंजूरी के लिये भेजा है; और

(घ) यदि हाँ, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ) मनीपुर के उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के सहायक मुख्य अध्यापकों के पद का वेतन-मान, असम पद्धति के अनुसार पहली अप्रैल, 1964 से 200-। 2-5-250- व० रो० -/250-275-। 15-350-/ पहले ही संशोधित किया जा चुका है। इस वेतन मान के पुनरीक्षण के लिए कोई और प्रस्ताव इस समय केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली नगर निगम को राजस्व से अतिरिक्त हिस्सा तथा अतिरिक्त अनुदान

6102. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली प्रशासन की इस प्रार्थना को ठुकरा दिया है कि दिल्ली नगर निगम को राजधानी के राजस्व में से अतिरिक्त हिस्सा तथा अतिरिक्त अनुदान दिया जाये;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या माँगे की गई थी; और

(ग) इस प्रार्थना को ठुकराने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार से कोई ऐसी प्रार्थना नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विमान यात्रियों की सीमा शुल्क तथा अन्य औपचारिकताओं संबंधी प्रक्रिया में सुधार

6103. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विमान यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर आने से पहले सीमा शुल्क तथा अन्य औपचारिकतायें पूरी करने में बहुत समय लगता है; और

(ख) क्या जम्बो किस्म के विमानों का, जिनमें बड़ी संख्या में यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है, प्रयोग आरम्भ करने के सरकार के निर्णय को ध्यान में रखते हुए वर्तमान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना उचित समझा गया है ताकि नये विमानों का प्रयोग आरम्भ किये जाने तक यह व्यवस्था पूर्णतया सुव्यवस्थित हो जाये और बदलते हुए समय की आवश्यकताओं को पूरी कर सके ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) सीमा-शुल्क निकासी (कस्टम्स क्लीयरेंस) तथा अन्य प्रवेश विषयक औपचारिकताओं के विषय में व्यवस्था का निरन्तर पुनरालोकन किया जाता है, तथा सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए जहाँ कहीं संभव हो पाता है इस व्यवस्था से संबंधित क्रिया-विधि को सरल बनाने का प्रयत्न किया जाता है।

(ख) जी, हाँ। एक उच्च स्तरीय अंतर्विभागीय सरलीकरण समिति (फैसिलिटेशन कमेटी), जिसके कि नागर विमानन के सचिव अध्यक्ष हैं तथा जिसमें सीमा-शुल्क, आप्रवास, स्वास्थ्य तथा नागर विमानन विभाग के वरिष्ठ प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, सरलीकरण के विभिन्न नीति विषयक पहलुओं पर विचार कर रही है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात की, जो कि जम्बो जेट चालू हो जाने के बाद बहुत बढ़ जायेगा, शीघ्रतर निर्बाधगति (क्लीयरेंस) की व्यवस्था की जा सके।

Lounges for V. P. Is. and Legislators at Airports

6104. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are separate lounges for V. I. Ps. and Legislators at all the airports in the country ;

(b) if so, the status of persons included in the category of V. I. Ps. ;

(c) whether it is also a fact that Members of Parliament are not considered V. I. Ps. for this purpose ;

(d) if so, the reasons therefor ;

(e) whether Government propose to include Members of Parliament and Legislators in the category of V. I. Ps. by amending the rules in this regard ; and

(f) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir At Palam, however, apart from the reserved lounges, there is a ceremonial lounge, the use of which is restricted.

(b) and (c) No list of V. I. Ps. has been drawn up for the purpose except recently in the case of the reserved lounges at Palam airport, as per statement laid on the Table of the House. [**Placed in Library. See LT**-714/69]. Reserved lounges at all aeordromes are also made available to Members of Parliament.

(d) to (f) Do no arise.

Night Service arrangements at Civil Aerodromes

6105. **Shri Ramavtar Shastri :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the total number of civil aerodromes in India ;

(b) the number, out of them of those where there are arrangemets for the night service ;

(c) their names ; and

(d) the reasons for which the arrangements for the night service have not been made in the remaining civil aerodromes ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) There are 85 aerodromes under the control of the Civil Aviation Department.

(b) and (c) Arrangements exist for operation of night services by Indian Airlines at the following fourteen aerodromes :

Santa Cruz (Bombay), Ahmedabad, Nagpur, Bhopal, Agartala, Dum Dum (Calcutta), Palam (Delhi), Jaipur, Lucknow, Madras, Madurai, Hyderabad (Begumpet), Tiruchirapalli and Trivandrum.

(d) Night landing facilities, which involve considerable expenditure, are provided at an aerodrome on request from operators and subject to the availability of funds and the suitability of the aerodrome for night operations.

चण्डीगढ़ तथा संबंधित मामलों पर मध्यस्थता

6106. **श्री मधु लिमये :** **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के मुख्य मंत्री ने चण्डीगढ़ के विवादग्रस्त प्रश्न तथा अन्य सम्बन्धित मामलों को मध्यस्थ निर्णय को सौंपने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या मध्यस्थता के आधार स्वरूप मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) इन विवादों

को हल करने के लिए पंजाब के मुख्य मंत्री ने मध्यस्थ निर्णय का सुझाव दिया था किन्तु संबंधित सरकारों के बीच समझौता न होने के कारण इस प्रस्ताव पर कोई प्राप्ति नहीं हो सकी।

राज्यों द्वारा जारी की गयी लाटरियों में धोखेबाजी

6107. **श्री क० लकप्पा : श्री ए० श्रीधरन :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है कि कुछ राज्यों ने अपनी लाटरी योजना के अन्तर्गत इनाम जीतने वालों को छोटी राशि के इनाम न देकर जनता को धोखा दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इन शिकायतों की जांच की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सरकारी लाटरियाँ निकालने वाली 7 राज्य सरकारों में से हरियाणा, केरल, पंजाब, तमिल नाडु तथा पश्चिम बंगाल सरकारों ने सूचित किया है कि ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकारों के उत्तर प्राप्त होने पर सदन के सभा-पटल पर रख दिये जाएंगे।

राज्यपालों की नियुक्ति के लिये विधान

6108. **श्री क० लकप्पा : श्री ए० श्रीधरन :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करने के बारे में कोई योजना अथवा विधान सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बालकों के अपहरण के लिये दण्ड

6109. **श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री गणेश घोष :**
श्री क० रमानी : श्री के० एम० अब्राहम :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपहरण के अपराध पर कड़ी से कड़ी सजा देने के लिये सरकार का विचार आपराधिक विधि में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो अपराधियों द्वारा बच्चों पर किये जाने वाले अमानुषिक अत्याचार को रोकने के लिये यदि कोई वैकल्पिक प्रस्ताव है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) अपहरण के अपराध के लिये भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363/363-क के अन्तर्गत पहले ही दण्ड की व्यवस्था है। ऐसे अपराधों के लिये न्यूनतम दण्ड नियत करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

मध्य प्रदेश में नर बलि

6110. **श्री देवेन सेन : क्या गृह-कार्य मंत्री मध्य प्रदेश में नर-बलि के बारे में** 21 फरवरी, 1969 **के अतारांकित प्रश्न संख्या** 637 **के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या राज्य सरकार से तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वे सभा पटल पर रखे जायेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला रायपुर में देवभोग पुलिस थाने के क्षेत्र में गांव टिकरापाड़ा का एक सात वर्षीय बच्चा 17 नवम्बर, 1968 को समीप के गांव खुटगांव में साप्ताहिक बाजार (हाट) के लिए गया था। वह घर वापिस नहीं लौटा। इस सम्बन्ध में पुलिस थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 23 नवम्बर 1968 को खुटगांव से लगभग एक मील की दूरी पर एक स्थान से उसकी हड्डियां व कपड़े मिले। लगभग 25 रुपये के मूल्य के चांदी के दो कड़े उसके शव से गायब पाये गये थे। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/394 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया है और जांच-पड़ताल की जा रही है। अभी तक कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि बच्चे की हत्या उसके कड़े लूटने के उद्देश्य से की गई थी। ऐसा अनुमान लगाने के लिए कोई आधार नहीं है, कि उसकी किसी देवता पर बलि चढ़ाई गई थी।

Commissions for Settling Inter-State Disputes

Shri Onkar Lal Berwa : Shri Nitiraj Singh Chaudhary :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the Commissions appointed by his Ministry since 1947 for settling Inter-State disputes and the details of their recommendations which had been accepted by the Central Government ;

(b) whether the appointment of these Commissions has been a source of encouragement to the difference of opinion and competitive feelings between the States and to the disruptive tendencies in the country ; and

(c) whether these things would be kept in view before appointment oı Commissions in future ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Sri Vidya Charan Shukla) : (a) A satement laid on the Table of the House.

(b) No Sir.

(c) Does not arise.

Statement

Adjustment of boundaries between Andhra and Madras

The Chief Ministers of Madras and Andhra had agreed in December 1956 that Shri H. V. Pataskar should mediate in the dispute regarding the adjustment of the boundaries between the two States. The recommendations made by Sri Pataskar were accepted

and the Madras and Andhra Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1959 was enacted on that basis.

Adjustment of boundaries between Bihar and Uttar Pradesh

In May, 1962 Shri C. M. Trivedi was appointed as an Arbitrator in the dispute between the Bihar and Uttar Pradesh Governments on the question of having a fixed boundary between the districts of Shahabad (Bihar) and Ballia (Uttar Pradesh) and the districts of Saran (Bihar) and Ballia (Uttar Pradesh). The recommendations made by Shri Trivedi were accepted and on that basis Parliament enacted the Bihar and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1968.

Maharashtra-Mysore and Mysore-Kerala boundary disputes

Shri Mehr Chand Mahajan, former Chief Justice of India, was appointed as a One-Man Commission to go into these disputes. The recommendations made by this Commission are under consideration.

कांडला पत्तन में नौवहन

6112. **श्री देवकी नन्दन पोटोदिया :** क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्यान्नों के आयात में कमी होने के कारण कांडला पत्तन में नौवहन काफी घट गया है,

(ख) यदि हाँ, तो पिछले 6 महीनों के दौरान नौवहन में कितनी कमी हुई है, और

(ग) इस पत्तन की क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

संसद कार्य, विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) पिछले वर्षों की तुलना में कांडला पत्तन से होकर जाने वाले यातायात में गिरावट आई है। यह देश में खाद्यान्न आयात में गिरावट के कारण है और कांडला से पेट्रोल के आयात में गिरावट के कारण भी हैं।

(ख) फरवरी 1969 में अंत होने वाले 6 महीने में पत्तन धराउठाई यातायात 8,99,849 टन था जिसमें 1,99,450 टन खाद्यान्न था। जबकि गत वर्ष के संगत अवधि में यह राशि 12,53,539 टन थी (जिसमें 5,21,423 टन खाद्यान्न था)।

(ग) पत्तन अधिकारी विभिन्न व्यापार हितों से संपर्क बनाये हुए हैं और उनको उपनगरी और पत्तन पर उपलब्ध सुविधाओं से अवगत करा रहे हैं ताकि वे इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। पत्तन सुविधाओं से सम्बद्ध साहित्य को वाणिज्यिक हितों में व्यापक रूप से प्रसारित किया जाता है। पत्तन पर आने वाले जहाजों का कार्यक्रम भावी प्रयोक्ताओं की भी अग्रिम रूप में पत्तन प्रसारित करता है। यह आशा की जाती है कि अगले वर्ष कांडला का बड़ी लाइन से सम्पर्क पूरा हो जाने पर और कांडला को अहमदाबाद से मिलाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के चालू हो जाने के बाद पत्तन के यातायात में सुधार हो जाएगा।

Playing of National Anthem

6113. **Shri Shiv Charan Lal :** **Shri Ram Singh Aya :**
Shri G. C. Dixit : **Shri K. M. Madhukar :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the lack of discipline shown at public places and cinema-houses at the time of playing the National Anthem ;

(b) if so, the reaction of Government thereto so as to maintain the respect for National Anthem ; and

(c) whether Government propose to bring any legislation therefor and, if so, when ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy) :

(a) and (d) Generally people stand up and observe proper decorum when the National Anthem is played at public places and cinema-houses. However, complaints have been received from time to time of lapses in this matter on the part of cinema audiences. Some time ago the Minister for Information and Broadcasting issued an appeal to the cinema exhibitors to ensure that proper decorum is maintained by the audiences when the National Anthem is played.

(c) It is proposed to undertake legislation as soon as possible to penalise over acts of insult to the National Anthem.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही

6114. **श्री भोगेन्द्र झा : श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों की संख्या क्या है जिन्हें 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल के कारण अब तक नौकरी पर वापस जाने की अनुमति नहीं दी गई है, जिन पर मुकदमा चलाया जा रहा है अथवा अन्य ढंग से दण्ड दिया गया है; और

(ख) रेलवे, डाक व तार तथा अन्य विभागों के बारे में उनकी पृथक-पृथक संख्या क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) पूछी गई सूचना एकत्रित की जा रही है तथा यथाशीघ्र सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रों के विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही

6115. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाँच समिति की नियुक्ति के बाद बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के किसी छात्र के विरुद्ध कोई अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही कितने छात्रों के विरुद्ध की गई ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय में हाल ही के दंगों में भाग लेने के आरोपों की जाँच होने तक एक अनुसंधान विद्यार्थी को मुअत्तल कर दिया गया है ।

शिव सेना का आन्दोलन

6117. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिव सेना द्वारा किये गये आन्दोलन के समय, जब अग्निकाण्ड और गुण्डागर्दी चल रही थी, बम्बई में केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति तथा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिये सीमा सुरक्षा बल और सैंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों और सम्पत्ति की रक्षा करने के लिये सीमा सुरक्षा बल और सैन्ट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स ने क्या कार्यवाही की थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् । फिर भी सीमा सुरक्षा दल की एक टुकड़ी कुछ समय के लिये रिज़र्व में रखी गई थी ।

(ख) प्रश्न ही उठता ।

नई दिल्ली नगरपालिका के स्कूलों में नर्सरी की निःशुल्क शिक्षा

6118. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में, दिल्ली सेन्ट्रल स्कूल में तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों में नर्सरी की शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है;

(ख) क्या नई दिल्ली नगरपालिका के स्कूल नर्सरी की कक्षाओं के लिये शुल्क लेते हैं ;

(ग) क्या नई दिल्ली नगरपालिका के स्कूलों की नर्सरी की कक्षाओं में अधिकांश बच्चे गरीब परिवारों के होते हैं;

(घ) क्या सरकार को अभिभावकों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें नई दिल्ली नगरपालिका के स्कूलों की नर्सरी कक्षाओं में निःशुल्क शिक्षा दिये जाने की माँग की गई है; और

(ङ) नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्रों में नर्सरी की शिक्षा निःशुल्क देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) दिल्ली प्रशासन केवल एक नर्सरी स्कूल चला रहा है और कोई शुल्क नहीं ले रहा है । अन्य सभी नर्सरी स्कूल शुल्क ले रहे हैं ।

(ख) जी, हाँ । उन छात्रों से, जिनके अभिभावकों की आय (सभी भत्तों को शामिल करके) 200 रुपये तक है, एक रुपया प्रति मास, जिनकी आय 200-300 रुपये मासिक के क्रम में हैं उनसे तीन रुपये प्रतिमास और उच्च आय-वर्गों से पाँच रुपये प्रतिमास फीस ली जाती है ।

(ग) अधिकतर छात्र कम आय वाले वर्गों के होते हैं ।

(घ) इस मन्त्रालय में अब तक ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ङ) इस समय ऐसी कोई कारवाई करने का विचार नहीं है । फिर भी नई दिल्ली नगरपालिका ने उन बच्चों से, जिनके अभिभावकों की आय (सभी भत्तों को मिलाकर) 200 रुपये मासिक अथवा अधिक है, शिक्षा शुल्क के रूप में पहली मई, 1969 से क्रमशः केवल एक रुपया अथवा तीन रुपया प्रतिमास लेने का निर्णय किया है ।

बिहार में राष्ट्रीय राजपथ

6119. श्री भोगेन्द्र झा : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चम्पारन, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा और पटना जिलों के उत्तरी भागों से, उनके बीच की सड़कों को मिला कर और भारत-नेपाल सीमा की ओर से एक पार्श्व सड़क बना कर बिहार में दाखिल होने वाले स्थान के बीच राष्ट्रीय राजपथ को मिलाने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सीमा के निकट भैसालोटन से प्रारम्भ होती हुई नेपाल सीमा के निकट और समानान्तर जाती हुई, दो वैकल्पिक संरेखणों पर, बिहार के चम्पारन, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पूर्निया के सबसे उत्तर के जिलों से होकर एक सड़क-निर्माण का प्रस्ताव 1965 में किया गया था। दो वैकल्पिक संरेखणों के लिए कुल प्रस्तावित लम्बाई 235 मील और 206 मील थी और लागत का अनुमान क्रमशः 23.50 करोड़ और 20.60 करोड़ रुपये लगाया गया था। इस प्रस्ताव में लगभग 24.54 रु० की लागत पर लगभग 400 मील लम्बी सहायक और जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण भी शामिल है। इस प्रस्ताव की जाँच की गयी और आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि तब तक मुख्य पार्श्ववर्ती सड़क परियोजना का निर्माण शुरू कर लिया गया था, और मुख्य पार्श्ववर्ती सड़क के अलावा इतनी कम दूरी पर बड़ी लागत पर बिहार में दूसरी समानान्तर पार्श्ववर्ती सड़क निर्माण करना न्याय संगत नहीं था। मुख्य पार्श्ववर्ती सड़क बिहार में वेट्टियाह दरभंगा और फोरवसगंज को जोड़ने वाली सड़कों के अलावा गोपालगंज, पिपराकोठी, मुजफ्फरपुर, वेगूसराई, पूर्निया, अरेरिया, बहादुरगंज, ठाकुरगंज और गलगलिया शहरों से होकर विकसित की जा रही है।

Foreign Boats seized in Indian Territorial Waters

6120. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of foreign boats seized in 1968 and in 1969 so far within Indian territorial waters ;

(b) whether it is a fact that two Chinese boats had intruded into our territorial waters near Narkodam in the Andamans on the 2nd February, 1969 at about 9 a.m. ;

(c) if so, the details of the incident ;

(d) the reasons for not impounding these boats ;

(e) whether it is also a fact that the six Chinese nationals who were arrested were found collecting Sea-Shells etc ; and

(f) if so, the steps being taken to safeguard our territorial waters and concerned national wealth ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) According to information received from the State Governments and Union Territories, excluding West Bengal, the number of foreign boats seized from 1st January to 28th February, 1969 is 39. Information is being collected from the Government of West Bengal and will be laid on the Table of the House on receipt.

(b) to (e) Two unidentified boats were sighted near Narkodam in the Andamans on the 2nd February, 1969 at about 9 a.m. The members of the crew were found collecting shells. Out of the crew, six Taiwan nationals, who came to the sea shore, were apprehended. The Indian naval ships which were despatched immediately to Narkodam could not apprehend those unidentified boats. The question of impounding those boats, therefore, does not arise.

(f) The protection of the territorial waters from foreitrgn intruders is one of the normal tasks of the Indian Navy. The patrolling of the coast is being carried out by the ships of the Indian Navy and also by the police and customs patrol parties.

दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, बिहार

6121. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की उपसमिति ने घटनास्थल पर तथा विस्तृत रूप से जांच करने के पश्चात् यह सिफारिश की थी कि वर्तमान कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा (बिहार) को एक पूर्ण शक्ति प्राप्त तथा आधुनिक विश्वविद्यालय बना दिया जाये जिसमें संस्कृत विश्वविद्यालय की सम्पूर्ण वर्तमान व्यवस्था को प्रस्तावित विश्व-विद्यालय के स्वायत्तशासी भाग के रूप में कायम रखा जाये ;

(ख) क्या इसके लिये राज्य सरकार की राय ली गई थी और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिए दो करोड़ रुपये की लागत की इमारत तथा पुस्तकालय के कथित प्रस्ताव के सम्बन्ध में दरभंगा राज के निष्पादन अधिकारी से औपचारिक रूप में कोई पूछताछ की गयी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति ने मिथिला/दरभंगा विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की है, जिसके के० एस० दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय और नयाबहू-संकाय विश्वविद्यालय स्वायत स्कंध बन सकते हैं ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य सरकार की सम्मतियाँ मांगी हैं । ये सम्मतियाँ पहले प्राप्त नहीं हो सकीं क्योंकि राज्यपाल का विचार था कि ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर निर्णय लोकप्रिय सरकार द्वारा ही लिया जा सकता है । फिर भी, अब सम्मतियाँ शीघ्र ही प्राप्त करने के लिये कदम उठाए जा रहे हैं ।

(ग) और (घ) राज्य सरकार से ज्ञात हुआ है कि बिहार के शिक्षा मंत्री और दरभंगा राज के निष्पादक के बीच पत्र-व्यवहार हुआ है, जिसमें निष्पादक ने दरभंगा में एक नए मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये भवन और पुस्तकालय दान देने की पेशकश की है, किन्तु यह पेशकश कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्वीकृति पर निर्भर करती है, जैसा कि न्यास द्वारा अपेक्षित है । निष्पादक के साथ और आगे बातचीत, राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति की रिपोर्ट पर निर्णय लिए जाने के बाद ही की जा सकती है ।

विश्वविद्यालय तथा कालेज कर्मचारी संघ द्वारा प्रदर्शन

6122. श्री वि० कु० मोडक : श्री उमानाथ :
श्री पी० राममूर्ति : श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सभी कालेजों के बाहर लगातार प्रदर्शन करने के विश्वविद्यालय तथा कालेज कर्मचारी संघ के निर्णय के समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) बताया जाता है कि 20 फरवरी, 1969 को जारी किए गए प्रेस वक्तव्य में विश्वविद्यालय और कालेज कर्मचारी संघ, दिल्ली के संयुक्त सचिव ने कहा था कि संघ को प्रिंसिपलों के विरुद्ध अपने निरन्तर आन्दोलनों को फिर से चलाने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है क्योंकि प्रिंसिपल अपने कालेजों में विश्व-विद्यालय के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कालेज स्वायत्त निकाय हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उन्हें अनुदान प्राप्त होता है।

विश्वविद्यालय ने, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों (गैर शैक्षणिक) की कठिनाइयों को दूर करने के उपायों की सिफारिशें करने के लिए पहले ही एक संयुक्त परामर्श समिति का गठन किया है। समिति की पहली बैठक 14 मार्च, 1969 को हुई थी। अपना कार्य पूरा करने के लिए इसकी बैठक फिर होगी।

Survey of India

6123. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the duties and responsibilities of the low-paid Surveyors, Survey Assistants and Draftsmen Division-I (non-Gazetted Officers) on the one hand and those of the highly paid Gazetted officers on the other, in the Survey of India and the difference between these non-Gazetted and Gazetted Officers in so far as their duties are concerned ; and

(b) whether it is a fact that the officers belonging to the aforesaid four categories do the same type of work and any one of them can be asked to do any other work whereas there is a big difference in their salaries ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) A statement giving the duties and responsibilities of Class III posts of Surveyors, Survey Assistants and Draftsmen Division I, Officer Surveyors (Gazetted Class II) and of Class I officers is laid on the Table of House.

(Placed in Library. See No. LT-715/69)

(b) No, Sir. The level of responsibility of the gazetted and non-gazetted officers is not the same and their duties are not interchangeable.

उच्च न्यायालय के न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिये निर्णय की समय-सीमा

6124. **श्री सी० के० चक्रपाणि : श्री के० रमानी : श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री गणेश घोष :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को लेख याचिकाओं और अन्य मुकदमों में किसी निश्चित अवधि के अन्तर्गत ही निर्णय देना होता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

स्कूल शिक्षा के स्तर में सुधार

6125. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : श्री ई० के० नायनार : श्री जे० एच० पटेल : श्री मुहम्मद शरीफ :**

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने स्कूल शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिये एक योजना बनाई है और आगामी शिक्षा वर्ष में उसे क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उपर्युक्त योजना द्वारा किन किन कमियों को दूर करने का विचार है; और

(ग) उस योजना का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) स्कूल-शिक्षा मूलरूप से राज्य का विषय है। फिर भी केन्द्रीय सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय सहायता-कार्यक्रम के जरिए विज्ञान शिक्षण के सुधार में मदद करने का है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, विज्ञान शिक्षकों के सेवा प्रशिक्षण में तथा बाल संस्थाओं और चुने हुए स्कूलों के लिए विज्ञान उपस्करण की व्यवस्था करने का विचार है। सरकार ने नेहरू बाल पुस्तकालय की एक योजना भी शुरू की है जिसका काम सभी भारतीय प्रमुख भाषाओं में स्कूल बच्चों के लिए अनुपूरक पठन सामग्री की व्यवस्था करना है और प्रत्येक भाषा में ऐसी पुस्तकें होंगी जिनमें विषय तथा रचना समान हों ।

सिविल पुलिस बल

6126. **श्री प्रा० रं० ठाकुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री 23 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5498 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक सूचना इस बीच इकट्ठी कर ली गई है,

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और पूरी सूचना कब तक उपलब्ध हो जायेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) विभिन्न राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त सूचना एक विवरणों में दी जाती है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 716/69]

राज्यों में न्यायिक पदों की संख्या

6127. श्री प्र० रं० ठाकुर: क्या गृह-कार्य मंत्री 29 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2724 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित कर ली गई है और सभा-पटल पर रखी जाती है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 717/69]

अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाएँ

6128. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या गृह-कार्य मंत्री अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं के बारे में 26 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1280 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच पूरी सूचना प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और सूचना कब उपलब्ध हो जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) 6 दिसम्बर, 1968 तक प्राप्त सूचना लोक सभा को अतारांकित प्रश्न संख्या 3500 के दिये गये उत्तर में पहले ही भेज दी गई थी । अब तक प्राप्त और अधिक सूचना एक विवरण में दी जाती है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 718/69] कुछ सेवाओं के संबंध में सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर यात्री शुल्क

6129. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1969 से बम्बई, कलकता, मद्रास और दिल्ली से विमान यात्रा आरम्भ करने वाले सभी यात्रियों से 15 रुपये यात्री शुल्क लेने के बारे में निर्णय किया गया था ।

(ख) यदि हाँ, तो इस शुल्क का क्या औचित्य है;

(ग) क्या अन्य अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भी विमान यात्रियों को इस प्रकार का शुल्क देना पड़ता है; और

(घ) उन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम क्या हैं जहाँ यह शुल्क नहीं लगाया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी, हाँ। 1 अप्रैल 1969, से इन चार हवाई अड्डों से विदेश जाने वाले यात्रियों से एक 15/-रुपये का यात्री सेवा शुल्क लिया जायेगा।

(ख) सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के निर्माण, अनुरक्षण तथा परिचालन के संबंध में अत्यधिक खर्चा उठाना पड़ता है। यह नया शुल्क सरकार के लिये आवश्यक राजस्व व्यवस्था करने के लिये मान्यता प्राप्त उपायों में से एक है।

(ग) उन 69. देशों की सूची दर्शाने वाला विवरण जिनमें यह शुल्क लिया जाता है, सभापटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 719/69]

(घ) जहाँ तक सूचना तत्काल उपलब्ध है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर यात्री सेवा शुल्क के रूप में कोई विशिष्ट प्रभार नहीं लगाया जाता :—

सिडनी, पर्थ, जकार्ता, टोकियो, नैरोबी, कुवैत, बैरूत, बहरीन, सुवा, लन्दन और न्यूयार्क।

Shiv Sena Disturbances

6130. **Shri Deven Sen : Shri Muhammad Shariff : Shri V. Narasimha Rao :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Governments of Mysore and Tamil Nadu have demanded compensation from the Central Government for the loss caused to the people of Tamil Nadu and Mysore in Bombay by the disturbances caused recently by the members of Shiv Sena ; and

(b) if so, the reaction of the Central Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) The Chief Minister of Mysore has written to the Prime Minister suggesting that the victims of the recent disturbances in Bombay should be adequately compensated. No such suggestion has been made by the Government of Tamil Nadu.

The Government of Maharashtra have intimated that loan assistance amounting to Rs.16,73,635 is likely to be made available for rehabilitation of businesses affected by the disturbances in February, 1969. In addition cash grants totalling Rs.66,680 have been disbursed to 66 persons. The Prime Minister has sanctioned Rs. 25,000 from the National Relief Fund for providing assistance to those who have suffered in the recent disturbances.

कर्मचारी विभाग स्थापना

6131. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भावी विकास की संभावनाओं पर विचार करने तथा प्रतिभा का सर्वोत्तर उपयोग करने के लिए कर्मचारी विभाग स्थापित करने के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह विभाग कब तक तथा किस मन्त्रालय में अथवा स्वतन्त्र रूप से स्थापित किया जायेगा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य कन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) कर्मचारी विभाग की स्थापना के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश विचाराधीन है ।

गोलकुण्डा हीरे का वापिस लौटाया जाना

6132. श्री शिवचन्द्र झा : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 17वीं शताब्दी में खान से निकाला गया गोलकुण्डा का बहुमूल्य भारतीय हीरा अमरीका के एक व्यापारी के पास है,

(ख) यदि हाँ, तो इसको वापस लेने का सरकार का विचार है,

(ग) यदि हाँ, तो कब, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) :
(क) हीरे विशेष के नाम के अभाव में, सूचना देना सम्भव नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

पर्यटक एजेंसियों के लिये टिकटों का आरक्षण

6133. श्री लोबो प्रभु : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कितने प्रतिशत टिकट पर्यटक एजेंसियों के लिये आरक्षित रखे जाते हैं;

(ख) अन्तिम समय पर कितने प्रतिशत टिकट वापिस किये जाते हैं और केवल हवाई अड्डे पर उपलब्ध किये जाते हैं; और

(ग) बिना बिके टिकटों की पहले से सूचना देने की व्यवस्था पर विचार न किये जाने के क्या कारण हैं जिससे एयर इंडिया के कार्यालयों की प्रतीक्षा सूचियों में लिखे व्यक्तियों को उनकी बारी की पहले से जानकारी मिल सके ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) से (ग) इंडियन एयरलाइन्स पर्यटक एजेंसियों के लिये टिकटों का कोई अलग कोटा आरक्षित नहीं करती ।

प्रतिलिप्यधिकार सम्बन्धी बने सम्मेलन

6134. श्री लोबो प्रभू : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रतिलिप्यधिकार सम्बन्धी बने सम्मेलन से भारतीय प्रतिनिधि के निकल आने के बारे में 21 फरवरी 1969 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुए श्री चार्ल्स एच० लीएव के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है,

(ख) क्या इस सम्मेलन से निकल आने पर अन्य देशों से प्राप्त होने वाली शैक्षणिक तथा

वैज्ञानिक जानकारी हमें कम प्राप्त होगी और परम्परा गत तथा संगणकों पर आधारित पुस्तकालयों पहुँचने में रुकावट पड़ेगी,

(ग) विदेशों में तथा हमारे देश में भी प्रतिलिप्यधिकार की रक्षा किस सीमा तक हो सकेगी, जहाँ विदेशी प्रतिलिप्यधिकार के साथ विवाद हो सकता है; जिसे संरक्षण नहीं किया गया, और

(घ) लेखकों के साथ सम्पर्क स्थापित करके विकल्प के रूप में आदर्श पुस्तकों को कम लागत पुनः पर मुद्रित करने के बारे में सरकार द्वारा विचार न किये जाने के क्या कारण हैं, जैसा कि अमरीका में किया जा रहा है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हाँ।

(ख) अभी कुछ कहना कठिन है।

(ग) यदि भारत अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन छोड़ देता है, तो भारतीय पुस्तकों को भी विदेशों में संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। भारत में संरक्षण भारतीय नियमों के अधीन संचालित होगा।

(ग) विदेशी कापीराइट मालिकों की सहमति से ही भारत में विदेशी पुस्तकों को पुनः मुद्रित किया जा सकता है।

सिपाहियों के विरुद्ध प्रतिशोध की नीति

6135. **श्री द० रा० परमार** :　　　　**श्री किकर सिंह** :
श्री देवेन सेन :　　　　**श्री ओंकार लाल बेरवा** :
श्री प्र० न० सोलंकी :　　　　**श्री चन्द्रिका प्रसाद** :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1967 के पुलिस आन्दोलन में भाग लेने वाले सिपाहियों के मामले में सरकार ने प्रतिशोध की नीति अपनाई है और जिन निलम्बित सिपाहियों के विरुद्ध न्यायालय में अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, उन्हें झूठे आधारों पर ही अन्धाधुन्ध बर्खास्त किया जा रहा है;

(ख) निलम्बित सिपाहियों के नाम क्या है और उन पर क्या-क्या आरोप लगाये गये हैं और उन्हें किन-किन आधारों पर बर्खास्त किया गया है; और

(ग) सिपाहियों के विरुद्ध चल रहे मामलों को वापस न लिये जाने के क्या कारण हैं, जबकि ऐसे ही आधारों पर गिरफ्तार किये गये केन्द्रीय सरकार के अनेकानेक कर्मचारियों में से अधिकांश लोगों के विरुद्ध चल रहे मामले पूरे देश में वापिस ले लिये गये हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) निलम्बित किये गये तथा बाद में सेवा से बर्खास्त किये गये 58 सिपाहियों के नाम तथा आरोप और उनकी बर्खास्तगी के कारण बताने वाला एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।
[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 720/69]

(ग) अपराधों की किस्म और कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने का कार्यभार सौंपे गये दल में अनुशासन बनाए रखने की परम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया

कि मुकदमों को वापस लेना लोक-हित के विरुद्ध होगा और कानून को अपनी कार्यवाही करने दी जाय ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर न्यायालयों में मुकदमा चलाया जाना

6136. **श्री० प्र० न० सोलंकी : श्री० किंकर सिंह :**
श्री देवेन सेन : श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री द० रा० परमार : श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल के सम्बन्ध में दिल्ली में गिरफ्तार किये गये केन्द्रीय सरकार के लगभग 2,500 कर्मचारियों पर नई दिल्ली और तीस हजारी के न्यायालयों में मुकदमे चलाये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो (लगभग 2,500) सिपाहियों के प्रति भेदभाव करने के क्या कारण हैं, जिन पर पुलिस सिविल लाइन्स में स्थापित एक विशेष न्यायालय में, जहाँ वे सुविधाएँ उपलब्ध नहीं जो तीस हजारी न्यायालय में उपलब्ध हैं, मुकदमा चलाया जा रहा है ;

(ग) उस न्यायालय में जिन सिपाहियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है, पुलिस अधिकारियों द्वारा उन्हें पीटे जाने और उनके वकीलों का अपमान किये जाने के बारे में क्या जिला मजिस्ट्रेट और बार एसोसिएशन की शिकायतें मिली हैं;

(घ) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने प्रशासन से बल लेकर यह कहा है कि ये मुकदमें नई दिल्ली या तीस हजारी न्यायलयों में चलाये जायें; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी शिकायत का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सितम्बर, 1968 की सांकेतिक हड़ताल के सम्बन्ध में गिरफ्तार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर नई दिल्ली और तीस हजारी न्यायालयों में मुकदमें चलाये जा रहे हैं ।

(ख) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार लगभग 1000 सिपाहियों पर विशेष न्यायालयों में मुकदमें चलाये जा रहे हैं । इन विशेष न्यायालयों को पुलिस थाना; सिविल लाईन्स के पुराने भवन में स्थापित किया गया है, जहाँ इन नये न्यायालयों के लिए स्थान उपलब्ध था और तीस हजारी न्यायालयों की समस्त सुविधाएँ इन न्यायालयों में भी उपलब्ध की गई हैं ।

(ग) एक एडवोकेट द्वारा की गई एक शिकायत दिल्ली बार एशोसिएशन के द्वारा दिल्ली प्रशासन को प्राप्त हुई थी ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ङ०) शिकायत यह थी कि एक पुलिस अधिकारी ने एडवोकेट के साथ अशोभनीय व्यवहार किया तथा उसके विरुद्ध अपमानजनक व आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया । जाँच करने पर आरोप गलत पाये गये ।

गाँधी शताब्दी के दौरान मृत्यु दण्ड से छूट

6137. **श्री किकर सिंह :** **श्री प्र० न० सोलंकी :**
श्री द० रा० परमार : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री देवेन सेन : **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांधी शताब्दी के उपलक्ष में सरकार ने इस आशय के अनुदेश जारी किये हैं कि समूचे देश में जिन व्यक्तियों को मृत्यु दण्ड दिया गया है उनको फाँसी पर न लटकाया जाय और उनके मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है, और अन्य अपराधियों के दण्डों में भी छूट दी गई है; और

(ख) जघन्य अपराधों के मुजरिमों तथा हत्यारों को दी गई उपरोक्त रियायतों को देखते हुए सरकार दिल्ली के उन पुलिसमैनों के विरुद्ध किये गए मुकदमों को वापस क्यों नहीं ले रही है जिन्हें उनकी शिकायतों के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था और जिनकी कुछ शिकायतों को सरकार द्वारा अप्रैल 1967 के पुलिस आन्दोलन के पश्चात् स्वीकार कर लिया गया था तथा दूर कर दिया गया था ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) "गांधी शताब्दी वर्ष" के सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया है कि न्यायालयों द्वारा मृत्यु-दण्ड के सम्बन्ध में राष्ट्रपति उन सभी कैदियों के मामले में जिन्हें 12 नवम्बर, 1968 को अथवा उससे पहले मृत्यु-दण्ड दिया गया है अपने दया के परमाधिकार का प्रयोग करेंगे और प्रत्येक मामले में मृत्यु-दण्ड को आजीवन कारावास में बदल देंगे। सजाओं में कुछ मांफी दी गई हैं जो 2 अक्तूबर, 1969 से लागू होंगी।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए कानूनी न्यायालय में अनिर्णीत पड़े मामलों को वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में बमों तथा विस्फोटक पदार्थों का निर्माण

6138. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में उग्रवादियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बमों तथा अन्य विस्फोटक पदार्थों का निर्माण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो शरारती लोगों का पता लगाने तथा उन्हें दण्ड देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि उन्हें ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भिलाई के निकट सुराखों में रखे डाइनामाइट का पाया जाना

6139. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिसम्बर, 1968 के दूसरे अथवा तीसरे सप्ताह में

बांकुसुरा काछा के प्रमुख कोयला क्षेत्र को भिलाई तथा कोरबा के साथ मिलाने, वाले कोरबा के निकट लक्षमण नाला पुल में कुछ सुराखों का पता लगा था जिनमें डाइनामाइट रखा हुआ था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या किसी सुराख में रखे किसी विस्फोटक का विस्फोट हुआ था और इसके क्या परिणाम निकले और क्या पुल को कोई क्षति पहुँची थी;

(ग) क्या इस मामले की जाँच की गयी थी; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले और क्या यह काम शत्रु के किसी एजेन्ट का था अथवा किसी राजनैतिक दल का जिसने देश की सुरक्षा के विरुद्ध काम करने का निश्चय किया हुआ है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि कोरबा के निकट लक्षमण नाला पुल पर एक विस्फोट 24 नवम्बर, 1968 को हुआ था, न कि दिसम्बर, 1968 में। इस विस्फोट के कारण पुल की दीवार में लम्बी एक दरार पड़ गई थी और सीमेंट कंकरीट के लगभग एक फुट चौड़े टुकड़े गिर पड़े।

(ग) और (घ) मामले की जाँच की जा रही है।

भारत-नेपाल सीमा पर सड़कों और कस्बों का विकास

6140. **श्री रणजीत सिंह : श्री वेणी शंकर शर्मा : श्री बी० चं० शर्मा : श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-नैपाल सीमा पर बहुत से कस्बों में सड़क और रेल संचार व्यवस्था बहुत खराब है ;

(ख) क्या बरहनी जैसे कई महत्वपूर्ण कस्बों में आन्तरिक सड़कें और बिजली नहीं है; और

(ग) क्या सरकार का इन सीमान्ती कस्बों और नैपाल सीमा पर संचार व्यवस्था को विकसित करने का विचार है

संसद कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और उसे यथा समय सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को सिरसका महल में तैनात करने के विरुद्ध विरोध

6141. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय : श्री रामावतार शर्मा : श्री रा० कु० बिड़ला : श्री नरसिंह राव : श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविख्यात पशु शरण स्थान के पास सिरसका महल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कुछ दस्तों को तैनात किये जाने के बारे में राजस्थान सरकार ने कड़ा विरोध प्रकट किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) राजस्थान के मुख्य मंत्री ने कुछ समय पहले गृह मंत्री से लिखकर अनुरोध किया था कि सिरसका पशु शरण में तैनात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल को कहीं और हटा दिया जाय क्योंकि पशु शरण में दल के सदस्यों को गोली चलाने के अभ्यास से जंगली पशु जीवन संकटमय हो जाता है। राज्य सरकार को आश्वासन दिया गया है कि इस दल के किसी सदस्य द्वारा पशु शरण के भीतर गोलाबारी नहीं की जायगी और यथाशीघ्र इस दल को कहीं और हटा दिया जायगा।

आजीवन कारावास की अवधि में मुआफी

6142. **श्री क० लकप्पा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गांधी शताब्दी वर्ष मनाने के कारण केरल तथा कुछ अन्य राज्य सरकारों ने आजीवन कैदियों को 5 वर्ष की मुआफी दे दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के आजीवन कैदियों के बारे में कोई निर्णय किया है ;

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि दिल्ली प्रशासन द्वारा कोई निर्णय नहीं किया गया, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) गुजरात और राजस्थान की सरकारों के अतिरिक्त किसी दूसरी राज्य सरकार ने गांधी शताब्दी वर्ष मनाने के कारण आजीवन कैदियों को 5 वर्ष तक मुआफी नहीं दी है। गुजरात व राजस्थान की सरकारों द्वारा जारी किये गये आदेशों की प्रतियाँ सभा पटल पर रखी जाती हैं।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 721/69]

(ग) से (ङ) दिल्ली प्रशासन समेत सभी संघ राज्य क्षेत्रों को 2 अक्तूबर, 1969 को गांधी जन्म शताब्दी के अवसर पर ऐसे कैदियों की सजा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक महीने की मुआफी देने का परामर्श दिया गया है।

कोचीन पत्तन में नौवहन स्थान की व्यवस्था

6143. **श्री एस० के० संबन्धन** : क्या नौवहन तथा परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि कोचीन पत्तन में जहाजों की कमी के कारण बड़ी संख्या में निर्यात किये जाने के लिए रखे गए समुद्री केकड़े (श्रम्प) जमा कर रखे हुये पड़े हैं,

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारतीय जहाजों में उक्त समुद्री केकड़ों के लिए आवश्यक स्थान की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघु रामैया) : (क) से (ग) यह सच है कि पोत परिवहन जगह की कमी के कारण कोचीन पत्तन पर समुद्री भोजन के लगभग 1500 टन का जमाव हो गया था। इस माल का एक भाग अमेरिका को निर्यात के लिए था और शेष भूमध्य सागर के पत्तनों के लिए था। ये कठिनाइयाँ अमेरिकन प्रेसीडेन्ट लाइन जो इस माल को भूमध्य सागर पत्तनों को ले जाते थे जनवरी 1969 से सेवा बन्द करने से उत्पन्न हुई और दूसरी शिपिंग कंपनियाँ जो इस माल को अमेरिका ले जाती थी इसे न ले जा सकी क्योंकि 31-12-1969 से अटलांटिक पत्तनों पर नौभरकों की हड़ताल रही, फिर भी कुछ भारतीय जहाजों और कुछ विदेशी जहाजों को प्रयोग करके फरवरी, 1969 के अन्त तक संपूर्ण जमाव निपटान किया गया।

दिल्ली नगर निगम के अध्यापकों को वेतन का भुगतान

6144. **डा० सुशीला नैयर :** **श्री ए० श्रीधरण :**

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के अध्यापकों को फरवरी, 1969 के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है,

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हाँ, अध्यापकों को फरवरी 1969 के वेतनों की अदायगी में देरी हो गई थी।

(ख) अदायगी में देरी का मुख्य कारण, अध्यापकों द्वारा वेतनों के अलावा अन्य आय के व्यौरे, वर्ष में ली गई बीमा पालिसियों आदि के बारे में व्यौरा न भेजना था, जो वर्ष के दौरान आय कर का हिसाब लगाने के लिये आवश्यक हैं।

(ग) व्यौरे भेज देने पर, अधिकतर अध्यापकों को उनके वेतनों की अदायगी कर दी गई है। इस सम्बन्ध में कोई विशेष कार्यवाही करने का विचार नहीं है क्योंकि यह कर्मचारियों के हित में ही है कि वे आदान और संवितरण अधिकारी के पास अपेक्षित व्यौरे समय से ही भेज दें।

राज्य सरकार द्वारा तैयार किया गया राज्यपाल का अभिभाषण

6145. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री के सचिवालय ने इस प्रश्न पर, कि क्या राज्यपाल राज्य सरकार द्वारा उनके लिये तैयार किये गये पूरे अभिभाषण को पढ़ने के लिये बाध्य है, महान्यायवादी की राय मांगी थी ;

(ख) क्या महान्यायवादी ने अनुरोध किया है कि इस सम्बन्ध में उनका नाम प्रकाशित न किया जाये; और

(ग) महान्यायवादी ने क्या राय दी थी ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) यद्यपि प्रधान मंत्री के सचिवालय के लिये इस सम्बन्ध में महान्यायवादी से राय मांगने का कोई अवसर नहीं आया किन्तु सरकार ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के अनुरोध पर उनसे परामर्श किया था।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) महान्यायवादी ने राय दी कि संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अधीन राज्यपाल के अभिभाषण का उपयोग मंत्रिपरिषद द्वारा, राज्य के सांविधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल द्वारा किये गये किसी कार्य पर आक्षेप करने अथवा कोई प्रतिकूल आलोचना करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

Research work in regard to Tibetan Manuscripts and Tibetan know-how

6146. **Shri Kushok Bakula :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the names of the Universities and Research Centres in India where in the research work in regard to the ancient Tibetan manuscripts and Tibetan know-how is being carried on ;

(b) whether any financial assistance is given by his Ministry for this work ;

(c) whether it is a fact that many countries have invited Tibetan scholars to conduct research work in regard to the Tibetan manuscripts ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr V. K. R. V. Rao) : (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

(**Placed in Library. See No.LT**-722/69).

(c) Government has no information.

(d) Does not arise.

Tourism Facility to Mr. C. M. Ismail, P. R. O., Tourism Department, Ceylon Government

6147. **Shri Bhola Nath Master:** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the statement made by Mr. C. M. Ismail, the Public Relation Officer of the Department of Tourism of the Ceylon Government during his visit to India that he was not provided any facility by the Department of Tourism of the Government of India and he had to face many difficulties and he was not shown due respect ;

(b) whether it is a fact that Mr. Ismail was leading a group of 48 pilgrims ; and

(c) whether Mr. Ismail had also said that thousands of people in his country were eager to visit Buddhist centres in India provided proper facilities were given to them ?

The Minister of Tourism and Civil Aviations (Dr. Karan Singh) : (a) and (c) Government are not aware of any statements made by Mr. C. M. Ismail.

(b) Mr. Ismail did lead a group of pilgrims the exact number of which is not known.

Coal Carrying Vessels

6148. **Shri Bhola Nath Master :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether an agreement has been concluded with Rumania for manufacturing coal carrying vessels for India ;

(b) whether ten vessels would be made available to India during 1971-74 according to the agreement ;

(c) whether these ten vessels will be procured on rupee payment basis and foreign exchange will not be required therefor ; and

(d) the reasons for which only Rumania has been selected for manufacturing these ten vessels ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghu Ramaiah) : (a) to (d) Since the Rumanian Shipyards are capable of building vessels of the requisite specifications neede dby India and since suitable credit facilities on rupee payment basis were available from that country, an agreement in principle has been reached with the Rumanian authorities for the purchase of ten coastal coal carriers of about 14,000 DWT. each between 1971 and 1974. However, the details regarding the price, specifications and other relevant terms have yet to be negotiated and finalised between the Indian shipowners and the Rumanian Shipyard before the Government sanctions the purchase.

Trust of Rashtriya Swayam Sewak Sangh

6149. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether there is any Trust of the Rashtriya Swayam Sewak Sangh functioning in the country ;

(b) if so, the names of the Trustees ;

(c) if not, how the funds are mobilised by this organisation ; and

(d) whether Shri Sadashiv Rao Golvalkar Guruji is also one of the Trustees in the said Trust ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government do not have information about any trust of Rashtriya Swayam Sewak Sangh.

(b) and (d) Do not arise.

(c) Facts are being ascertained from the State Governmets.

Bal Bhavan, New Delhi

6150. **Shri Ram Avtar Sharma :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the purpose of setting up the Bal Bhavan, New Delhi ;

(b) whether the Bhavan has succeeded in achieving this purpose ;

(c) the expenditure being incurred thereon ; and

(d) the efforts being made by Government to run it efficiently ?

The Minister of Education (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) According to the Memorandum of Association of the Institution, the Bal Bhavan and National Children's Museum, New Delhi, has been established :

(i) to afford opportunities to children for education through recreational and physical activities and to promote social and cultural contacts among children of all classes and communities ; and

(ii) to establish and maintain a National Children's Museum in Delhi and to operate suitable programme of training and research in order to promote education of children through visual aid and to provide them with an opportunity for expression of their creative talents.

(b) According to the reports we have received, it has succeeded to a large extent.

(c) The recurring annual grant of the Ministry to run this project varies from year to year. The relevant figures for the last five years are given below :

1964-65	Rs.5,69,032
1965-66	Rs.6,04,000
1966-67	Rs.6,00,000
1967-68	Rs.6,00,000
1968-69	Rs.6,05,000

(d) Since Bal Bhavan is an Institution with very specialised needs and work-pattern, it is run as an autonomous body controlled and managed by a board and a working Committee. In order to ensure its smooth and proper working, senior officials of a number of Ministries of the Central Government are represented on the board and the working Committee. The special administrative needs of the Institution are met as and when they arise. To improve the regular administration, and to tone up the Institution, a special post of Assistant Director (Administration) was sanctioned last year to take over the administrative functions and to streamline procedures so that the Director is free to concentrate on the quality of the activities offered by this Institution. It has also been decided by the Government to set up a committee to consider the working and future of this organization.

लोयल (गुजरात) में पाई गई पुरातत्वीय वस्तुएँ

6151. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में लोथल में पाई गई पुरातत्वीय वस्तुओं को धन के अभाव के कारण सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है,

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रयोजन के लिये स्वीकृत दो लाख रुपये की धन राशि में से वास्तव में कोई धन राशि नहीं दी गई है, और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) :

(क) जी, नहीं। खोदकर निकाली हुई पुरातत्वीय वस्तुओं को खनित्र ने स्वयं बाँध कर और लम्बल लगाकर बड़ौदा में सावधानी से रखा हुआ है और खुदाई के ढाँचे उसी स्थान पर ठीक तरह से सुरक्षित हैं ।

(ख) और (ग) चूंकि संग्रहालय भवन का निर्माण अभी शुरू नहीं किया गया है, अतः इस कार्य पर कोई खर्चा नहीं हुआ है ।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

6152. **श्री अदिचन** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री 7 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2505 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली तथा नई दिल्ली में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना दोनों ही लागू हैं,

(ख) यदि हाँ, तो क्या दिल्ली में पोलिटैक्निकों में छात्रों को दोनों ही छात्र-वृत्तियों के लिये निर्धारित प्रपत्र दिये जाते हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) 1967-68 और 1968-69 में दिल्ली में इनमें से प्रत्येक योजना के लिये सरकारी कर्मचारियों के लड़कों, लड़कियों या आश्रितों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और इनमें से कितने छात्रों को छात्रवृत्तियाँ, विशेषकर मैट्रिक पश्चात् छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियाँ कम आय वर्ग के छात्रों को दी गई, और

(घ) क्या आवेदन पत्रों के बारे में फैसला करते समय इन कर्मचारियों को मिलने वाला महगाई भत्ता आय से निकाल दिया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, नहीं। केवल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना चल रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियाँ देने की प्रक्रिया 7-3-1969 को लोक सभा में उत्तर दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2205 के भाग (ख) और (घ) में वर्णित की गयी है।

(ग) 1967-68 में, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के बच्चों से 13 आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे और उन सभी को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गयी थी। 1968-69 में 27 आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे और केवल 10 को छात्रवृत्तियाँ दी गयी थी।

(घ) जी, हाँ।

हुबली में साम्प्रदायिक दंगे

6153. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 8 मार्च, 1969 को मैसूर राज्य में हुबली में साम्प्रदायिक दंगे हुए थे;

(ख) यदि हां, तो उनमें कितने व्यक्ति मारे गये तथा कितने व्यक्ति घायल हुए; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन दंगों के कारणों का पता लगाने के लिये न्यायिक जाँच कराने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के कारण दो व्यक्ति मरे तथा तीन व्यक्ति घायल हुए। दंगे में पथराव के कारण 36 व्यक्ति घायल हुए। पुलिस के एक उप-निरीक्षक तथा 9 कांस्टेबलों को भी चोटें आईं।

(ग) धारवाड़ के सब-डिविजनल अधिकारी द्वारा जाँच की जा रही है। जाँच आयोग अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत राज्य सरकार का जाँच कराने का कोई विचार नहीं है।

Housing Scheme for I.A.C. Employees in Delhi

6155. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether there is any housing scheme for the Indian Airlines Corporation employees in Delhi ;

(b) if so, the estimated cost thereof and the time likely to be taken on its completion ; and

(c) if there is no such scheme, the arrangements proposed to be made for the I. A. C. employees in this regard ?

The Minister of Toursim and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): (a) Yes, Sir.

(b) The estimated cost of the colony, including the land, is Rs. 107.5 lakhs. It is estimated that it will take about three years to complete the colony.

(c) Does not arise.

Exorbitant fare charged by Motor-Rickshaw and Tonga Drivers in Delhi

6156. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the motor-rickshaw drivers in the capital charge exorbitant fare from the persons coming from outsde Delhi as no fare-meters have been installed on these rickshaws ;

(b) whether Government propose to display lists of motor-rickshaw fares and tonga fares separtely for different places at the Railway Stations so that people coming from the rural areas are not cheated ; and

(c) if not, the reasons, therefor ?

The Minister of Parliamentary Affairs, Shipping and Transport (Shri Raghu-Ramaiah) : (a) to (c) According to the Delhi Administration, all two-seater scooter rickshaws are fitted with meters and they also display fare charts on the vehicles as required under rule 4.18 (2) of the Delhi Motor Vehicles Rules, 1940. However, fare meters have not been installad on four-seater motor-cycle rickshaws as these vehicles are being eliminated by not granting new permits nor allowing replacement of such vehicles. In 1968, the number of prosecutions launched by the Delhi Police against two seater scooter rickshaws and four-seater motor-cycle rickshaws for over-charging was 959 and 21 respectively. The number of complaints for over-charging against four-seater motor-cycle rickshaws is much lower.

Fare lists are also displayed on tongas licensed by the Municipal Corporation of Delhi. The Corporation is also taking steps to display such fare lists at the Delhi and the New Delhi railway stations.

राष्ट्रीय शैक्षिणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद सम्बन्धी नाग चौधरी समिति

6157. **श्री ई० के० नायनार :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाग चौधरी समिति ने राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के कुछ विभागोंध्यक्षों की आलोचना की है, और

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त समिति ने कुछ विभागों को समाप्त करने की सिफारिश की है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के किसी विभागाध्यक्ष के विरुद्ध नाग चौधरी पुनरीक्षण समिति द्वारा कोई अवक्षेप नहीं लगाये गये हैं।

(ख) समिति ने राष्ट्रीय संस्थान के विभागों के पुनर्गठन की सिफारिश की है और इस सम्बन्ध में कुछ विभागों के समाप्त करने का सुझाव दिया है।

हवाई अड्डे पर कार-सवारों की प्रतीक्षा पंक्ति

6158. **श्री मंगलाथुमाडोम :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हवाई अड्डों पर कारों से यात्रियों के उतरने के पश्चात् कार-सवारों की प्रतीक्षा पंक्तियों को घटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या यह सच है कि बम्बई से दिल्ली आने में केवल $1\frac{1}{2}$ घंटे लगते हैं परन्तु हवाई अड्डे से नगरों में पहुँचने में एक घंटे से अधिक समय लग जाता है; और

(ग) इस व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) विमान से उतरने वाले यात्रियों को अपने समान की निकासी होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उसके पश्चात् वे या तो हवाई कंपनी के कोच से शहर तक या निजी कार द्वारा अथवा टैक्सी द्वारा जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर वाहक पट्टे लगा दिये जाने पर समान के लाने, पहचान करने और वितरण में काफी कम समय लगेगा। हवाई कंपनियाँ समान वितरण करने की प्रणाली में सुधार करने के निरन्तर प्रयत्न कर रही हैं।

(ख) और (ग) पालम में विमान से उतरने से लेकर नई दिल्ली में अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने तक का समय, उस समय हवाई अड्डे पर विद्यमान भीड़ के अनुसार बदलता रहेगा तथा हवाई अड्डे पर उतरने वाले विमानों की संख्या, और उसी समय संभाले जा रहे यात्रियों की संख्या और शहर के रास्ते में यातायात की मात्रा पर निर्भर करेगा। दिल्ली-पालम सड़क को यात एवं आयात के प्रयोजन के लिए दो अलग-अलग भागों में विभक्त करके उस पर भीड़ को कम करने के उपायों पर सरकार विचार कर रही है।

दक्षिण भारत के राज्यों में अध्यापक प्रशिक्षण कालेज

6159. **श्री मुगलाथुमाडोम :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर और केरल में अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों की बहुत अधिक माँग है, और

(ख) केरल में चौथी योजना में ऐसे कितने कालेज खोलने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख)

सम्बन्धित राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है, प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कार्यपालिका और न्यायपालिका के मतभेदों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

6160. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में न्यायपालिका और कार्य-पालिका के बीच अब भी मतभेद विद्यमान है; और

(ख) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सम्भवत: सकते आसाम राज्य में डिस्ट्रिक्ट जजों की नियुक्ति पदोन्नति तथा स्थानान्तरण, न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक होने के परिणामस्वरूप उनकी सेवा की शर्तों तथा आसाम न्यायिक सेवा नियम, 1967 की उद्घोषणा की ओ किया गया है। यह विषय अब अपील के रूप में सर्वोच्च न्यायालय में है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

रामकृष्णपुरम नई दिल्ली के लिये कल्याण अधिकारी की नियुक्ति

6161. **श्री फ० गो० सेन** : क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामकृष्ण पुरम सैक्टर 12, मई दिल्ली के लिये अब तक कोई कल्याण अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है;

(ख) क्या इसका कारण यह है कि किसी प्रोत्साहन के अभाव में कोई भी अधिकारी यह अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार नहीं है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसा अधिकारी न मिलने के कारण कम से कम एक विवाद पिछले चार मास से अनिर्णीत पड़ा है; और

(घ) वहाँ के निवासियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (घ) सेक्टर 12 के लिये एक उपयुक्त क्षेत्रीय कल्याण अधिकारी की नियुक्ति विचाराधीन है।

(ख) केवल स्वैच्छिक आधार पर इस कार्य को करने के लिये अधिकारियों को पाना कठिन है।

(ग) मामले की जाँच कर ली गई है और विवाद के हल के लिये कार्यवाही की जा रही है।

मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी में कार्य

6162. **श्री बाल्मीकि चौधरी** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस तथ्य के बावजूद कि भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों में अनेक ऐसे सरकारी कर्मचारी जो हिन्दी में काम करने की योग्यता रखते हैं या जो सरकार

द्वारा ली गई हिन्दी परीक्षा पास कर चुके हैं या जिन्होंने अन्य तरीके से सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लिया है। सरकारी कामकाज हिन्दी में नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकारी कामकाज के अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से क्या सरकार का विचार उन कर्मचारियों को, जो साथ ही साथ दोनों भाषाओं में काम कर सकते हैं, कुछ वित्तीय प्रोत्साहन, जैसे अग्रिम वार्षिक वेतन वृद्धि या अन्य प्रोत्साहन देने का है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भारत संघ की राज भाषाएँ हैं। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर सरकारी काम-काज के लिये हिन्दी के प्रयोग करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। 31 दिसम्बर 1968 को समाप्त होने वाली अवधि की त्रिमाषिक सूचनाओं से प्रकट होता है कि करीब सभी हिन्दी के पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया था, संशोधित राज भाषा अधिनियम की धारा 3 (3) में आने वाले कागजातों के 73 प्रतिशत में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया गया तथा लगभग 600 सैक्शनों में हिन्दी का भी प्रयोग मसौदा लेखन और टिप्पण में किया जा रहा है।

(ख) वर्तमान कर्मचारियों की सरकारी कार्य अंग्रेजी में करने की पुरानी आदत बन चुकी है अतः हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों के लिये भी हिन्दी माध्यम से कार्य करना धीरे-धीरे हो सकता है। चूंकि हिन्दी कार्य की मात्रा बढ़ रही है, अतः अहिन्दी-भाषी कर्मचारियों का भी विश्वास जिन्होंने हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी सीखी है हिन्दी का प्रयोग टिप्पण और मसौदा लेखन करने में काफी बढ़ेगा।

(ग) अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को हिन्दी सीखने के लिये आर्थिक प्रोत्साहन दिये जाते हैं। उन व्यक्तियों को जो अपने कार्य में हिन्दी का प्रयोग करते हैं ऐसे प्रोत्साहन देने का इरादा नहीं है, क्योंकि संशोधित राजभाषा अधिनियम के अनुसार अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को इस आधार पर हानि नहीं पहुँचाई जा सकती है कि उनको दोनों भाषाओं में कुशलता प्राप्त नहीं है।

दिल्ली से जोधपुर के लिये विमान सेवा

6163. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स को हुई हानि के कारण उसने दिल्ली से जोधपुर तक अपनी विमान सेवा बन्द कर दी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जाम एयरवेज़ को दिल्ली और जोधपुर के बीच अपनी विमान सेवाओं से लाभ हो रहा है ;

(ग) दिल्ली-जोधपुर विमान सेवा से इंडियन एयरलाइन्स को हानि होने के क्या कारण हैं; और

(घ) 1967-68 में इंडियन एयरलाइन्स को भारी हानि होने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है। लेकिन, जाम-एयर कम्पनी की सेवाओं के परिचालन में निष्पन्न, जुलाई से दिसम्बर, 1968 तक की अवधि के यातायात के आँकड़ों पर आधारित भार अनुपात (लोड फैक्टर) 37 2 प्रतिशत था।

(ग) हानि का मुख्य कारण अपर्याप्त यातायात था।

(घ) 1967-68 में इंडियन एयरलाइन्स की समस्त रूप से हानि होने के प्रमुख कारण 1966 में रुपये के अवमूल्यन का निरन्तर जारी प्रभाव, तथा 1966 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतनमानों में वृद्धि थे, जिन्हें कि किरायों में अगस्त, 1967 से स्वीकृत वृद्धि के द्वारा पूर्णतया दूर नहीं किया जा सकता। लेकिन, वर्ष 1968-69 में एयरलाइन्स ने काफी लाभ दिखाया है।

Demand for more Autonomy by State Governments

6164. **Shri K. M. Madhukar : Shri Nathu Ram Ahirwar : Shri Nitiraj Singh Chaudhary :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the United Front Government of West Bengal and the Kerala State Government bave demanded more autonomy for State Governments ;

(b) whether such demands have been made by other State Governments also ; and

(c) the constitutional and other steps proposed to be taken by Government to meet them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government of Kerala have stated that they have demanded more autonomy for the State Governments. Information from Government of West Bengal is awaited.

(b) No such demands have been made by the Governments of Andhra Pradesh, Bihar, Orissa, Punjab, Haryana and Rajasthan. Information from other States is awaited.

(c) Questions relating to Centre-State relations are being studied in depth by the Standing Committee of the National Integration Council. The Administrative Reforms Commission are also examining the matter.

Administrative Powers of Lt. Governor of Delhi

6165. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the allegation made by the Chief Executive Councillor of Delhi against the Central Government as reported in the 'Statesman' dated the 12th March, 1969 that they are gradually snatching away administrative powers from the Lt. Governor of Delhi ;

(b) whether it is also a fact that such action has been inspired by certain political motives ; and

(c) if so, how far such action of Government would be helpful in the development of democracy and the reaction of Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government's attention has been drawn to the said news item.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी

6166. **श्री अ० श्री कस्तूरे :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री एयर इंडिया के कर्मचारियों के बारे में 10 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10323 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने हाल ही में सहायक वाणिज्यिक प्रबन्धकों के 20 से अधिक पदों पर नियुक्ति करने में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की उपेक्षा की है ;

(ख) यदि हाँ, तो अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये पदों के आरक्षण के लिये केन्द्रीय सरकार की सेवा में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जिसमें न भरे गये कोटे को अगले वर्ष में शामिल करने की प्रणाली भी शामिल हैं; एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में किस प्रकार अपनाई जा रही है ; और

(ग) सहायक वाणिज्यिक प्रबन्धकों के 20 से अधिक पदों के लिये उम्मीदवारों के चयन में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को चुनने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) : (क) से (ग) कारपोरेशनों से विचार विमर्श करके यह निर्णय किया गया है कि अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिये पदों के आरक्षण के लिये केन्द्रीय सरकार की सेवा में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें न भरे गये कोटे को अगले वर्ष में शामिल करने की प्रणाली भी सम्मिलित है, ग्रहण कर ली जाये ।

इंडियन एयरलाइन्स में सहायक वाणिज्यिक प्रबन्धकों के पदों की पूर्ति पदोन्नति द्वारा 50% वरीयता एवं कार्य-क्षमता (सीनिओरिटीकम-फिटनेस) के आधार पर और 50 प्रतिशत योग्यता मूलक चुनाव द्वारा होती है । इन पदों की पूर्ति करते समय, अनुसूचित जातियों के पात्र उम्मीदवारों पर कारपोरेशन द्वारा यथोचित किया गया था ।

आर्थिक सांख्यिकीय अनुसंधान कर्त्ताओं के पदों के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों का चयन

6167. **श्री राम चरण :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के लिये आर्थिक / सांख्यिकीय-अनुसन्धान कर्त्ताओं के 22 पद जिनके लिये 1967 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन दिया गया था अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षित थे;

(ख) यदि हाँ, तो इन जातियों के कितने उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया था;

(ग) उनमें से कितने व्यक्ति चुने गये और उनमें से कितने व्यक्ति अब तक नियुक्त किये गये हैं; और

(घ) यदि किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया है, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) संघ लोक सेवा आयोग ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों में होने वाले सम्भावित स्थायी और अस्थायी आर्थिक / सांख्यिकीय अनुसंधान कर्त्ताओं अथवा इनके समान पदों में काफी संख्या में भर्ती के लिए मार्च, 1967 में विज्ञापन निकाला था। पूर्वानुमानित 60 रिक्तियों में से 22 रिक्तियों की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किये जाने की सम्भावना थी।

(ख) अनुसूचित जातियों के 37 तथा अनुसूचित आदिम जातियों के 3 उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था किन्तु अनुसूचित जातियों के 5 तथा अनुसूचित आदिम जातियों का 1 उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए नहीं आए।

(ग) और (घ) : आयोग मंत्रालयों / विभागों से ऐसे पदों के लिये, आरक्षण की स्थिति सहित निश्चित मांग प्राप्त होने पर उनके द्वारा बनाई गई नाभिका से उम्मीदवारों की सिफारिश करता है। नामिका अभी भी चालू है। अब तक अनुसूचित जातियों के 5 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार अनुसूचित जातियों के 4 उम्मीदवार पहले ही नियुक्त हो चुके हैं।

बम्बई में केरल राज्य की लाटरी के इनाम की राशि का चीनी नागरिक को भुगतान

6188. श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल राज्य लाटरी के ईनाम की राशि बम्बई में रहने वाले एक चीनी नागरिक को दी जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार को पत्र लिखा है;

(ख) यह अभ्यावेदन कब प्राप्त हुआ था और उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई नीति निर्देशक सिद्धान्त बनाये हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) 14 फरवरी, 1969 को केरल सरकार ने यह पता किया था कि क्या बम्बई के एक चीनी राष्ट्रिक तामे सोन ली को, जिसने 19 जनवरी, 1969 को राज्य लाटरी के सातवें परिणाम में प्रथम इनाम जीता था, इनाम की राशि अदा की जा सकती है। 24 फरवरी, 1969 को उत्तर में केरल सरकार को सूचित किया गया कि इनाम की राशि उसको अदा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है किन्तु उसे इस राशि में से कोई भी धनराशि भारत से बाहर भेजने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ग) नीति यह है कि भारत में भारतीय रुपये में अदा की गई इनाम की राशि को देश से बाहर भेजने की अनुमति न दी जाय।

Implementations of Official Languages (Amendment) Act, 1967

6169. **Shri Valmiki Choudhary** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) how long after the passage of the Official Languages (Amendment) Act, 1967 and the accompanying Resolution, necessary orders were issued to Ministries and Departments to implement the provisions contained therein and the date on which such orders were issued ;

(b) the reasons for so much delay in issuing such orders ; and

(c) whether any Ministry/Office has issued any orders other than these and if so the details thereof and the circumstances and the reasons for issuing them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The Official Languages (Amendment) Act came into force on 8th January, 1968. Detailed administrative instructions were issued under the Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 2/29/68-OL dated the 6th July, 1968, a copy of which has already been laid on the Table of the House.

(b) This was an important matter and several aspects were required to be carefully examined at various levels.

(c) According to the information available, the Ministries of Defence, Finance (Department of Expenditure), Railways and the Office of the Conptroller and Auditor General of India have issued instructions in pursuance of para 9 of the Home Ministry's instructions referred to above. The instructions issued by the Ministries/Departments are generally on the lines of the circular issued by the Ministry of Home Affairs. The supplementary instructions issued by the Officer of the Conptroller and Auditor General of India are generally in regard to dealing with matters involving interpretation of Statutes, Codes and Rules purely as a transitional arrangement in the absence of authentic Hindi translation of Codes and Rules and Hindi-English Glossary of Statutes, Technical Terms and expressions used in the Audit and Accounts Department. Action is in hand to get the translations completed early.

जम्मू में शरणार्थियों को स्वामित्वाधिकार देने के बारे में शेख अब्दुल्ला का भाषण

6170. **श्री सीताराम केसरी : श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान शेख अब्दुल्ला द्वारा 14 मार्च, 1969 को दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, जिसमें उन्होंने जम्मू में शरणार्थियों को निष्क्रांत भूमियों पर स्वामित्वाधिकार दिये जाने के प्रश्न पर काश्मीर में गड़बड़ी हो जाने की धमकी दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जम्मू व कश्मीर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अब्दुल्ला ने 14 मार्च, 1969 को अपने भाषण के दौरान कहा था कि यदि सरकार ने निष्क्रान्त सम्पत्ति पर शरणार्थियों को स्वामित्वाधिकार देने के लिए कार्रवाई की तो इसके भयानक परिणाम होंगे और कश्मीर में विद्रोह भड़क उठेगा ।

(ख) सरकार के विचार में शेख अब्दुल्ला द्वारा दिया गया वक्तव्य भ्रान्त धारणा वाला तथा कुमंत्रित था ।

गोल्चा प्रापर्टी (प्राइवेट) लिमिटेड

6171. **श्री रणजीत सिंह : श्री हरदयाल देवगुण :**

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विहित स्वार्थी व्यक्तियों ने ऐसा प्रचार करना आरम्भ कर दिया है कि गोचा प्रापर्टीज़ लिमिटेड, जयपुर का सरकारी परिसमापक प्रभावहीन था;

(ख) क्या उक्त फर्म के भूतपूर्व महा-प्रबन्धक के कुछ सम्बन्धी तथा उसका पुत्र, जो जमानत पर है, पुलिस की जांच में बाधा डाल रहे हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस, गोलचा प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के भूतपूर्व जनरल मैनेजर तथा उसके लड़के समेत कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406, 420, 477-क, 120-ख के अन्तर्गत एक दर्ज मामले की तहकीकात कर रही है। आशा है तहकीकात जल्द पूरी हो जायगी। तहकीकात के दौरान कोई बाधा के होने की सूचना नहीं है।

बर्मी नागरिकों को प्रौद्योगिकी और इंजीनियरी का प्रशिक्षण

6172. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्मी नागरिकों को प्रौद्योगिकी तथा इंजीनियरी के प्रशिक्षण की सुविधाएँ देना स्वीकार कर लिया गया है,

(ख) उन्हें क्या सुविधाएं दी जायेंगी, और

(ग) इस समय यह मामला किस अवस्था में हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) भारत सरकार ने देश की तकनीकी संस्थाओं में वर्मा के राष्ट्रिकों को प्रशिक्षण देने के रूप में वर्मा को सहायता देने का निर्णय किया है। वर्मा सरकार ने स्वःचालित एक्सचेंजों और टेलीफोन निर्माण सम्बन्धी आयोजना तथा डिजाइन स्थायी मार्ग (वे) इंजीनियरी, जहाजनिर्माण तथा सिविल विमानन के लिये मौसम विज्ञान में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में पूछताछ की थी, किन्तु वर्मी राष्ट्रिकों को प्रशिक्षित करने के लिये, उस देश से अब तक कोई विशिष्ट प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

भारत सरकार ने, सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना के अधीन वर्मी राष्ट्रिकों को भारत में उच्च शिक्षा के लिये 1968-69 और 1969-70 प्रत्येक वर्ष के लिये वर्मा को दो-दो छात्र-वृत्तियाँ देने का प्रस्ताव किया था, किन्तु वर्मा सरकार ने उन छात्रवृत्तियों के लिये किसी भी उम्मीदवार को प्रायोजित नहीं किया था।

अनुभाग अधिकारियों के लिये सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा

6173. **श्री विक्रम चन्द महाजन :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुभाग अधिकारियों के लिये सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 1966 से नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निकट भविष्य में ऐसी परीक्षा करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो अनुमानतः किस तारीख को ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) अनुभाग अधिकारियों के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा सन् 1966 से नहीं ली जा सकी क्योंकि पात्रता की शर्तों में संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन था।

(ग) और (घ) अगली परीक्षा 19 दिसम्बर, 1969 को ली जायगी।

Gambling in Higher Secondary Schools in Delhi

6174. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the gambling going on in the Higher Secondary Schools in Delhi.

(b) if so, the number of persons arrested in this connection last year and the number of students out of them ; and

(c) the efforts being made by Government to stop such anti-social activities in Schools ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No such case was reported to Delhi Police during the year 1968 and 1969 (upto 31st March, 1969).

(b) and (c) Do not arise.

Construction of Aerodrome at Kanha, Madhya Pradesh

6175. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme to build an aerodrome near Kanha National Park, Madhya Pradesh for the convenience of tourists ; and

(b) if so, the time by which it is likely to be built ?

The Minister of Toursim and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

राज्यपालों की स्थानान्तरण सेवानिवृत्ति की प्रार्थनाएं

6176. श्री रामावतार शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में किन-किन राज्यपालों ने अपने वर्तमान पदों से स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति माँगी है; और

(ख) ऐसी प्रार्थनाओं के क्या कारण हैं और प्रत्येक मामले में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) किसी भी राज्यपाल ने स्थानान्तरण अथवा सेवा निवृति के लिए कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया है। तथापि, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री धर्मवीर ने कुछ माह पूर्व व्यक्तिगत आधार पर बदली के लिए अनुरोध किया था। तत्पश्चात उन्होंने अपने अनुरोध को दोहराया। इस समय वे छुट्टी पर हैं और बदली के लिए उनका अनुरोध विचाराधीन है।

पर्यटकों को रियायतें

6177. श्री सीताराम केसरी : श्री सु० कु० तापड़िया : श्री हिम्मत सिंह का :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने कुछ मार्गों पर पर्यटकों को रियायतें देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निर्णय के परिणाम स्वरूप एयर इंडिया की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) से (ग) अतर्राष्ट्रीय मार्गों पर किरायों का विनियमन आई० ए० टी० ए० के संकल्पों द्वारा किया जाता है। एयर इंडिया आई० ए० टी० ए० का सदस्य है तथा अपनी विमान सेवाओं पर पर्यटकों को एक तरफा तौर पर कोई रियायतें नहीं दे सकता। परन्तु इसने हाल में हुए आई० ए० टी० ए० सम्मेलनों में विभिन्न प्रकार के पर्यटन अभिवृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले किरायों को चालू करने का प्रस्ताव किया है, जिनका उद्देश्य भारत के लिये और अधिक।

इटावा में छिपे हुए पाकिस्तानी राष्ट्रजन

6178. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में कितने पाकिस्तानी लोग गुप्त रूप से रहते हैं; और

(ख) उन्हें देश में से बाहर निकालने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एक।

(ख) उसका पता लगाने के लिए प्रभावशाली प्रयत्न किये जा रहे हैं। उसका पता लगने पर उसे निर्वासित करने की कार्यवाही की जायगी।

खेल के मैदानों का निर्माण

6179. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया: क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय क्रीड़ा स्थल केन्द्र के अधीन खेल के कई मैदान तैयार कराये गये हैं, और

(ख) यदि हाँ, तो ये मैदान किस स्थान पर तैयार किये गये हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) नई दिल्ली में राजघाट के दक्षिण में लगभग 110 एकड़ भूमि के एक टुकड़े पर एक राष्ट्रीय खेल मैदान केन्द्र का विकास किया जा रहा है। इस भूमि के लगभग 20 एकड़ का उपयोग अस्थाई

तौर पर गाँधी शताब्दी प्रदर्शनी के लिये किया जा रहा है। शेष भूमि को शीघ्र ही समतल किये जाने की सम्भावना है। विभिन्न खेलों के लिये वहाँ प्रस्तावित खेल मैदानों और एक अंतरंग स्टेडियम के लिये अस्थायी नक्शे दिल्ली विकास प्राधिकारी को पेश किये जा रहे हैं। आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी हो जाने पर और अंतिम कामचलाऊ नक्शे तैयार होते ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

भारतीय विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम

6180. **अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या शिक्षा और युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिन्होंने पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया है और किस-किस विषय में ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 723/69]

मैसूर में नागरा में वीर शिवप्पानायक के महल का स्थान

6181. **श्री स० अ० अगड़ी :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री 23 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5520 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के जिला शिमोगा में नागरा में वीर शिवपानायक के महल के स्थान का संरक्षित स्मारकों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होना निर्णायक रूप में सिद्ध हो गया है और गिरजाघर का निर्माण कार्य रोक दिया गया है।

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार के अदेशों के बावजूद इस स्थान पर एक क्रास बना दियागया है, और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) मैसूर राज्य के शिमोगा जिले में नागरा में शिवप्पानायक के महल के स्थल की सीमा का अभी तक स्पष्ट रूप से निर्धारण नहीं हो सका है। फिर भी राज्य सरकार द्वारा गिरजे का निर्माण रोक दिया गया है।

(ख) और (ग) गिरजे का और निर्माण रोकने के सम्बन्ध में सरकारी आदेशों के जारी होने से पहले ही क्रास स्थापित किया जा चुका था। क्रास को हटाने के लिये इस स्तर पर कार्यवाई नहीं की जा सकती, यह स्थल पर की गई खुदाई में पाये गए साक्ष्य पर आधारित होगी।

होस्पेट में हवाई अड्डा

6182. **श्री स० अ० अगड़ी :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री 26 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1216 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होस्पेट के निकट एच० एस० 748 विमानों के लिए एक हवाई अड्डे के प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं;

(ख) क्या होस्पेट में पर्यटकों की सुविधा के लिये हवाई अड्डे का निर्माण किया जायेगा; और

(ग) यदि हाँ, तो कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्णसिंह) (क) और (ग) पर्यटन की अभिवृद्धि के हित में होस्पेट में एच० एस० 748 विमानों के लिए उपयुक्त एक हवाई अड्डा बनाने के लिए प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं। पहले तैयार किये गये प्राक्कलनों को, इस प्रयोजन के लिए भूमि की पुनरीक्षित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, पुनः तैयार करना पड़ा है। वस्तुतः प्रायोजना का प्रारम्भ किया जाना निधि कि उपलब्धि एवं होस्पेट को दी गयी प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

मैसूर राज्य के लिये पुरातत्वीय विभाग

6183. **श्री स० अ० अगड़ी :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री 9 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3394 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल मैसूर राज्य के लिये केन्द्रीय पुरातत्वीय विभाग का एक सर्किल स्थापित करने का निर्णय कर लिया गया है, और

(ख) यदि हाँ, तो इस सर्किल का उद्घाटन कब किया जायेगा और इसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। मामले पर अभी विचार किया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों के प्रबन्ध की दृष्टि से, प्रशासनिक सुविधा के लिये, राज्यवार नहीं, सर्वेक्षण अंचलों (सर्किलों) की स्थापना की गई है।

संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते की एक समान दर

6184. **श्री एस० के० सम्बन्धन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों को समान दर पर महँगाई भत्ता दिया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या अन्तिम महँगाई भत्ता वृद्धि प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में दी गई थी और यह वृद्धि कितनी राशि की थी ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्।

दिल्ली, गोवा, दमन व दीव, अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्कादीव, मिनिकाय और अमिनदीवी द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्रों में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत दरों पर महँगाई भत्ता प्राप्त होता है। मनीपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, पांडिचेरी और दादर तथा नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों में नियुक्त सरकारी

कर्मचारियों को क्रमशः आसाम, पश्चिम बङ्गाल, पंजाब, तमिलनाडु, और गुजरात की पड़ोसी राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ता प्राप्त होता है।

(ग) गोवा, दमन और दीव, दादर व नागर हवेली, पान्डिचेरी और चण्डीगढ़ को छोड़कर महँगाई भत्ता द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार दिया जाता है। गोवा, दमन और दीव में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को महँगाई भत्ता केन्द्रीय दरों पर दिया जा रहा है क्योंकि गोवा को स्वतन्त्र कराये जाने के समय बहुत से उसके कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों से अधिक वेतन मान इत्यादि प्राप्त कर रहे थे और उनके वेतन और भत्तों के बराबर लाकर सुरक्षित किया गया था। पान्डिचेरी, दादर और नागर हवेली तथा चण्डीगढ़ में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को तमिलनाडु, गुजरात और पंजाब सरकारों द्वारा स्वीकृत दरों पर महँगाई भत्ता द्वितीय वेतन आयोग द्वारा बनाये गये सिद्धान्तों के अनुसार दिया जा रहा है।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 724/69]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

आन्ध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के बदले जाने के बारे में श्री मुल्याल राव का कथित वक्तव्य

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ तथा निवेदन करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"केन्द्रीय उपमंत्री द्वारा दिया गया यह कथित वक्तव्य कि आन्ध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को सम्भवतः बदल दिया जायेगा और तेलंगाना को स्वायत्तता दी जायेगी तथा उस पर भारत सरकार के गृह सचिव की कथित टिप्पणियाँ"

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I rise on a point of order. I object on the statement proposed to be given by the Minister of Home Affairs. The issue has three aspects. Violation of property, indiscipline and the statement by a Minister. In fact it is a wider issue. We have to see how far the Ministers are at liberty to make statements and whether there should be coordination in the statements made by various Ministers. The Ministry of Home Affairs has certain powers such as in respect of items 45 and 48 relating to I. C. S. Officers etc.................. (Interruption).

अध्यक्ष महोदय : आप अपना अवसर आने पर यह प्रश्न उठा सकते हैं,

Shri Madhu Limaye : This matter is beyond the jurisdiction of the Ministers of Home Affairs. It would, therefore, be proper if the Prime Minister replies to it.

अध्यक्ष महोदय : यह ध्यान दिलाने वाली सूचना उपमंत्री महोदय के वक्तव्य के बारे में भी है, किन्तु वक्तव्य में उसका कोई उल्लेख नहीं है।

गृह कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, तेलंगाना क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा के उपायों की क्रियान्विति के बारे में समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सरकार ने

केन्द्रीय गृह सचिव को वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हैदराबाद जाने के लिए कहा था। वह तथा उनके सहयोगी 3 अप्रैल से 5 अप्रैल, 1869 तक हैदराबाद में रहे। 5 अप्रैल को दिल्ली के लिए प्रस्थान करने से पहले वह समाचार पत्रों के संवाद्दाताओं से मिले। संवाद्दाताओं से बातचीत करते समय एक संवाद्दाता ने उनका ध्यान केन्द्रीय विधि उपमंत्री श्री जे० बी० मुल्याल राव के इस कथित वक्तव्य की ओर दिलाया था कि संभवत: आंध्र प्रदेश सरकार के वर्तमान मुख्य सचिव के स्थान पर केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी नियुक्ति किया जायेगा। केन्द्रीय गृह सचिव से यह पूछा गया था कि क्या केन्द्र राज्य सम्बन्धों के सन्दर्भ में इस प्रकार का सार्वजनिक वक्तव्य दिया जाना उचित है। गृह सचिव ने अपने उत्तर में कहा था कि केन्द्रीय उपमंत्री द्वारा व्यक्त कथित विचारों के बारे में टिप्पणी करना उनका काम नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले विषयों के बारे में वह सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं। समाचार पत्र संवाद्दाताओं में तेलंगाना की स्वायत्तता के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा था।

श्री चेंगल राया नायडू : उपमंत्री महोदय के वक्तव्य के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। उसके बारे में कुछ कहे जाने पर ही मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : लगभग दस दिन पहले श्री नायडू ने ध्यान दिलाने की सूचना दी थी और मैंने उनसे कहा था कि परिस्थितियों को देखते हुए क्या श्री मुल्याल राव द्वारा दिये गये कथित वक्तव्य की ओर सारी सभा का ध्यान दिलाया जाना आवश्यक है? आप इसे भूल क्यों नहीं जाते? मैंने उन्हें इसके लिए सहमत करा लिया था। फिर श्री मधु लिमये ने मामला उठाया। इसलिए मैंने इन दोनों मामलों को, अर्थात् उपमंत्री महोदय के वक्तव्य के बारे में शिकायत तथा सचिव के वक्तव्य के बारे में शिकायत एक साथ रख दिया। श्री चव्हाण ने गृह सचिव के वक्तव्य के बारे में स्थिति पूर्णत: स्पष्ट कर दी है, किन्तु उपमंत्री महोदय के वक्तव्य के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। श्री नायडू का कहना है कि जब तक उपमंत्री महोदय के वक्तव्य के बारे में कुछ नहीं कहा जायेगा तब तक वह अनुसूचक प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं। मैं नहीं समझता कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ।

श्री चेंगल राया नायडू : 31 मार्च को प्रेस क्लब में संवाद्दाताओं के सामने बोलते हुए श्री मुल्याल राव ने कहा था कि मुख्य सचिव के स्थान पर तेलंगाना क्षेत्र का अथवा केन्द्रीय सरकार का कोई वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया जायेगा, तेलंगाना की जनता में विश्वास पैदा करने के लिये विभिन्न उपायों का सुझाव देते हुए श्री राव ने कहा था कि तेलंगाना क्षेत्र से कोई व्यक्ति उप मुख्य मंत्री तत्काल ही नियुक्त किया जाना चाहिए और उसे गृह कार्य, जी० ए० डी० पुलिस, कानून और व्यवस्था, न्यायालय, सेवा, राजनीतिक तथा अन्य सम्बन्धित विभाग किए जाने चाहिए। केन्द्रीय उपमंत्री चाहते हैं कि आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा नेताओं को यह वचन देना चाहिए कि अगला मुख्य मन्त्री तेलंगाना निवासी होना चाहिए।''

यदि श्री राव मेरी तरह केवल संसद सदस्य होते तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। मैंने कुछ दिन पहले वक्तव्य दिया था कि तेलंगाना को स्वायत्तता दी जानी चाहिए। और राज्य में एक उपराज्य बनाया जाना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री पद पर जब एक वरिष्ट आई०

सी० एस० अधिकारी नियुक्त किया गया है तो वह अपना कार्य सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करके करता है। केन्द्रीय उपमंत्री महोदय जब यह कहें कि मुख्य सचिव को हटाया जाना चाहिए तो मुख्य सचिव के अधीनस्थ अधिकारी मुख्य सचिव का क्या आदर करेंगे ? क्या केन्द्रीय उपमंत्री इस प्रकार का वक्तव्य दे सकते हैं ? क्या इस प्रकार के वक्तव्य देने के बारे में मंत्रियों के लिये कोई आचार संहिता है ?

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख (परभणी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब कोई माननीय सदस्य किसी मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में ध्यानाकर्षण सूचना देता है तो यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस वक्तव्य का सरकार के प्रशासन के कार्य से सम्बन्ध है। जब तक उसका सम्बन्ध प्रशासन के कार्य से अथवा किसी मंत्री के नैतिक पतन से नहीं होता तब तक यह सभा मंत्री महोदय के आचरण के बारे में चर्चा नहीं कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने श्री मुल्याल राव से बातचीत की थी। उन्होंने यह नहीं कहा है कि मुख्य सचिव को बदला जाना चाहिए। उन्होंने कहा है" सम्भवतः (मे बी) बदला जा सकता है। हो सकता है कि उपमंत्री महोदय ने अपने वैयक्तिक विचार व्यक्त किये हों। हम सब जानते हैं कि वह किस क्षेत्र का इस सभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। हम समझ सकते हैं कि उन्होंने यह किस दबाव में कहा होगा। मंत्रियों के बारे में आचार संहिता है।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : कम से कम हमें यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि भविष्य में वे इस प्रकार के वक्तव्य नहीं देंगे।

Shri Madhu Limaye : It is wrong to say that Shri Muthyal Rao has not said 'must be removed'. He has said in para 2 (b) of his written statement "The Chief Secretary must be replaced by some senior official of the Telengana." The Home Minister has deliberately tried to mislead the House. With your permission I beg to lay the statement on the Table of the House.

The I. C. S. Secretaries of the Ministries are working in an indiscriminate manner. They have become dictators Will the Prime Minister exercise any checks on them ? I have copy of a letter of Shri Nanda written to the Prime Minister in which it has been said that Shri L. P. Singh does not apprise the Home Minister about the factual position. Now the Home Minister has said that Shri L. P. Singh has not said any such thing. Here is a press report with me which say :

"Newsmen drew Mr. Singh's attention to a recent observation by Mr. Muthyal Rao, Union Deputy Minister to the effect that the Chief Secretary must be replaced by an officer from Telengana or out side the State. If I were the Union Minister, said Mr. Singh, I should certainly never say a thing like that."

This is a press report and it has not been contradicted by any one. May I know from the Prime Minister whether Shri Muthyal Rao have violated the propriety? The Prime Minister should decide as to what extent a Minister takes liberty in making such statements. May I also know whether the Prime Minister will take any disciplinary action against Shri L. P. Singh ? This a matter of general administration. Kindly say some thing or**.........

**अध्यक्ष पीठ के आदेश से कार्यवाही वतांत से निकाला गया। देखिये पृष्ठ संख्या 125.

Expinged as ordered by the Chair Vide page 125.

अध्यक्ष महोदय : गृह कार्य मन्त्री भी सरकार की ओर से उत्तर देते हैं, न कि एक व्यक्ति के रूप में। प्रधान मन्त्री यहां पर उपस्थित हैं। यदि गृह कार्य मन्त्री उचित उत्तर नहीं देंगे तब प्रधान मन्त्री बोलेंगी।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्द्रयाल) : वाद विवाद का एक स्तर होना चाहिये। श्री लिमये ने प्रधान मन्त्री को अत्यन्त भद्दे ढंग से सम्बोधित किया है। अतः मेरा अनुरोध हैं कि उन शब्दों को कार्यवाही वृतान्त से निकाला जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि इस प्रकार की कोई बात हो तो उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जायेगा।

श्री मनोहरन (मद्रास-उत्तर) : गृह कार्य मन्त्री द्वारा उत्तर दिये जाने से पहले श्री मुत्याल राव स्थिति का स्पष्टीकरण करें।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। गृह कार्य मन्त्री।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : श्री लिमये ने कहा कि प्रत्येक मन्त्री विचित्र है। मैं भी कह सकता हूँ कि श्री लिमये महा विचित्र हैं। श्री मुत्याल राव ने सभा में आने से पहले मुझे बताया था कि उन्होंने 'सम्भवतः बदला जाये' (मे बी रिमूव्ड) कहा था। उन्होंने जो प्रति मुझे दी है, उसमें भी वही शब्द हैं। अब उनके पास कोई दूसरी प्रति है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह वक्तव्य दिया था।

सचिव के बारे में श्री लिमये ने कहा है कि कुछ समाचार पत्रों ने यह समाचार प्रकाशित किया है। मैंने इसे बहुत पहले रोकने का प्रयत्न किया था। दुर्भाग्यवश यह समाचार दिल्ली के किसी समाचारपत्र में प्रकाशित नहीं हुआ था। जब संवाददाता आये, उन्हें इस बात का पता नहीं था और हमने जानकारी एकत्रित करनी आरम्भ कर दी। उन्होंने यह बात कही थी और इस पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अगला विषय लेने से पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य श्री लिमये द्वारा प्रयुक्त भाषा शिष्ट नहीं है। अतः मैं उसे कार्यवाही वृतान्त से निकाले जाने का आदेश देता हूँ।

Shri Madhu Limaye: What is the use of expinging it when it has already been recorded ?*

श्री नाथपाई (राजापुर) : औचित्य अथवा अनौचित्य के बारे में निर्णय करना आपका काम है। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि नम्र भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए और उसका भी गहरा अर्थ निकल सकता है। मैं आप से मार्गदर्शन चाहता हूँ कि जिन शब्दों के प्रयोग की आपने पहले अनुमति दी थी उनका क्या हुआ। कब ये शब्द शिष्ट रहते हैं और कब अशिष्ट बन जाते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे पहले अवसर के बारे में याद नहीं है। यदि कोई आपत्ति नहीं

---

* अध्यक्षपीठ द्वारा कार्यवाही वृतान्त से निकाला गया।

*Expinged as ordered by the Chair.

उठाये तो यह ठीक है। यह असंसदीय भाषा का प्रश्न नहीं है। यदि हम यह मान भी लें कि पहले किसी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया था तो क्या उनकी पुनरावृत्ति होना अच्छा है ?

Shri A. S. Saigal : I think the word** used by Shri Limaye for the **Prime** Minister is indecent.

'फिनेन्सियल एक्सप्रेस' बम्बई के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न

QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST "FINANCIAL EXPRESS" BOMBAY

Shri George Fernendese (Bombay South) : Mr. Speaker, Sir although the question of privilege which I am raising here relates to the **Financial Express** only, yet I have to make complaints against the officers of the Trombay Unit of Fertiliser Corporation. The Report of the Public undertakings Comittee of Parliament on the working of Bombay Fertiliser Corporation was **submitted** by its Chairman, Shri Dhillon on the 12th March, 1969. The Committee had criticised, the said Corporation. The officers of the Fertiliser Corporation and the American Company, Chemico, against which complaints were there, criticised the report before various parties which fact had come to light. The American Company Chemico which was involved therein, had been giving full page advertisements to the newspaper under the caption "Truth about Trombay" which in effect was a criticism of the report of the Committee without actually naming it. While, on the one hand, all this propaganda by this Company was going on, on the other hand, the officers of the Bombay Fertiliser Corporation, influenced the Corespondent of the Financial Express and got an artical published in that paper opposing the suggestions of the Committee, which tantamounted to contempt of the Committee i. e., the Public Undertakings Committee.

The Committee had criticised the officers of this Unit of the Corporation **inter-alia** for its contract with its American collaborators viz. The Chemico, which had cost the country lakhs of rupees.

The article not only refuted the findings of the Committee but also presented the whole thing in such a manner as though the Committee had not gone into the basic issues regarding decline in production etc. at all and had called the criticisms of the Committee as "an ill-informed criticism" and further criticised the Committee for holding the enquiry in a wrong manner.

Finally, I would like to quote two sentences from the article itself published in that Paper. It reads :

"But many in the plant felt disgusted at the ill-timed report of the Committee on Public Undertakings, which, to quote one "brought back the dirty linen for a second wash in the public." It is to be hoped that the Committee on Public Undertaking's report would turn out to be nothing more than kindling the dead fire."

Thus the findings of the Committee were refuted by the officers of the Bombay Fertiliser Corporation in collusion with the correspondent of the above paper as it isevident from the article referred to. Therefore, a question of privilege arises not only against the Paper but also against the officers of the Corporation who had a hand in criticism against the findings and suggestions of the Committee. The matter should be referred to the

---

** अध्यपीठ के आदेश से कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया। देखिए पृष्ठ 125.

**Expinged as ordered by the Chair vide page 125.

Privilege to Committee against both the correspondents concerned of the said Paper as also against the concerned officers of the Corporation.

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि इसके लिये मन्त्री महोदय को कुछ समय की आवश्यकता होगी।

पेट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : मैं सम्बन्धित अधिकारियों से तथ्यों का पता लगाऊँगा।

अध्यक्ष महोदय : आप दो दिन का समय ले सकते हैं। हम इस विषय को सोमवार को लेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत के राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास परिषद निगम का वार्षिक प्रतिवेदन तथा राष्ट्रीय ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्था का प्रतिवेदन

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहाँनारा जयपाल सिंह) : मैं डा० वी० के० आर० वी० राव की ओर से निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अधीन भारत के राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली, के 1967-68 के वार्षिक प्रतिवेदन हिन्दी तथा (अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

राष्ट्रीय ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्था, रांची, के वर्ष 1966-67 और 1967-68 के प्रतिवेदन की एक प्रति। [पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०-687/69]

विमान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) :

मैं विमान अधिनियम, 1934 की धारा 14-क के अधीन विमान (दूसरा संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 8 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या, जी० एस० आर० 544 में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण सभा पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 688/69]

शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया कार्य की समीक्षा तथा शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, का वार्षिक प्रतिवेदन, आदि।

संसदीय कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति :—

(एक) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1967-68 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई, का 1967-68 का वार्षिक

प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियाँ। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 689/69] लोक-सभा के विभिन्न सत्रों, प्रत्येक सामने वर्ष, के दौरान, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों वचनों, तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण :—

(एक) विवरण संख्या 1	सातवां सत्र, 1969 (चौथी लोक-सभा)
(दो) अनुपूरक विवारण संख्या 2 और 3	छठा सत्र, 1968 (चौथी लोक-सभा)
(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या 9 और 10	पांचवां सत्र, 1968 (चौथी लोक-सभा)
(चार) अनुपूरक विवरण संख्या 16	चौथा सत्र, 1968 (चौथी लोक-सभा)
(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या 11	तीसरा सत्र, 1967 (चौथी लोक-सभा)
(छः) अनुपूरक विवरण संख्या 18	दूसरा सत्र, 1967 (चौथी लोक-सभा)
(सात) अनुपूरक विवरण संख्या 16	पहला सत्र, 1967 (चौथी लोक-सभा)
(आठ) अनुपूरक विवरण संख्या 18	चौदहवां सत्र, 1966 (तीसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 690/69]

केन्द्रीय सरकार द्वारा लिये गये बाजार-ऋण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चं० सेठी) :
मैं 1969-70 में केन्द्रीय सरकार द्वारा लिये गये बाजार ऋणों के बारे में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (1) -डब्ल्यू एण्ड एम०/69 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखेंगे जो दिनांक 10 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, सभापटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-691/69]

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मद संख्या 7 के बारे में मैं एक प्रश्न उठाने के लिये अनुमति चाहता हूँ।

14, मार्च, 1969 को सभा में श्री विद्याचरण शुक्ल ने आश्वासन दिया था कि नौकरी से निकाले गये तथा मुअत्तिल किये गये सरकारी कर्मचारियों के मामलों में सरकार उदार नीति अपनायेगी। उन्होंने कहा था कि यह अस्थायी कर्मचारियों पर भी लागू होगा। उनके अनुसार कुछ दर्जन कर्मचारियों को छोड़ कर सब कर्मचारी बहाल किये जाने थे। हमने मन्त्री महोदय के इस वक्तव्य का स्वागत किया और सब सम्बन्धित व्यक्तियों को तार द्वारा सरकार के निर्णय के बारे में सूचित कर दिया। मैंने और श्री जोशी ने 24 मार्च से भूख हड़ताल करने का अपना निर्णय भी बदल दिया। 15 मार्च 1969 को तथा कथित गोपनीय पत्र की एक प्रति से हमें पता लगा कि अस्थायी कर्मचारियों के बारे में यह नीति नहीं अपनाई जायेगी। हमने उनका ध्यान इस ओर दिलाया और उन्होंने 28 मार्च को बताया कि हिंसक कार्यवाही करने वाले व्यक्तियों को छोड़कर सब लोगों को बहाल कर दिया जायेगा चाहे वे स्थायी हो अथवा अस्थायी। हमने सोचा कि जारी किये जाने वाले आदेशों में अस्थायी कर्मचारियों को बहाल करने के बारे में कहा जायेगा। किन्तु ऐसा नहीं किया गया। कासीपुर की दुर्घटना के बाद, जहाँ पर अस्थायी कर्मचारियों को बहाल करने की माँग के लिये बैठक आयोजित की गई थी, मन्त्री महोदय द्वारा दिया गया आश्वासन क्रियान्वित किया जाना चाहिए। अन्यथा संसद भवन के बाहर धरना दी जायेगी। मैं आपके

माध्यम से गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि अस्थायी कर्मचारियों को बहाल करने के आदेश दिये जायें।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई आश्वासन पूरा नहीं किया जाता है तो आश्वासनों सम्बन्धी समिति उस पर विचार करती है।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : This is not only the question of assurance, it is a question of implementation of the policy of Government.

अध्यक्ष महोदय : वाद-विवाद की एक सीमा होनी चाहिए। मैंने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं की अनुमति दी है। अब इस पर किसी को और कुछ कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

अन्तर्राज्यीय जल विवाद के अन्तंगत अधिसूचनाएं

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) :

मैं अन्तर्राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं तथा संदर्भों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

(एक) संख्या एस० ओ० 1419 (अंग्रेजी संस्करण) और एस० ओ० 1420 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 10 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिनके द्वारा 'कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण' गठित किया गया तथा उक्त न्यायाधिकरण के सभापति के नाम दिनांक 10 अप्रैल, 1969 का संदर्भ संख्या डी० डब्ल्यू 32 (19)/68।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल. टी. 692/69]

(दो) संख्या एस० ओ० 1421 (अंग्रेजी संस्करण) और एस० ओ० 1422 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 10 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिनके द्वारा 'गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण' गठित किया गया और उक्त न्यायाधिकरण के सभापति के नाम दिनांक 10 अप्रैल, 1969 का संदर्भ संख्या डी० डब्ल्यू 32 (19)/68।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 693/69]

अध्यक्ष महोदय : मैं अगला विषय लेने से पहले कुछ स्थगन प्रस्तावों के बारे में, जो मुझे प्राप्त हुए हैं कुछ कहना चाहता हूँ। श्री रंगा कल मेरे पास आये थे। वह सरकार द्वारा प्रायोजित बन्ध के बारे में कुछ उत्तेजित थे और उस मामले को सभा में उठाने के बारे में अनुमति चाहते थे। मैंने उन्हें बताया कि मैं मंत्री महोदय से इस मामले में वक्तव्य देने के लिये कहूँगा क्योंकि माननीय सदस्य द्वारा यह मामला उठाये जाने पर विवाद खड़ा हो जायेगा। वह मुझसे सहमत हो गये। अतः मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य इस मामले में उत्तेजित न हों। यदि वे चाहें तो मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिये जाने के बाद इस पर चर्चा कर सकते हैं।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मैं छः बजे वक्तव्य दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आज कुछ और प्रस्तावों की सूचनाएँ प्राप्त हुई। श्रीमती सुचेता कृपालानी तथा श्रीमती शारदा मुकर्जी बंगाल के बारे में चर्चा उठाना चाहती है। मैंने इन प्रस्तावों

को स्थगित करके अभी उनके बारे में कोई निर्णय नहीं दिया है। निर्णय देने से पहले मैं मन्त्री महोदय का वक्तव्य सुनना चाहता हूँ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : आपको कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों के आधार पर निर्णय करना है। हम समझते हैं कि वक्तव्य दिये जाने तक आप स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के बारे में विचार कर रहे हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I wrote a letter to you in which I stated that..................

अध्यक्ष महोदय : आप उसके बारे में स्पष्टीकरण क्यों देना चाहते हैं। आप फिर मामले को जटिल बना रहे हैं। आपको मुख्य प्रस्ताव के बारे में स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। मेरे पास श्री रंगा, श्री नाथ पाई, श्रीमती सुचेता कृपालानी तथा अन्य सदस्यों के प्रस्ताव हैं। मैं इनके बारे में अभी निर्णय नहीं दे रहा हूँ। गृह मंत्री महोदय का वक्तव्य सुनने के बाद मैं इन पर विचार करूँगा।

पौने चार बजे प्रधान मंत्री तेलंगाना समस्या के बारे में वक्तव्य देंगी। प्रधान मंत्री ने इस समस्या पर नेताओं से विचार विमर्श किया है।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

14 अप्रैल, 1669 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य

संसद कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूँ कि सोमवार, 14 अप्रैल, 1969 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में सभा में निम्न सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) समाज कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर आगे चर्चा तथा मतदान।

(2) वैदेशिक व्यापार तथा पूर्ति मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

(3) शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

(4) सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

(5) प्रतिरक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

(6) संविधान (बाईसवां संशोधन) विधेयक, 1969, (विचार तथा पास करना) जो प्रश्नों के निबटाये जाने के पश्चात मंगलवार, 15 अप्रैल, 1969 को लिया जायेगा।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुला रहा हूँ। उस बैठक में ये सब

बातें उठाई जा सकती हैं। यदि वे इस समय उठाई भी गई तो उन पर कोई निर्णय नहीं किया जायेगा। इसलिए हमें उन पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।

तारांकित प्रश्न संख्या 335 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 335

दिल्ली नहर निगम की केन्द्र पर बकाया राशि

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : दिल्ली नगर निगम की केन्द्र पर बकाया राशियों के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 335 पर अनुपूक प्रश्न के समय मैंने कहा था कि निगम ने केन्द्र को 7 करोड़ रुपये देने हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह था कि दिल्ली नगर निगम का कुल दायित्व 7 करोड़ रुपये का था। यह दायित्व जल संभरण तथा मलमूत्र निष्कासन उपक्रमों को देय राशियों, सरकार को देय ऋणों की किश्तों, ठेकेदारों एवं संभरण कर्ताओं के बिलों तथा मंहगाई भत्ते की बकाया राशियों के सम्बन्ध में था।

अपने इस वक्तव्य के सम्बन्ध में, कि रेड्डी प्रतिवेदन पर निर्णय किये जाने से पहले मोरारका आयोग नियुक्त किया गया था तथा मोरारका आयोग को मामलों पर पुनर्विचार करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कहा गया था, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि डा० रेड्डी ने 31 दिसम्बर, 1966 को एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। बाद में 7 मार्च, 1967 को डा० रेड्डी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में आयोग ने, कुछ और अध्ययन किये जाने के बाद उसकी अनेक सिफारिशों का पुनरीक्षण करने का निर्णय किया था, तद्पश्चात जब डा० रेड्डी के स्थान पर श्री मोरारका अध्यक्ष नियुक्त किये गये, आयोग ने अपना पुनरीक्षत अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याहन भोजन के लिये दो बजकर पन्द्रह मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुए

The Lok-Sabha then adjourned till Fifteen Minutes past fourteen of the Clock.

मध्याहन भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजकर अठारह मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok-Sabha reassembled after Lunch at eighteen Minutes past fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

अनुदानों की माँगें—जारी

DEMANDS FOR GRANTS—CONTD.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय—जारी

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : कृषि उत्पादन में वृद्धि का अधिकांश श्रेय भारतीय किसानों, कृषि वैज्ञानिकों, प्रशासन तथा विस्तार कर्मचारियों को, जिन्होंने उत्पादन

बढ़ाने के अपने-अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। कृषि वैज्ञानिक अधिक उपज देने वाले बीजों का विकास करने की दिशा में भूल और बुनियादी अनुसन्धान के लिए अत्यन्त सराहनीय कार्य कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद तथा सरकार वैज्ञानिकों के लिए अनुसन्धान की सुविधाओं की यथासम्भव व्यवस्था कर रही है। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूँ कि हम इस प्रकार का वातावरण पैदा कर देंगे जिसमें वैज्ञानिक यह समझेंगे कि सरकार उनकी ओर यथोचित ध्यान दे रही है।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये भूमि एक पहली महत्वपूर्ण आवश्यकता है। भूमि सुधार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। कुछ माननीय सदस्यों ने भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों की क्रियान्विति ठीक ढङ्ग से न किये जाने के लिये केन्द्र को दोषी ठहराया है। इस सम्बन्ध में मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों की क्रियान्विति राज्य सरकारों का विषय है। केन्द्र राज्य सरकारों से उनकी शीघ्र तथा उचित ढङ्ग से क्रियान्विति के लिए अनुरोध कर सकती है, अन्तोगत्वा यह कार्य राज्य सरकारों को ही करना है। हम राज्य सरकारों के साथ इस कार्य में पूरा-पूरा सहयोग करने के लिये तैयार हैं, गैर-कांग्रेसी सरकार वाले राज्यों का केन्द्र को इस बात के लिए दोषी ठहराना गलत है कि भूमि सुधार करने के मार्ग में वह बाधा डाल रही है। मैं फिर यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि हम उनकी यथासम्भव सहायता करने के लिये तैयार हैं। जमींदारी प्रथा देश से प्रायः समाप्त हो चुकी हैं। जहाँ कहीं भी इसके अवशेष रह गये हैं वे भी धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं। माननीय सदस्य श्री नायनार ने केरल के भूमि सुधार सम्बन्धी विधेयक का उल्लेख किया। यह विधेयक केरल विधान सभा की प्रवर समिति के विचाराधीन है। केरल सरकार ने उसे यह राष्ट्रपति की अनुमति के लिये भेजा है। मैं समझता हूँ कि केरल सरकार को यह विधेयक पहले राज्य सरकार के स्तर पर पारित करा लेना चाहिये।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पानी अत्यन्त आवश्यक है। चाहे कितनी ही अधिक उपज देने वाले बीज बोए जायें जब तक भूमि को पानी नहीं मिलेगा उत्पादन नहीं बढ़ सकता है। अतः हम यह प्रयत्न कर रहे हैं कि अधिक से अधिक भूमि में सिंचाई की जाये। वह दो वर्षों में अभूतपूर्व सूखे के कारण प्रशासक तथा किसान यह अच्छी तरह समझ गये हैं कि उत्पादन बढ़ाने के सर्वाधिक महत्व सिंचाई को दिया जाये। गत दो वर्षों में हमने बड़ी संख्या में नलकूपों तथा सामान्य कूपों की व्यवस्था करके छोटी सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध की हैं। बिजली की सप्लाई करने में थोड़ा विलम्ब अवश्य हुआ है। हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में अधिक से अधिक गाँवों में बिजली की व्यवस्था की जाये। नलकूपों के बिजली की व्यवस्था करने के लिये यथासम्भव प्रयत्न किया जाता है। प्रत्येक राज्य में नलकूपों तथा अन्य छोटी सिंचाई की व्यवस्था की गई है। श्री ज्योतिर्मय बसु ने पश्चिम बंगाल के बारे में शिकायत की है। यह ठीक है कि उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में कृषि के विकास को अधिक महत्व नहीं दिया गया था किन्तु पिछले दो वर्षों से सभी राज्यों में संतोषजनक कार्य हो रहा है। पश्चिम बंगाल में भी कृषि क्रान्ति आरम्भ हो गई है।

हमारे देश में कुछ क्षेत्र ऐसे है जहाँ साधारण बोरिंग मशीन ठीक से काम नहीं करती।

हम शक्तिशाली बोरिंग मशीनों को देश बनाने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसी कुछ मशीनें विदेशों से भी मंगा रहे हैं। छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए किसानों को ऋण दिया जायेगा। पहले तो वाणिज्यिक बैङ्क कृषि क्षेत्र के लिए ऋण देते हुए संकोच करते थे परन्तु अब तो वे कृषि विकास या नलकूप आदि के लिए ऋण देते हैं। कृषि विकास बैङ्क, सहकारी समितियाँ, कृषि बिना निगम और वाणिज्यिक बैङ्क अब कृषि क्षेत्र के लिए किसानों को अल्पावधि, दीर्घावधि और मध्यमावधि ऋण देते हैं। जहाँ छोटे किसान अपने कुएँ या नलकूप लगाने की स्थिति में नहीं हैं वहाँ पर राजकीय नलकूप लगवाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में ऐसे नलकूप पंचायतों द्वारा भी लगवाये जा रहे हैं। इनसे छोटे किसानों को लाभ होता है। बजट में जितना धन राज्यों को इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है राज्य सरकारें उसे छोटे किसानों के लाभ के लिए काम में लायें, क्योंकि बड़े किसानों को तो अन्य संस्थाओं से भी ऋण मिल जाता है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में क्या स्थिति है।

श्री जगजीवन राम : मैं प्रत्येक राज्य के बारे में अलग-अलग से नहीं बता रहा हूँ। मैं तो सामान्य जानकारी दे रहा हूँ जो सभी राज्यों पर लागू होती है। मैं इस बात को मानता हूँ कि छोटे किसानों को सहायता की अधिक आवश्यकता है। यह भी सच है कि सहकारी संस्थाओं से छोटे किसानों को जितना लाभ होना चाहिए, उतना लाभ नहीं हो रहा है। इसलिए चौथी पंचवर्षीय योजना में छोटे किसानों की सहायता के लिए एक विशेष योजना बनाई गई हैं।

कृषि-क्षेत्र में ट्रेक्टरों की आवश्यकता अब अनुभव की जा रही है। आज छोटे किसानों को भी ट्रेक्टर की आवश्यकता है क्योंकि बैल महंगे होते जा रहे है। इसलिए मेरा यह विचार है कि कृषि-उद्योग निगम को समस्त करके उसकी अनेक शाखाएँ देश के विभिन्न भागों में खोली जायें जहाँ से ट्रेक्टर और अन्य उपकरण छोटे किसानों को उचित किराये पर मिल सकें। सहकारी समितियाँ भी इस काम को कर सकती है। परन्तु उन्हें इस पर सीमित लाभ ही लेना चाहिए। यदि कुछ युवक इस कार्य में आगे आयेंगे तो हम उन्हें हर संभव सहायता देंगे। इसमें सन्देह नहीं है कि देश में ट्रेक्टरों का अभाव है। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि देश में अधिक से अधिक ट्रेक्टरों का उत्पादन हो। इसी दृष्टि से हमने ट्रेक्टर उद्योग से लाइसेंस उठा लिया था। इसके परिणाम स्वरूप कई कम्पनियों ने विदेशी ट्रेक्टर निर्माता फर्मों के साथ समझौते किये हैं और उनमें से कुछ तो इस वर्ष के अन्त तक ट्रेक्टर बनाने शुरू कर देंगे। सभी ट्रेक्टर-कारखानों में 15000 या 18000 ट्रेक्टरों का निर्माण होगा, जिससे देश में ट्रेक्टरों की मांग पूरी नहीं होगी। इसीलिए हम ट्रेक्टरों का विदेशों से आयात कर रहे हैं परन्तु कभी-कभी परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न होती है कि विदेशों से ठीक समय पर माल नहीं पहुँच पाता है। चैकोस्लोवाकिया में गड़बड़ के कारण वहाँ से ट्रेक्टर न आ सके। इसी प्रकार रूस से भी ट्रेक्टरों के समय पर, पहुँचने की संभावना नहीं है। मैं इस बात पर प्राय: बल देता हूँ कि 10-15, या 20 से 25 अश्व-शक्ति वाले ट्रेक्टरों का उत्पादन अधिक हो। बिजली के हलों के निर्माण करने के लिए भी विदेशी कम्पनियों के साथ समझौते किये गये हैं हमने विदेशों में रहने वाले अपने सम्बन्धियों से उपहार के रूप में ट्रेक्टर लेने पर से भी प्रतिबन्ध उठा लिया है। ये कुछ कार्य किए गये हैं जिनसे स्थिति में कुछ सुधार होगा।

श्री चित्ति बाबू (चिंगलपट) : सम्बन्धियों से आपका क्या मतलब है। क्या मित्र भी उनमें सम्मिलित है?

श्री जगजीवन राम : जी, नहीं। केवल पत्नि, बहन, भाई, जीजा और साला, माता और पिता ही सम्बन्धी माने जाते हैं। बिजली के हलों पर भी यही बात लागू होती है।

जहाँ तक उर्वरकों का सम्बन्ध है, इस वर्ष स्थिति संतोषजनक है। अब हमारे पास देशी और आयातित दोनों प्रकार का इतना उर्वरक है कि उसे स्टोर करने की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस बार पहले से ही उर्वरक राज्यों सरकारों के पास भेज दिया जायेगा, ताकि वे अपने-अपने वितरण केन्द्रों पर ठीक समय पर पहुँचा सकें और जहाँ से किसान सुविधा पूर्वक उर्वरक लें सकें। कुछ सदस्यों की यह शिकायत सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ कि अब भी उर्वरक के मामले में चोरबाजारी हो रही है। यह बात पिछले वर्ष हुई होगी इस वर्ष इसकी कोई संभावना नहीं है। उर्वरक क्या देश में अधिक उत्पादन करने के लिए विदेशों से सहयोग किया जा रहा है। मुझे पूर्ण आशा है कि आगामी तीन-चार वर्षों में हम उर्वरक के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेंगे। साथ ही यह भी याद रखना है कि जैसे सिंचाई की सुविधाएं बदली जायेंगी और किसान उर्वरक-उन्मुख हो जायेंगे वैसे-वैसे उर्वरक की माँग देश में बढ़ती जायेगी।

जहाँ तक गोबर से खाद बनाने का प्रश्न है, मेरे विचार से इस क्षेत्र में संतोषजनक सफलता न मिलने का कारण यह है कि छोटे किसानों को गोबर के उपले जलाने की आदत पड़ी हुई है। वे लकड़ी, कोयले आदि पर खर्च करना नहीं चाहते। वैसे गोबर से अच्छी नाइट्रोजन खाद बनती है। कम्पोस्ट खाद बनाने की जो योजना सरकार की ओर से चालू की गई थी उसका उद्देश्य यही था। जब तक किसानों को ईंधन के लिए लकड़ी और कोयला आसानी से कम कीमत पर उपलब्ध नहीं किया जाता या उनकी मनोवृत्ति को नहीं बदला जाता, तब तक गोबर के खाद की बात करना सिद्धान्त तक ही सीमित रहेगा। किसानों की मनोवृत्ति को जन सेवकों के माध्यम से ही बदला जा सकता है, सरकारी ऐजेन्सियों के माध्यम से नहीं।

खेतों की जुताई और उर्वरक लगाने के बाद बीज की आवश्यकता होती है। साधारण बीज तो किसान स्वयं ही तैयार कर लेते हैं। तथापि उन्नत बीजों के लिये बुनियादी अच्छे प्रकार के बीजों की आवश्यकता होती है। उनके उत्पादन के लिए हमारे कुछ विश्वविद्यालय, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के कृषि-फार्म बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बीजों के वितरण को ध्यान में रखते हुए हमने एक बीज निगम की स्थापना भी की है, जो अच्छे किस्म के बीज खरीदकर उनका राज्यवार वितरण कर रहा है। कुछ सदस्यों ने बीज निगम की ऐजेन्टों की नियुक्ति की पद्धति आदि के बारे में शिकायतें की हैं। यदि माननीय सदस्य पूरा ब्यौरा देंगे तो मैं सम्बन्धित मामलों में जाँच कराकर गलतियों को दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करूँगा। साथ ही मैं यह कहना चाहता हूँ कि बावजूद गलतियों और कमियों के बीज निगम ने अच्छा काम किया है। वस्तुत: जब कोई कार्य आरम्भ किया जाता है तो शुरू में गलतियाँ होती ही हैं।

कई राज्यों में कृषकों ने बुनियादी बीज तथा विदेशी बीजों का भी उत्पादन किया है। हमें इस पर गर्व है। यह कार्य अशिक्षित कृषक कर रहे हैं। मैंने कुछ कृषकों को, जिनके पास केवल 2 या 3 एकड़ भूमि है संकर प्रकार के बाजरे तथा ज्वार के बीजों का उत्पादन करते हुए देखा है। वे अंग्रेजी नहीं जानते परन्तु अपने विकृत रूप में उन सब शब्दों को याद कर लिया है जो इन बीजों के उत्पादन के कार्य में प्रयुक्त होते हैं। कई प्रकार के खाद्यान्नों के लिए तो हमारे पास उपयुक्त

मात्रा में बीज हैं, अतः इन्हें उन सब छोटे से छोटे किसान को भी उपलब्ध करने चाहिए जिसे की इनकी आवश्य- कता हो।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विरुद्ध कुछ शिकायतें आई है कि वह बीज आदि की समय पर पूर्ति नहीं करता। यह उनका कार्य नहीं है। उनक कार्य तो केवल अनुसन्धान एवं प्रयोग करना है। 'ट्रिप्पल ड्वार्फ' को लेकर अफवाहें उड़ी कि वह बाजार में मिल रहा है। इसके बारे में यह धारणा बनाई गई कि संस्थान में ही किसी प्रकार इसकी चोरी करके इसे बेचा गया। परन्तु यह केवल अफवाहे मात्र हैं, क्योंकि अभी तक 'ट्रिप्पल ड्वार्फ' बीज पर प्रयोग जारी हैं। मैंने संस्थान को एक प्रैस विज्ञप्ति द्वारा किसानों को इस बीज का प्रयोग करने से रोकने को कहा। इसी प्रकार के और कई उदाहरण हैं कि लोगों को पहले से मालूम हो जाता है, तथा इस विषय की जांच करता हूँ तथा आवश्यक कार्यवाही करता हूँ।

ऋण देने के सम्बन्ध में हमने छोटे कृषकों को भी ऋण देने में सतर्कता बरती है। खड़ी फसल के ऊपर अल्पावधि ऋण प्रत्येक कृषक को उपलब्ध है। यही बात दीर्घावधि ऋण के सम्बन्ध में भी है। जहां पर सहकारी समितियों विकसित नहीं हुई हैं वहां कृषकों को उपलब्ध ऋण की सुविधाएं नहीं है। जैसे कि सदन को विदित है कि हमने एक कानून बनाकर ऋण देने के लिये संस्थानों की स्थापना की है जो कुछ राज्यों में सहकारी सस्थाओं से पृथक हैं। वणिज्यिक बैंकों के इस क्षेत्र में आने से छोटे कृषकों का भी इस सम्बन्ध में घ्यान रखा जायेगा।

खेती हर मजदूरों की गम्भीर समस्या के प्रश्न को देखते हुए एक समय यह आशा थी कि भूमि सम्बन्धी मूल सुधार तथा भूमि रखने की सीमा के लागू होने से कुछ भूमि भूमिविहीन लोगों को मिल जायेगी परन्तु यह आशा भी विफल हो गई। इनके लिए कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे इनकी आमदनी बढ़े। जब तक इस दिशा में ऐसे क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं किए जायेंगे कि जो व्यक्ति भूमि पर काम करते हैं, उन्हें भूमि दी जायेगी, तब तक खेती हर मजदूरों की यह समस्या सुलझेगी नहीं। वाणिज्यिक बैङ्कों से भी उन्हे ऋण की सुविधाएँ उपलब्ध होने में कठिनाई होती है क्योंकि उनके पास जमानत के तौर पर बैंकों रखने के लिए कुछ भी तो नहीं है। खेती हर मजदूर सहकारी सस्थाओं से भी ऋण नहीं ले सकता क्योंकि वहाँ भी उसे 200 रुपये ऋण लेने के लिए दो व्यक्तियों की जमानत देनी पड़ेगी। जिसे वह आसानी से नहीं कर सकता।

Shri Ramautar Shastri : You can provide the Agricultural labours with Railway lands.

श्री जगजीवन राम : रेलवे की चाक की जमीन भूमि हीन व्यक्तियों को देने का मामला तय किया जाता है। परन्तु यह कार्य करेगा कौन? राज्य के जिला मजिस्ट्रेट को यह कार्य सम्पन्न करने को कहा जाएगा कि यह भूमि भूमिविहीन लोगों को दी जाए। परन्तु इस सम्बन्ध में कितनी सच्चाई तथा निष्पक्षता बरती जायेगी यह उन अधिकारियों पर ही निर्भर है। इसकी जानकारी तथा निगरानी राज्य सरकार ही करेंगी।

केन्द्र में इस बात की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती कि कितने हजार व्यक्तियों को भूमि का आबंटन हो गया है तथा उनमें से वास्तव में कितने भूमिविहीन हैं।

गेहूँ और चावल की अधिक उपज वाली किस्मों में हमने बहुत सफलता प्राप्त कर ली है।

तथा इस दिशा में हम बहुत आगे निकल गए हैं। परन्तु हमारे देश में भूमि के बहुत बड़े क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती। लगभग 73 से 75 प्रतिशत जोतने योग्य भूमि में सिंचाई नहीं होती। कृषि वैज्ञानिकों को सूखे का सामना करने वाली फसल पर परीक्षण करने के लिए कहा गया है। जिससे उन फसलों में भी अधिक उपज वाली किस्में विकसित हो जाए। वस्तुतः भारत में पैदा किये जाने वाले खाद्यानों की संख्या कई दर्जन है। जिन पर अभी कोई अनुसन्धान कार्य नहीं किया गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस सम्बन्ध में भी हमें पूरी सफलता मिलेगी और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी उपज होने लगेगी। यह कार्य केवल भारतीय वैज्ञानिक ही करेंगे।

पाकिस्तान को छोड़कर दालों के उत्पादन में हमारा एकाधि है। दालों पर भी हमें अनुसन्धान काय करना पड़ेगा। दालों का निर्यात करने में भारत का एकाधिकार हो जायेगा। अब हम विदेशों की जो दालों का थोड़ा बहुत निर्यात करते हैं वह केवल वहां बसे भारतीयों की आवश्यकता पूर्ती के लिए ही है। अतः दालों का विदेशों में अधिकतम प्रचलन करने के प्रयत्न हो रहे हैं। जिससे दाल का बहुत अधिक मात्रा में निर्यात हो सके।

इसी प्रकार तिलहन के सम्बन्ध में देख भाल करनी हैं क्योंकि घी के अतिरिक्त अधिकतर लोग वनस्पति तेल पर ही निर्भर करते हैं। तिलहन की उपज को बढ़ावा देना है। देखा गया है कि एक वर्ष तो मूंगफली की बहुत अधिक उपज होती है परन्तु दूसरे वर्ष बहुत कम जिससे स्थिति बहुत बिगड़ जाती है और कभी-कभी तो मुझे जब बनस्पति तेल के मूल्य बढ़ने लगते हैं तो विदेशों से सायावीन तथा सन फलावर के तेल का आयात करना पड़ता है। इसलिए तिलहनों का भण्डार रखने का विचार है।

इन विधियों से हम कृषि उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मूल्य निर्धारण इस प्रकार हो जिससे कृषक को प्रोत्साहन मिले और इस दिशा में मैं भारतीय कृषकों का विश्वास बढ़ाने का दो वर्ष से प्रयत्न कर रहा हूँ। उत्पादन तभी होता है जब हम अनिवार्यतः उसका उत्पादन करते हैं। कहा जाता है कि उत्पादन मूल्यों का निर्धारण कर दिया जाए।

गेहूँ के क्रय के सम्बन्ध में मैं कहूँगा कि यह मूल्य क्रय मूल्य है ताकि उत्पादन मूल्य किसी कृषक को उस मूल्य पर सरकार को बेंचने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। यदि उसे कहीं अधिक मूल्य मिले तो उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इससे पूर्व भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने दो प्रकार के मूल्यों की घोषणा की थी। एक तो उत्पादन मूल्य था जिस पर कर था तथा कृषक को इस मूल्य पर गेहूँ बेचना पड़ता था। दूसरा मूल्य सहायक मूल्य था। यदि भाव निर्धारित स्तर से नीचे गिर जो सरकार को उस सहायक भाव पर खरीदना पड़ता था। परन्तु अब एक ही मूल्य निर्धारित है जो क्रय मूल्य है। सरकार को उस मूल्य पर खरीदना पड़ेगा। सरकार वह सारा खाद्यान्न खरीदेगी जितना कि किसान बेंचेगा। यदि किसान को और कहीं अधिक मूल्य मिलता है तो वह सरकार को नहीं बेचेगा।

श्री शिवा जी राव शं० देशमुख : कुछ राज्यों में जहाँ उत्पादन में एकाधिकार है कृषक अधिक मूल्य पर अपना उत्पादन नहीं बेच सकता।

श्री जगजीवन राम : मैं गेहूँ के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। जहाँ कहीं जैसे महाराष्ट्र में

उत्पादन में एकाधिकार है वहाँ वह ऐसा नहीं कर सकता। वह केवल अनुपाततः ही ऐसा कर सकता है। यह चावल के क्षेत्र में भी लागू है जहाँ पर उत्पादन में एकाधिकार अथवा कर नहीं हैं। कर देने पर वह शेष राशि को भी अधिक दाम पर बेच सकता है। अभी तक तो कृषकों के साथ यही होता रहा है कि जब भी वह अधिक उत्पादन करता है तो मूल्य गिर जाते हैं। इसके सम्बन्ध में मैं किसनों के लिए प्रोत्साहन मूल्य निर्धारित करने का २ वर्ष से प्रयत्न कर रहा हूँ। निर्धारित मूल्य पर जितना खाद्यान्न मुझे दिया जायेगा मैं वह सारा का सारा खरीद लूंगा।

कृषि उपज को खरीदने के लिए तीन अभिकरण हैं, खाद्य निगम, सहकारी विपणन समितियाँ और राज्य सरकारें। जब एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्यान्न ले जाना होता है तो यह समस्त कार्य खाद्य निगम तथा राज्य सरकार करती है; कुछ सदस्यों ने राजस्थान में खाद्य निगम के कुछ कदाचारों के बारे में शिकायतें की हैं। हमारा काम काफी बड़े पैमाने में हो रहा है तो मैं यह नहीं कहता कि हमसे कोई भी गल्ती नहीं होगी, परन्तु जब कभी भी कोई बात सामने आती है तो हम दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं। अभी भरतपुर और अलवर से राजस्थान सरकार की ओर से प्रतिनियुक्ति पर आये हुए अधिकारियों के विरुद्ध कुछ शिकायतें मिलीं हैं। हमने उनको वापिस भेज दिया है तथा राजस्थान सरकार को उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कहा है, जबकि हमारा कार्य विशाल पैमाने पर हो रहा है तो कुछ गल्तियाँ हो जानी स्वाभाविक है।

डा० रानेन सेन : (बारसाट) पश्चिमी बंगाल की यह शिकायत है कि खाद्य निगम किसानों से सस्ते दामों में खाद्यान्न क्रय करता है और पश्चिमी बंगाल की सरकार को ऊँचे भाव पर बेचता है।

श्री जगजीवन राम : मैं इसका भी उत्तर देता हूँ, यह कहा गया है कि वे खाद्यान को सस्ते मूल्य में खरीद कर ऊँचे मूल्य पर बेचते हैं। परन्तु क्या कभी माननीय सदस्यों ने यह जानने का प्रयत्न किया कि इस पर कितना कम आता है। अनाज बोरियों में रखना पड़ता है। उनकों मंडी मूल्य देना पड़ता है फिर मंडी से रेलवे स्टेशन और फिर वहाँ से कलकत्ता ले जाने से परिवहन व्यय आता है। इस प्रकार उनको गोदाम में खाद्यान रखने का भण्डार मूल्य भी देना पड़ता है।

श्री लोबे प्रभु (उदीपी) : व्यापारी क्षेत्र में अन्तर केवल 10 प्रतिशत का है और आपका अन्तर 33 प्रतिशत है। मैं जान सकता हूँ कि इसका अन्तर होने के क्या कारण हैं।

श्री जगजीवन राम : मैं आपको आंकड़े दूंगा। आप इसकी जाँच कर सकते हैं। मैं प्रत्येक मद के व्यय का ब्यौरा दूंगा। तब आप देख सकते हैं कि कौन से मद का व्यय अधिक है। गोदामों में कुल हानि 1·3 प्रतिशत की है, यह चूहों, कीटाणुओं तथा अन्य बातों से हो सकती है।

अब मैं क्षेत्रीय प्रतिबन्धों के बारे में कहूँगा कि प्रत्येक वर्ष उठाई जाती है। जब भी मैं देखता हूँ कि खाद्य स्थिति सुधरी है तथा कीमतों को बढ़ाने का कोई कुचक्र नहीं है तो मैं नियंत्रण तथा प्रतिबन्धों में छूट दे देता हूँ। आज चावल तथा गेहूँ और महाराष्ट्र और गुजरात में बाजरा तथा जोवार को छोड़कर बाकी सब पर प्रतिबन्ध हटा दिया गया है। मैंने राज्य सरकारों से यथा संभव राशनिंग भी हटा देने के लिये भी कहा है। सभा को पता होगा कि मैं कई शहरों में राशनिंग हटाने में सफल रहा हूँ। किसी सदस्य ने पूछा है कि आप 1971 तक कैसे खाद्यान में आत्मनिर्भर होंगे

इसका विश्वास मुझे भारतीय किसान से मिलता है। कृषि में भारतीय किसान जो दिलचस्पी दिखा रहा है उसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि हम 1971 तक आत्मनिर्भर हो जाएँगे, मेरा यह उत्कट प्रयास है कि यथासम्भव विदेशों से अन्न का आयात बन्द कर दिया जाये।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. SPEAKER *in the Chair*]

इसके लिए हम नस्ल सुधारने, दूध का उत्पादन बढ़ाने तथा प्रोटीन की कमी की समस्याओं की ओर भी ध्यान दे रहे हैं।

मेरे माननीय मित्र श्री ज्योतिमय बसु ने कलकत्ता में मछलियों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा है। परन्तु वे जानते हैं कि वहाँ के लोग मीठे जल की मछली को खाना पसन्द करते हैं न कि खारे जल की मछलियों को खाना इसके लिए वहाँ समुद्र की मछलियों से काम नहीं चलेगा ,अपितु नहीं, जलाशय में मछलियों की संख्या में वृद्धि करके समस्या को सुलझाया जा सकता है। हमने कलकत्ता में मछलियों को सप्लाई करने के लिए एक निगम बनाया है, हालांकि प्रगति सन्तोषजनक नहीं रही है फिर भी निगम एक-दो वर्षों में कलकत्ता को बड़ी मात्रा में मछलियां भेजने में समर्थ हो सकेगा।

आप जानते होंगे कि कलकत्ता में मछलियों की बिक्री पर बड़े-बड़े कारियों का अधिकार है। निगम द्वारा उनके गुण्डों से टक्कर लेना आसान कार्य नहीं है, फिर भी हम इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि कलकत्ता में मछली की समस्या हल हो जाये।

मैं अब गन्ने के उत्पादन तथा चीनी के कारखाने के बारे में कहना चाहता हूँ। हमने गत वर्ष आंशिक विनियन्त्रण किसी उद्देश्य को लेकर किया था, हम इस उद्देश्य में सफल रहे हैं। किसानों को इससे बहुत प्रोत्साहन मिला है और उन्होंने काफी गन्ने का उत्पादन किया है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की कीमत को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। जहाँ तक आंध्र प्रदेश और मद्रास का सम्बन्ध है, वहाँ के गन्ना उत्पादकों ने आपस में मिलकर कीमतें तय कर ली थीं। महाराष्ट्र में सहकारी ढंग से गन्ना उत्पादन के कारण कोई समस्या नहीं उठी। मैसूर में भी गन्ना उत्पादकों और वहाँ के कारखानों के बीच समझौता हुआ था; सभा को मालूम होगा कि मैंने कहा था कि कारखाने एक क्विंटल गन्ने के लिए 10 रुपये देंगे और मैंने यह भी कहा था कि यदि कारखानों को 10 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना देने से हानि उठानी पड़ती है तो सरकार इसकी सहायता के लिये आयेगी। यह एक समझौता था परन्तु चीनी कारखाना वालों ने इस समझौते की चिन्ता नहीं की और उन्होंने वर्तमान स्थिति से अनुचित लाभ उठाना शुरू किया। फलस्वरूप मैंने उनको दिया हुआ आश्वासन वापिस ले लिया। मैं यह नहीं बताऊँगा कि मैं क्या कार्यवाही करूँगा।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि सहकारी चीनी उद्योगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जहाँ तक चीनी उद्योगों का सम्बन्ध है, सहकारी आधार पर चलने वाले उद्योगों को अवश्य ही प्राथमिकता दी जायेगी, परन्तु अगर कहीं सहकारी आधार पर चलने वाले उद्योग भलि-भाँति कार्य नहीं कर रहे हैं तो मैं अन्य उद्योगों की उपेक्षा नहीं करूँगा।

श्री लोबो प्रभु : सहकारी उद्योग सरकार संस्थाओं से 80% वित्त लेते हैं, क्या वहाँ सारा धन लगाना उचित है।

श्री जगजीवन राम : यह सर्वथा उचित है, जब सहकारी उद्योगों को वित्त की आवश्यकता होगी तो उनको प्राथमिकता दी जायगी, जहाँ तक वित्त का सम्बन्ध है, निगम क्षेत्र के उद्योग भी सरकारी संस्थाओं से वित्त लेते हैं।

सहकारी संस्थाएं, पंचायती राजसंस्थाओं और सामुदायिक विकास व्यवस्था राज्यों के क्षेत्र में आती हैं। हो सकता है कि देश में सहकारी आन्दोलन का विकास प्रत्येक स्थानों में नहीं हुआ है। कुछ राज्यों में इन्होंने अच्छा काम किया है और कई राज्यों में इनका काम ठीक नहीं रहा है। जहाँ कहीं भी हम इसमें गल्तियाँ देखते हैं तो हम राज्य सरकार को सूचित कर देते हैं। ये पूर्णतया राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं।

यही बात पंचायती राज के बारे में कही जाती है। लोकतांत्रिक पद्धति से पंचायती चुनाव होते हैं। कुछ पंचायत अच्छा कार्य कर रही है जबकि कुछ भली-भांति कार्य नहीं कर रही है, मैं इस बात का अध्ययन कर रहा हूँ कि राज्य सरकार इनकी त्रुटियों को दूर करने के लिये क्या कदम उठा सकती है।

मैंने राज्यों को फसल बीमा पर अपने विचार प्रकट करने को कहा है। जब तक वे सहमत नहीं हो जाते, तब तक फसल बीमा को लागू करना बहुत कठिन होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं सब कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The Cut motions were put and negatived

अध्यक्ष महोदय द्वारा खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकार मंत्रालय की निम्नलिखित माँगे मतदान के लिए रखी गयीं तथा स्वीकृति हुई :—

The following Demands in respect of Ministry of Food, Agriculture Community Development and Co-Oepration were put and adopted.

माँग संख्या	शीर्षक	राशि
29	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सरकार मंत्रालय	1,58,22,000
30	कृषि	8 8501,000
31	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को अदायगियाँ	12 91,69,000
32	वन	1,48,38,000
33	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य राजस्व	37,98,89,000
113	अन्न और रासायनिक खाद की खरीद	2,03,40,48,000
124	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	47,00,08,000

समाज कल्याण विभाग
Department of Social Welfare

अध्यक्ष महोदय : अब सभा माँग संख्या 97 और 94 पर विचार और मतदान करेगी ।

सभा में उपस्थित माननीय सदस्य यदि अपना कटौती प्रस्ताव भेजना चाहते हैं, तो 15 मिनट के भीतर वे पर्ची भेज दें ।

श्री रंगा : आपने तो कहा था कि प्रधान मंत्री वक्तव्य देंगी, गैर-सरकारी कार्य पर कब चर्चा होगी और इसमें कितना समय लगेगा ?

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री तीन बजकर पैंतालीस मिनट पर वक्तव्य देंगी चार बजे हम गैर-सरकारी कार्य को हाथ में लेंगे जो छः बजे तक चलेगा और उसके बाद गृह-मंत्री वक्तव्य देंगे, अब हम समाज कल्याण विभाग की माँगों पर विचार करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : 31 मार्च 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए समाज कल्याण विभाग की अनुदानों की निम्नलिखित माँगे प्रस्तुत की गई :—

माँग संख्या	शीर्षक	राशि
97	समाज कल्याण विभाग	16,48,000
98	समाज कल्याण विभाग का अन्य राजस्व व्यय	3,78,32,000

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
97	1	श्री पी० विश्वम्भरन	हरिजन तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के प्रति अस्पृश्यता और अन्य प्रकार के भेदभावों का उन्मूलन करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपये कर दी जाये ।
97	4	श्री पी० विश्वम्भरन	केरल राज्य में एकीकृत बाल कल्याण प्रदर्शन परियोजना, अथियानूर के तत्वावधान में आरम्भ की गई सभी संस्थाओं को चलाने के लिए पर्याप्त धनराशि नियत करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
97	5	श्री पी० विश्वम्भरन	समाज कल्याण बोर्ड के लिए	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
			नियत धनराशि का राज्य सरकारों के माध्यम से वितरण करने की आवश्यकता।	
97	26	श्री पी० विश्वम्भरन	समाज के निर्धन तथा दलित वर्गों की सेवा करने में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये।
97	33	श्री रामावतार शास्त्री	सभी हरिजन छात्रों के लिए वृत्ति देने में असफलता।	,,
97	34	श्री रामावतार शास्त्री	स्त्री शिक्षा को सभी स्तर पर निःशुल्क करने में असफलता।	,,
97	35	श्री रामावतार शास्त्री	महिला श्रमजीवियों के लिए पूर्ण बराबरी की स्थिति लाने में असफलता।	,,
97	36	श्री रामावतार शास्त्री	जाति एवं सम्प्रदायों के अपने ही बीच वैवाहिक सम्बन्धों की प्रथा को मिटाने में असफलता।	,,
97	37	श्री रामावतार शास्त्री	स्त्रियों के आजीवन वैधव्य की प्रथा को खत्म करने में असफलता।	,,
97	38	श्री रामावतार शास्त्री	आदिवासियों को अन्य श्रेणी के लोगों के समकक्ष लाने में असफलता।	,,
97	39	श्री रामावतार शास्त्री	देश से अस्पृश्यता का उन्मूलन करने में असफलता।	,,
97	40	श्री रामावतार शास्त्री	आर्थिक स्थिति के आधार पर पिछड़े वर्ग को सुविधाएं प्रदान करने की नीति अपनाने और लागू करने में असफलता।	,,
97	41	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार के दरभंगा जिला के	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
			खजोली प्रखण्ड के मभेफर गांव में 4.12-67 को एक हरिजन की हत्या के सिलसिले में मधुबनी के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कारंवाई न करना।	
97	42	श्री रामावतार शास्त्री	केरल में समाज कल्याण का कार्य राज्य सरकार के माध्यम से न करना।	100 रुपये
97	43	श्री रामावतार शास्त्री	दिनांक 31-3-69 को बिहार के दरभंगा जिला के हयाघाट खण्ड के सहोरा गांव में हरिजनों के घर जलाने तथा हरिजनों की हत्या रोकने में असफलता।	100 रुपये
97	44	श्री रामावतार शास्त्री	दिनांक 31-3-69 को बिहार के दरभंगा जिला के हयाघाट प्रखण्ड के हरिजनों के घर जलाने एवं खून करने वालों पर मुनासिब कानूनी कारंवाई न करना।	100 रुपये
97	45	श्री रामावतार शास्त्री	वर्ण-व्यवस्था की विषमता के समर्थन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही न करना।	100 रुपये
97	46	श्री रामावतार शास्त्री	पटने में विश्व हिन्दू सम्मेलन में पुरी के शंकराचार्य द्वारा अस्पृश्यता का समर्थन करने को नहीं रोकना और उनके विरुद्ध कारंवाई न करना।	100 रुपये
98	55	श्री लोबो प्रभु	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का व्यय ढाई करोड़ रुपये तथा मद्यनिषेध परिषद् का व्यय	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
			2 लाख रुपये बढ़ जाने का निरनुमोदन।	
98	56	श्री लोबो प्रभु	स्वयं नियुक्त सामाजिक कार्यकर्ताओं की वास्तविकता तथा व्यय से होने वाले लाभ के अनुपात का पता चलाये बिना सहायतानुदान की राशि को 3.42 करोड़ रुपये तक बढ़ाना।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये।
97	75	श्री शिंकरे	भूख, पिछड़ेपन तथा भय के आधार पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के मध्य विदेशी मिशनरियों की धर्म परिवर्तन सम्बन्धी गतिविधियों पर नियंत्रण करने में असफलता।	,,
97	76	श्री शिंकरे	हरिजनों तथा गिरिजनों में उनके उज्जवल भविष्य के संबन्ध में आत्मविश्वास की भावना जागृत करने की आवश्यकता।	,,
97	77	श्री शिंकरे	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिमजाति के लोगों के बीच एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करने में असफलता जिनमें वे यह अनुभव कर सकें कि उनके कल्याण के लिये जो कुछ भी किया जा रहा है वह उनका जन्मसिद्ध अधिकार है न कि उनके प्रति कोई रियायत।	,,
97	78	श्री शिंकरे	संविधान तथा विभिन्न राज्य विधानों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति	,,

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती का राशि
1	5	3	4	5
			को दिये गये संरक्षणों को देहाती क्षेत्रों में अमल में लाने में असफलता ।	
97	79	श्री शिंकरे	गोआ और दमन की अनुसूचित जाति के लिये अर्थोपाय की व्यवस्था करने की आवश्यकता ताकि वे निःशुल्क शिक्षा सुविधाओं का उपयोग कर सकें ।	100 रुपये
97	80	श्री शिंकरे	देहाती क्षेत्रों में हरिजन तथा गिरिजन छात्रों को निःशुल्क छात्रावास की सुविधाएँ देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
97	81	श्री शिंकरे	विदेशी मिशनरियों को भारत में, विशेषकर आदिम जाति क्षेत्रों में, घुसने से रोकने की आवश्यकता ।	100 रुपये
97	82	श्री शिंकरे	फादर फेरर जैसे उन विदेशी मिशनरियों की, जो आदिम जाति तथा हरिजनों के धर्म परिवर्तन पर लगे हुए हैं तथा जिनके पास पर्याप्त स्थानीय एवं विदेशी साधन हैं, गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता ।	100 रुपये
97	83	श्री शिंकरे	अण्डमान द्वीपसमूह के जार्वा, युंगी, शोम्पेन तथा दूसरी आदिम जाति के लोगों के जीवन निर्वाह के प्रारम्भिक तरीकों का अध्ययन करने तथा उनको सभ्य बनाने के लिये अर्थोपाय ढूंढ़ने की आवश्यकता ।	100 रुपये

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
97	84	श्री शिंकरे	एक ऐसे केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड स्थापित करने की आवश्यकता जिसमें सभी राज्यों तथा संघीय राज्य क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाये ।	100 रुपये
97	85	श्री शिंकरे	दादरा और नगर हवेली के प्रशासन को उस संघीय राज्य-क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लोगों के कल्याण कार्यों के लिये बहुत अधिक मात्रा में धन देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
97	86	श्री शिंकरे	सभी राज्यों में ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की आवश्यकता जहां सामाजिक कार्य-कर्त्ताओं को उचित प्रशिक्षण दिया जा सके ताकि वे लोग आदिम जाति के बीच, उन लोगों की भावनाओं तथा उनका अपनी प्रथाओं के प्रति जो अनुराग है, उसको दुखाये बिना, कार्य कर सकें ।	100 रुपये
97	122	श्री महन्त दिग्विजयनाथ	देश में अस्पृष्यता तथा अन्य सामाजिक बुराइयों को दूर करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये ।
97	123	श्री महन्त दिग्विजयनाथ	शारदा अधिनियम लागू करने में सरकार की असफलता ।	,,
97	124	श्री महन्त दिग्विजयनाथ	विधवाओं के विवाह सम्बन्धी विधान बनाने में सरकार की असफलता ।	,,
97	125	श्री महन्त दिग्विजयनाथ	विदेशी पादरियों द्वारा आर्थिक दबाओं तथा अन्य तरीकों से	,,

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
			समाज के कमजोर भागों का धर्म-परिवर्तन किया जाना रोकने में असफलता।	
97	126	श्री महन्त दिग्विजयनाथ	समाज कल्याण विभाग का स्तर ऊँचा उठा कर उसको पूर्णरूपेण मंत्रालय जिसका अध्यक्ष मंत्रिमण्डल स्तर का मंत्री हो बनाने की आवश्य, कता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
97	127	श्री महन्त दिग्विजयनाथ	देश में सभी समाज कल्याण केन्द्र, केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने नियंत्रणाधीन लिये जाने की आवश्यकता।	,,
97	128	श्री महन्त दिग्विजयनाथ	अंधों तथा विकलांगों को पर्याप्त प्रशिक्षण तथा रोजगार के अवसर प्रदान करने में सरकार की असफलता।	,,
97	129	श्री महन्त दिग्विजयनाथ	देश में सभी सुशिक्षित विकलांगों को रोजगार देने में सरकार की असफलता।	,,
97	130	श्री महन्त दिग्विजयनाथ	अस्पृश्यता के विरुद्ध समाज सुधार आन्दोलनों के द्वारा अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने में असफलता।	,,
97	131	श्री महन्त दिग्विजयनाथ	युवा तथा अन्य असहाय विधवाओं को वृत्तिका तथा धन सम्बन्धी अन्य सहायता देने में सरकार की असफलता।	,,
97	132	श्री महन्त दिग्विजयनाथ	ऐसे व्यक्तियों को जिसके सभी लड़के केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों में नियुक्त हैं,	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
			वृद्धावस्था पेंशन देने में सरकार की असफलता ।	
97	133	श्री महन्त दिग्विजयनाथ	सभी पिछड़े वर्गों के विद्या-थियों को वृत्तिका देने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
97	134	श्री महन्त दिग्विजयनाथ	देश में सभी जातियों के आर्थिक रूप में पिछड़े हुये विद्यार्थियों को वृत्तिका देने में असफलता ।	,,
97	135	श्री महन्त दिग्विजयनाथ	सभी स्तरों पर महिला-शिक्षा को निःशुल्क करने की आवश्यकता ।	
97	136	श्री महन्त दिग्विजयनाथ	देश में पिछड़े वर्गों तथा हरिजनों में जबरी मजूरी रोकने में असफलता ।	,,
97	137	श्री महन्त दिग्विजयनाथ	"वीर अर्जुन" में छपे शंकराचार्य द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के आधार पर प्रेस के विरुद्ध पुरी के शंकराचार्य के विश्व हिन्दू सम्मेलन में अस्पृश्यता पर दिये गये भाषण को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने में असफलता ।	,,
97	138	श्री महन्त दिग्विजयनाथ	पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों विशेषकर गोरखपुर जिले के पिछड़े वर्गों तथा हरिजनों की दशा सुधारने में सरकार की असफलता ।	100 रुपये
97	139	श्री महन्त दिग्विजयनाथ	पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों विशेषकर गोरखपुर जिले के	100 रुपये

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
			हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों को अच्छे निवास-स्थानों का उपबन्ध करने की आवश्यकता ।	
97	140	श्री महन्त दिग्विजयनाथ	पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों विशेषकर गोरखपुर जिले के हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों में शिक्षा का विस्तार करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
97	141	श्री महन्त दिग्विजयनाथ	पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों विशेषकर गोरखपुर जिले के हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों को पूरा रोजगार देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
97	142	श्री महन्त दिग्विजयनाथ	पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में प्रचलित बाल-विवाह प्रणाली पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता ।	100 रुपये
97	143	श्री महन्त दिग्विजयनाथ	पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों विशेषकर गोरखपुर जिले में सभी प्रकार के और अधिक स्कूल खोलने की आवश्यकता ।	100 रुपये
97	146	श्री रामावतार शास्त्री	देश में भिक्षा वृति का उन्मूलन करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
97	147	श्री रामावतार शास्त्री	अनुसूचित जातियों की मूल समस्याओं का समाधान निकालने में असफलता ।	,,
97	148	श्री रामावतार शास्त्री	अनुसूचित आदिम जातियों की मूल समस्याओं का समाधान निकालने में असफलता ।	,,
97	149	श्री रामावतार शास्त्री	आदिवासियों की भूमि की रक्षा करने में असफलता ।	,,

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
97	150	श्री रामावतार शास्त्री	खेत मजदूरों को बासगीत जमीन देने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये।
97	151	श्री रामावतार शास्त्री	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की आर्थिक दशा को सुधारने में असफलता।	,,
97	152	श्री रामावतार शास्त्री	बाल-कल्याण विषयक साहित्य का प्रचार करने में असफलता।	,,
97	153	श्री रामावतार शास्त्री	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिये ढेबर कमीशन के सुझावों को क्रियान्वित करने में असफलता।	,,
97	154	श्री रामावतार शास्त्री	पिछड़ी जातियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की दिशा में जमीन का बटवारा करने सम्बन्धी आचार्य काका कालेलकर कमीशन के सुझावों को क्रियान्वित करने में असफलता।	,,
97	155	श्री रामावतार शास्त्री	पुरी के शकराचार्य तथा छुआ-छूत एवं ऊँच-नीच का प्रचार करने वालों के विरुद्ध कानूनी कारवाई करने में असफलता।	,,
97	156	श्री रामावतार शास्त्री	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पीने के पानी की समस्या को हल करने में असफलता।	,,
97	157	श्री रामावतार शास्त्री	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की	,,

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
			शिक्षा पर अधिक धन-राशि का व्यय करने की आवश्यकता।	
97	158	श्री रामावतार शास्त्री	अंधे स्कूलों से पास कर निकलने वाले स्नातकों को काम दिलाने में असफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जाये
97	159	श्री रामावतार शास्त्री	देश में वयस्क शिक्षा को लोकप्रिय तथा व्यावहारिक बनाने में असफलता।	,,
98	160	श्री रामावतार शास्त्री	हरिजनों पर होने वाले सामाजिक उत्पीड़न का अंत करने में असफलता।	100 रुपये
98	161	श्री रामावतार शास्त्री	हरिजनों के लिए देहातों में मकान बनवाने की योजना को क्रियान्वित करना।	100 रुपये
98	162	श्री रामावतार शास्त्री	देश के विभिन्न भागों में हरिजनों एवं आदिवासियों पर किये जाने वाले जुल्मों को रोकने तथा जुल्म करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने में असफलता।	100 रुपये
98	163	श्री रामावतार शास्त्री	हरिजनों, आदिवासियों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को विभिन्न चुनावों में वोट देने से रोकने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की आवश्यकता।	100 रुपये
98	164	श्री रामावतार शास्त्री	अनाथालयों की व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता।	100 रुपये
98	165	श्री रामावतार शास्त्री	समाज-कल्याण कार्यों के	100 रुपये

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
			विस्तार के लिए राज्यों को अधिक सहायता देने की आवश्यकता।	
98	166	श्री रामावतार शास्त्री	बच्चों में नशीली चीजों के व्यवहार को रोकने में असफलता।	100 रुपये
98	167	श्री रामावतार शास्त्री	बच्चों द्वारा धूम्रपान करने पर रोक लगाने की आवश्यकता।	100 रुपये
98	168	श्री रामावतार शास्त्री	पटना के अंधों के स्कूल की व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता।	100 रुपये
98	169	श्री रामावतार शास्त्री	हरिजनों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों को निकृष्ट समझने की भावना को समाप्त करने के लिए कारगर एवं ठोस कदम उठाने की आवश्यकता।	100 रुपये
98	170	श्री रामावतार शास्त्री	महिलाओं के कल्याण के लिए विविध प्रकार की कल्याण योजनाएँ तैयार करने तथा लागू करने की आवश्यकता।	100 रुपये
98	171	श्री रामावतार शास्त्री	अच्छी बालोपयोगी फिल्मों के निर्माण की आवश्यकता।	100 रुपये
98	172	श्री रामावतार शास्त्री	जमींदारों द्वारा हरिजनों पर किये जाने वाले अत्याचारों का अन्त करने में असफलता।	100 रुपये
98	173	श्री रामावतार शास्त्री	हरिजनों को उनकी वासकीय जमीन से उजाड़ने की कार्यवाहियों को रोकने में असफलता।	100 रुपये
98	174	श्री रामावतार शास्त्री	समाज के दलित वर्गों के लोगों	100 रुपये

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
			की सेवा-कार्य करने में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की असफलता।	
98	175	श्री रामावतार शास्त्री	हरिजनों एवं आदिवासियों की बस्तियों में कुओं तथा सड़कों की व्यवस्था करने में असफलता।	100 रुपये
98	176	श्री रामावतार शास्त्री	भूमिहीन हरिजनों, आदिवासियों तथा पिछड़े वर्ग के लोगों को जमीन देने की आवश्यकता।	100 रुपये
98	177	श्री रामावतार शास्त्री	समाज-कल्याण कार्यों का देहातों में विस्तार करने में असफलता।	100 रुपये
98	178	श्री रामावतार शास्त्री	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की लड़कियों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए सरकार द्वारा पूरा खर्च देने की आवश्यकता।	100 रुपये
98	179	श्री रामावतार शास्त्री	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के छात्र-छात्राओं को पुस्तकों के लिए मिलने वाले अनुदान की रकम को बढ़ाने की आवश्यकता।	100 रुपये
98	180	श्री रामावतार शास्त्री	मेहतरों के कार्य करने की स्थिति तथा रहन-सहन में सुधार लाने में असफलता।	100 रुपये
98	181	श्री रामावतार शास्त्री	मेहतरों द्वारा सर पर पाखाना ढोने की परिपाटी का अन्त करने में विफलता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
98	142	श्री रामावतार शास्त्री	हरिजनों, आदिवासियों तथा पिछड़ी जाति के लोगों के निवास के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने में विफलता ।	100 रुपये
98	183	श्री रामावतार शास्त्री	शहरों और देहातों तथा खासकर शहरों में मेहतरों के लिए स्वास्थ्यप्रद मकान बनवाने में असफलता ।	100 रुपये
98	184	श्री रामावतार शास्त्री	हरिजन और पिछड़ी जातियों के स्कूली छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की राशि में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
98	185	श्री रामावतार शास्त्री	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति को छात्रवृत्तियां दी जाने के क्रम में बरते जाने वाले भ्रष्टाचार का अन्त करने में विफलता ।	100 रुपये
98	186	श्री रामावतार शास्त्री	हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के 8वीं कक्षा से लेकर मैट्रिक कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को बिहार में मिलने वाली आठ रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति को बढ़ाकर पच्चीस रुपये करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
98	187	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार के विभिन्न जिलों में गठित हिन्दू छात्रवृत्ति समिति तथा मुस्लिम छात्रवृत्ति समिति से हिन्दू और मुस्लिम शब्दों को हटा देने की आवश्यकता ।	100 रुपये

माँग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
98	188	श्री रामावतार शास्त्री	छात्रवृत्तियों की रकम समय पर देने में असफलता।	100 रुपये
98	189	श्री रामावतार शास्त्री	विकलांग छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में होने वाले विलम्ब का अन्त करने की आवश्यकता।	100 रुपये

श्री वि० नरसिम्हा राव (पार्वतीपुरम) : इस देश में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो सदा से अलग तथा एकान्त में रहते आये हैं। सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्त्तनों का इन पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्रीय सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए कार्यवाही राज्यों के नैदेशिक सिद्धान्त में कहा गया है कि वे समाज के इन निर्बल वर्ग तथा विशेषकर हरिजन और गिरिजनों को सामाजिक अन्याय और हर प्रकार के शोषण से बचायेंगे।

सरकार ने अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए कुछ भी नहीं किया है, वह यह कहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में यह तेजी से समाप्त होती जाती रही है। परन्तु सरकार को मालूम है कि देश में क्या घटनायें घट रही है। अनुसूचित जातियों और आदिमजातियों की दशा तभी सुधरेगी जब सवर्णों का मन परिवर्त्तन होगा। कल्याणकारी योजनाओं का भली-भाँति क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है।

बच्चों और महिलाओं, रक्षा कर्मचारियों, विकलांगों आदि के कल्याण के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बनाया जा रहा है। कम आय वर्ग के परिवारों के स्कूल जाने वालों बच्चों के भोजन में पौष्टिकतत्वों की कमी की ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है, देश में आत्महत्या करने वाली महिलाओं की संख्या अधिक है, स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा परिवार-सलाह-केन्द्र की स्थापना करके इनकी सहायता की जा सकती है।

गत वर्ष दिल्ली में सामाजिक कल्याण मंत्रियों की एक सभा हुई थी जिसमें इसके विभिन्न समस्याओं पर विचार करना था, आश्चर्य की बात है कि स्वतंत्रता के बीस वर्ष पश्चात भी मंत्री लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि सामाजिक कल्याण कार्यक्रम किस प्रकार बनाया जाये, अभी तक कांग्रेस समाजवाद की सही परिभाषा करने की स्थिति में नहीं आई हैं।

अनुसूचित जातियों सम्बन्धी समिति ने अपना जो प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा है वह बड़ा ही मनोरंजक है। इसमें स्पष्टत: बताया गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बीस वर्ष पश्चात भी समूचे देश में छुआछूत विभिन्न रूपों में प्रचलित है, प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि सामाजिक कल्याण विभाग का रवैया असहयोगी है। जब सरकार का ऐसा रवैया है तो हम कैसे अस्पृश्यता का

उन्मूलन कर सकते हैं, समिति ने कहा है कि जो अस्पृश्यता सम्बन्धी कानूनों का जानबूझकर उल्लंघन करते हैं उनको कड़ा से कड़ा दण्ड दिया जाये। सरकार को इस पर गम्भीरता से विचार कर कुछ-न-कुछ करना चाहिए, यह प्रतिवेदन एक हजार पन्नों का है अतएव उसमें से उद्धरण देना कठिन है, मेरा निवेदन है कि इस पर अलग से चर्चा की जाए।

हमें इस बात पर भी विचार करना है कि संसद तथा विधान संभाओं में गिरिजनों और हरिजनों के लिये सीटों के सुरक्षण की समय-सीमा बढ़ानी चाहिए। अनुच्छेद उसके द्वारा 1959 में यह समय-सीमा दस वर्ष तक के लिए बढ़ा दी गई था और वह अवधि 1970 में समाप्त होने वाली है। सरकार को इस प्रश्न पर विचार करके निर्णय लेना चाहिए।

गत एक वर्ष से हम समाचारपत्रों में पढ़ रहे हैं कि सवर्ण हिंदू हरिजनों पर तरह-तरह के अत्याचार कर रहे हैं, उन पर बलात्कार किया जा रहा है तथा उन्हें तग किया जा रहा है। सरकार को चाहिये कि वह अपराधियों को दण्ड दे।

गिरीजनों की शिक्षा तथा आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया गया है। यद्यपि अधिकतर ये कृषि में लगे हुए हैं तथा भूमिहीन हैं फिर भी गिरिजनों को कोई भूमि नहीं दी हुई है।

गिरिजनों की भूमि पर जमींदार वर्ग बलात् कब्जा कर रहा है फलस्वरूप गरीब गिरिजन नक्सलवादियों की ओर आकर्षित हो रहें हैं, गरीब श्रमिक वग तथा मध्यम वर्ग के गिरिजन बहुत दुःख उठा रहे हैं।

श्रीमती सुधा रेड्डी (मधुगिरी) : योजना आयोग समाज कल्याण विभाग को दिए गए अनुदानों में कटौती करता रहता है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

1966'67 में समाज कल्याण बजट 3·73 करोड़ रुपये से घटाकर 3·41 करोड़ रुपये कर दिया गया। 1967-68 में 3·58 करोड़ रुपये से घटाकर 3·46 करोड़ रुपये कर दिया गया और 1968-69 में 4·60 करोड़ रुपये से घटाकर 4·16 करोड़ कर दिया गया मुझे आशा है कि कटौती प्रस्तावों के बावजूद भी इस वर्ष इसमें कमी नहीं की जाएगी।

मैं अनुसूचित जातियों तथा अनूसूचित्त आदिम जातियों के कल्याण पर न बोलकर सामान्य सामाजिक कल्याण के सम्बन्ध में बोलूँगी। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इनमें मेरी दिलचस्पी नहीं है, मैं केवल इतना ही कहूँगी कि इस क्षेत्र में प्रशंसनीय विकास हुआ है। मेरा यह भी निवेदन है कि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की शिक्षा के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाये। 1948-49 में उच्च शिक्षा पाने वाले लगभग 647 अनुसूचित जाति थे जो अब बढ़कर लगभग एक लाख हो गये है। यह वास्तव में प्रशंसनीय कार्य है। हमें यह देखना है कि इस क्षेत्र में जो करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे हैं, क्या उनका लाभ भी हो रहा है या नहीं। मैं जानती हूँ कि आजकल एक दूसरे पर उत्तरदायित्व थोपने का रिवाज हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राज्य-सरकारों, हरिजन नेताओं और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को यह देखना होगा कि क्या इन संसाधनों का ठीक उपयोग भी किया जा रहा है या नहीं। मैं महिलाओं और बच्चों के कल्याण

पर जोर देना चाहती हूँ। पिछड़े वर्गों के आयोग ने यह टिप्पणी की है कि महिलाओं को भी पिछड़े वर्ग में शामिल कर लेना चाहिए। मेरे विचार में अपनी उन्नति के लिए महिलाएँ अपने को पिछड़े वर्ग में ही शामिल करना पसन्द करेंगी।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बारे में प्रस्ताव
Motion regarding Committee on Private Members's Bills and Resolution

श्री द० रा० परमार : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 47वें प्रतिवेदन से, जो 9 अप्रैल, 1969 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 47वें प्रतिवेदन से, जो 9 अप्रैल, 1969 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

राज्यपालों की शक्तियाँ और कृत्यों के बारे में संकल्प
Resolution regarding Powers and Functions of governors

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह सभा 28 मार्च, 1969 को श्रीमती सुशीला रोहतगी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर वाद-विवाद करेगी।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिल्हौर) : राज्यपाल के कृत्यों पर विवाद तीन बातों पर निर्भर है। पहला, संवैधानिक प्रमुख के रूप में, दूसरा, स्वविवेक अधिकारों का प्रयोग और तीसरा उस पर दोषारोपण अथवा वापिस बुला लेना।

सर्वप्रथम विवाद राज्यपाल के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करने से है : श्री गिरि के विचार में राज्यपाल का कार्य केन्द्र और राज्य के मध्य राजदूत जैसा है और संविधान के ढाँचे में वह आवश्यक तथा लाभकारी कार्य करता है।

[श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए
SHRI THIRUMALA RAO *in the Chair*]

प्रशासन सुधार आयोग के एक अध्ययन दल ने यह सुझाव दिया है कि राज्यपाल की शक्तियों में और अधिक वृद्धि की जानी चाहिए। अनुच्छेद 156 के अन्तर्गत उसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है और उसे राष्ट्रपति के अधीन कार्य करना पड़ता है। अनुच्छेद 163 के अन्तर्गत उसे मंत्रिमंडल की सलाह से कार्य करना पड़ता है, और कुछ मामलों में उसे स्वविवेक से निर्णय करना पड़ता है। हम यहाँ देखते हैं कि संविधान यह नहीं बताता कि कौन-कौन से कार्य स्वविवेक के निर्णय के क्षेत्र में आते हैं। एक उपबन्ध के अनुसार स्वविवेक निर्णय अन्तिम होगा। अनुच्छेद 169 के अन्तर्गत सरकार मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, मुख्य मंत्री तथा मंत्रि-परिषद राज्यपाल की प्रसन्नता तक अपने पद पर बने रह सकते हैं यहाँ 'मरजी' शब्द की व्याख्या नहीं की गई है।

इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 167 के अन्तर्गत राज्यपाल को विशेष शक्तियां दी हुई हैं, इन शक्तियों का प्रयोग कम ही होता है अन्यथा हर समय संघर्ष तथा विवाद होता रहता। इसके अनुसार मुख्य मंत्री राज्यपाल को मंत्रिमंडल में लिए निर्णय राज्यपाल को सूचित करना पड़ता है, ऐसा करना उसके लिए अत्यावश्यक तथा बाध्य है। राज्यपाल को यह भी अधिकार है कि वह निर्णय संबंधी सभी कागजात मंगा सकता है।

अनुच्छेद 352 और 360 के अनुसार वित्त के मामले में राज्यपाल को विशेष शक्तियां मिली हुई हैं, ये दोनों महत्त्वपूर्ण शक्तियां उसे अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत मिली हैं, जिसके अनुसार जब मुख्य मंत्री यह देखता है कि संवैधानिक मशीनरी असफल हो गई है तो वह राष्ट्रपति को सूचित कर सकता है, तदुपरान्त राष्ट्रपति प्रधान मंत्री की सलाह से विधान मंडल को भंग करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। मैं यह बताना चाहती हूँ कि यह विशेष अनुच्छेद राज्यपाल तथा राष्ट्रपति के हाथों में एक खतरनाक अस्त्र है। अगर राष्ट्रपति तथा राज्यपाल मनमाने ढंग से काम करेंगे तो इन शक्तियों का दुरुपयोग हो सकता है।

केरल में 1953 में राज्यपाल के स्वविवेक निर्णय के बारे में विवाद उठ खड़ा हुआ था, उस समय राजप्रमुख ने पराजित मुख्य मंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया था, प्रश्न यह है कि क्या राज्यपाल पराजित मुख्य मंत्री के सलाह पर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है? संविधान के विज्ञ लार्ड सिमन ने कहा था कि संसदीय प्रजातन्त्र केवल तभी सफल हो सकता है जब सत्तारूढ़ दल संविधान को भंग करने के बदले विपक्षी दलों को शासन चलाने का अवसर दें।

राज्यपाल के स्वविवेक सम्बन्धी अधिकारों का प्रश्न राजस्थान की घटना से उठता है, क्या वहाँ राज्यपाल यह जानते हुए भी, कि सत्तारूढ़ दल बहुसंख्यक नहीं रहा, विधान सभा का सभावसान कर सकता है? परन्तु वहाँ ऐसा किया गया।

तीसरी घटना हरियाणा में हुई। वहां दल का बहुमत होते हुए भी शिष्टता के अभाव के आधार पर वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, यह प्रश्न उठता है कि जब सत्तारूढ़ दल बहुमत में है तो क्या राज्यपाल विधान सभा को भंग कर सकता है? मध्य प्रदेश के मामले में यह प्रश्न उठा था कि क्या राज्यपाल कार्यकारी मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य कर सकता है? पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में प्रश्न उठा था कि अगर मुख्य मंत्री एक विशेष समय में सभा को नहीं बुलाना चाहता और यदि अध्यक्ष सभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाना चाहता तो क्या राज्यपाल ऐसी सरकार को बर्खास्त कर सकता है और क्या वह अपने पद पर बने रह सकता है? इस प्रश्न को ही लेकर पश्चिमी बंगाल में यह समूचा विवाद उठ खड़ा हुआ था।

अनुच्छेद 176 के अनुसार राज्यपाल के पास यह अधिकार है कि वह अपने अभिभाषण में से कोई भाग निकाल सकता है जो उसे पसन्द नहीं। यही तथ्य फिर विवाद उठाता है कि किन राजनीतिक परिस्थितियों में राज्यपाल के लिए कहाँ तक स्वविवेक निर्णय लेने का अधिकार है?

यह सब प्रश्न समय-समय पर इसलिए उठते रहे हैं क्योंकि राज्यपाल के स्वविवेक अधिकारों की व्याख्या नहीं की गई। इसके फलस्वरूप केन्द्र-राज्य के सम्बन्ध बिगड़ते हैं। जब तक

कांग्रेस केन्द्र तथा राज्यों में थी तब तक दोनों में समान रूप से कार्य होता रहा है। परन्तु राज्यों में विभिन्न राजनैतिक दलों के सत्तारूढ़ होने से केन्द्र-राज्य सम्बन्ध शान्तिपूर्ण न रहा, हर रोज कोई न कोई बात उठती है और केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न होता है। सम्भावतः राज्यपाल पर अभियोग लगाया जाता है तथा उसे वापिस बुला लेने की मांग उठती है। संविधान में राज्यपाल को वापिस बुला लेने की कोई व्यवस्था नहीं है।

1916 में आस्ट्रेलिया में एक मामला खड़ा हुआ था जिसमें राज्यपाल ने प्रधान मंत्री को बर्खास्त कर दिया था, प्रधान मंत्री ने लन्दन को तार भेजा और उस राज्यपाल को वापिस बुला लिया गया। नाइजीरिया में भी यही घटना हुई थी क्वीप और क्रिस्प जैसे संवैधानिक विद्वान भी विशिष्ट परिस्थितियों में राज्यपालों को बुला लेने के पक्ष में है, भारत में यह व्यवस्था परम्परा तथा राजनैनिक प्रथा पर काफी हद तक आधारित है! इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। यह माना गया है कि केन्द्र सम्बन्धित राज्य से सलाह लेगा, यह आवश्यक नहीं है कि केन्द्र अथवा राष्ट्रपति इस सलाह को मानेंगे ही क्योंकि हरियाणा के मामले में अजित प्रसाद जैन को राज्यपाल बना के भेजा गया था जबकि राज्य सरकार उन्हें नहीं चाहती थी। बिहार के मामले में पंडित जी ने वहाँ के लोगों के अनुरोध के विरुद्ध श्री नित्यानन्द कानूनगो को वहाँ का राज्यपाल बना कर भेजा।

आज हमें केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर विचार करना है, हम देखते हैं कि यह विचारधारा भी बल पकड़ती जा रही है कि राज्यपाल का निर्वाचन होना चाहिए। आरम्भ में संविधान निर्माताओं का यही विचार था। परन्तु हमने इंगलैंड के प्रतिरूप को अपनाया है, क्योंकि राज्यपाल के निर्वाचन में कई अन्य जटिलताएँ पैदा हो जाती हैं।

दूसरा विचारधारा यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए संसद से समर्थन प्राप्त करना आवश्यक है, भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री सुब्बा राव ने यह मत व्यक्त किया है कि राष्ट्रपति को प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री तथा सम्बन्धित राज्य के विरोधी नेता से सलाह मशविरा करके राज्यपाल की नियुक्ति करनी चाहिये।

गत सप्ताह हमारे ध्यान में एक बात लाई गई थी कि साम्यवादी दल के नेता श्री गोपालन ने केरल के राज्यपाल को यह लिखकर भेजा कि या तो वह अपना व्यवहार ठीक रखे नहीं तो उसका वही हाल होगा जो कि पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल के साथ हुआ। इस सन्दर्भ में यदि राज्यपाल का चुनाव होता है तो वह मुख्य मंत्री का पिट्ठू बन जायेगा, तब तो इस सिद्धान्त का, कि केन्द्र को मजबूत बनना चाहिये, कोई महत्त्व नहीं रहेगा। यही कारण है कि केन्द्र को मजबूत बनाने के लिए अनुच्छेद 160 के द्वारा राष्ट्रपति को राज्य का काम भली-भाँति चलाने के लिए कुछ अधिकार दिये गये हैं।

आज की राजनैतिक विस्फोटक स्थिति में केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को तनावपूर्ण बनाने के लिए कुछ न कुछ बात होतो ही रहती है जैसा कि राज्य के बाहर से सेना को बुलाना जैसे कि दुर्गापुर में हुआ तथा काशीपुर गोली कांड आदि। कभी-कभी ऐसी राजनैतिक घटनाएँ हो जाती हैं जो अपनी सानी नहीं रखती है जैसा कि बंगाल बन्द के समय हुआ। जब इस तरह की घटनाएँ होती हैं तो राज्यपाल का कार्य मात्र दर्शक का नहीं रह जाता है।

इस संदर्भ में मेरा निवेदन है कि केवल गृह-कार्य मंत्री या विधि मंत्री महोदय की सलाह से ही सब कुछ हो जाना सम्भव नहीं है। इसके लिये विरोधी दलों के महोदय की भी पूरी आवश्यकता है। विरोधी दलों को भी इसे दलगत मामला नहीं बनाना चाहिए। यह एक महत्त्वपूर्ण मामला है तथा इसे राष्ट्रीय स्तर तथा देश के भारी हितों को ध्यान में रखकर सुलझाना चाहिए।

सरकार को तथा राष्ट्रपति को राज्यपाल की नियुक्ति करने पर यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि वह व्यक्ति किसी दल विशेष में रुचि न रखता हो। इसके अतिरिक्त यह भी निश्चित कर देना चाहिए कि राज्यपाल अपना यह समय पूर्ण करने के पश्चात फिर से राजनीति में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा करने से राज्यपाल का किसी भी दल का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। राज्यपाल चुने जाने वाले व्यक्ति में अन्य गुणों के साथ-साथ दूरदर्शिता आत्म विश्वास तथा राजनीतिक विवेक का होना आवश्यक है। श्री धर्मवीर ने जो कि योग्य प्रशासक हैं कहा था कि राज्यपाल की शक्तियों का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए।

विरोधी दल भी इस-कार्य में महत्त्वपूर्ण सहायता कर सकते हैं। यदि विरोधी दल सशक्त हों तो राजनीतिक क्षेत्र में भारी सुधार हो सकता है किन्तु उसके लिये विरोधी दलों को अपनी संख्या कम करनी होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि विरोधी दलों के सहयोग से राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार के सम्बन्ध अच्छे हो सकते हैं।

देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, तथा नये आन्दोलनों तथा नये विचारों के उदय को देखते हुए और विभिन्न प्रकार की विनाशकारी घटनाओं को देखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि राज्यपाल बड़ी सतर्कता से अपनी शक्तियों का उपयोग करें।

हमें अपने संविधान में अवश्य ही कुछ संशोधन करने होंगे। सबसे पहले हमें इच्छा 'प्लैजर' शब्द की परिभाषा करनी होगी। दूसरे हमें राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों का भी स्पष्टीकरण करना चाहिए।

सभापति महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"राज्यपालों की शक्तियों और उनके कृत्यों के बारे में हाल ही के विवाद की दृष्टि से, और निर्बाध केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के प्रसङ्ग में, इस सभा की राय है कि भारत के सम्विधान मे आवश्यक संशोधनों के बारे में विचार करने लिए 30 संसद सदस्यों की एक समिति गठित की जाय।"

श्री शिंकरे (पंजिम) : मैं अपना संशोधन संख्या प्रस्तुत करता हूँ।

श्री समर गुह (कन्टई) : मै अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : यदि 1935 के अधिनियम तथा भारतीय सँविधान के साथ साथ रखकर देखा जाय तो गर्वनर तथा राजपालों में नाममात्र का अन्तर मिलेगा। राष्ट्रपति के बारे में भी वही बात लागू होती है। किन्तु एक परिपाटी हो गई है कि राष्ट्रपति राज्यपाल प्रधान मन्त्रि तथा मन्त्री परिषद के हाथों की कठपुतली हो गए हैं। इस प्रकार सरकार की शक्तियाँ असीमित हो गई हैं।

केन्द्र तथा राज्यों में एक ही दल की सरकार होने पर यह अन्तर महत्वपूर्ण नहीं था

किन्तु अलग-अलग दलों की सरकार होने से इस अन्तर ने भयानक रूप धारण कर लिया तथा राज्यपाल को ऐसे राज्यों में इस झगड़े की जड़ समझा जाने लगा।

यदि परिस्थितियां प्रतिकूल न हों तो राज्य तथा केन्द्र में विभिन्न दलों की सरकारें काम चला सकती हैं। जिन राज्यों में सरकार स्थाई रूप से कार्य नहीं कर सकती तथा जिनमें सत्तारूढ़ दल का बहुमत नहीं होता उनमें राज्यपाल की सत्ता पर भी उंगली उठाई जाती है तथा उसका पद समाप्त करने की माँग होती है। मुख्य मन्त्री तथा राज्यपाल के बीच तनाव की भावना पैदा हो जाती है। हमें इसी बात को ध्यान में रखना है।

महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जब किसी राज्य में वहाँ की सरकार में स्थिरता नहीं रहती तथा सत्तारूढ़ दल का बहुमत नहीं रहता तो यदि उस राज्य का राज्यपाल केन्द्र की ओर से कार्य नहीं करेगा तो केन्द्र तथा वहाँ के व्यक्तियों के लिए कौन कार्य करेगा? क्या राज्य पाल के स्थान पर आप सेना अथवा न्यायाधीशों को वहां नियुक्त करेंगे जो मामले में हस्तक्षेप करें। किसी राज्य में वहाँ की सरकार के विफल हो जाने पर संवैधानिक रूप से केवल राज्यपाल ही वहाँ के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। अतः राज्यपाल के पद को बने रहने दिया जाये।

एक भारी प्रश्न यह भी है कि राज्यपाल के पद को उचित रूप से वैसे भरा जाय तथा यह भी कि किन उपायों से राज्यपाल का सरकार के साथ मन मुटाव होना रोका जा सकता है। जहाँ तक राज्यपाल की नियुक्ति का प्रश्न है सरकार ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल बनाती है जो उसके हितों का संरक्षक हो अथवा जिससे वह बचना चाहती है। जहाँ तक आई० सी० एस० अफसरों की बात है उनको भी तभी राज्यपाल बनाया जाता है जब उन्होंने सरकार के हित में कुछ कार्य किया होता है। सभी आई० सी० एस० के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता। फिर आई० सी० एस० सेवा वास्तव में राजनीति के आधार पर नहीं बनी। उसमें व्यक्ति गुणों के आधार पर आते थे। अतः उस सेवा को इस प्रकार बदनाम करना आवश्यक नहीं है।

राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति को प्रधान मन्त्री, मुख्य मन्त्री, विरोधी दल के नेता तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, इन सबके परामर्श से करनी चाहिए। यदि ऐसा हो सके तो मेरा विचार है राज्यपाल को अधिक आदर तथा सम्मान मिल सकता है तथा उसे सभी की मान्यता मिल सकती है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि राज्यपाल के लिये कोई सुनिश्चित कार्य हो तो वह अच्छी तरह कार्य कर सकता है। वास्तव में राज्यपाल का इस समय कोई कृत्य नहीं है। वह केवल वर्ष में एक अभिभाषण देता है तथा उसमें भी वही कहता है जो सत्तारूढ़ दल उससे कहलवाना चाहता है। अन्यथा वह केन्द्र को प्रतिनिधि मात्र है। सरकार तथा राज्यपाल के पारस्परिक विवाद को समाप्त करने के लिये हमें राज्यपाल के लिये कुछ कृत्य निश्चित करने चाहिए।

इस सम्बन्ध में मैं राजाजी के विचारों को रखना चाहूँगा क्योंकि मैं समझता हूँ आप सभी को इस बात से इन्कार नहीं होगा कि राजाजी की देश के प्रति भारी सेवा है तथा वह कानूनों और उनके उत्तम राय से पालन आदि के विषय में अधिक मानते हैं। राजाजी राज्यपालों को दो प्रकार के कार्य देने के पक्ष में हैं।

पहला कार्य तो यह है कि राज्यपाल का पुलिस तथा उसके कार्यों पर पूरा नियन्त्रण होना चाहिए। शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने का कार्य पुलिस का है किन्तु यदि पुलिस सत्तारुढ़ दल के हितों से नियन्त्रित होकर चलेगी तो वह वस्तुत: उचित कार्य नहीं कर सकती। अत: पुलिस पर राज्यपाल का नियन्त्रण होना चाहिए।

दूसरे राज्यों में प्रशासनिक कार्यवाही में सरकारों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार बदलती रहती है किन्तु प्रशासन को उसी अनुसार बदलते नहीं रहना चाहिए। उसकी नीति निर्धारण में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसके लिये भी राज्यपाल ही को कार्य सौंपना चाहिए। इन दोनों सेवाओं, पुलिस तथा प्रशासन, पर राज्यपाल का ही नियन्त्रण होना चाहिए तथा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की पदोन्नति तथा अन्य कार्य भी राज्यपाल के ही हाथ में रहने चाहिए। देश में शान्ति और व्यवस्था तथा अच्छे प्रशासन के लिये राज्यपाल का उन पर नियन्त्रण अत्यावश्यक है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : आज देश में जिस प्रकार की क्रांतिकारी लहर दौड़ रही है तथा सारे देश में एक प्रकार की उथल-पुथल मची हुई है उसे देखते हुए केवल संविधान में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में कुछ संशोधन करने से ही काम नहीं चलेगा। देश में भारी राजनीतिक परिवर्तन आ रहे हैं तथा नयी पीढ़ी विरोध स्वस्थ खड़ी होती जा रही है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल पर भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

बंगाल बंद के बारे में जब विधि मंत्री कुछ नहीं कर पाये तथा सरकार कुछ नहीं कर पाई तो राज्यपाल ही क्या कर सकता है। जब जनता कानून को अपने हाथ में ले रही है तो राज्यपाल भी क्या कर सकते हैं। शांति और व्यवस्था को बनाये रखने का कार्य तो अन्ततोगत्वा जनता का ही कार्य है।

संवैधानिक व्यवस्थाओं का दिन प्रति दिन उल्लंघन किया जा रहा है। संविधान में दिया गया है कि राज्यपाल अपने अभिभाषण में सरकार की नीतियों को ही पढ़ेगा किन्तु जैसा कि हम देखते हैं कि बंगाल को राज्यपाल ने ऐसा करने से स्पष्ट इंकार कर दिया। उड़ीसा के मामले में भी खन्ना आयोग नियुक्त किया गया था जिसने कांग्रेस मन्त्रियों को दोष मुक्त बताया। इन सभी मामलों में राजनीति ही तो है। पंजाब के राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में केवल वही बातें कही जो वहाँ की सरकार कहलवाना चाहती थी। अत: संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लेख करना ही पर्याप्त नहीं होगा। उतने से आज की कठिनाइयाँ हल नहीं हो सकती।

यह मानना होगा कि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों की अब आपस में बनती नहीं है। अत: सरकार की नीति तथा राज्यपाल के विषय में कोई अन्तिम तथा सुविधाजनक नीति का बनाना सरल नहीं है।

माननीय विधि मन्त्री को इस मामले में गम्भीरता से सोचना चाहिए तथा योग्य व्यक्तियों को बुलाकर कोई नया ढाँचा बनाना चाहिए। राज्यपाल की शक्तियों तथा उसके कृत्यों के सम्बन्ध में पुनरमूल्यांकन होना चाहिए।

राज्यपाल की नियुक्ति का लक्ष्य राज्य में कानून तथा संविधान कायम रखने के लिये किया

जाता है। वह राज्य तथा केन्द्र के बीच की एक कड़ी होता है। किन्तु जब विवाद का बिन्दु वह स्वयं ही हो जाय तो क्या किया जा सकता है।

इस पद की उपयोगिता तब मानी गई थी जब राज्य तथा केन्द्र में एक ही दल की सरकारें होती थीं। आज जब राज्य तथा केन्द्र सरकार के सम्बन्धों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है तो क्या अब भी इस पद की उपयोगिता मानी जा सकती है। इस बात पर गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है।

एक बात और है और वह यह कि राज्यों में मुख्य मन्त्री तथा विधान सभा के सदस्य जनता द्वारा चुनकर आते हैं। यदि वहाँ सत्तारूढ़ दल विफल हो जाता है तो सम्वैधानिक रूप से उसे त्याग पत्र देना होता है। किन्तु मान लीजिये कि यदि मुख्य मन्त्री ऐसी स्थिति में त्यागपत्र नहीं देता तो क्या वहाँ का राज्यपाल अपने स्वविवेक के उस मुख्य मन्त्री से त्यागपत्र देने को विवश करेगा ? यदि राज्यपाल केवल राष्ट्रपति शासन को सुविधापूर्वक राज्य में लागू करने की सिफारिश करने के लिये बने हैं तो मेरे विचार से इस पद की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं राष्ट्रपति और यह सदन इस कार्य को कर सकते हैं। केवल इतने से कार्य के लिये कि वह मुख्य मन्त्री की सरकार विफल हो जाने पर उससे त्यागपत्र मांगे, राज्यपाल के इतने खर्चीले पद को बनाए रखना विवेकपूर्ण नहीं कहा जा सकता। मुख्य मन्त्री भी स्वयं ऐसी स्थिति में अपना त्यागपत्र स्वयं दे सकते हैं। अतः हमें इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप कोई उपाय निकालना चाहिए।

Shri Yajna Datt Sharma (Amritsar) : The institution of the Governor was setup with the view that he will protect the constitution and guide the state whenever any constitutional crisis arises in his State. But I am constrained to mention that the politically defeated and persons rejected by public are given the institution of Governor who are not capable of giving any guidance to the States. I think the repercussions experienced by the Government are originally based on this unhealthy practices followed by the Government.

It should be observed that the practical democratic pattern started in our country after the completion of the fourth general elections and since then the controversy over the institution of the Governor, too, has arisen in our country due to the arrival of different political parties in power in the different states. The mention has been made by the hon. Home Minister regarding the discretionary powers of the Governor. But the Articles of the constitution relating to these discretionary powers are interpreted in different ways and this is the main reason of controvercy in the matter.

I am not analysing this matter in a highly sophisticated and intricated manner as constitutional experts may do. I am taking it that an ordinary man can understand and analyse it. If the interpretations of these articles vary from state to state it would naturally give a set back to the people and the constitution as well.

Our faith in the democratic pattern of society and in the constitution should invariably be constant and viable and we should be prepared to pay any price for maintaning our this approach toward the constitution in any state of emergency and crisis. But really speaking we are not prepared to pay the highest value for keeping our faith in the constitution. There is a vast difference between the practice and the preceipt and therefore our generation is not imfluenced by us and the same time we are not able to conquer the crisis appeared in the country. The Governor is a central representative in the state and

at the same time he is a constitutional head in the state which he belongs. Therefore, he has got certain responsibilities towards that state. He should perform his duties honestly and should remain responsible towards that State also.

I should also state that the governor of Hariyana is not in position to take any decision on the matters pertaining to that state. In that State the entire udget was read out in a period of one hour and no minute discussion was made over it. It can not be said appreciable to spend the limited resources of the State indiscriminately by the State Government. If the Governor of that State finds himself in a position not to have any check over such things he should be called back.

I support the Resolution moved by Shrimati Sushila Rohtogi and demand that a high powered committee should be appointed to looko into the matter in detail pertaining the appointment of Governors and their powers. Unless the final decision is taken by the proposed Committee the House should request the President to take up this matter to the Supreme Court which would give their clear interpretation in regard to the three articles of the constitution.

श्री बेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : इस संकल्प द्वारा राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों के पारस्परिक सम्बन्धों के अन्य पहलुओं पर भी विचार विमर्श हो सकता है जब तक केन्द्र सरकार का अन्य सभी राज्य सरकारों या व्यावहारिक नियंत्रण था तब तक किसी भी प्रकार के विवादों का हल दल के स्तर पर ही हो जाता था। किन्तु अब चूंकि स्थिति में परिवर्तन आ गया है। केन्द्र तथा राज्य सरकारों के पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में कुछ सम्विधिक व्यवस्था करना आवश्यक हो गया है।

संघ राज्य का तात्पर्य है भारत की राज्य सरकारें स्वायत्त होती हैं वे स्वतंत्र नहीं है। उन राज्य सरकारों की कुछ शक्तियाँ भी हैं। उनके कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। फिर भी राज्य भारत के अंग हैं तथा केन्द्र की सत्ता को ठुकराया भी नहीं जा सकता। यद्यपि कानून और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य राज्य सरकारों का है तथापि उसमें भी केन्द्र की सत्ता को मानना ही होगा क्योंकि भारत की एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिये यह आवश्यक है।

विधि तथा व्यवस्था का समस्त कार्यभार राज्य पर नहीं छोड़ा जा सकता है। मान लो कोई राज्य अचानक अलग होने का निर्णय करता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। इसलिये यह जरूरी है कि केन्द्र का राज्यों पर नियंत्रण होना चाहिये। राज्यपाल को केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करना होता है। किसी राज्य में अस्थिरता की स्थिति पैदा होने पर उसे संवैधानिक प्रमुख के रूप में निर्णय लेने होते हैं। परन्तु अभी तक राज्यपाल की शक्तियों की स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। केन्द्रीय सरकार ने भी इस सम्बन्ध में सही स्थिति नहीं बताई है। यह सही है कि राज्य पाल को केन्द्र के प्रतिनिध के रूप में काम करना होता है, परन्तु ऐसी कई स्थितियाँ हैं, जिनमें काम करने के लिये राज्यपाल के लिये कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये गये हैं। मान लो किसी राज्य में अस्थिरता होने पर राज्यपाल सरकार को बर्खास्त कर देता है। परन्तु नये निर्वाचन में जनता फिर उसी दल को बहुमत में चुन देती है, तो उस मामले में क्या होगी ? यह प्रश्न ब्रिटेन में डाइसी तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा उठाया गया था। उन्होंने कहा था कि यह कैसे संभव है और यदि सम्राट संसद् को भंग करता है तथा जनता आगामी निर्वाचन में उसी दल को पुनः सत्ता सौंप देती है, तो सम्राट को हटना पड़ेगा। यह एक ऐसा तर्क है जिससे हम छुटकारा

नहीं पा सकते हैं। हमें इस सम्बन्ध में कोई-न-कोई हल निकालना ही होगा, कुछ मानदण्ड निर्धारित करने होंगे, जिनसे स्थिरता को बनाये रखा जा सके तथा संविधान के अनुसार शासन का कार्य चलाया जा सके। राज्यपाल के लिये सरकार को बर्खास्त करना गलत है, परन्तु साथ ही अध्यक्ष अथवा मुख्य मंत्री के लिये भी यह कहना गलत है कि विधान सभा का सत्र नहीं बुलाया जायेगा। एक गलती से दूसरी गलती पैदा होती है और यदि इस प्रकार के असंवैधानिक रवैये अपनाये जाते हैं, तो कोई भी संविधान ठीक ढंग से काम नहीं कर सकेगा।

भारत में हम विविधता में एकता स्थापित करना चाहते हैं, परन्तु जहाँ कहीं भी इन दोनों से एक को अधिक महत्व दिया जाता है, वहीं कठिनाई उपस्थित हो जाती है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि स्थिरता को बनाये रखने के लिये हर जगह केन्द्र का आदेश चले। जहाँ कहीं भी अस्थितरता की स्थिति पैदा होती हैं, केन्द्र को यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि वह हस्तक्षेप करेगा ताकि स्थिति को बचाया जा सके। परन्तु साथ ही यह राजनैतिक प्रश्न पैदा होता है कि यदि क्षेत्रीय तत्व इस राज्य के कार्य में हस्तक्षेप समझें तो उस स्थिति में क्या होगा? स्वाभाविक है कि इससे केन्द्र तथा राज्य के बीच विवाद आरम्भ हो जायेगा। इससे हमारे देश की एकता खतरे में पड़ जायेगी। एक ओर केन्द्र कहेगा कि उसे हस्तक्षेप करने का अधिकार है और दूसरी ओर वे तत्व जिन्हें राज्य में सत्ता प्राप्त है, अपने अधिकारों पर बल देंगे। ऐसी स्थिति में कौन किस पर नियंत्रण करेगा। अतः अब समय आ गया है जब कि केन्द्र राज्य सम्बन्धों को परिभाषित करना होगा। हमें ऐसे मार्ग निकालने होंगे जिनसे केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्ध को अधिक अच्छा बनाया जा सके। केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्धों की समस्याओं को सुलझाने के लिये केन्द्र और राज्यों के बीच विचार विमर्श किया जाना चाहिये तथा न केवल राज्यपाल के मामले में बल्कि वित्तीय सम्बन्धों और अखिल भारतीय सेवाओं आदि के मामलों में भी विवादों को हल किया जाना चाहिये।

अब प्रश्न यह है कि यदि राज्यपालों का निर्वाचन का निर्वाचन किया जाये तो कैसा है? मैं समझता हूँ कि निर्वाचित राज्यपाल सारी सरकार पर छा जायेगा। वह मुख्य मंत्री की भाँति शक्ति शाली होगा। यदि उसे अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और उसे कोई शक्तियाँ नहीं दी जाती तो वह चापलूस बन जायेगा और आगामी चुनाव के लिये राजनैतिक समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। यदि वह उसी विधान सभा द्वारा चुना जाता है, तो भी स्थिति वही रहेगी। यदि राज्य-पाल को केन्द्र द्वारा नियुक्त किया जाता है तो उस पर यह आरोप लगाया जायेगा कि वह केन्द्र का पक्ष ले रहा है। अतः हमें एक ऐसा तरीका निकालना होगा, जो सब को मान्य हो। समय के साथ-साथ हमें वस्तुस्थिति में परिवर्तन करना होगा। हमें केन्द्र तथा राज्य के सम्बन्धों को सही रूप में समझना होगा, ताकि हम वास्तव में एक संघीय देश की भाँति काम कर सकें। हम में एकता है तथा साथ ही हममें विविधता है। हमें दोनों में समन्वय स्थापित करना होगा। हमें ऐसा मार्ग निकालना होगा जो सब को मान्य हो।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री वासुदेवन् नायक (पीरमाडे) : मैं इस संकल्प का स्वागत करता हूँ, क्योंकि इसे ठीक समय पर लाया गया है। देश में बड़े पैमाने पर राज्य पाल-पद के बारे में वाद विवाद चल रहा

है तथा हाल में हुई घटनाओं को देखते हुए यह जरूरी भी हो गया है। विधि मंत्री भी इस वाद-विवाद से अछूते नहीं है। यदि समाचार पत्तों में छपे समाचार सही हैं तो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मंत्रि परिषद् द्वारा तैयार किये गये वक्तव्य को पढ़ना राज्यपाल के लिये जरूरी नहीं था। उन्होंने कहा है कि यह उनका व्यक्तिगत मत है। इस सम्बन्ध में विभिन्न मत व्यक्त किये गये हैं।

राज्यपाल का पद हाल की घटनाओं से काफी बदनाम हो गया है और इसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है जिन्होंने गलत नीतियों का पालन किया है। हमें राज्यपालों को दोषी नहीं ठहराना चाहिये। असली दोषी तो वे हैं, जो गत २० वर्षों से सत्ता में रहे हैं तथा जिन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। यही कारण है कि लोगों का इस पद से विश्वास उठ गया है। इस बात को देखते हुए इस प्रश्न की जाँच करने के लिये संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त करना उपयोगी सिद्ध होगा।

जब तक मेरे दल का सम्बन्ध है, हम तो यहाँ तक तैयार हैं कि राज्यपाल का पद समाप्त किया जाये। यह पद अनावश्यक है तथा इससे कोई लाभ नहीं है। यह पद केवल शान के लिए बनाये गया है। अत: यदि इसे खत्म कर दिया जाता है, तो इससे कोई हानि नहीं होगी। हमारा देश एक गरीब देश है और फिर भी हम राज्यपालों पर प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। राज्यपालों से कोई लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि वे केन्द्र की कठपुतलियाँ हैं। मैं समझता हूँ कि प्रजातन्त्र में राज्यपाल के पद को बनाए रखना जरूरी नहीं है। इसलिये वह समिति राज्य-पाल पद को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार कर सकती है।

दूसरे यदि समिति यह निर्णय करती है कि राज्यपाल पद बहुत पवित्र है और इसे जारी रखा जाये, तो, भी हमारी राय स्पष्ट है। राज्यपाल राष्ट्रपति के समान है तथा जिस प्रकार राष्ट्रपति मंत्रि परिषद् की सलाह पर काम करता है उसी प्रकार राज्यपाल को भी मन्त्रिपरिषद् की सलाह पर कार्य करना चाहिये। सरकारी प्रवक्ता ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि राज्यपाल तथा राष्ट्रपति में अन्तर हैं। उन्होंने कहा है कि संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल को स्वविवेक की शक्तियाँ प्राप्त हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि यह उनके हित में हैं। वह समझते हैं कि केन्द्र में हमेशा ही उनकी सरकार रहेगी। इसीलिए वह कह रहे हैं कि राज्यपाल तानाशाह के रूप में काम कर सकता है, उसे शक्तियाँ प्राप्त हैं। संविधान की एक साथ दो व्याख्या नहीं हो सकती हैं तथा राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति की शक्तियों से भिन्न नहीं हो सकती हैं। इस समय भी संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल को स्वविवेक की शक्तियां प्राप्त नहीं है; परन्तु राज्यपालों को स्वविवेक की शक्तियाँ दी गई हैं, क्योंकि ऐसा करना केन्द्रीय सरकार के हित में है।

इसके अतिरिक्त यदि आप सब लोग राज्यपाल-पद को जारी रखने का निर्णय करते हैं, तो राज्यपाल पर भी महाभियोग चलाने का उपबन्ध किया जाना चाहिये, जैसा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का उपबन्ध संविधान में है। समिति इस बात पर विचार कर सकती है।

राज्यपाल-पद के बारे में अन्तिम निर्णय लिये जाने तक में कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। मेरा सुझाव यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार की सलाह से नहीं; अपितु सम्बन्धित

राज्य सरकार की स्वीकृति से की जानी चाहिये। यदि केन्द्रीय सरकार वास्तव में राज्य सरकारों को संतुष्ट करना चाहती है और केन्द्र तथा राज्यों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करना चाहती है तो केन्द्रीय सरकार तथा राष्ट्रपति द्वारा उसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिये, जो सम्बन्धित राज्य सरकार को मान्य हो। मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार इस सुझाव पर गम्भीरता से विचार करे।

सिविल अधिकारियों अथवा सेवा निवृत सिविल अधिकारियों को राज्यपाल नियुक्त करना उचित नहीं हैं। ऐसा करना जनता के प्रतिनिधियों तथा नेताओं का अपमान करना है। इस प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिये तथा ऐसे व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिये जो लोगों को जानते हों, जिन्होंने देश के विकास में योगदान दिया हो तथा जो लोगों की भावनाओं को समझते हो।

यदि सरकार समिति का गठन करने तथा संविधान में अपेक्षित संशोधन करने तक इन सुझावों को स्वीकार करती है तो वह जनता को यह बता सकेगी कि उसने वर्तमान घटनाओं से कुछ सबक सीखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संकल्प के लिए दो घण्टे का समय निर्धारित किया गया था। दो घण्टे का समय पहले ही समाप्त हो चुका है। यदि मैं इसके लिए एक घण्टे का समय और भी बढ़ा दूँ तो भी पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि इस संकल्प पर बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण सङ्कल्प है। इसलिए मैं सभा की राय जानना चाहता हूँ कि कितना समय बढ़ाया जाये।

श्री समर गुह (कन्टाई) : महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है तथा इसके लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : यदि आप समय बढ़ाना चाहते हैं, तो इस पर चर्चा को कल तक जारी रखना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस संकल्प की चर्चा के लिये समय को बढ़ाने को तैयार हूँ। यदि आवश्यक हुआ और आज चर्चा पूरी नहीं हुई तो कल भी इस पर चर्चा जारी रहेगी। मैं समझता हूँ कि सभा मुझ से सहमत है।

Shri Mrityunjay Prasad (Maharajganj) : Sir, I have very little time at my disposal therefore I will not go in to the legal aspects of this question, because that requires much time, which is not avialable to me. Leaving aside the legal aspect of the question I wouled like to draw your attention to one aspect only. I want to say that however clear a law may be, it can always be interpretted differently by different people. It is always open to those, who do not want to honou the law to start a row by interpreting it in a particular manner. Here there is a set of people who do not believe in democracy and for whom Parliamentary way is only a method to prepare for the anarchy which they want to bring about, whatever be the law, they will never know to it. I want to know how you will deal with a government which itself sponsors a strike and paralyses the whole life of the community and then blames the central government for it. They are always trying to find out excuses for blaming central government. Their main purpose is to find out excuses and so whether there

is a governor or not, whether he is elected or nominated, they will always find an excuse to create unseeningly situations if everything does not go acording to their wishes in the State. This is their attitude.

श्री समर गुह : महोदय कुछ सदस्यों को आपने काफी समय दिया है तथा अन्य सदस्यों के लिये आपने 5 मिनट की समय सीमा निर्धारित कर दी है। क्या यह उचित है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने समय सीमा निर्धारित नहीं की है। मेरा अनुरोध है कि यदि प्रत्येक माननीय सदस्य 5 मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दे, तो प्रो० रंगा को अपना संकल्प प्रस्तुत करने का समय मिल जायेगा, अन्यथा वह इस से वंचित रह जायेंगे। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि वे 5 मिनट से अधिक समय न लें।

Shri Mrityunjay Prasad : Sir, I want to draw your attention how a particular state government is functioning. On the one hand thay have released those persons against whom there were charges of murder and arson and on the other hand they want those officers of the central government who were oo duty to be handed over them for prosecution. I want to know whether firing is not resorted to west Bengal police and whether people are not killed as a result of that firing. I want to know whether any policeman has been arrested by West Bengal government for resorting to firing and if not how they are demanding that the Central government servants who were on duty be handed over to them for prosecution. So I want to say that if this sort of government is continued to remain in power in a state whatever law is passed it will have no value.

श्री गणेश घोष (कलकत्ता-दक्षिण) : गत कुछ वर्षों में हमारे देश की परिस्थितियों में आमूल परिवर्तन हुआ है। वर्ष 1967 के आम चुनाव के बाद केन्द्र में विभिन्न राज्यों में भिन्न दलों केन्द्र में सत्तारूढ़ दल से भिन्न विचारधारा वाले राजनैतिक दलों की सरकारें होना सामान्य बात हो गई है। केन्द्रीय सरकार के नेता जितनी जल्दी इस तथ्य को स्वीकार करें उतना ही अच्छा होगा।

प्रान्तीय स्वायत्ता के सिद्धान्त के परीक्षण का समय आ गया है। यह देखा गया है कि मामूली से लाभ के लिये केन्द्रीय सरकार जो कि कांग्रेसी सरकार है, उन राज्यों की स्वायत्ता को कुचल देती हैं, जिन में गैर कांग्रेसी सरकारें हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाता है तथा प्रान्तीय स्वायत्ता का मजाक उड़ाया जाता है। वर्ष 1959 में ऐसा किया गया था तथा वर्ष 1967 में बड़े पैमाने पर ऐसा किया गया है। संविधान का उल्लंघन कराने तथा राज्यों के लोकप्रिय मंत्रिमंडलों को असंवैधानिक तथा गैर कानून ढंग से भंग कराने की कार्यवाही केन्द्र द्वारा राज्यपालों के माध्यम से कराई जाती है। राज्यपालों के माध्यम से राज्यों के प्रशासन में हस्तक्षेप किया जाता है।

हमारे संविधान के निर्माताओं ने यह कभी नहीं सोचा था कि राज्यपाल राज्यों के प्रशासन में हस्तक्षेप करेंगे। उनका विचार था कि राज्यपाल तो केवल संवैधानिक प्रमुख होंगे तथा उन्होंने यह भी नहीं सोचा था कि केन्द्रीय सरकार के कहने पर वे तानाशाहों तथा गैर जिम्मेदार व्यक्तियों की भांति कार्य करेंगे और केन्द्र में सत्ताधारी राजनैतिक दल के संकुचित लाभ के लिये संविधान तथा प्रजातंत्र का हनन करेंगे।

अतः वर्तमान अनुभव के आधार पर हम सुझाव देते हैं कि प्रजातंत्र से सिद्धान्तों का आदर

करने, संविधान को ठीक प्रकार से क्रियान्वित करने तथा केन्द्र और राज्यों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिये यह जरूरी है कि राज्यपाल के पद को समाप्त कर दिया जाये और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो राज्यपाल को किसी निश्चित अवधि के लिये राज्य विधान मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाना चाहिये और राज्यपाल को मंत्रि परिषद् की सलाह पर कार्य करना चाहिये ।

अब प्रश्न यह उठता है कि यदि राज्यपाल को केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, तो केन्द्र को कैसे पता लगेगा कि राज्य में संविधान के अनुसार काम हो रहा है अथवा नहीं । केन्द्रीय सरकार के पास इस बात का पता लगाने के लिये बहुत से तरीके हैं और केन्द्र अवश्य ही किसी राज्य में संविधान का उल्लंघन होने पर राष्ट्रपति के माध्यम से हस्तक्षेप कर सकता है ।

पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व राज्यपाल ने, मध्यावधि चुनावों में जनता से अपमानित होने के बाद भी यह कहा है कि यदि उसे फिर आने का अवसर मिला तो फिर भी वह वही कार्यवाही करेंगे, जो उन्होंने पहले की है । यह जन भावना का अपमान है ।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : महोदय वर्तमान संदर्भ में मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इस समय हमारे देश में राज्यपाल के पद को बदनाम किया जा रहा है। जिन राज्यों में राजनैतिक स्थिरता है उन में कोई विवाद नहीं है, परन्तु जिन राज्यों में राजनैतिक अस्थिरता हैं उन में मन्त्रिमण्डल राज्यपालों से अपने दलगत लाभ के लिये मनमाने ढंग से काम कराना चाहते हैं ।

सर्वप्रथम मैं यह बताना चाहता हूँ कि राज्यपाल केन्द्र तथा राज्य के बीच की कड़ी होता है और वह विधित: राज्य सरकार का प्रमुख भी होता है । हमें इन दोनों बातों को ध्यान में रखना चाहिये । संविधान में कहा गया है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिये एक मन्त्रिपरिषद् होगा । यहाँ तक राज्यपाल तथा राष्ट्रपति की स्थिति समान है । फिर स्वविवेक की शक्तियों का प्रश्न आता है । राज्यपाल को स्वविवेक की शक्तियाँ प्राप्त हैं, जब कि राष्ट्रपति के बारे में शक्तियों, स्वविवेक शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है ।

जहां तक पश्चिम बंगाल का प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में उस दल के साथ बहुमत नहीं रहा था, जो सत्ता में था । यदि उस दल का संविधान तथा प्रजातन्त्र में विश्वास था तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिये था । परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया । यदि पश्चिम बंगाल में सरकार विधान सभा का सत्र बुलाने की बात मान लेती तो वर्तमान विवाद खड़ा न होता और उसे संविधान की शक्तियों के अनुसार मन्त्रिपरिषद् को भंग न करना पड़ता ।

श्री समर गुह : यदि हमारे संविधान के निर्माता अधिक सूझबूझ से काम लेते और राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों तथा उत्तरदायी सरकार के अधिकारों का स्पष्ट उल्लेख करते तो वर्तमान अशोभनीय विवाद से बचा जा सकता था। राज्यपाल के कृत्यों की व्याख्या करते समय डा० अम्बेदकर ने कहा था कि उत्तरदायी सरकार में राज्यपाल अवश्य ही मन्त्रिमण्डल की सलाह पर काम करेगा, परन्तु संविधान में इस बात का कहीं भी उपबन्ध नहीं किया गया ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the chair*]

पं० जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद् के मित्र तथा पथ-प्रदर्शन के रूप में काम करना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा था कि राज्यपाल निर्वाचित नहीं होना चाहिये बल्कि उसे नियुक्त किया जाना चाहिये, क्योंकि नियुक्त किया हुआ राज्यपाल राज्य की अलगाव की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रख सकेगा। इसलिए यह स्पष्ट है कि एक ओर तो वे चाहते थे कि राज्यों में उत्तरदायी सरकारों का निर्माण हो और दूसरी ओर वे निर्वाचित राज्यपाल के स्थान पर नियुक्त किये गये राज्यपाल के माध्यम से राज्य सरकार पर नियन्त्रण करना चाहते थे।

अतः यह एक विचित्र बात है कि राज्यों में उत्तरदायी सरकारें कैसे बन सकती थी, जब कि उसका प्रमुख राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है और वह राष्ट्रपति के एजेन्ट के रूप में काम करे। मैं समझता हूँ कि जनता द्वारा निर्वाचित तथा उत्तरदायी मंत्रियों के ऊपर नामनिर्देशित राज्यपाल को बैठाना जन भावना का अपमान करना है। यह प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध है कि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों का नियन्त्रण एक नामनिर्देशित व्यक्ति के हाथ में हो। फिर भी यदि ऐसा करना ही है तो मैं यह कहना चाहता हूँ, जैसा कि मेरे कई अन्य माननीय मित्रों ने कहा है कि हारे हुए राजनीतिज्ञों तथा सरकारी अधिकारियों को राज्यपाल नियुक्त न किया जाये।

राज्पाल पर महाभियोग चलाने की बात मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि राज्यपाल एक नामनिर्देशित व्यक्ति होता है, जब कि महाभियोग निर्वाचित प्रतिनिधि पर ही चलाया जाता है। इसमें कहना चाहता हूँ कि कम से कम ऐसा उपबन्ध होना चाहिये कि यदि राज्यपाल संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे वापस बुलाया जा सके।

राज्यपाल के पद के बारे में एक गम्भीर समस्या पैदा हो गई है। संविधान में कहा गया है कि मन्त्रिपरिषद् राज्यपाल के प्रसाद काल में पद धारण करेगा। प्रसाद शब्द का अर्थ क्या है? इसका कोई भी अर्थ निकाला जा सकता है। राज्यपाल को विधान सभा का सत्र बुलाने की शक्ति दी गई है। परन्तु यह नहीं कहा गया है कि वह मंत्री परिषद् की सलाह से विधान सभा का सत्र बुलायेगा। राज्यपाल को और कई संकटकालीन शक्तियाँ दी गई हैं और कहा गया है कि संवैधानिक व्यवस्था के हस्त-व्यस्त हो जाने पर राज्यपाल राष्ट्रपति की सलाह पर काम कर सकेगा। परन्तु इसका स्पष्टीकरण कौन करे कि संवैधानिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हुई है अथवा नहीं? इसलिये मैं इस सङ्कल्प का समर्थन करता हूँ, क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और यदि इनका उत्तर शीघ्रातिशीघ्र नहीं ढूंढा गया तो गम्भीर स्थिति पैदा हो जायेगी। इस बात के संकेत अभी से मिलने लग गये हैं कि यह एक गम्भीर समस्या है। इसलिए राज्यपाल की शक्तियों और कृत्यों को परिभाषित किया जाना चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Mongyr) : First of all I would like to Congratulate Shrimati Sushila Rahotgi because by moving this motion she has drawn the attention of the House to a very important constitutional issue.

It is true that the controversy about the powers of the governor have strained the relations between the centre and the States to a certain extent, but the country is faced with many other political problems which cannot be solved by making minor amendments in the constitutions here and there. So it has now become necessary that

a constituent Assembly should be convened to form a new Constitution in the light of the experience gained during the last 22 years. The constituent Assembly should be elected by the persons who have attained the age of 18 years. But till then a committee should be constituted, because it is possible that after giving thought to this question the Committee may reach to the conclusion that a Resolution defining the powers of the governor may be passed by both the House without amending the constitution.

Firstly I want to say that this convention should be set up that in case after the elections no single party commands the majority in the State Legislative Assembly the Governor should administer in the oath to the leader of the largest single party or a combination of the parties as Chief Minister. The Chief Minister should get his policy and programme approved by the Legislative Assembly and then constitute his Ministry.

My second suggestion is that in the extent of a change in the leadership of ruling party, as has been recently in Madhya Pradesh, the Governor should immediately ask the new leader to form Government. He should not exercise his discretion in the matter.

My third suggestion is that no popular Government should be dismissed by the Governor, unless it is defeated in the Legislative Assembly.

My fourth suggestion is that the Governor as constitutional Head of the State should read the Address prepared by the Council of Ministers without making any alterations.

My fifth suggestion is that a list of persons suitable for appointment as Governors should be prepared and the State should be given the liberty of sending two or three names out of that list to the Centre for appointing any of them as Governor and the Centre should appoint one of those persons whose names have been recommended by the State, as the Governor of that State.

My sixth suggestion is that the Governor should not of his own, nominate any person to the Legislative Council. In the past the power of nomination has been misused as Shri Raja Gopalachari was nominated by Shri Shri Prakash to the Legislative Council in Madras.

My seventh suggestion is that economy should be effected in the expenditure ou Governors. Wasteful expenditure should be checked.

As I do not have much time at my disposal, so I will finish my speech after making one more point. Our constitution has given certain responsibility to the Governors in regard to certain matters. Under Article 371 as special responsibility has been given to the Governor of Andhra Pradesh to ensure the implementations of the recommendations of the Regional Committees. But those recommendations had not been implemented.The Governor took no action in the matter because there was Congress Government in the State. So long as the Congress Government will continue to use the office of the Governor for furtherening party interest, that office will continue to be a matter of controversy.

I do not know whether a constituent Assembly will be convened or not as suggested by me, so I suggest that a Resolution giving directions to the Governors in regard to the performance of their duties should be passed by Lok Sabha and Rajya Sabha. Such a Resolution can be amended , through a simple majority, if necessary in the light of the experience gained and there will be no need to amend the constitution every time.

तेलंगाना के बारे में वक्तव्य

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : पिछले कुछ

सप्ताहों के दौरान मैंने आंध्र प्रदेश की वर्तमान स्थिति के बारे में सरकार में अपने साथियों, आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री संसद में विरोधी दलों के नेताओं, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के अन्य भागों से कुछ दलों के नेताओं से बातचीत की है।

2. बातचीत खुले वातावरण में की गई तथा तेलंगाना में रहने वाले लोगों की वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए रचनात्मक कार्यवाही करने के उद्देश्य से भी बातचीत की गई। हमें तुरन्त तथा ठोस हल ढूंढने के महत्व को ध्यान में रखना चाहिये जिससे तेलंगाना क्षेत्र के लोगों की अल्प तथा दीर्घावधि की आवश्यकताओं को तथा आन्ध्र प्रदेश की एकता को बनाये रखने तथा उसको सुदृढ़ करने के उद्देश्य की पुष्टि हो सके। हमारा ध्येय तेलंगाना क्षेत्र में विकास की गति को तेज करना तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है और सहकारिता तथा वहाँ के लोगों की सहायता से आन्ध्र प्रदेश के सभी भागों का संतुलित विकास करने के लिए स्थिति उत्पन्न करता है।

3. इस उद्देश्य हेतु निम्नलिखित विशिष्ट उपाय करने का निर्णय किया गया है :—

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त तथा कार्यकारी न्यायाधीश के अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति वाली समिति नियुक्त की जायेगी और इसमें राज्य के वित्त की जानकारी रखने वाले एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नियंत्रक तथा महालेखापाल के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया जायेगा।

समिति विभिन्न प्राक्कलनों तथा अभ्यावेदनों की जाँच करेगी तथा इस बात का पता लगायेगी कि तेलंगाना क्षेत्र के विकास के लिए और कितनी धनराशि व्यय की जानी चाहिए थी। समिति अगले महीने के अन्त तक अपना प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर देगी।

(ii) केन्द्रीय सरकार के वित्त तथा गृह-कार्य मंत्रालयों योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच तेलंगावा के विकास हेतु अपेक्षित वित्त जुटाने के लिए तुरन्त बातचीत होगी।

(iii) मुख्य मंत्री के सुझाव पर एक उच्च शक्तिशाली तेलंगाना विकास समिति तुरन्त बनाने के लिए सहमति हो गई है जिसके अध्यक्ष आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री होंगे और इसमें योजना आयोग का एक सदस्य तथा तेलंगाना क्षेत्र के आंध्र मन्त्रिमण्डल के मंत्री तथा तेलंगाना सम्बन्धी प्रादेशिक्ष समिति के अध्यक्ष इसके सदस्य होंगे।

समिति के मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के संदर्भ में तेलंगाना क्षेत्र के लिए कार्यक्रम तथा योजनाएँ बनाना है और इन कार्यक्रमों तथा योजनाओं की वास्तविक क्रियान्विति का समय-समय पर पुर्नविलोकन करना है और उचित समझे जाने वाले निर्णयों के बारे में राज्य सरकार को परामर्श देना है।

(iv) योजना आयोग के परामर्शदाता की अध्यक्षता में सरकारी स्तर पर एक योजना

कार्यान्वियन समिति बनाई जायेगी जिसमें केन्द्रीय वित्त तथा गृह-कार्य मंत्रालय और राज्य सरकार के प्रतिनिधि सदस्य होंगे ताकि तेलंगाना क्षेत्र के तेज विकास सम्बन्धी योजना कार्यक्रमों तथा योजनाओं की वास्तविक क्रियान्विति का समय-समय पर पुनर्विलोकन किया जा सके।

समिति की बैठक तीन महीने के पश्चात् हुआ करेगी और यह मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

(v) पर्याप्त समन्वय को सुनिश्चित करने तथा निर्णयों को प्रभावशाली ढङ्ग से तथा तेजी से क्रियान्वित करने के लिए मुख्य मंत्री इस बात पर विचार करेंगे कि तेलंगाना क्षेत्र की समस्याओं से निपटने का काम जिन प्राधिकारियों को सौंपा गया है उनको यदि आवश्यक हो तो और क्या शक्तियाँ दी जायें।

(vi) तेलंगाना क्षेत्र के लोगों को और रोजगार के अवसर देने के लिए संविधिक सुरक्षोपाय देने के मामले पर भारत सरकार विधिवेताओं से परामर्श करेगी।

(vii) मुख्य मंत्री के सुझाव पर इस बात पर भी सहमति हो गई है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत जो केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति नियुक्त की गई थी (जिसके अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हैं और जिसके सदस्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा केन्द्रीय सरकार के सेवा निवृत्त विधि सचिव हैं) शीघ्र ही हैदराबाद का दौरा करेगी ताकि विभिन्न वर्गों के सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों का पता लगाया जा सके और वह समिति केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्रालय को उचित सिफारिशें की जा सकें।

सेवाओं के समेकन के बारे में निलम्बित किसी मामले पर निर्णय करने के उद्देश्य से केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्रालय निश्चित समय के अन्तर्गत एक अविलम्ब कार्यक्रम तैयार करेगी।

मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति अथवा राज्य परामर्शदात्री समिति द्वारा किये गये परामर्श के प्रकाश में भारत सरकार द्वारा दिये गये किसी भी निर्णय को राज्य सरकार तुरन्त क्रियान्वित करेगी।

(viii) तेलंगाना क्षेत्र की ओर केन्द्रीय सरकार निरन्तर ध्यान बनाये रखने के लिए मुख्य मंत्री के सुझाव पर इस बात पर सहमति हो गई है कि प्रधान मंत्री उपर्युक्त उच्च शक्तिशाली तेलंगाना विकास समिति के सदस्यों तथा मुख्य मंत्री से प्रत्येक छः महीने के पश्चात् बैठक करेंगी। इन बैठकों में उप-प्रधान मंत्री, केन्द्रीय गृह-कार्य मंत्री, योजना आयोग के उप-अध्यक्ष, तथा केन्द्रीय सरकार के ऐसे मंत्री भी शामिल किये जायेंगे, जिनकी उपस्थिति आवश्यक समझी जायेगी।

4. तेलंगाना क्षेत्र के तेजी से विकास तथा समूचे राज्य के संतुलित आर्थिक विकास के लक्ष्यों

को शान्ति के वातावरण में ही नहीं बल्कि मित्रता तथा राज्य के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के सहयोग तथा सूझबूझ से ही प्राप्त किया जा सकता है। मुख्य मंत्री ने मेरे साथ अपनी वार्ता के दौरान इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए राजनैतिक प्रबन्ध करने की इच्छा व्यक्त की थी।

5. विभिन्न वार्ताओं के दौरान आन्ध्र प्रदेश में शक्ति और परस्पर मेल-जोल का वातावरण स्थापित करने के महत्व को स्वीकार किया गया। मैं इस अवसर पर तेलंगाना के लोगों से वर्तमान आन्दोलन को समाप्त करने की और इन वार्ताओं के फलस्वरूप ढूंढे गये विभिन्न ठोस उपायों तथा इसके पश्चात् किए जाने वाले उपायों को पूरा करने में उनका पूरा सहयोग देने की भी उनसे अपील करती हूँ। इस उद्देश्य हेतु आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न मतों के वर्गों के साथ-साथ आगे बातचीत जारी रखी जायेगी।

6. मैं तेलंगाना तथा आन्ध्र प्रदेश के अन्य भागों के लोगों को आश्वासन देती हूँ कि केन्द्रीय सरकार अच्छी वास्तविक समस्याओं की ओर निरन्तर तथा सहानुभूति पूर्वक ध्यान देती रहेगी।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Please allow us to express our views for one minute on this statement.

श्री नाथपाई (राजापुर) : यह एक महत्वपुर्ण विषय है; अतः इस वक्तव्य पर हमें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जावे।

अध्यक्ष महोदय : इस पर तुरन्त चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती। बाद में मैं अनुमति दूंगा।

श्री हेम बरुआ : 1956 में इस बारे में एक मौखिक करार हुआ था। जब वहाँ के मुख्यमन्त्री थे तो आप ने तेलंगाना से उप मुख्य मन्त्री नहीं लिया था।

---

10 अप्रैल 1969 को पश्चिम बंगाल में हुई हड़ताल के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. STRIKE IN WEST BENGAL ON 10TH APRIL, 1969

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार.........

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। बाहर सूचनाफलक पर यह लिखा हुआ था कि गृह-कार्य मन्त्री आज 6.15 बजे बंगाल के बारे में वक्तव्य देंगे। हम नहीं जानते यह किस बारे में है। पश्चिम बंगाल में इस समय लोगों द्वारा चुनी गई सरकार काम कर रही है। अतः मुझे आश्चर्य है कि गृह कार्य मन्त्री ने पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में वक्तव्य देने के लिए यह अवसर चुना है।

क्या बंगाल में कोई बाढ़ आई है ?

श्री ज्योतिर्मय वसु (डायमंड हार्बर) : इसमें बहुत गलतफहमी उत्पन्न होगी। यह एक राज्य का विषय है केन्द्रीय सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रतिरक्षा मन्त्री के वक्तव्य के पश्चात हमने उस दिन चर्चा की माँग की थी। हमने स्थगन प्रस्ताव भी दिये थे परन्तु आपने कहा था कि यह एक गम्भीर मामला है और इसको इस प्रकार नहीं सुलझाया जा सकता। अब गृह-कार्य मन्त्री बंगाल के बारे में वक्तव्य देना चाहते हैं। यह खतरनाक बात है। डा० बी० सी० राव के समय में कलकत्ता बन्द हुआ था तो यहाँ पर मामला उठाने की अनुमति नहीं दी गई थी। उत्तर प्रदेश 'बन्द' के बारे में भी अनुमति नहीं दी गई थी। मुझे आश्चर्य है कि इस समय इस मामले को यहां उठाने की अनुमति दी गई है।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूँ कि इस प्रश्न से कुछ उत्तेजना उत्पन्न होने वाली है। प्रो० रंगा तथा कांग्रेस के अनेक सदस्यों ने इस बारे में मुझे लिखा है। श्रीनाथ पाई ने भी इस बारे में मुझे लिखा है। इस वक्तव्य के पश्चात मैं माननीय सदस्यों से अपने चैम्बर में मिलूंगा। मैंकिसी दल का पक्ष नहीं ले रहा हूँ परन्तु जो बात उचित होगी वही मैं करूँगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा आप से निवेदन है कि इस सभा को लोगों द्वारा चुनी गई सरकार के विरुद्ध प्रचार करने के लिए प्रयोग करने की अनुमति न दी जायँ। (अन्तर्बाधा)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करने की अपील करूँगा। वह माननीय मन्त्री को अपना वक्तव्य देने दें। फिर हम इस पर चर्चा करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 31 (2) के अनुसार सभा की किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुमति के बिना ऐसा कोई कार्य नहीं लिया जा सकता जो कार्यसूची में दर्ज न हो। मैं जानना चाहता हूँ कि किन विशेष परिस्थितियों में इस नियम का उलंघन किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल सभा में इस बारे में घोषणा की थी।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हम जानना चाहते हैं कि स्थगन प्रस्ताव का क्या हुआ। आपने इसको अपनी स्वीकृति दी है अथवा नहीं। पश्चिम-बंगाल के बारे में गृह-कार्य मंत्री को नहीं बल्कि प्रधान मन्त्री को अपना वक्तव्य देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मन्त्री ने उनको अधिकृत किया है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार संघ मोर्चा, राष्ट्रीय संग्राम समिति तथा कुछ अन्य संगठनों 8 अप्रैल 1969 को गन एण्ड शेल फैक्टरी, कोसीपुर, कलकत्ता में चली गोली के विरुद्ध 10 अप्रैल 1869 को हड़ताल करने को लोगों को कहा था। राज्य अधिकारियों द्वारा परिवहन की मुख्य सेवाओं, बसों तथा ट्रामों को मार्गों से हटा लिया गया था। राज्य सरकार के अधिकारियों ने कलकत्ता स्थित रेलवे अधिकारियों को यह स्पष्ट कर दिया था कि हड़ताल के दौरान वह गाड़ियों के संरक्षण की जिम्मेदारी नहीं ले सकते परन्तु महत्वपूर्ण संस्थानों के सरक्षण के लिये सहायता दी जायेगी। अत: स्थानीय रेलवे प्रशासन ने कलकत्ता में चलने वाली उपनगरीय गाड़ियों को नहीं चलाया। और दूर जाने वाली गाड़ियों को भी चलाया नहीं या उनके समय को उचितरूप से नियमित कर दिया था। इससे यात्री तथा माल यातायात में गम्भीर बाधा पड़ी। प्रदर्शनों, प्रदर्शनकारियों द्वारा धरणा देने तथा पटरी पर बैठकर गाड़ियों को रोकने, पटरियों पर बाधायें खड़ी करने तथा सिगनल पद्धति में गड़बड़ करने आदि के समाचार

भी प्राप्त हुए हैं। कई मामलों में रेलवे कार्यालय के कार्यसंचालन में गड़बड़ी की गई थी। 10 अप्रैल 1969 को इन्डियन ऐपरलाइन्स कारपोरेशन को कलकत्ता से तथा कलकत्ता तक अपनी उड़ानों को रद्द करना पड़ा क्योंकि स्थानीय प्राधिकारियों ने कहा था कि डमडम हवाई अड्डे से तथा वहाँ तक विमान चालकों तथा यात्रियों के आने जाने के लिए सुरक्षा का प्रबन्ध करना उनके लिए सम्भव नहीं है। डाक तथा तार सेवाओं में सीमित काम हुआ और केवल प्राथमिकता वाला कार्य ही किया गया। केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों के कार्यसंचालन पर भी गम्भीररूप से प्रभाव पड़ा। राज्य सरकार के अनुसार 24 परगना जिले में कन्चरपाड़ा को छोड़कर जहाँ रेलवे वर्कशाप के मजदूरों तथा धरणा देने वाले में झड़प हुई शेष राज्य में हड़ताल शान्तिपूर्ण ढङ्ग से हुई।

8 अप्रैल 1969 को कांसीपुर स्थित गन एन्ड शेल फैक्टरी में हुई दुर्घटना के बारे में सभा को पता है। प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री ने 9 अप्रैल 1969 को इस बारे में सभा में एक वक्तव्य दिया था। मामले को जाँच के लिए केन्द्रीय सरकार जाँच आयोग स्थापित करने के बारे में पहले ही अपना इरादा व्यक्त कर दिया था अतः राज्य में सामान्य जीवन को भंग करने तथा पश्चिम बंगाल में काम आने वाले लोगों के मार्ग में बाधायें उत्पन्न करने के लिए कोई अवसर नहीं था। (अन्तबार्धा) आर्थिक पद्धति के कार्यसंचालन में बाधा डालने का जानबूझ कर प्रयास करने का कोई औचित्य नहीं है। विरोध प्रकट करने के ऐसे हानिकारक तरीकों को पश्चिमी बङ्गाल राज्य तथा समूचे देश के हितों को ध्यान में रखकर देखा जाना चाहिए।

नवम्बर 1967 में केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया था कि 'बन्दों' और काम को सामान्य रूप से बन्द करने सम्बन्धी आन्दोलनों में वे विभिन्न केन्द्रीय अभिकरणों के कार्यसंचालन में गड़बड़ी को रोकने के लिए प्रभावशाली उपाय करें। उनको बताया गया था कि यदि वे ऐसा करने में असफल रहती है तो इसका अर्थ यह है कि संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 के अन्तर्गत वे अपने कर्त्तव्य को पूरा नहीं करती।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है नवम्बर 1967 में हमारे द्वारा परामर्श दिये जाने के बावजूद पश्चिमी बंगाल सरकार ने गाड़ियों तथा आन्तरिक उड़ानों के लिए आवश्यक सुरक्षा नहीं दी। ऐसी कोई कार्यवाही भी नहीं की जिसमें केन्द्रीय सरकारी कार्यालय तथा अभिकरण सामान्यतः रूप से अपना कार्य कर सकें, इससे गम्भीर मामले उत्पन्न हो गये हैं जिनके बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से उच्च स्तर पर तुरन्त वार्ता करना चाहते हैं।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : हम गृह कार्य मन्त्री के वक्तव्य का अन्तिम भाग नहीं सुन सके।

श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई मध्य दक्षिण) : में दो बातों के बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री डांगे से निवेदन करूंगा कि वह बैठ जायें।

श्री श्री० अ० डांगे : यदि आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं देंगे तो मैं नहीं बैठूंगा।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : हम गृह-कार्य मन्त्री को सुनाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी सदस्यों से बैठने का अपील करता हूँ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दपाल) : श्री डांगे आप के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री सु० कु० तापड़िया : गृह-कार्य मन्त्री को सुनने का हमें अधिकार है। आप इस अधिकार से हमें वंचित नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : गृह-कार्य मन्त्री का कहना है कि वह अपना वक्तव्य पूरा कर चुके हैं। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जो इसको नहीं सुन सके वे इसको कल पढ़ सकते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इस समय व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। यदि आप सभा को जारी नहीं रखना चाहते तो मैं उचित समय पर इसको स्थगित कर दूँगा। माननीय मन्त्री ने अपना भाषण पूरा कर दिया हो।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : आपस में कोई समझौता होना चाहिए। गृह-कार्य मन्त्री अन्तिम वाक्य पुनः पढ़ दें। इसके बाद हम श्री डांगे की सुनेंगे।

अध्यक्ष महोदय : गृह-कार्य मन्त्री का वक्तव्य लिखित रूप में है। कोई भी इसे लेकर पढ़ सकता है। मैंने श्री डांगे को कुछ शब्द कहने को कहा है।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : क्या हमें कुछ अधिकार है अथवा नहीं। यदि है तो आपको उन्हें नियमित करना चाहिए। यह सच है कि हम गृह-कार्य मन्त्री के भाषण को नहीं सुन सके। हम श्री डांगे की भी सुनना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सभा कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

इसके पश्चात लोक सभा सोमवार 14 अप्रैल 1969/24 चैत्र 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, the 14th April, 1969/24 **Chaitra** 1891 **(Saka)**

Tirthraj Press, Allahabad.